खण्ड-278, अंक-1
मंगलवार, 14 श्रावण, शक संवत् 1891
(5 अगस्त, 1969 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 278 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	५–३२
विभिन्न प्रश्नों के उत्तरों के संबंध में आपत्तियां ..	३३–३४
साहित्य देर से मिलने कें संबंध में आपत्ति	३४
विज्ञप्तियों को देर से सदन में रखने के संबंध में आपत्ति (जारी) ..	३४–३५
भाषणों की प्रतियां देर से मिलने के संबंध में शिकायत ..	३५
विशेषाधिकार के प्रश्न के संबंध में जानकारी	३५
सदन में राष्ट्रीय पताका लगाने के स्थान के संबंध में जानकारी ..	३५
विज्ञप्तियों को देर से सदन में रखने के संबंध में आपत्ति ..	३६
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६९ (सदन के पटल पर रखी गयी)	३६
उत्तर प्रदेश वृत्ति व्यापार आजीविका और सेवायोजन कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६९ (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	३६
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६९ (सदन के पटल पर रखी गयी)	३६
उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (जारी रखने का) विधेयक, १९६९ (सदन के पटल पर रखा गया) .	३६
विधायक निवास में पुलिस की तैनाती के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनायें .. .	३७–४०
श्री डी० पी० बोरा द्वारा मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	४०–४१
श्री उदितनारायण द्वारा नेशनल हेराल्ड के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	४२
सीनियर सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस, वाराणसी, श्री राधेश्याम शर्मा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	४२–४७
कार्यक्रम में परिवर्तन के संबंध में सूचना (जारी) ..	४७–४८
श्री सियाराम को सदन में प्रवेश करते समय रोकने के संबंध में शिकायत	४८–४९
श्री अध्यक्ष द्वारा 'बदतमीज' शब्द के संबंध में अपने निर्णय में परिवर्तन की सूचना	४९–५१
कार्यक्रम में परिवर्तन के संबंध में सूचना	५१–५३
उत्तर प्रदेश पथाकर वैधीकरण विधेयक, १९६९ (पुरःस्थापित किया गया)	५३–५४
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९ (पुरःस्थापित किया गया)	५४
१९६९–७० के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान–संख्या २७–श्रम और सेवा योजन (स्वीकृत) ..	५४–९२

विषय	पृष्ठ-संख्या
हिवेट पोलीटेकनिक, महानगर, लखनऊ में पार्ट टाइम कक्षाओं को बन्द करने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	९३–९९
गांव तेजपुरवा, जिला हरदोई में पड़ी डकैती के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	९९–१०४
ग्राम चिलाबाड़ा, थाना खैराबाद, जिला सीतापुर में ११ व्यक्तियों को जिन्दा जलाने के संबंध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा	१०५–११०
नत्थियां	१११–१३०

संसद भवन पुस्तकालय

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ५ अगस्त, १९६९

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में १०-३० बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३९३

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल, श्री
उदय नाथ, श्री
उमित नारायण, श्री

उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकांत बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० फाइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह श्री
कल्यानसिंह, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)

कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिल एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गणेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभानु, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगबीरसिंह, श्री
जमादार श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीरसिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेंद्र सिंह, श्री (जिला चमोली)
नरेंद्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैन सिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाई लाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर

प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
फिरंगी, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तिलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल, शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखनलाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री

राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामदुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर रफी खां, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लाल, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राजेन्, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीरबहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शचींद्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भुनारायण सिंह, श्री
शांती चरन पिड़ारा, श्री
शांती देवी, श्रीमती
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव वचन, श्री
शिव महेंद्र सिंह, कुंवर उर्फ (शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री

शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुक्ल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दान, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री
(उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत, श्री
श्री निवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीरामसिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखवीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूर्यनाथ, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामीप्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हुक्मसिंह श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा–पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट–(श्री मंगला प्रसाद, खाद्य तथा रसद मंत्री भी उपस्थित थे ।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

प्रश्नोत्तर

मंगलवार ५ अगस्त, १९६९

बुलन्दशहर जिले में नलकूपों का विद्युतीकरण

**१—श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) तथा खबेड़ा सिंह मोहरिया—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बुलन्दशहर में सैकड़ों कृषक ऐसे हैं जिनको नलकूपों के लिए विद्युत शक्ति स्वीकृत हो चुकी है किन्तु धनाभाव के कारण उनके नलकूपों का विद्युतीकरण रुका हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कृषकों के नलकूपों के विद्युतीकरण के लिये शीघ्रातिशीघ्र प्रबन्ध करेगी ?

उप मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

वर्ष में कितने निजी नलकूपों/पंपिंग सेटों को बिजली दी जा सकेगी इसका लक्ष्य धन की उपलब्धि पर निर्भर है। इस वर्ष जितना धन इस कार्य के लिए रखा गया है उसके अनुसार हर जिले का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। इस निर्धारित लक्ष्य के अन्दर जिले में संबंधित अधिकारियों से सलाह ले कर जिलाधीश प्राथमिकता निर्धारित करते हैं और तदनुसार उपभोक्ता को क्रमानुसार कनक्शन दिया जाता है। इस लक्ष्य से बड़ी संख्या में कनेक्शन तब संभव हो सकता है जब किसी प्रकार और धन की उपलब्धि हो जाय या उपभोक्ता स्वयं डिपाजिट स्कीम में अपना रुपया जमा कर के बिजली लेने को तैयार हो।

अधिकतर जिलों में बिजली के लिए प्रार्थना-पत्र देने वाले कृषकों की संख्या काफी अधिक है और धनाभाव के कारण उन सब को बिजली दिया जा सकना संभव नहीं है। सरकार तथा विद्युत् परिषद् इस संबंध में हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं जिस से अतिरिक्त धन की उपलब्धि हो सके और अधिक संख्या में विद्युतीकरण किया जा सके।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो धन हमारे जिले के लिए निर्धारित किया गया है उसका क्या आधार है ?

श्री कमला पति त्रिपाठी—

श्रीमन्, आधार तो धन की उपलब्धि है। करीब दस करोड़ रुपया खर्च करने का इरादा है। उसी को हर जिले में बांट दिया गया है।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

मान्यवर, मेरा मतलब यह है कि आधार क्या है, क्या उस जिले की आवश्यकता पर निर्भर है या किसी दूसरी बात पर निर्भर है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, आवश्यकता हर जिले में बहुत अधिक है और जैसा कि मैंने निवेदन किया कि हर जिले की दरख्वास्तें भी बहुत ज्यादा हैं। कुछ जिले ऐसे हैं जहां बिलकुल नहीं हैं। इस दृष्टि से हर जिले में कुछ न कुछ काम हो यह मैंने बता दिया है।

श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

जो मंत्री जी ने आवश्यकता की बात कही तो यह देखा गया है कि बहुत से जिलों में सरकारी नलकूप नहीं हैं और बहुत से पड़ोसी जिलों में हैं। जिन जिले में कतई सरकारी नलकूप नहीं हैं वहां पर ज्यादा धनराशि रखी जाय, क्या इसके ऊपर मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां नलकूप नहीं बन सकते हैं और जहां बन सकते हैं उसका ध्यान रख कर प्रबन्ध किया जायेगा।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केंद्रीय सरकार से प्रदेशीय सरकार को ऐसी सूचना आई है कि अमरीकी पी० एल० ४८० लोन से हाइडिल कारपोरेशन स्थापित किया गया है जिस से प्रदेशीय सरकार विद्युतीकरण के लिये धन प्राप्त कर सकती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ऐसी कोई सूचना सरकारी तौर पर नहीं आयी है, पर उड़ती हुई खबर लगी है। प्रदेश की सरकार उसके लिए चेष्टा करेगी और कर रही है।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

क्या आवरणीय उपमुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो वित्तीय वर्ष १९६९–७० के लिये जिला बुलन्दशहर को नलकूपों के विद्युतीकरण के लिये धनराशि स्वीकृत की गयी है, क्या इससे संभव हो सकेगा कि जिला बुलन्दशहर में एक भी निजी नलकूप का विद्युतीकरण किया जा सके जो कि इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इस वर्ष के लिए ५५० की संख्या वहां रखी गयी थी जिसमें करीब ४३३ पूरे किये जा चुके हैं । हम चेष्टा कर रहे हैं कि और धन उपलब्ध हो जाय तो हम इस की संख्या और बढ़ा देंगे । मेरा ख्याल है कि बुलन्दशहर में संख्या बढ़ने वाली है और अवश्य बढ़ेगी ।

तारांकित प्रश्न

*१—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं) तथा श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

[पुनरावृत्ति होने के कारण निरस्त किया गया ।]

देवरिया जिले में नहरी जमीन का मुआवजा

*२—श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला के हाटा, सुकरौली, रामकोला और कप्तानगंज ब्लाक में नारायणी नदी से जो नहरें निकाली जा रही हैं और जितनी जमीन किसानों की नहर में पड़ रही हैं उसका मुआवजा किस हिसाब से किसानों को दिया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

देवरिया जिले के हाटा, सुकरौली, रामकोला और कप्तानगंज ब्लाक में जो नहरें निकाली जा रही ह उनकी भूमि का मुआवजा किसानों को बाजार भाव से दिया जा रहा है, जो लगभग १,००० रुपये से ५,००० रुपया प्रति एकड़ तक है।

*३—श्री बांकेलाल—

क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हाटा, सुकरौली, रामकोला और कप्तानगंज में जो नहरें नारायणी नदी से निकाली जा रही ह वह कब-कब और कितना पानी सिंचाई हेतु किसानों को देगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

हाटा, सुकरौली, रामकोला और कप्तानगंज ब्लाक में जो नहरें नारायणी नदी (गंडक) से निकाली जा रही हैं, उनके द्वारा निम्नलिखित सींच प्रस्तावित हैं

प्रस्तावित सिंचन क्षेत्र एकड़ों में

ब्लाक का नाम	खरीफ धान	गन्ना तथा अन्य खरीफ	रबी
१—हाटा ..	१४,६९२	५,५०८	७,३४७
२—सुकरौली ..	१५,८४४	५,९४१	७,९२३
३—रामकोला ..	१,२९,४४८	४८,५४१	६४,८२५
४—कप्तानगंज ..	२०,०६१	८,२४७	१०,९९०

श्री बांकेलाल—

माननीय सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह मुआविजा एक हजार रुपय एकड़ से लेकर ५ हजार रुपये प्रति एकड़ है, तो मुआविजा निश्चित करने का आधार क्या है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, यह तो बोर्ड आफ रेवेन्यू के कायदे बने हुए हैं। उसके अनुसार मुआविजा निर्धारित किया जाता है। यह मुआविजा करीब-करीब मार्केट रेट्स पर है।

श्री बांकेलाल—

क्या माननीय उप मुख्य मंत्री बतायेंगे कि बाजार भाव का मतलब यह भी होता है कि किसान जा कर तहसील में रजिस्ट्री करता है, वह हिसाब है, अथवा गांव में १० हजार, ८ हजार रुपये प्रति एकड़ तय करते हैं, आपस में वह है बाजार भाव, बाजार भाव का मतलब क्या है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

भूमि की अवाप्ति होती है, बकायदा केस चलता है। लैंड एक्वीजीशन आफिसर होते हैं। जिनकी जमीन ली जाती है उनको एतराजात होते हैं, सारे सबूत होते हैं, और जो फैसला होता है उसके हिसाब से सरकार मुआविजा बांटती है?

श्री रामधारी (जिला देवरिया)—

क्या माननीय उप मुख्य मंत्री को जानकारी है कि देवरिया जिले में सुकरौली ब्लाक, हाटा ब्लाक, फाजिलनगर के आसपास ११ हजार रुपये एकड़ जमीन बिक रही है, इसको रोशनी में मुआवजे की दर बढ़ाने का प्रयास करेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, जो यह प्रति एकड़ दरें दी गयी हैं वह उनकी जमीन की किस्म पर हैं जैसे गोंयड़ का ५ हजार, मझार का ३,१५०, पालो का २ हजार रुपये प्रति एकड़ है और दूसरे प्रकार की जमीन का एक हजार रुपये है। लैंड एक्वीजीशन आफिसर ने जो निर्धारित कर दिया है उसके हिसाब से दिया जा रहा है। जहां अवाप्ति हो रही है, अधिकार है लोगों को कि अदालत के सामने अपना केस पेश करें और जो अदालत का फैसला हो उसके अनुसार दिया जाय।

श्री बांकेलाल—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अगर भूमि के ऊपर जैसी जमीन है वैसा मुआवजा हो, यह आधार निर्धारित किया गया है तो देवरिया जिला को हाटा क्षेत्र की बावन क्षेत्र की जमीन जो सबसे ज्यादा उपजाऊ है, तो जिनकी जमीन वहां पर निकाली गई है, उनको मुआवजा ५ हजार से कम क्यों दिया गया है? इन गांवों के नाम भी मैं बता सकता हूं—

श्री अध्यक्ष—

इसकी जरूरत नहीं है, यह आप नहीं बता सकते।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सरकार मुआवजा बांटती है, न किसी का कम करती है न किसी का ज्यादा। लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के नियमों के अनुसार जो निर्धारित हो जाता है वह दिया जाता है। सरकार की इच्छा है कि किसानों को उदारता पूर्वक मुआवजा दिया जाए। सभी को कायदे से मुआवजा प्राप्त हो।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह बाजार भाव कहां से तय हुआ चंदौसी से या हापुड़ बाजार से लिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इस प्रश्न का उत्तर में क्या दे सकता हूं, लैण्ड एक्वीजीशन अफसर ने तय किया है ।

सिंचाई विभाग, अलीगढ़ जिले में नलकूप चालकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में शिकायत

*४—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, नलकूप विभाग (खण्ड अलीगढ़) द्वारा कूप चालकों की नियुक्ति और अमीनों के चयन में शिकायतों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये प्रश्नकर्ता का दिनांक ३१ मार्च, १९६९ का कोई शिकायती ज्ञापन सरकार को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। कूप चालकों की नियुक्ति और कर्मचारियों को परेशान करने के संबंध में शिकायतें जांच के उपरान्त निराधार पाई गई हैं ।

अमीनों के चयन और भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर अभी जांच चल रही है ।

श्री कल्याण सिंह—

माननीय उप मुख्य मंत्री ने उत्तर दिया कि कूप चालकों की नियुक्ति के संबंध में लगाये गये आरोप निराधार पाये गये, तो क्या वह यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन की ओर से कभी कोई ऐसा निर्देश विभागाध्यक्षों को दिया गया है कि किसी भी कार्यालय में नियुक्ति के समय एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से नाम मांगे जाने चाहिये ? यदि हां, तो क्या इस चुनाव में भी एम्प्लायमेंट एक्सचेंज, अलीगढ़ से अभ्यर्थियों के नाम मांगे गये थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

शायद प्रश्नकर्ता का संबंध इस बात से है कि कुछ कूप चालकों की नियुक्ति हुई जिनकी सूची पहले से नहीं थी। ऐसी रिपोर्ट है कि ११ नलकूप चालक ऐसे रखे गये थे ६ महीने की अवधि के लिए। आवश्यक काम को चलाने की दृष्टि से एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को यह अधिकार है कि यदि काम सफर करता हो तो वह काम चलाने के लिये ६ मास के लिए सीधे आदमियों को रख सकते हैं और बाद में नियमित रूप से नियुक्त कर लिया जाता है। तो ११ नलकूप चालक नियुक्त किये गये थे ६ महीने के लिए और उसके बाद जो सूची पर थे, उनका इन्टरव्यू करके उनकी नियुक्ति कर ली गई ।

श्री कल्याण सिंह—

मेरा सीधा-सा प्रश्न यह है कि शासन की ओर से एक निर्देश सभी विभागाध्यक्षों के लिये जारी हुये हैं कि वे नियुक्तियों के समय एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से नाम मांगेंगे ? मेरे पास उस पत्र की प्रति है जो श्री ए० एन० झा, आई० सी० एस०, चीफ सेक्रेटरी टु दि गवर्नमेंट, ऐप्वाइंटमेंट (बी) डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश द्वारा सभी विभागाध्यक्षों को पत्र संख्या १८६६/२—बी-५५, दिनांक २५ जून, १९५६ में जारी किये थे। उसके द्वारा यहां तक निर्देश हैं कि अगर टेम्परेरी नियुक्तियां भी की जायेंगी तो वे उसे अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकते और उनके लिये भी एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से नाम मंगाकर नियुक्ति की जायगी ? क्या इसका पालन आपके अधिशासी अभियन्ता द्वारा नहीं हो रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह ठीक है कि नाम प्रतीक्षा सूची में नहीं थे और काम में बाधा पड़ रही थी तो ११ व्यक्तियों को अन्तरिम रूप में नियुक्त कर लिया गया जो उनके अधिकार के भीतर था और जब नामों की सूची आ गयी तो वह ११ व्यक्ति हटा दिये गये और जो प्राप्त हुये उनको रख लिया गया।

श्री कल्याणसिंह—

यह जांच किन तिथियों में किनके द्वारा की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, जो शिकायत की गयी थी उसके अनुसार सारे रिकार्ड्स मंगाये गये अतीरिक्त अधिशासी अभियन्ता से यह देखने के लिये कि जो नियुक्तियां की गयी थीं क्या वे नियम विरुद्ध थीं। उसकी जांच हो रही है।

श्री मैनजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसा आदेश शासन की ओर से राज्याधिकारियों को देंगे कि जो नियुक्तियां आदेश के विरुद्ध एम्पलायमेंट एक्सचेंज से बिना नाम लिये हो जाती हैं वह गलतियां भविष्य में न हों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, यह तो मानी हुई बात है कि जो शासन के आदेश और नियम हैं उनका पालन होना ही चाहिये और अगर कहीं किसी अधिकारी ने पालन नहीं किया है तो उससे जवाब तलब किया जाता है और इस बारे में भी रिकार्ड्स मांगे गये यह देखने के लिये कि जो नियुक्तियां हुईं उनमें किसी प्रकार की अनियमिततायें बरती गयी हैं।

श्री कल्याणसिंह—

क्या यह जांच उत्तर प्रदेश के चीफ टेक्निकल एक्जामिनर, श्री एम० सी० जौहरी तथा टेक्निकल एक्जामिनर, श्री धर्मवीर जी द्वारा ८ और ९ जुलाई, १९६९ को कार्यालय में और १० जुलाई, १९६९ को मौके पर की गयी थी जिसमें फर्जी मस्टर रोल्स नं० २०५ रायपुर, दलपतपुर, १८०—गणेशपुर गोविन्दपुर, २२४—डी, मीरगढ़ी तथा २०९—काजिमाबाद पायी गयीं और उनकी जांच हुई और उन आदमियों के नाम से पेमेंट हुआ जो जिन्दा नहीं हैं और इस सारे मामले में एस० डी० ओ० चतुर्वेदी, शिवप्रताप सिंह, मिस्टर जैन, ओवरसियर मि० माथुर तथा उनके नीचे के सुपरवाइजर वगैरह हैं जिन्होंने घपले किये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप जांच कराने के संबंध में पूछ सकते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

माननीय सदस्य लिखकर भेज दें तो उसकी जांच करा ली जायगी।

श्री कल्याण सिंह—

उसकी जांच एम० सी० जौहरी कर चुके हैं। वहां पर फर्जी मस्टर रोल पाये गये हैं। उनके ऊपर कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर भेज दीजिये उनके पास।

राजकीय कृषि फार्मों से लाभ

*५—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने स्टेट एग्रीकल्चर फार्म हैं और उनकी १९६५-६६, १९६६-६७, १९६७-६८ और १९६८-६९ में क्या लाभ या हानि हुई ?

कृषि मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के कुल २०३ राजकीय कृषि प्रक्षेत्र हैं। सन् १९६५-६६ से १९६७-६८ तक के लाभ या हानि के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

वर्ष				कुल लाभ या हानि	
				रु०	
१९६५-६६	..	..	..	५,९२,६१२	लाभ
१९६६-७७	..	..	..	३४,२७,२५९	,,
१९६७-६८	..	..	..	१९,१४,४८६	,,

कृषि वर्ष १९६८-६९ अभी ३१ मई, १९६९ को समाप्त हुआ है तथा उसके आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं।

जमुना नहर पर ताजेवाला हेडवर्क्स का पुनर्निर्माण

*६—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी जमुना नहर का ताजेवाला हेडवर्क्स का पुनः निर्माण कराने की कोई योजना विचाराधीन है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां।

*७—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या यह सही है कि उक्त विषय पर गत एक वर्ष से प्रदेश की सरकार का हरियाणा सरकार से पत्र-व्यवहार चल रहा है ? यदि हां, तो अभी तक जो प्रगति हुई है उस पर प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, गत कई वर्षों से ताजेवाला बैराज को वर्तमान पश्चिमी यमुना नहर के अन्दर स्लूसेज की सीध पर बढ़ाने के संबंध में हरियाणा सरकार तथा केन्द्रीय सरकार से बातचीत तथा पत्र व्यवहार चल रहा है। दिनांक ३ मई, १९६८ को केन्द्रीय सिंचाई मंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में, जिसमें हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अधिकारी उपस्थित थे, यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान पश्चिमी यमुना नहर के बैराज के अन्दर स्लूसेज की सीध पर नया बैराज बनाया जावे, जिसका डिजाइन केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग और माडेल अनुसंधान सिंचाई अनुसंधान केन्द्र, रुड़की द्वारा बनाया जाय। परन्तु जब डिजाइन व माडेल के व्यय को वहन करने का प्रश्न आया तो, पंजाब सरकार (जिसमें वर्तमान हरियाणा सरकार सम्मिलित थी) तथा उत्तर प्रदेश सरकार के बीच हुए समझौते के विपरीत हरियाणा सरकार ने उसे देने से इन्कार कर दिया। ऐसी परिस्थिति में २९ अप्रैल, १९६९ को दिल्ली में हुई बैठक में इस राज्य सरकार की ओर से यह सूचित किया गया कि उत्तर

प्रदेश शासन ताजेवाला से ८ किलोमीटर ऊपर खारा पर बैराज बनाना पसन्द करेगी। उक्त बैराज के बनने से न केवल पूर्वी यमुना नहर को उसके हिस्से का पानी ही दिया जायगा बल्कि करीब ३६.२० मेगावाट बिजली भी पैदा की जा सकेगी। विचार-विमर्श के बाद यह तय किया गया कि इस योजना पर उत्तर प्रदेश व हरियाणा सरकार जांच करके केन्द्रीय सिंचाई मंत्री जी को अपनी आख्या प्रस्तुत करें ताकि अंतिम निर्णय लिया जा सके। इस योजना के प्रोजेक्ट की प्रतिलिपियां हरियाणा सरकार व केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को भेज दी गई हैं तथा उनके उत्तर की अपेक्षा की जा रही है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या उपमुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो डिजाइन केन्द्रीय जल विद्युत आयोग को बनाना था और जो माडल सिंचाई अनुसंधान केन्द्र, रुड़की को बनाना था और जिसका खर्चा वहन करना हरियाणा सरकार ने मना कर दिया है उस डिजाइन का खर्चा केन्द्रीय सरकार देने को तैयार थी और हरियाणा सरकार ने केवल माडल का खर्चा देने को मना किया था? यदि हां, तो कितना?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

ऐसी बात नहीं है। आरम्भ में ही उन्होंने यह कहा कि चूंकि उत्तर प्रदेशीय सरकार के लाभ के लिये ही यह बनने वाला है लिहाजा इसमें कोई खर्चा पंजाब सरकार नहीं उठायेगी और हरियाणा जब अलग हो गया तो उसने कहा कि यह उसकी शक्ति के बाहर है कि हम किसी प्रकार का खर्चा वहन करें। तब इस विचार पर आये कि जब प्रोजेक्ट बनाना ही है, जब पंजाब सरकार हमको कोई पैसा देने को तैयार नहीं है और हरियाणा भी देने को तैयार नहीं है और भारत सरकार भी कोई वायदा नहीं करती कि इसका कोई खर्चा उठाये और जब हमको ही बनाना है तो ८ मील ऊपर खारा के पास बनायें जहां के बैराज से हम पानी का भी कंट्रोल कर सकें और जो पानी की गड़बड़ी हुआ करती है वह न होने पाये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या उपमुख्य मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि इससे पूर्व जब पश्चिमी जमुना नहर के ऊपर बैराज बना था क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इस बैराज के बनने का खर्चा वहन किया था?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

यह बहुत पुराना बैराज बना हुआ है, खर्चा वहन किया है या नहीं इसका पता लगा लूंगा।

श्री रामचन्द्र विकल---

जो आपने अलग योजना बनाई है जिसमें पंजाब, हरियाणा किसी की शिरकत नहीं है, वह कहां बनी है और कब तक चालू हो जायगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

वह खारा में ताजेवाला से ८ मील ऊपर बनी है और सारी डिजाइन बनाकर भेज दी गयी है। उसकी समिति की बैठक संभवतः मई में हुई थी। हरियाणा की सरकार सहमत नहीं है, न वे खुद बनायेंगे और हम बनायेंगे तो खर्चा नहीं देंगे। ऊपर बनायें तो सहमत न हों। तो हमने केन्द्रीय सरकार से कहा कि यह बड़ी मुश्किल बात है, हम बनाना चाहते हैं अपना तो बनाने दीजिये। अब उन्होंने मान लिया है। डिजाइन गयी है उनके पास, सेंट्रल पावर कमीशन में उसकी जांच-पड़ताल हो जाय, फिर बातचीत करके काम लगाया जाय।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

खारा योजना जो ८ किलोमीटर उन्होंने ऊपर बनाकर भेजी है उस पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

वह १४ करोड़ से ऊपर है, संभवत: १४ करोड़ ४६ लाख ७ हजार।

श्री रामचन्द्र विकल---

१४ करोड़ की योजना कब तक बनने की सम्भावना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

उसकी स्वीकृति मिल जाय केन्द्रीय विद्युत् जल आयोग से तो हम उसे हाथ लगायें, क्योंकि जमुना कैनाल का मामला ऐसा है जिसे जल्दी से जल्दी हल करना ही चाहिए।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

यह योजना उन्होंने कब केन्द्रीय सरकार को भेजी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

तारीख नहीं मालूम है, लेकिन काफी पहले भेज दी गयी, इस बीच में काफी सचिवों से चीफ़ इंजीनियर से बात चीत भी हो चुकी है।

श्री सतीशचन्द्र (जिला एटा)---

इस १४ करोड़ की योजना में प्रदेश का कितना भाग होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

वह तो सब प्रदेश का ही भाग होगा, जो कुछ भाग्य से भारत सरकार से हमें मिल जाय वह हमें मिल जायगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

इस में लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार दोनों जांच करके अपनी आख्या केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेंगी, तो क्या दोनों ने कोई आख्या प्रस्तुत की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मैं सूचना दूं कि खारा की योजना बहुत पहले से बनी थी। जब से यह किस्सा चल रहा है, बराबर हमारी समझ में आता रहा है कि शायद इस बैराज के साथ जो नया बैराज बनने की बात है उसको पंजाब की सरकार मानेगी नहीं, इसलिये पहले से ही खारा की योजना और एक दूसरी योजना बना ली गयी। जब उन्होंने इन्कार किया कि बैराज के साथ बनने नहीं देंगे आपका बैराज तो यह योजना उनके पास भेजी गयी है और उसके बाद उनसे कई बार बातचीत भी हो चुकी है। हरियाणा सरकार का इंटरेस्ट उसमें यह है कि जमुना का २ ३ पानी उन्ही को मिलता है और जो बैराज बनी हुई है उस पर कंट्रोल भी उन्हीं का है। हम तो जो पानी पा जाते हैं पा जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी राय भी लेना केन्द्रीय सरकार ने मुनासिब समझा। उनकी राय क्या आती है, शीघ्र इस मामले में पुन: बैठक होने वाली है।

श्री मुमताज मोहम्मद खां---

क्या माननीय उप मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना में कितने एकड़ भूमि को पानी की सुविधा प्राप्त होगी और कौन कौन जिले इससे लाभान्वित होंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इसमें किसी नई भूमि को सिंचित नहीं किया जायगा। जो जमुना कैनाल का पानी मिलता है और उससे जितना सिंचित होना चाहिए वह नहीं हो पाता, क्योंकि पूरा पानी नहीं मिलता। इस बैराज के बन जाने से जितना हमारा हिस्सा है वह बराबर मिलता रहेगा।

*८—श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

[६ अगस्त, १९६९ के प्र० सं० २७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जिला खाद्य सलाहकार समितियों का भंग किया जाना

*९—श्री कृष्णस्वरूप, श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल) तथा श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या खाद्य मन्त्री जिला स्तर पर कार्य कर रही जिला खाद्य सलाहकार समितियों को भंग करने का कारण बताने का कष्ट करेंगे ?

खाद्य मंत्री (श्री मंगला प्रसाद)—

जिला स्तर पर कार्य कर रही जिला खाद्य सलाहकार समितियों को भंग करने का मुख्य कारण यह है कि अब खाद्य समस्या में तथा आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में काफी सुधार हो गया है।

श्री कृष्णस्वरूप—

क्या माननीय खाद्य मंत्री जी बतलायेंगे कि इस उत्तर में विरोधाभास क्यों है ? एक ओर तो कहा जा रहा है कि खाद्य सामग्री पर्याप्त है और दूसरी ओर यह आदेश निकाला है कि मंडियों में अनाज नहीं आ रहा है, अनाज पहुंचाया जाय जिससे लोगों को सुविधा हो। तो यह विरोधाभास क्यों है ?

श्री मंगला प्रसाद—

विरोधाभास नहीं है। भाव में जरा सा भी फ़र्क होने लगा तो में हमें सतर्क रहना चाहिए कि अगर जरूरत हो तो हम स्थिति को कंट्रोल कर सकें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह खाद्य सलाहकार समितियां अलाटमेंट के अतिरिक्त भी सलाह दिया करती थीं और इनके भंग हो जाने से जिलाधीश के हाथ में मनमानी ताकत आ गयी है ? इसको दृष्टि में रखते हुये दुबारा इन खाद्य सलाहकार समितियों को स्थापित करेंगे ?

श्री मंगला प्रसाद—

कानून यही है और कानून के मातहत जजों की नुक्ताचीनी हुई कि सलाहकार कमेटी में सलाह नहीं दे सकते। यह जिलाधीश का अधिकार है और वही कर सकता है।

श्री इन्द्रलाल—

क्या माननीय खाद्य मंत्री जी यह बतलायेंगे कि खाद्य सलाहकार समितियों की उपयोगिता का जो मूल्यांकन सरकार कर रही है यह कब तक हो जायगा और क्या माननीय मंत्री जी स्थानीय इंस्पेक्टरों के कार्य-कलापों का भी मूल्यांकन करने की कृपा करेंगे ?

श्री मंगला प्रसाद—

जहां तक आफिसर्स के काम का मूल्यांकन है वह हम करेंगे और जो कमियां हैं उनको दुरुस्त भी करेंगे। लेकिन सलाहकार समितियां बनाने की बात नहीं सोच रहे हैं।

श्री कृष्ण स्वरूप—

सस्ती चीनी गल्ले की दुकानों पर मिलती है, मिट्टी का तेल मिलता है। इस कमेटी में स्थानीय विधायक भी सदस्य थे और वे अपने जिले की आवश्यकता जिलाधिकारी के सामने रखते थे और खाद्य, मिट्टी के तेल, चीनी आदि की समस्याओं पर विचार करते थे। अब वह नहीं है तो कैसे सम्भव हो सकेगा ? इसलिए क्या मंत्री जी उन्हें पुनः स्थापित करने पर विचार करेंगे ?

श्री मंगला प्रसाद—

ये समितियां तमाम जिले की समस्याओं पर विचार करने के लिए नहीं थीं। मकानों के अलाटमेंट के सिलसिले में बनायी गयी थीं। अब उस काम में कमी आ गयी है। जिला सलाहकार समिति और विजीलेंस कमेटी दोनों थीं। हमारी कोशिश यह है कि आफिसर्स पर ही कंट्रोल रख कर उन चीजों को पूरा करायें।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय खाद्य मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि संविद सरकार ने खाद्य सलाहकार समिति के सदस्यों को यह अधिकार दिया था कि वह सस्ते गल्ले की दुकानों और चीनी की दुकानों को चैक करें और उनके संबंध में कुछ अनियमितताओं को, यदि कोई हों, तो खाद्य सलाहकार समिति के समक्ष पेश करें और क्या आपको इस बात की जानकारी है कि इस समय खाद्य सलाहकार समितियां समाप्त हो गई हैं तो खाद्य अधिकारी बिलकुल निरंकुश हैं और उनके जरिये भ्रष्टाचार हो रहा है ? क्या इस संबंध में मंत्री जी को जानकारी है और अगर नहीं है तो क्या सरकार इन समितियों को स्थापित करने के संबंध में विचार करेगी ?

श्री मंगला प्रसाद—

सलाहकार समितियों की बात मैं नहीं कहूंगा कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया लेकिन जब से सलाहकार समितियां नहीं हैं पांच-छः लाख बोगस यूनिट्स के कार्ड चीनी के बटवारे के बने थे। उनकी गिरफ्तारी हुई और उनको निकाला गया है। इन में से करीब एक चौथाई बोगस कार्ड तो सिर्फ इलाहाबाद शहर में थे। यह सब सलाहकार समितियों और विजिलेंस कमेटियों के होते हुये थे। इनको अधिकारियों के जरिये से गिरफ्तार करा रहे हैं और इनको ठीक करा रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय खाद्य मंत्री जी ने उत्तर के सन्दर्भ में कहा कि कोई विचार सरकार को समितियों को दुबारा बनाने का नहीं और जो लिखित उत्तर मिला है उसके अन्तर्गत कहा गया है कि जिला स्तर पर खाद्य समितियों की उपयोगिता का मूल्यांकन किया जा रहा है और यह विचार कर रहे हैं कि क्या ये आवश्यक हैं या नहीं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप ने मौखिक उत्तर दिया और लिखित उत्तर दिया इन दोनों में यह अन्तर कैसा है ? इनमें कौन-सा उत्तर सही है ?

श्री मंगला प्रसाद—

इसमें जो उत्तर दिया हुआ है वह सही है। मूल्यांकन के माने यह नहीं हैं कि मूल्यांकन माफिक होगा कि कमेटी बने। दोनों बातें हो सकती हैं। कमेटीज बनें भी और न भी बनें।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला स्तर पर जो कमेटी बनीं थीं उसमें उन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान निकाल लिया था ? तो क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे समस्याओं का समाधान निकाला जा सके ?

श्री मंगलाप्रसाद—

इसका जवाब मैं दे चुका हूं। अगर तमाम मसलों का हल निकालने की बात हो उसके लिये अलग से कमेटी बन सकती है लेकिन जहां तक गल्ला और सामान वितरण करने का सवाल है इसको सोच-विचार करके रखा गया है कि जरूरी है या नहीं है।

बी० डी० ओज० की परीक्षा

*१०—श्री इन्द्रलाल—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतावेंगे कि सन् १९६५ ई० में शासन द्वारा जिन बी० डी० ओज० की विभागीय परीक्षा ली गई, उसके रिजल्ट को माह फरवरी, १९६९ तक किस कारण से पेंडिंग रखा गया?

डाक्टर सीताराम—

यह परीक्षा लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश ने ली थी। अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी आयोग ने अगस्त, १९६८ तक किया। अयोग की सिफारिशें नवम्बर, १९६८ में शासन को प्राप्त हुईं। अनुमोदित अभ्यर्थियों की वर्तमान स्थिति की छानबीन करके जनवरी व फरवरी, १९६९ में नियुक्ति आदेश जारी कर दिये गये। पेंडिंग का प्रश्न नहीं उठता।

श्री इन्द्रलाल—

माननीय मंत्री जी क्या यह बताने का कष्ट करेंगे कि अनुमोदित अभ्यर्थियों की जो छानबीन करके नियुक्ति की गई थी जनवरी, फरवरी, १९६९ में उनकी संख्या कितनी थी? उनके नाम और पता बताने की भी कृपा करें?

डाक्टर सीताराम—

जो उम्मेदवार चुने गये उनकी संख्या २०० थी। उनके नाम और गांव व पते की लिस्ट मेरे पास नहीं है।

श्री इन्द्रलाल—

मान्यवर मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में यह बताया कि अनुमोदित अभ्यर्थियों की वर्तमान स्थिति की छानबीन की जा रही है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी बतावेंगे कि वर्तमान स्थिति की छानबीन करने का अब शासन का क्या तात्पर्य है?

डाक्टर सीताराम—

अध्यक्ष महोदय, शायद माननीय सदस्य मेरे उत्तर को भली भांति नहीं जान सके। जनवरी और फरवरी १९६९ में छानबीन करने के आदेश जारी किये गये थे। कमीशन से जो लिस्ट आई थी उस लिस्ट के आने के बाद कैरेक्टर और मेडिकल फिटनेस की छानबीन करके उनकी नियुक्ति के आदेश जनवरी और फरवरी में उनके पास भेजे गये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बतावेंगे कि इस इंटरव्यू में कितने बी० डी० ओज० आये थे और कितनों को पब्लिक सरविस कमीशन ने एप्रूव किया?

डाक्टर सीताराम—

इस इम्तहान में २,३०१ ए० डी० ओज० और १३ विभागीय लोग बुलाये गये थे। इम्तहान १९६५ के जून १४, १५ व १६ को हुआ था और २०० आदमी एप्रूव हुए थे।

जिला गन्ना अधिकारी, नैनीताल की नियुक्ति

*११—श्री इन्द्रलाल—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतावेंगे कि जिला नैनीताल में जिला गन्ना अधिकारी की पिछले कितने महीनों से नियुक्ति नहीं हुई है और इसका कारण क्या है ?

डाक्टर सीताराम—

जिला गन्ना अधिकारी, नैनीताल का पद गन्ना अधिकारी के स्थानान्तरण से १६ नवम्बर, १९६८ को रिक्त हुआ और यह कार्य बरेली के गन्ना निरीक्षक अपने कार्य के साथ करते रहे। ७ जून, १९६९ को उस पर नया पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री इन्द्रलाल—

मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि बरेली के जिन गन्ना निरीक्षक को हल्द्वानी जाना पड़ा उनके आने-जाने में शासन को कितना व्यय करना पड़ा और जब हल्द्वानी में मौजूद थे तो उनको अधिकार किसके द्वारा मिला, क्योंकि उनको हल्द्वानी में जिला गन्ना अधिकारी का कार्य सौंपा गया ?

डाक्टर सीताराम—

नवम्बर, १९६८ में केन कमिश्नर ने बरेली के सी० डी० आई० को इसलिये नियुक्त किया कि काशीपुर और बाजपुर यह दो फैक्ट्रीज डी० सी० ओ० के अन्तर्गत आती हैं और बरेली से डाइरेक्ट कंट्रोल में आ सकती थीं और हल्द्वानी के सी० डी० आई० जूनियर थे और बरेली के सीनियर थे इसलिये बरेली के सी० डी० आई० को अपने कार्य के साथ-साथ इस कार्य को सौंपा गया था और उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से अपने कार्य को सम्पादित किया और इस बीच में गन्ना आयुक्त को कोई शिकायत नहीं मिली।

श्री इन्द्र लाल—

प्रश्न यह है कि हल्द्वानी में जो गन्ना के जिला अधिकारी का कार्यभार सौंपा गया था यह गन्ना निरीक्षक को सौंपा गया था या बरेली के इंस्पेक्टर वहां गन्ना अधिकारी बनाकर भेजे गये थे ?

डाक्टर सीताराम—

वह टेम्पोरेरी अपनी ड्यूटीज के साथ-साथ आफिशिएट कर रहे थे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इस सात, आठ महीने के अन्दर गन्ना अधिकारी की नियुक्ति क्यों नहीं की गई ?

डाक्टर सीताराम—

गन्ना अधिकारी की नियुक्ति सीनियारिटी सबजेक्ट टु रिजेक्शन आफ अनफिट के आधार पर की जाती है। केन डेवलपमेंट इंसपेक्टर और केन प्रोडक्शन इंस्पेक्टर दोनों की पोस्टों को मर्ज करने के बाद सीनियारिटी डेटरमिन हुई और उसके डेटरमिन करने में केन कमिश्नर को देरी हुई और वह भी सिर्फ एक या डेढ़ महीने की देरी हुई।

राम गंगा योजना

*१२—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम गंगा योजना कब बनी, कब प्रारम्भ हुई और उसकी लागत का अनुमान क्या था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

राम गंगा योजना का विस्तृत प्राक्कलन सन् १९६१ में बना और योजना पर प्रारम्भिक तथा अन्य कार्य आरम्भ हुए। योजना पर मुख्य रूप से कार्य १९६४ में प्रारम्भ हुए जब कि विदेशों से भारी मशीनें आने लगीं। प्रारम्भ में योजना की लागत का अनुमान ६७.९८ करोड़ रुपए था।

*१३—श्री देवकीनन्दन विभव—

यह योजना कब तक पूरी हो जायगी और इसमें अब तक कितना व्यय हो चुका है और कितने व्यय होने का और अनुमान है? और इससे कितनी बिजली और सिंचाई प्राप्त होती? क्या इस से आगरा शहर की जलकल व्यवस्था को भी अवश्यक जल प्राप्त हो सकेगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

योजना के जून, १९७३ तक पूरी होने की आशा की जाती है। मार्च, १९६९ तक योजना पर ५०.४९ करोड़ रुपया खर्च हो चुका है तथा पूरा होने तक ४५.१५ करोड़ रुपया और खर्च होने का अनुमान है। बढ़ी हुई मजदूरी व कीमतों को देखते हुए योजना को पूरा करने का व्यय और बढ़ सकता है। योजना के पूर्ण होने पर इससे १९८ मेगावाट बिजली तैयार होगी तथा १८.४१ लाख एकड़ भूमि को सिंचन सुविधा उपलब्ध होगी। आगरा शहर को जलकल व्यवस्था को इस योजना से पानी देने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री देवकीनन्दन विभव—

प्रश्न १३ के संबंध में, माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने यह कहा है कि बढ़ती हुई मजदूरी व कीमतों को देखते हुये योजना को पूरा करने का व्यय और बढ़ सकता है। तो क्या वह बताने का कष्ट करेंगे कि कितना रुपया इस मद में और बढ़ जाने की सम्भावना है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, जैसे बिजली की मशीनों की कीमतों में वृद्धि के कारण ५ करोड़ बढ़ सकता है, जो मंत्रणाकार हैं और केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग के विचार के अनुसार जो संशोधन किया गया है, योजना में जो पुनरीक्षण हुआ है उसमें १ करोड़ २२ लाख रुपया अधिक खर्च हो सकता है, अतिरिक्त मशीन खरीदने पर भी ५० लाख का भार पड़ सकता है। तो इसी प्रकार से है। कुछ कीमतें जो मुद्रा का अवमूल्यन हुआ उस से भी बढ़ गई।

श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

सिंचाई से सम्बन्धित जो मशीनरी है, उससे सम्बन्धित स्पेयर पार्ट्स न मिलने के कारण कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है और वह स्पेयर पार्ट्स फारेन कन्ट्रीज से मंगाने की आवश्यकता है जिसके लिये फारेन एक्सचेन्ज नहीं मिल रहा है, तो क्या माननीय उप मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि क्या स्थिति है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह बात सही है कि स्पेयर पार्ट्स के मिलने में कठिनाई पड़ रही है। उसका प्रबन्ध किया जा रहा है कि बाहर से वह मंगा लिये जायं।

श्री देवकीनन्दन विभव—

जो अनुमान पहले बने थे वह बढ़ गए और अभी और ज्यादा खर्च होने की सम्भावना है, तो ज्यादा खर्च होने का कारण केवल बढ़ी हुई कीमतें हैं या वहां कोई दुर्व्यवस्था है या ऐसी चीजें खरीद लेना है जिनकी आवश्यकता नहीं है, इसके सम्बन्ध में क्या माननीय उपमुख्य मंत्री जी जांच करने की कृपा करेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

रामगंगा प्रोजेक्ट पर बहुत सी कमेटियां बनी हुई हैं। सरकार जांच करती रहती है और करगी। उसका कंसल्टेन्ट बोर्ड है, रामगंगा कंट्रोल बोर्ड है, टैक्नीशियंश की कमेटी है जिसमें कि कुछ विदेशी इन्जीनियर भी हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि कोई दुर्व्यवस्था न होने पावे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जो माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने कहा कि सन् ७३ में यह योजना पूर्ण हो जाने वाली है, तो क्या प्रारम्भिक एस्टीमेट्स के और योजना के अनुसार ही सन् ७३ में पूरी होने वाली है अथवा यह समय बढ़ गया है? यदि हां, तो कितना?

श्री कमलापित त्रिपाठी—

सन् १९७२ में पूरी हो जानी चाहिये थी।

श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा—

भूपाल की हैवी इलैक्ट्रीकल कम्पनी जो मशीनरी बना रही है उससे दूसरे प्रदेश तो पार्ट्स वगैरह वहां से लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो क्या कारण है कि यह प्रदेश वहां से मशीनरी वगैरह प्राप्त करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है और हमारा काम जिसके कारण पिछड़ा हुआ है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह सही है कि पार्ट्स के मिलने में कठिनाई हो रही है। यह सोचा जा रहा है कि यहां से किसी आदमी को भेज कर पार्ट्स मंगा लिये जांय। पार्ट्स की कमी की वजह से काम में बाधा जरूर पड़ रही है।

एक सदस्य—

इस राम गंगा प्रोजेक्ट में करीब १० वर्ष का समय लगा। तो इसमें जिन किसानों की जमीनें ली गयीं, क्या उनको मुआवजा दिया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कोई जमीन बिना मुआवजा के नहीं ली जाती। जो जमीन ली गयी है, मुआवजा जरूर दिया जायेगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना का अब तक कितना अंश पूरा हो चुका है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जो शैड्यूल अब तक बना है उसी के अनुसार काम चल रहा है। अब वह शैड्यूल सन् ७३ तक का हो गया है।

वाराणसी, गोरखपुर मंडल में कृषि विभाग के वर्ग २ व ३ में हरिजनों की नियुक्ति

*१४—श्री रामरतन प्रसाद (जिला बलिया)—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६७ में कृषि विभाग में ग्रुप द्वितीय व तृतीय में कितने आदमी रखे गये हैं, उनकी योग्यता क्या है तथा रखे गये लोगों में हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों के लोगों की संख्या क्या है?

डाक्टर सीताराम—

सन् १९६७ में कृषि विभाग में वर्ग II तथा III में रक्खे गये व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है :

	वर्ग II	वर्ग III
कृषि निदेशालय	४८१	७८२
फल उपयोग निदेशालय	१०	१६

वर्ग II में नियुक्ति के लिय कृषि निदेशालय एवं फल उपयोग निदेशालय के अन्तर्गत पदों के लिये विशिष्ट रिक्तियों की आवश्यकतानुसार बी० एस–सी० अथवा बी० एस–सी० (एजी०)।

वर्ग III में नियुक्ति के लिये कृषि निदेशालय के अन्तर्गत पदों के हेतु कृषि डिप्लोमा या कृषि में इन्टरमीडिएट एवं फल उपयोग निदेशालय के अन्तर्गत पदों के हेतु हाई स्कूल तथा दो वर्ष का कृषि में डिप्लोमा, फ्रूट प्रजर्वेशन में क्राफ्ट कोर्स सर्टिफिकेट या आई० टी० आई० से फ्रूटप्रिप्रजवशन में एक वर्ष का सार्टिफिकेट या इन्टरमीडिएट (साइन्स या कृषि में)।

कृषि निदेशालय के वर्ग II तथा III के पदों में क्रमशः ४१ तथा ३८ हरिजन है। फल उपयोग निदेशालय द्वारा १९६७ में वर्ग II तथा वर्ग III में रक्खे गये व्यक्तियों में कोई हरिजन नहीं है। शासकीय सेवाओं में पिछड़ी जातियों के लिये पदों का आरक्षण न होने के कारण नियुक्त किये गये व्यक्तियों में पिछड़ी जातियों के लोगों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

*१५—श्री रामरतन प्रसाद—

क्या कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वाराणसी-गोरखपुर (कमिश्नरी) में कुल कितने आदमी ग्रुप दो तथा ग्रुप तीन में लिये गये हैं ?

डाक्टर सीताराम—

वर्ष १९६७ में वाराणसी, गोरखपुर मंडल (कमिश्नरी) में वर्ग II वर्ग III में लिये गये व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है :

		कृषि निदेशालय	फल उपयोग निदेशालय
वाराणसी ..	वर्ग II ..	—	१
	वर्ग III ..	८४	३
गोरखपुर ..	वर्ग II ..	—	२
	वर्ग III ..	१८८	२

श्री रामरतन प्रसाद—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ४८१, ७८२ और फल उपयोग निदेशालय में १० और १६ ये नियुक्तियां हुई हैं ? इनमें हरिजनों तथा बैकवर्ड स की संख्या अलग-अलग बता की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—

बैकवर्ड क्लासेज के लिये अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने प्रश्नोत्तर में बताने का प्रयास किया है कि आरक्षण न होने के कारण कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। जहां तक हरिजनों का प्रश्न है वर्ग २ में, ४८१ में ४१ लिये गये यानी ८.५ फीसदी और ७८२ में से ३८ यानी ४.८ फीसदी और फल उपयोग निदेशालय में कोई नहीं लिया गया।

श्री कल्पनार्यसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि वाराणसी और गोरखपुर मंडल में ग्रुप २ में कोई भी नहीं लिया गया, तो क्या हरिजन अथवा अन्य दूसरे लोगों का कोई उम्मीदवार ही नहीं था ? अगर उम्मीदवार था तो उनको लिया क्यों नहीं गया ?

डाक्टर सीताराम—

अध्यक्ष महोदय, यह चुनाव तो किसी एक डिवीजन का होता नहीं है, पूरे प्रदेश का होता है। हो सकता है कि अन्य मंडलों के उम्मीदवार अच्छी योग्यता के आये हों और गोरखपुर और वाराणसी मंडल के उम्मीदवार उस योग्यता के न हों। इसीलिये उनकी योग्यता नहीं है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के ये आदेश होते हुए कि संरक्षण का पूर्ण रूपेण पालन किया जाय इस विभाग में १८ फीसदी का पालन नहीं किया गया है तो क्या इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—

प्रश्न १९६७ का है। अभी सरकार ने करीब एक महीना हुआ यह फैसला किया है कि लिपिकीय एवं अवर सेवाओं के कर्मचारियों में क्रमशः २५ और ४५ फीसदी हरिजन उस वक्त तक लिये जायेंगे जब तक उनका १८ फीसदी का रिजर्वेशन पूरा न हो जाय।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

श्रीमन्, आपने विभाग में जो आदेश दिये हैं कि १८ फीसदी पूरा नहीं होगा तो २५ फीसदी की बात कैसे लागू होगी जिससे हमारा रिजर्वेशन पूरा हो ?

डाक्टर सीताराम—

अभी तो आदेश प्रसारित किये गये हैं।

कृषि विभाग, जिला बस्ती द्वारा कोषागार से निकाला गया धन

*१६—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला कृषि विभाग बस्ती, द्वारा फरवरी तथा मार्च, १९६९ में कोषागार से कितना रुपया निकाला गया तथा मार्च, अप्रैल, व मई, १९६९ में कितने रुपये का भुगतान किया गया ?

डाक्टर सीताराम—

जिला बस्ती में कृषि विभाग द्वारा फरवरी तथा मार्च, १९६९ में कोषागार से कुल मिलाकर ५,७३,७२६.५१ रु० निकाला गया तथा मार्च, अप्रैल व मई, १९६९ में ६,९८,८१०.८८ रु० का भुगतान किया गया।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल और मई के महीने में जो अदायगी हुई वह ६८ और ६९ के ड्यूज के सम्बन्ध में थी ? अगर हां, तो ३१ मार्च के पहले क्यों नहीं अदायगी हुई ?

डाक्टर सीताराम—

श्रीमन्, रुपया भुगतान तो टाइम पर हुआ लेकिन ३१ मार्च सन् १९६९ के पहले ५२२८ रु० १७ पैसे का भुगतान नहीं हुआ जो कि अप्रैल और मई में हुआ। इसके लिये अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है कि ३१ मार्च के अन्दर रुपया क्यों नहीं भुगतान किया गया। उनका जवाब आने पर, जैसा उचित होगा, कार्यवाही की जायेगी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मंत्री जी ने बताया कि ५,७३,७२६.५१ रुपया निकाला गया था और ६,९८,८१० रुपया खर्च किया गया ? क्या बाकी रुपया पहले से मौजूद था या कहां से आया ?

डाक्टर सीताराम—

अध्यक्ष महोदय, माननीय त्रिपाठी जी ने प्रश्न किया था कि मार्च, अप्रैल और मई में कितना रुपया का भुगतान किया गया ? मार्च में जितना निकाला गया वह खर्च हुआ और अप्रैल, मई में भी रुपया खर्च हुआ। इसलिये वह रुपया ज्यादा दिखायी देता है।

बुलन्दशहर हाईडिल डिवीजन में नलकूपों का विद्युतीकरण

*१७—श्री मुमताज मोहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, १९६९ से ३१ मई, १९६९ तक बुलन्दशहर हाइडिल डिवीजन (दक्षिण) में कितने नलकूपों का विद्युतीकरण किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

३८६।

कानपुर जिले में गांवों को बिजली

*१८—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—

क्या विद्युत मन्त्री कृपया बतायेंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजनावधि में कानपुर जिले के कौन कौन से गांवों को बिजली उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कानपुर जनपद के लगभग १५० गांवों का विद्युतीकरण करने का विचार है। गांवों के नाम अभी निश्चित नहीं हो पाये क्योंकि इस सम्बन्ध में स्कीम अभी बन रही है।

*१९—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कानपुर जिले के कौन-कौन से गांव बिजली देने के लिये निश्चित किये गये थे ? उनमें से कितने गांवों को बिजली ३१ मार्च, १९६९ तक दी गई और कौन-कौन से गांवों में बिजली नहीं दी जा सकी तथा इस अपूर्ति का कारण क्या है ?

नोट—तारांकित प्रश्न १६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कानपुर जिले में २६ ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य था। इस लक्ष्य के अन्तर्गत २१ गांवों का विद्युतीकरण ३१-३-६९ तक हो चुका है। इसकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १११ पर)

गाजियाबाद तहसील में जावली स्केप के लिये अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

*२०—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्केप जावली, तहसील गाजियाबाद, जिला मेरठ जो अभी तीन वर्ष पूर्व खोदी गई है उसमें किस ग्राम के किसानों की भूमि अधिग्रहण की गई और उसका प्रति बीघा क्या मुआवजा किसानों को दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जावली स्केप के खोदने के हेतु ग्राम शरीफाबाद राजपुर, शफीउद्दीनपुर उर्फ जावली तथा भनेडा के किसानों की भूमि सन् १९६४ में अधिग्रहीत की गई थी। शरीफाबाद राजपुर के किसानों को एग्रीकल्चर रेट के आधार पर मुआवजा दिया गया है। शफीउद्दीनपुर उर्फ जावली और भनेडा के किसानों की भूमि को किस्म के आधार पर स्पेशल मुआविजा दिया गया है।

मुआविजे की दरें निम्नलिखित हैं:—

गांव का नाम	किस्म भूमि		रेट प्रति बीघा पक्का
			रुपये
शफीउद्दीनपुर उर्फ जावली	सेवटा अव्वल आबी	..	३०००
	सेवटा अव्वल खाकी	..	२,२५०
	सेवटा दोयम आबी	..	२,४००
भनेडा ..	सेवटा अव्वल आबी	..	३,०५५
	सेवटा दोयम आबी	..	२,२८९
	सेवटा दोयम खाकी	..	१,६६७
	सेवटा सोयम खाकी	..	१,२१७
	भूड अव्वल खाकी	..	१,२१७
	भूड दोयम खाकी	..	९३९
	खादर दोयम खाकी	..	१,०७८
	खादर सोयम खाकी	..	९००

वाह तहसील के नलकूप में खराबी

*२१—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या बिजली एवं सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले की वाह तहसील में कितने सरकारी नलकूप हैं जो जनवरी, १९६९ से पूर्व से ही खराब पड़े हैं इनके खराब पड़े रहने का क्या कारण है तथा वे कब तक ठीक हो जायेंगे ?

चौधरी गिरधारीलाल—

प्रश्न का प्रथम भाग—

एक नलकूप।

प्रश्न का द्वितीय भाग—

यह नलकूप फेल हो गया है। इसके पानी का नमूना रूड़की रिसर्च इन्स्टीट्यूट भेजा गया था। उनकी रिपोर्ट के अनुसार इसका पानी खारी, तीव्र धातु क्षयकारी (Corrosive) एवं परत जमने वाला (incrusting) है। इस कारण फसलों की सिंचाई के लिये अनुकूल नहीं है। अतः इसका पुनर्निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

ग्रामीण जन-शक्ति योजनान्तर्गत कार्य

*२२—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण जन शक्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष १९६९-७० में किन-किन जिलों में कार्य प्रारम्भ होगा ?

डाक्टर सीताराम—

वर्ष १९६९-७० में संलग्न सूची 'क' में दिखाये गये राज्य के २० जिलों में ग्रामीण जन शक्ति योजनान्तर्गत स्वीकृत अधूरे कार्यों को उपयोगी स्तर तक पूरा करने का प्रस्ताव है। कोई नया कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायगा।

(देखिये मत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ११२ पर)

कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर द्वारा तैयार किया गया गेहूं का बीज

*२३—श्री रियासत हुसैन—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर में इस वर्ष १९६९ में कौन-कौन से नये गेहूं के बीज तैयार किये गये हैं और उनको किसानों तक पहुंचाने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

डाक्टर सीताराम—

वर्ष १९६९ में कृषकों को वितरण हेतु उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर और उसके सहयोगी उत्पादकों ने रबी १९६८-६९ में निम्नलिखित किस्मों के गेहूं के बीज का उत्पादन किया—

१—सोनालिका (आर० आर० २१)
२—सोना २२७ (कल्याण-सोना)
३—छोटी लर्मा (एस० ३३१)
४—सफेद लर्मा (एस० ३०७)

यह बीज राज्य के कृषि तथा सहकारिता विभागों द्वारा खरीदा जाता है और वे उसे अपने बीज भंडारों के माध्यम से कृषकों को वितरित करते हैं। विश्वविद्यालय स्वयं भी इन बीजों की बिक्री कृषकों तथा दूसरे राज्यों को पन्त नगर पर स्थापित अपने फुटकर बिक्री केन्द्रों से करता है।

उपरोक्त किस्मों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय ने तीन जीन वाले बौने गेहूं के बीजों का उत्पादन किया है, परन्तु उनका वितरण देश में इस किस्म पर किये जा रहे प्रयोगों के नतीजे उपलब्ध होने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।

नलकूपों के विद्युतीकरण में किसानों को छूट

*२४—श्री मोमताज मोहम्मद खां, तथा श्री खवेन्द्र सिंह मोहरिया—

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन किसानों को जो कि किसी विद्युतीकरण किये नगर या ग्राम के ट्रांसफारमर से अपने नलकूपों का विद्युतीकरण करवाते हैं उनसे क्या १००

फिट लाइन को छोड़ कर पूरी लाइन का खर्चा लिया जाता है और उनको ४ फर्लांग तक की लागत की छूट नहीं दी जाती ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं। किसानों को जो भी बिजली नलकूपों के विद्युतीकरण के लिये विद्युत् परिषद् द्वारा दी जाती है वह चाहे नगर में हों अथवा ग्रामों म, उसमें १ फर्लांग की छूट प्रति २ १/२ हार्स पावर पर दी जाती है। तदनुसार १० हार्स पावर या अधिक पर ४ फर्लांग की छूट मिलती है।

अलीगढ़ जिले में अनुसूचित जातीय तकावी अमीनों की नियुक्तियां

*२५—श्री कल्यान सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग जिला अलीगढ़ में नवम्बर, १९६८ में कितने कृषि तकावी अमीनों की नियुक्तियां की गईं और उनमें से कितने अनुसचित जाति के प्रत्याशियों का चयन किया गया है ? क्या अनुसूचित जातियों के लिये शासन द्वारा निर्धारित १८ प्रतिशत का कोटा इस चयन में पूरा किया गया है ?

डाक्टर सीताराम—

कृषि विभाग जिला अलीगढ़ में नवम्बर, १९६८ में ८१ तकावी अमीनों की नियुक्तियां की गई थीं। इनमें से तीन अनुसूचित जातियों के प्रत्याशियों का चयन किया गया। अनुसूचित जातियों के लिये शासन द्वारा निर्धारित कोटा पूरा नहीं हो पाया।

सर्वश्री मदन इन्डस्ट्रीज, हस्तिनापुर पर बिजली उपभोग का कथित बकाया

*२६—श्री आशाराम इन्दु (जिला मेरठ)—

क्या उप मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स मदन इन्डस्ट्रीज, हस्तिनापुर, जिला मेरठ की ओर बिजली उपभोग का कितना रुपया कब से बाकी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सर्व श्री मदन इन्डस्ट्रीज, हस्तिनापुर, जिला मेरठ की ओर बिजली के उपभोग का कोई रुपया मई, सन् १९६९ तक का बाकी नहीं है।

मड़ियाहूं तहसील में नलकूपों की मांग

*२७—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद में तहसील मड़ियाहूं में अधिशासी अभियन्ता (नलकूप), जौनपुर ने कितने नलकूपों की मांग की है और वित्तीय वर्ष १९६६-६७ व १९६७-६८ व १९६८-६९ में कितने नलकूप लगाये जा चुके हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अधिशासी अभियन्ता, नलकूप प्रखंड, जौनपुर ने जौनपुर जनपद की तहसील मड़ियाहूं के लिये १२९ राजकीय नलकूपों की मांग की है और वित्तीय वर्ष १९६६-६७, में ७, १९६७-६८ में एक भी नहीं, और वर्ष १९६८-६९ में ४ नये राजकीय नलकूप लगाये जा चुके हैं।

*२८—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार यह देखते हुये कि गत तीन वर्षों से जौनपुर जनपद की मड़ियाहूं तहसील भयंकर सूखे से अत्यधिक पीड़ित है, अधिक से अधिक नलकूप लगाने की व्यवस्था करने जा रही है ? इस वर्ष कितने नलकूप लगाने की योजना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उपलब्ध संसाधन के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष १९६९–७० में जौनपुर जनपद के लिये अब तक २५ राजकीय नलकूप प्रविष्ट किये गये हैं जिसमें से तीन नलकूप मड़ियाहू तहसील में लगाने का प्रस्ताव है ।

फतेहाबाद तहसील से नलकूप लगाने की मांग

*२९—श्री हुक्म सिंह (जिला आगरा)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि फतेहाबाद तहसील, जिला आगरा में इस वर्ष ट्यूबवेल बनाने की योजना है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रथम भाग

इस वर्ष (१९६९–७०) आगरा जिले की फतेहाबाद तहसील में कोई ट्यूबवेल बनाने की योजना नहीं है ।

दूसरा भाग—

यह प्रश्न नहीं उठता ।

रामगंगा जलाशय से अलीगढ़ जिले को पानी

*३०—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या सिंचाई एवं विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामगंगा परियोजना के अन्तर्गत जिला अलीगढ़ को अतिरिक्त पानी कब से मिलना आरम्भ होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार रामगंगा जलाशय में सिंचाई के लिये पानी जून, १९७२ से एकत्रित किया जावेगा । इसलिये नहरों के प्रयोग के लिये इससे जल सन् १९७२–७३ के रबी में ही उपलब्ध हो सकेगा । अलीगढ़ जिले को तभी कुछ अधिक पानी मिलना सम्भव होगा ।

देवरिया जिले में भाटपाररानी क्षेत्र को बाढ़ से बचाने की प्रार्थना

*३१—श्री हरिवंश (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बतायेगी कि देवरिया जिले के क्षेत्र भाटपाररानी को छोटी गंडक तथा खनुवा नदी की बाढ़ से बचाने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है और उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

प्रश्न का द्वितीय भाग नहीं उठता ।

इलाहाबाद जिले के बारा क्षेत्र में नलकूप लगाने की प्रार्थना

*३२—श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्दर इलाहाबाद जनपद के बारा क्षेत्र में कुल कितने नलकूपों का निर्माण कराने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वर्तमान वित्तीय वर्ष में इलाहाबाद जनपद के बारा क्षेत्र में किसी राजकीय नलकूप के निर्माण की योजना नहीं है।

डेरापुर तहसील में कस्बों को बिजली

*३३—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या विद्युत मंत्री बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत तहसील डेरापुर क्षेत्र के झींझक, रसूलाबाद, कहिजरी एवं डेरापुर कस्बों में विद्युतीकरण कराने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कब तक पूरी होगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां।

झींझक कस्बे के विद्युतीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और शीघ्र ही वहां बिजली दे दी जायेगी। रसूलाबाद एवं डेरापुर कस्बों के विद्युतीकरण की योजना विचाराधीन है। कहिजरी कस्बे का विद्युतीकरण इस समय सम्भव नहीं है।

मंगरौला ब्लाक का मुख्यालय

*३४—श्री रामकिंकर—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री को पता है कि दिनांक ४ अप्रैल, १९६८ ई० को गवर्नर महोदय ने जिला प्रतापगढ़ के मंगरौला ब्लाक के मुख्यालय के निर्धारण का कोई आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या उस आदेश का पालन किया गया या नहीं ? क्या सामुदायिक विकास मंत्री उक्त आदेश की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—,

जी हां। उक्त आदेश की प्रति संलग्न है। प्रमुख क्षेत्रीय समिति के अनुरोध पर इस आदेश का कार्यान्वयन स्थगित कर दिया गया।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ११३ पर)

छोटी गंडक की नहरी योजना

*३५—श्री हरिवंश—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि १ करोड़ ६० लाख की लागत से तैयार होने वाली छोटी गंडक की नहरी योजना चालू करने का विचार है ? यदि हां, तो कब से तथा क्या उसे देवरिया गोरखपुर जिलों में लागू किया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

पहला भाग—जी नहीं।

दूसरा भाग—प्रश्न नहीं उठता।

जौनपुर जिले में नलकूपों से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

*३६—श्री शिवदास (जिला मिर्जापुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में तीन नलकूप जयपाल पुर भदारडीह और रामनगर के बारे में इसी सदन में जुलाई, १९६७ में किसी माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था और अधिकारियों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और गबन प्रमाणित हो गया ? यदि हां, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रथम भाग—जी हां, सितम्बर, १९६७ में प्रश्न उठाया गया था।

द्वितीय भाग—जी नहीं।

तृतीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

बलिया जिलान्तर्गत सीयर बीज गोदाम में गबन

*३७—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिलान्तर्गत सीयर बीज गोदाम से सन् १९६०-६३ के बीच १२ हजार रुपये के सरकारी धन का गबन हुआ है? यदि हां, तो उपरोक्त गबन से संबंधित सरकारी नौकरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई?

डाक्टर सीताराम—

जी हां गबन तो हुआ मगर प्राप्त सूचना के अनुसार उसकी धनराशि १०,४६५.७१ रु० है। गबन के जिम्मेदार उक्त बीज भंडार के इन्चार्ज श्री अलख नारायण शर्मा पाये गये। उनके विरुद्ध जब अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई तो वे फरार हो गये। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उक्त इंचार्ज फरार हो गये हैं। उनका पता नहीं चल रहा है और प्रमाण के अभाव के कारण पुलिस ने अन्तिम रिपोर्ट लगा दी। क्षति की धनराशि वसूल करने के लिये सरकारी वकील की राय के अनुसार ९२४३.८९ रु० का मुकदमा सिविल जज बलिया की अदालत में उक्त इंचार्ज के खिलाफ दायर कर दिया गया है। शेष धनराशि के लिये उन्होंने मुकदमा दायर करने की राय नहीं दी।

देहरादून में श्री चन्द्रकान्त अन्तीवाल की दुकान के खिलाफ शिकायतें

*३८—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार को विदित है कि देहरादून में डाकरा बाजार स्थित सरकारी राशन की दूकान जो चन्द्रकान्त अन्तीवाल के नाम से है, के विरुद्ध अनियमितताओं, ब्लैक मार्केट आदि की शिकायतें पिछले ३-४ साल से हो रही हैं? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री मंगला प्रसाद—

तीन शिकायतें क्रमशः ४ मार्च, १९६५, ५ मार्च, १९६६ तथा १२ अक्तूबर, १९६६ को प्राप्त हुई थीं।

हर बार जांच की गई और श्री चन्द्रकान्त अन्तीवाल की दुकान के बारे में लगाये गये आरोप निराधार पाये गये या सिद्ध नहीं हुए। अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं हुई।

डेरापुर माइनर नहर में पानी की कमी

*३९—चौधरी रामपालसिंह यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि कानपुर जिला के अन्तर्गत डेरापुर तहसील के डेरापुर माइनर में विगत ४ वर्षों से टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कानपुर जिला के अन्तर्गत डेरापुर तहसील के डेरापुर माइनर पर विगत चार वर्षों से टेल तक पानी पहुंचता रहा है, केवल उन समयों को छोड़कर जब या तो नदी में पानी कम उपलब्ध हुआ अथवा किसानों ने इस माइनर में तथा इसके पोषक राजबहों में खादी काटने, कुलाबों में सूराख करने तथा बन्धे लगाने आदि की असामाजिक कार्यवाहियां कीं।

*४०—श्री पादवेन्द्रदत्त—

[१९ अगस्त, १९६९ के लिये स्थगित किया गया।]

पीलीभीत जिले में भूमिहीन श्रमिकों को सहायता

*४१—श्री अनन्त राम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष १९६९ ई० की शुरुआत से खीरी, पीलीभीत जिलों में सरकारी जमीनों पर भूमिहीन परिवारों को बसाया जा रहा है? यदि हां तो उपर्युक्त जिलों में अलग-अलग १५ जून, १९६९ तक कितने भूमिहीन परिवारों को बसाया गया है और ऐसे प्रत्येक परिवार को कितनी जमीन व अन्य सरकारी सहायता दी गई है?

डाक्टर सीताराम—

खीरी—जी नहीं।

पीलीभीत—जी हां।

पीलीभीत जिले में ४३३ भूमिहीन श्रमिकों को प्रति परिवार ३ १/३ एकड़ की दर से भूमि आवंटित की गई तथा १०० रु० की दर से कृषि कार्य के लिये ऋण के रूप में सहायता दी गई।

देवरिया जिले में गंडक नहर में ली गई भूमि का मुआवजा

*४२—श्री रामधारी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गण्डक नहर के निर्माण के सिलसिले में देवरिया जनपद की कितनी भूमि निकलेगी और उससे रबी तथा खरीफ में कितनी भूमि की सिंचाई होगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

गण्डक नहर प्रायोजना (उत्तर प्रदेश भाग) के निर्माण हेतु देवरिया जनपद में लगभग १३००० एकड़ भूमि ली जायगी। इस प्रायोजना के अन्तर्गत देवरिया जिले में लगभग १.५० लाख एकड़ भूमि रबी में तथा ४.०० लाख एकड़ भूमि खरीफ में सिंचाई करने का लक्ष्य है।

*४३—श्री रामधारी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त नहर में निकलने वाली भूमि का मुआवजा किस रेट से दिया जा रहा है और उसका आधार क्या है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उक्त नहर में निकलने वाली भूमि का मुआवजा भूमि अध्याप्ति अधिनियम के सेक्शन २३ के अन्तर्गत कृषकों को बाजार-भाव से दिया जा रहा है जो लगभग १,००० रुपये से ५,००० रुपया प्रति एकड़ के बीच है।

देवरिया जिले में नारवेजियन टीम द्वारा विकास खण्डों का चुनाव

*४४—श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नारवेजियन टीम जो देवरिया जिले में दिनांक २ एवं २२ जून, १९६९ को आई थी उसने विकास के लिये किन-किन विकास खण्डों को चुना तथा क्यों?

डाक्टर सीताराम—

नारवेजियम टीम ने, जो देवरिया जिले में २१ व २२ जून, १९६९ को गई थी, देवरिया, बरहज, रुद्रपुर एवं गौरी बाजार विकास खंडों को चुनने का प्रस्ताव किया है परन्तु इस विषय में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। चूंकि यह क्षेत्र कृषि विकास एवं आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत पिछड़े हुये हैं इसलिये इन विकास खंडों को चुनने का प्रस्ताव किया है।

*४५—श्री दीप नारायण मणि—

क्या सरकार उपरोक्त योजना की पूरी रूपरेखा इस सदन में रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम—

यह योजना अभी भारत सरकार तथा राज्य सरकार के विचारार्थ है।

बलिया जिले को बिजली

*४६—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले में १ लाख ३२ हजार किलोवाट का विद्युत् शक्ति केन्द्र का निर्माण २२ अक्टूबर, सन् १९६८ को हो चुका है ? यदि हां, तो उक्त शक्ति केन्द्र से जिले को कितनी बिजली मिल रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। उक्त विद्युत् मुख्य उप स्थान की वर्तमान क्षमता १२,५०० किलोवाट है। बलिया जिले की बिजली की पूरी मांग इस विद्युत गृह से पूरी हो रही है।

कुंडा तहसील में नलकूप लगाने की प्रार्थना

*४७—श्री जैराम (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, प्रतापगढ़ की तहसील कुण्डा में निकट भविष्य में नलकूप लगाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जनपद, प्रतापगढ़ की तहसील कुण्डा में निकट भविष्य में कोई नलकूप लगाने की योजना नहीं है।

प्रतापगढ़ जिले में विद्युत् विस्तार

*४८—श्री जैराम—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला प्रतापगढ़ के ब्लाक कुण्डा तथा कालाकांकर में कितनी लाइनों पर बिजली के खम्भे गाड़ दिये गये हैं तथा कितनी लाइनों का सर्वे किया गया है, जिन पर अभी तक बिजली के खम्भे नहीं गाड़े गये हैं ? इन क्षेत्रों में विद्युत् विस्तार की क्या योजना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वर्ष १९६८-६९ में जिला प्रतापगढ़, ब्लाक कुण्डा व कालाकांकर में निम्नलिखित ११ के० वी० मुख्यलाइनों का निर्माण हुआ :—

१—कुन्डा से संग्रामगढ़	.. .. ..	१५ कि० मी०
२—लुकइयापुर से लाला की बाजार	.. ..	४ कि० मी०

वर्ष १९६९-७० में निम्नलिखित लाइनों का निर्माण किया जा रहा है :

१—लाला की बाजार से आलापुर	.. ..	८ कि० मी०
२—कुन्डा से मानिकपुर	.. .. ..	१३.८ कि० मी०
३—संग्रामगढ़ से रामपुरखास	.. ..	१२ कि० मी०

सिराथू तहसील में सिंचाई साधनों की कमी

*४९—श्री रामचरण (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि जिला इलाहाबाद के सिराथू तहसील में जो सूखा क्षेत्र है उसमें कितने राजकीय नलकूप हैं और कितने नलकूप कहां-कहां सरकार लगवाने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इलाहाबाद की सिराथू तहसील में इस समय सात राजकीय नलकूप हैं। चालू वर्ष में यहां सात नलकूप लगाने का कार्यक्रम है जिनके स्थलों का चयन अभी नहीं हुआ है। स्थलों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा किया जाता है।

*५०—श्री रामचरण—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि रामगंगा नहर जो १९६३ में सिराथू में खोदी गई थी उसमें आज तक पानी नहीं दिया गया ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है और निकट भविष्य में उसमें कब से पानी आने की व्यवस्था की जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। सन् १९६३ में सिराथू में वेस्ट इलाहाबाद शाखा का कुछ भाग खोदा गया था। परन्तु धन उपलब्ध न होने के कारण इसके निर्माण का कार्य ३० सितम्बर, १९६५ से स्थगित कर दिया गया था। अब इसके निर्माण का कार्य २० सितम्बर, १९६८ से पुनः आरम्भ कर दिया गया है और आशा है कि यह कार्य सन् १९७२-७३ तक पूरा हो जायगा। निर्माण-कार्य के पूर्ण हो जाने पर ही इस शाखा द्वारा सिराथू के आस-पास पानी दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री रामरतन—

[प्रश्नकर्ता से स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया।]

कानपुर जिले में नलकूपों को बिजली

२—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले में सरकार ने कितने नलकूपों को बिजली देने का निश्चय चौथी पंचवर्षीय योजना में किया है और उनका विवरण तहसीलों के हिसाब से क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना निम्न प्रकार है :—

नाम तहसील	नलकूपों का लक्ष्य
१—तहसील कानपुर	४००
२—तहसील अकबरपुर	३५०
३—तहसील बिल्हौर	२५०
४—तहसील डेरापुर	१००
५—तहसील भोगनीपुर	१५०
६—तहसील घाटमपुर	३००
योग ..	१,४५०

कृषि फार्मों की उपज

३—श्री हरिवंश—

क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में किन-किन जिलों में कितने एकड़ के सरकारी कृषि फार्म हैं तथा उन पर क्या उत्पादन किया जाता है ?

डाक्टर सीताराम—

प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित कृषि फार्मों का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है। इन फार्मों पर उन्नतिशील तथा अधिक उपज देनेवाली फसलों के बीजों का उत्पादन किया जाता है।

(देखिये परिशिष्ट 'घ' आगे पृष्ठ ११४-११५ पर।)

कृषि योग्य भूमि

४—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या कृषि मंत्री यह बतायेंगे कि १९५२ के पूर्व उत्तर प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि कितनी थी और प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त में क्रमशः प्रदेश में कृषि योग्य कितनी भूमि थी ?

डाक्टर सीताराम—

१९५०-५१ में कृषि योग्य ४,६२,५०,१८९ एकड़ भूमि थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में ४,६६,०७,६५० एकड़, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में ४,६९,५२,१५९ एकड़, तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में ४,६९,६४,२११ एकड़।

इन आंकड़ों में परती भूमि तथा चरागाहों, झाड़ियों आदि की भूमि शामिल नहीं है।

विकास अधिकारियों को जीपें

५—श्री इन्द्रलाल—

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के कितने विकास खंडों में शासन द्वारा कितनी जीपें बी० डी० ओज० को इस्तेमाल के लिये दी गई हैं ?

डाक्टर सीताराम—

सामुदायिक विकास विभाग द्वारा ६२८ विकास खंडों में एक-एक जीप गाड़ी क्षेत्र विकास अधिकारियों के उपयोग हेतु दी गई है।

गोंडा जिले में कोडर झील से सिंचाई

६—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार बतायेगी कि जनपद, गोंडा में कोडर झील से कितने ग्राम सभाओं के खेतों में सिंचाई की जाती है तथा पम्पिंग सेट लगाने का विचार है ?

डाक्टर सीताराम—

उक्त जनपद में कोडर झील से ७ ग्राम सभाओं के अन्तर्गत व्यक्तियों द्वारा पम्पिंग सेट, ढेंकुल तथा दोगलों से व्यक्तिगत खेतों में सिंचाई की जाती है। यदि किसान और पम्पिंग सेट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं।

विभिन्न प्रश्नों के उत्तरों के संबंध में आपत्तियां

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

श्रीमन्, प्रश्न संख्या ५ बड़े लोकमहत्व का प्रश्न है। आप कल इसे सर्वप्रथम स्थान दे दें। उसके उत्तर से हम लोग अवगत नहीं हो सके।

श्री अध्यक्ष—

उसका उत्तर तो दे दिया गया है।

श्री रामरतन प्रसाद (जिला बलिया)—

श्रीमन्, मैं सन् ५२ से बराबर इस बात को देख रहा हूं कि चाहे इधर के माननीय सदस्य हों अथवा उधर के माननीय सदस्य हों, जब हरिजनों का मामला आता है तो लंबी-लंबी स्पीच देते हैं, चाहे हाउस में हो चाहे बाहर हो। लेकिन हरिजनों के रिजरवेशन के संबंध में कोई कदम नहीं उठाया जाता। आज १४ नंबर का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था, उस प्रश्न का कोई जवाब नहीं हुआ, इसकी क्या वजह है।

श्री अध्यक्ष—

उसका उत्तर दे दिया गया है। अगर उसके बारे में आपको कुछ और जानकारी करना है तो आप नियम ४९ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग कर सकते हैं।

श्री रामचरण (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, ५० नंबर पर जो प्रश्न है उसके उत्तर में बताया गया है कि कुछ जमीन फंसी है। श्रीमन्, वहां पर १३ मील जमीन फंसी है और उसके कारण चकबंदी भी नहीं हो पा रही है।

श्री अध्यक्ष—

जो उत्तर आपको मिला है अगर उससे आपको संतोष नहीं है तो उसके लिये आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला इलाहाबाद)—

व्यवस्था का सवाल है। आप प्रश्न संख्या ४१ को देखने का कष्ट करें। मैंने जो सवाल भेजा था वह इस प्रकार है—क्या कृषि मंत्रीजी यह बताने का कष्ट करेंगे का क्या वर्ष १९६९ ई० की शुरुआत से खीरी, पीलीभीत और नैनीताल जिलों में सरकारी जमीनों पर भूमिहीन परिवारों को बसाया जा रहा है? यदि हां, तो उपर्युक्त जिलों में अलग-अगल १५ जून, १९६९ तक कितने भूमिहीन परिवारों को बसाया गया है और ऐसे प्रत्येक परिवार को कितनी जमीन व अन्य सरकारी सहायता दी गयी है?

इसी के साथ-साथ मेरा दूसरा प्रश्न भी था। वह इस प्रकार था—

> "क्या कृषिमंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि भूमिहीनों को इस प्रकार से बसाने की योजना का विस्तार क्या अन्य जिलों में किया जायगा? यदि हां, तो किन-किन जिलों में?"

इसमें मेरी पहली शिकायत यह है कि मैंने प्रश्न किया था, खीरी पीलीभीत और नैनीताल जिलों के बारे में और हमारे पास यह जो उसकी टाइप कापी है, इसलिये यह नहीं हो सकता कि उसमें से कुछ छूट गया हो। लेकिन जो आज के ऐजेन्डे में छपा है, उसमें नैनीताल जिले को गोल कर दिया गया है। इसके अलावा इस प्रश्न का जो दूसरा भाग है उसको निकाल दिया गया है। श्रीमन्, इससे बड़ा नुकसान होता है। जवाब पूरा मिल नहीं पाता। मैं चाहूंगा कि आप इस तरह की व्यवस्था कर दें कि आयन्दा इस प्रकार की गलती न होने पाये। इसके अलावा मैं इस सवाल को फिर से पूछे जाने की इजाजत चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अगर आपकी सूचना में कोई कमी रह गयी है तो नियम ४९ के अन्तर्गत आप प्रश्न उठा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि आप मेरे कमरे में आकर इस त्रुटि को बता दें तो मैं माननीय मंत्री जी को लिख सकता हूं। वे उसका जवाब आपको अलग भी भेज सकते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से इन प्रश्नों को सदन में उठाया जाता रहा तो सदन में जो आगे कार्य-क्रम है उसमें रुकावट हो जायगी। उसके बारे में आपको जो शिकायत हो, उसका म सरकार से जवाब दिलवाने का प्रयत्न करूंगा।

साहित्य देर से मिलने के संबंध में आपत्ति

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि जिस विषय पर यहां बहस होती है, बजट की ग्रांट के सम्बन्ध में, उस विषय से संबंधित रिपोर्ट आदि हमें उसी दिन उपलब्ध होती हैं जिस दिन सदन में वह विषय लिया जाता है। इसलिये प्रार्थना है कि आप ऐसी व्यवस्था करा दें कि यह लिटरेचर बहुत पहले मिल जाया करे।

दूसरे नियम ५१ के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जो वक्तव्य देते हैं वह उसी समय मिलता है मुश्किल से १५ या २० मिनट पहले जब माननीय मंत्री जी बोलते हैं। कभी-कभी वक्तव्य इतना लम्बा होता है कि प्रश्न समझने में, ग्रहण करने में कठिनाई होती है। मैं चाहता हूं कि जिस दिन नियम ५१ के अन्तर्गत यह प्रश्न लिया जाय उस दिन हमें यह प्रातःकाल ही मिल जाया करें ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो मंत्री जी को मैं जरूर कहूंगा कि जिनके विभाग से संबंधित ग्रान्ट सदन में पेश है, वे उसी दिन रिपोर्ट, आदि न दें बल्कि पहले ही माननीय सदस्यों के सूचनार्थ वितरित करा दें। मैं आशा करता हूं कि जितनी शीघ्र यह लिटरेचर माननीय सदस्यों को दे दें ताकि वे इनकी स्टडी कर सकें।

जहां तक नियम ५१ के सम्बन्ध में जो प्रश्न उठाया गया है, उसके बारे में क्या बताऊं आज १३ सूचनायें आयी हैं। उनमें से मुझे एक मन्जूर करनी है क्योंकि हम तो यह विचार कर रहे थे कि धीरे-धीरे कम होंगी लेकिन जो भी सूचना किसी भी जिले में लोगों ने अखबार में देखी तो उस पर ही नियम ५१ के अन्तर्गत प्रश्न आ जाते हैं। आज अगर मैंने एक स्वीकार करके माननीय मंत्री जी के पास भेजी अविलम्बनीय होने के कारण तो उसका उत्तर भी मुझ-को शाम को मिलता है। फ़िर भी मैं प्रयास करता हूं कि जितने प्रश्न आते हैं उनके बारे में सदन को कुछ न कुछ सूचना मिल जाय। इसके ऊपर आपके जितने प्रश्न हैं, कोई तत्काल की चीज है, तो ऐसी सचना तो उसी समय मिल सकती है लेकिन जब आप देखें कि पूरे जवाब नहीं आते हैं तो दूसरे दिन आप अल्पसूचित प्रश्न दे दें, ३ दिन में उत्तर आपको मिल जायगा।

विज्ञप्तियों को देर से सदन में रखने के संबंध में आपत्ति

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, यह जो आपकी कार्य-सूची में दिया हुआ है कि माननीय वित्त मंत्री जी सदन के पटल पर विज्ञप्तियां रखेंगे, इसके बारे में मुझे आपत्ति है। श्रीमन्, आप देखें पहली विज्ञप्ति इसमें १० जनवरी, १९६९ की है और दूसरी २२ जनवरी, १९६९ की है। जबकि एक सत्र मार्च के महीने में हो चुका है तो यह विज्ञप्तियां उस सत्र के अन्दर सदन के पटल पर रखी जानी चाहिये थीं, जैसा कि नियम भी है कि विज्ञप्तियां तुरन्त आनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

यह निर्णय हो चुका है कि जितनी शीघ्र हो सके वे सदन के सामने रख देनी चाहिये लेकिन अगर कोई अड़चन हो तो माननीय वित्त मंत्री एक्सप्लेन कर दें।

भाषणों की प्रतियां देर से मिलने के संबंध में शिकायत

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह कि सदन की कार्यवाहियों की प्रतिलिपियां आपके कार्यालय से तीन, चार दिन विलम्ब से मिलती हैं। मालूम यह हुआ कि आशुलिपिक कम हो गये हैं। क्या आप कोई व्यवस्था करायेंगे कि भाषण की प्रतिलिपि उसी दिन शाम को या दूसरे दिन अवश्य मिल जाया करे।

श्री अध्यक्ष—

इस समय जरा रिपोर्टर्स की कमी है। इसके अलावा एक, दो बीमार भी पड़ जाते हैं। इससे यह विलम्ब होता है। हमने सरकार से आग्रह किया है कि हमें कुछ रिपोर्टर्स अपने डिपार्टमेंट से वह दे दे क्योंकि हमारे यहां कम पड़ गये हैं। कल कुछ आ गये हैं और बाकी के लिये हम प्रयत्नशील हैं। लेकिन यह चीज मेरे दफ़्तर में कहते तो अच्छा था क्योंकि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। दूसरी चीज यह है कि ऐसा प्रश्न यहां उठाने से आगे का कार्यक्रम रुकता है।

विशेषाधिकार के प्रश्न के संबंध में जानकारी

श्री उचितनारायण (जिला फ़तेहपुर)—

श्रीमन् दो तारीख को आपकी सेवा में मैंने दो पत्र भेजे थे और पहली तारीख की शाम को मैं उपस्थित हुआ था आपके निवास स्थान पर लेकिन आप जा चुके थे। वे दोनों पत्र, जो चर्चा हुई थी उसी से सम्बन्धित थे।

श्री अध्यक्ष—

मैं कल वहां तक पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि कल दूसरे प्रश्न आ गये और ढाई बजे तक उन पर चर्चा चलती रही। विशेषाधिकार की अवहेलना में यह आता है और कल दूसरे विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर चर्चा हो गयी, जो देर तक चलती रही और उसमें ढाई बज गये। अब आज उसको ले लूंगा लेकिन अब भी सवाल यह है कि क्या थोड़ा सा मौका मिल जायगा, क्योंकि कुछ माननीय सदस्य और चीजें उठा रहे हैं।

सदन में राष्ट्रीय पताका लगाने के स्थान के संबंध में जानकारी

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

आपने नेशनल फलेग के बारे में कहा था कि इसकी व्यवस्था करेंगे तो कब तक वह व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

अगले हफ़्ते में मैं इस संबंध में घोषणा कर दूंगा।

विज्ञप्तियों को देर से सदन में रखने के संबंध में आपत्ति—(क्रमागत)

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

जो यह आपत्ति उठाई गयी थी कि विज्ञप्तियों को इतनी देर से सदन के पटल पर क्यों रखा गया, उस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं कि गवर्नर के शासन काल की वे विज्ञप्तियां थीं। फ़ार्मेलिटीज कुछ थीं जिनको पूरा करने में कुछ देरी हुई। उधर, ५, ६ दिन के लिये सदन बैठा था, उस बीच वे नहीं आ सकीं। मैं आगे के लिये ध्यान रखूंगा कि कोई इस प्रकार की बात न हो।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६९†

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मी रमण आचार्य)—

अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी० —१६७/१०-१०१२(५)-६५, दिनांक १० जनवरी, १९६९ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६९ को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० की धारा २४ की उपधारा (५) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६९†

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मी रमण आचार्य)—

अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ए० एस० टी०—१६२/१०-८०० (१)-६८, दिनांक २२ जनवरी, १९६९ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६९ को उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर अधिनियम, १९६५ की धारा २४ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६९†

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मी रमण आचार्य)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी०—१४१८/१०-९४८-(४)-६८, दिनांक १७ मई, १९६९ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६९ को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० की धारा २४ की उपधारा (५) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (जारी रखने का) विधेयक, १९६९

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (जारी रखने का) विधेयक, १९६९, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ ११६-११७ पर।)

---

†छापी नहीं गई।

विधायक निवास में पुलिस की तैनाती के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास आज जो सूचनायें आयी हैं विशेषाधिकार अवहेलना की वह दो आयी हैं, एक माननीय श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य की और दूसरी श्री नित्यानन्द स्वामी ने भेजी है। वह इस प्रकार है :—

"प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को आतंकित करने के उद्देश्य से विधायक निवास में पुलिस तैनात कर दी गयी है। मेरे निवास पर भी गुप्तचर विभाग का एक सिपाही ड्यूटी दिया करता है। मेरी अनुपस्थिति में पड़ोस के लोगों से पूछता रहता है कि मैं कहां गया हूं। इससे माननीय सदस्यों के कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। पुलिस लगाने का कारण यह है कि जिससे सरकार को विधायकों के कार्यकलापों एवं योजनाओं की जानकारी हो सके। यह विधायकों के लिये अत्यन्त अपमानजनक है। विधायक निवास माननीय अध्यक्ष की देख रेख में उनके अधीन रहते हैं। वहां भी पुलिस का रहना माननीय सदस्यों की अवमानना है। अस्तु गृह मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त के विरुद्ध विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न उपस्थित करते हैं।"

इसमें एक तो यह कि विधायक निवास माननीय अध्यक्ष की देख रेख में उनके अधीन रहते हैं, यह बात गलत है। रहना चाहिये यह दूसरी बात है, रहते हैं यह बात गलत है। इसमें सवाल यह है कि एकदम से आप यह आक्षेप कर देते हैं। पहले आपको माननीय मुख्य मंत्री से सूचना प्राप्त करनी चाहिये थी।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

उनको नकल भेज दी है।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

अध्यक्ष महोदय, इसकी ब्योरेवार मेरे पास कोई सूचना नहीं है कि विधायक निवास पर कोई बिना वर्दी के पुलिस का व्यक्ति रख दिया गया है परन्तु यह सही है कि जब यहां एक बयान माननीय सदस्य ने दिया कि उनके ऊपर हमला हुआ तो मैंने अवश्य गृहसचिव से कहा कि वे इस प्रकार की व्यवस्था रखें कि कोई इस प्रकार की घटनायें हमारे बीच में उपस्थित न होने पायें और कोई भी व्यक्ति किसी के अधिकार को छीन न सके और कोई ऐसी बात न कर सके जो कि इंडियन पेनल कोड के विरुद्ध हो और जो कि कानून के तहत में आ सके। इसकी देख रेख के लिये अगर कोई उन्होंने प्रबन्ध किया है तो मैं उसके सिलसिले में यदि आवश्यकता पड़ेगी तो पूछ कर आपकी जानकारी करा सकूंगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

एक बड़े सिद्धान्त की बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने कह दी। तो जो पुलिस का प्रोटेक्शन मिला है यह केवल डिफेक्टर्स को मिला है या हम सब लोगों के लिये सुरक्षा की व्यवस्था है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

यह तो सदन के प्रत्येक व्यक्ति के लिये जो कि वहां रहता है उसके लिये है और खास कर वे लोग जो चाहें प्रोटक्शन उनके लिये है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जानकारी हासिल करके दे दें कि क्या इस तरह की कोई बात है और जो कुछ सूचना हो उनके पास भेज दें। जो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया गया है, प्राथमिक से मैं यह समझता हूं कि कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

श्रीमन्, मैंने भी इसी बात के लिये एक विशेषाधिकार का नोटिस दिया है। जब मैं अपने कमरे से बाहर चला जाता हूं तो गुप्तचर विभाग का एक सिपाही, जो लोग मेरे कमरे के पीछे रहते हैं उनसे मेरा नाम लेकर पूछता रहता है कि वे कहां गये हैं, किस रिक्शे से गये हैं, उनके साथ कौन गया है, उनके साथ ऋषिपाल सिंह गये हैं या नहीं। गुप्तचर विभाग के उस सिपाही का नाम शिव नारायण है, वह परसों और कल रात दिन घूमता रहा और देखता रहा कि मैं कमरे से कहां जाता हूं, मैं किस कमरे में गया, मेरे पास कौन-कौन मिलने के लिये आया, इस प्रकार से मेरे कार्य कलापों पर वह बराबर निगरानी रखता है कि मैं कहां जाता हूं, किसके पास जाता हूं। मैं समझता हूं कि यह एक प्रकार से हमारे स्वतंत्र रूप से कार्य करने में हस्तक्षेप है और एक माननीय सदस्य के विशेषाधिकार की अवहेलना है कि उसके आगे और पीछे आप एक गुप्तचर विभाग का सिपाही रखें कि बदायूं से मेरे पास कौन मिलने आया, मैं किससे बात करता हूं, कहां जाता हूं, इस तरह की चीजें वहां बराबर की जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने बतलाया कि गुप्तचर विभाग का कोई आदमी नहीं रखा गया है, माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये पुलिस संरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विधायक निवास में क्या उन्होंने कोई पुलिस स्टेशन (थाना) खोल दिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

कोई थाना तो नहीं खोला है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

जो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया गया है, उस सिलसिले में माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अवहेलना का प्रश्न नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

श्रीमन्, जोर जबरदस्ती से पुलिस वाले हम विधायकों के अधिकारों पर कुठाराघात कर रहे हैं। आपकी आज्ञा से मैं एक सूचना भी दे देना मुनासिब समझता हूं कि माननीय बोरा साहब के खिलाफ बयान देने के लिये पुलिस वाले वहां के चपरासी, फर्राश और स्वीपर वगैरह पर जोर जबरदस्ती से दबाव भी डाल रहे हैं। उनके नाम भी मेरे पास हैं, जिनसे कहा जा रहा है कि वे भी बोरा के खिलाफ बयान दें।

(व्यवधान)

उनके नाम हैं (शिवनारायण—स्वीपर, शिव रतन—फर्राश, नन्दलाल—फर्राश, रघुपाल सिंह, टेलीफोन अटेंडेंट, चम्पा—स्वीपर, ज्ञान चन्द—ये सब रायल होटल में काम करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन जो चीज उनको मालूम ही नहीं है उसके लिये वे क्या कहें, माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये पुलिस संरक्षण का प्रबन्ध किया गया है।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

उन्होंने स्वीकार किया है, उन्होंने कहा है कि हमने वहां पुलिस की व्यवस्था की है।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं सदन को एक बात की सूचना देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य वही सवाल बार बार पूछ रहे हैं। अगर आप कुछ और सूचना मांगना चाहते हैं तो उनको लिख कर भेज दें, वे इन्क्वायरी करके बतला देंगे।

श्री डी० पी० बोरा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्थानीय विधायक हूं और सुबह से शाम तक २००–२५० आदमी मुझ से मिलने के लिये आते हैं और मैं उनका काम करता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि क्या वजह है कि जो लोग मेरे यहां आते हैं उनसे पुलिस के लोग और गुप्तचर विभाग के लोग पछ ताछ कर रहे हैं और मेरे यहां आने से उनकी रोकथाम कर रहे हैं। मैं श्रीमन्, आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तरह की कार्य-वाही मुख्य मंत्री जी के आदेश के ऊपर की जा रही है।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी कहा कि विधायक निवास में पुलिस का इंतजाम किया गया है, तो फ़िर माननीय कृष्णस्वरूप जी के कमरे पर गुप्तचर विभाग के आदमी कैसे गये? यदि वे गये हैं तो क्या उनके खिलाफ़ कोई कार्यवाही करेंगे? इतना वे और बता दें।

श्री अध्यक्ष—

वे जानकारी हासिल करके बतायेंगे।

एक सदस्य—

आज कल दारुलशफ़ा में चोरी की काफ़ी घटनायें हो रही हैं। कल ही एक रिवाल्वर चोरी हो गया है। इसलिये अब पुलिस पूछताछ करती है कि वहां कोई गलत आदमी तो नहीं आ गया है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि जितने आपके प्रश्न हों वे सब भेज दीजिये, वे जानकारी हासिल करके दे देंगे।

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ खन्ना—

मैं कहना चाहूंगा कि लोग मिलने के लिये आते हैं तो उनसे पछताछ करने की क्या बात है?

श्री अध्यक्ष—

आप एक बार कह चुके हैं, बार बार न कहिये।

श्री महीलाल—

क्या मुख्य मंत्री जी ऐसे सदस्यों को जो साधारण रूप से पुलिस संरक्षण चाहें तो दे सकेंगे या जो इधर से उधर चले गये हैं उन्हीं के लिये यह है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अध्यक्ष महोदय, सदन के प्रत्येक सदस्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और जब भी कोई सदस्य अपनी सुरक्षा के विषय में कोई मांग करता है तो उसे पुलिस के सिपाही का संरक्षण दिया जाता है। आज कल भी किन्हीं साथियों के पास संरक्षण है या वह पहले से मिलता चला आ रहा है। पुलिस मंत्रियों के यहां रहती है, उनके कार्य में कोई बाधा नहीं पड़ती है। पुलिस विरोधी दल के नेता के यहां रहती है, उनका संरक्षण करने वाले व्यक्ति रहते हैं, उनके काम में कोई बाधा नहीं पड़ती है। मैं नहीं समझता कि यह जो पुलिस रख दी गई है इससे माननीय सदस्यों के काम में बाधा पड़ सकती है या पड़ती है।

श्री जगन्नाथ खन्ना—

अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य, कृष्णस्वरूप जी हैं उनके यहां भी पुलिस गई, तो क्या माननीय सदस्य ने ऐसी एप्लीकेशन दी है कि उनकी सुरक्षा की जाय ? उनके यहां सी० आई० डी० क्यों गई है, क्या उन्होंने इसकी मांग की है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, जो शिकायत सदन में प्रस्तुत की गई है, अगर आप उस पर गौर करें तो सचमुच.....

(व्यवधान)

इससे सचमुच हम लोगों के काम में बाधा पड़ती है। जिस तरह से सरकार आज कल चक्रव्यूह चला रही है उसमें अभिमन्यु भी प्रवेश नहीं कर सकता। हमारे कमरों में कोई अफ़सर इत्तफ़ाक से आ जाता है, कोई मिनिस्टर दूसरे की बात बताने आ जाता है, तो बड़ी मुश्किल हो रही है। इस पर आप ध्यान दें और इस को स्वीकार जरूर करें।

श्री डी० पी० बोरा द्वारा मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

बोरा जी द्वारा एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न आया है। कल माननीय सदन के समक्ष श्री बलबीर सिंह द्वारा मेरी गिरफ्तारी जो २-८-६९ को माननीय सूबेदार सिंह जी द्वारा १-८-६९ को हुसैनगंज पुलिस स्टेशन में की गयी रिपोर्ट के आधार पर हुई थी, पर सदन और मेरे विशेषाधिकार की अवहेलना तथा अपमान के प्रश्न पर चर्चा हुई। उस चर्चा का उत्तर देते हुए माननीय मुख्य मंत्री ने मेरे बारे में सदन को कुछ सूचनायें दीं। यहां यह कहना असंगत न होगा कि ये सूचनायें उस चर्चा से किसी भी प्रकार सम्बन्धित नहीं थीं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जान बूझ कर अप्रासांगिक होते हुए भी यह सूचनायें इस नीयत से दीं कि माननीय सदन, श्रीमन् तथा उसके माननीय सदस्यों को मेरी प्रतिष्ठा के बारे में अच्छी धारणा नहीं बनानी चाहिये। ये सूचनायें देते हुए उन्होंने यह भी सूचना दी कि मेरे विरुद्ध अदालत में माननीय चौधरी चरणसिंह की अर्थी निकालने के अपराध में मुकदमा चल रहा है। इस मुकदमा का १८-७-६९ को फ़ैसला हो चुका है। मैं इसमें निर्दोष सिद्ध हो चुका हूं। माननीय मुख्य मंत्री ने इस तथ्य को

जानबूझ कर छिपा लिया है। उनका कर्त्तव्य था कि इस सूचना को सदन के समक्ष रखने के पहले इससे सम्बन्धित पूरी पूरी जानकारी हासिल कर लेते और यह जान लेते कि मुकदमे में क्या निर्णय हुआ। मेरा विश्वास है कि वे जानते थे कि मैं उस मुकदमे में बरी हो चुका हूं।

उन्होंने इस कार्य से जान बूझ कर सदन को गुमराह किया है और मेरी मानहानि हुई है। इस प्रकार मेरा तथा माननीय सदन का अवमान हुआ है। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली फ़लां फ़लां. . . ."

मैं माननीय मुख्य मंत्री से जानना चाहूंगा कि आपने जो सूचना दी, किस आधार पर दी है और छूटने की जानकारी आपको हुई या नहीं ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

अध्यक्ष महोदय, जो सूचना जिलाधीश, लखनऊ के पास से मेरे पास आयी है वह ३-८-६९ को मेरे दफ्तर यानी गृह सचिव के दफ्तर को प्राप्त हुई। कल ही पहले देखने को मिली। उस सूचना में कहीं इस बात की चर्चा नहीं है कि माननीय बोरा जी, जो मुकदमा ११४६, हजरतगंज पुलिस थाना, तारीख १३-१०-६७ का, अंडर सेक्शन ६, स्पेशल पावर ऐक्ट था उसमें छूट गये हैं। यह तमाम ब्योरा, इनके बहुत से केसेज का दिया है, उसमें नहीं दिया है। आज सुबह जिलाधीश मुझ से अवश्य मिले और मैंने उनसे पूछा कि कल बोरा जी ने बयान दिया है कि वह १८ तारीख को छूट गये। तो यह इत्तला आपको कैसे हुई ? उन्होंने दुख प्रकट किया और कहा कि कल ही सांयकाल को उनको अपने अधिकारियों से इस बात की जानकारी हुई कि बोरा जी ने जिस बात की चर्चा इस सदन में की है वह सही है। मुझे भी इस बात का दुख है कि जिलाधीश ने इस बात की जानकारी, जो इत्तला सरकार के पास भेजी उसमें नहीं प्राप्त की और सारे और मुकदमे जितने मैंने बताये थे उनकी चर्चा की। मुझे फ़िर खेद है कि ऐसी भूल जिला अधिकारी से हुई। मैंने ताकीद की है कि इस प्रकार की भूलें आइन्दा न करें।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

मैं माननीय गुप्ता जी से यह पूछना चाहता हूं कि या यह कहना चाहता हूं कि जिन कर्मचारियों ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह इत्तिला दी और एक एम० एल० ए० के सिलसिले में दी, तो एक मुकदमे का फ़ैसला हो चुका था और उसकी सूचना गलत दे दी, तो यह निहायत गैर जिम्मेदारी की बात है, निहायत इन्एफ़ीशियेंसी की बात है। जिन लोगों ने गलत इत्तिला दी है जिलाधीश को ऐसी जानकारी दी है, उनको आप ताकीद दें, वार्निंग दें, सजा दें और उनके खिलाफ़ डिसिप्लिनरी ऐक्शन लें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इससे सख्त भाषा में, जो माननीय विरोधी दल के नेता ने अभी व्यक्त की है, मैं जिलाधीश से अपने विचार प्रकट कर चुका हूं और गृह सचिव से भी कह चुका हूं कि इस सिलसिले में उनको तो ताकीद दी ही जाये, इसके अलावा जिन व्यक्तियों ने जिलाधीश को गुमराह किया है ऐसा कह कर उनके खिलाफ़ भी कार्यवाही की जाये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ़्फ़रनगर)—

इसके लिये आप भी तो खेद प्रकट करें।

श्री अध्यक्ष—

वे खेद प्रकट कर चुके हैं।

श्री उदितनारायण द्वारा 'नेशनल हेराल्ड' के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री उदित नारायण जी ने विशेषाधिकार की अवहेलना का जो मुझे पत्र लिखा वह एक पत्र के खिलाफ़ लिखा यानी नेशनल हेराल्ड के खिलाफ़, जिसकी वजह से वह कहते हैं कि मानहानि हुई। 'नेशनल हेराल्ड' में यह लिखा था कि "चीफ़ मिनिस्टर की हैसियत से चौधरी साहब ने पत्र लिखा था।" मैं कहना चाहता हूं कि दो पैमाने तो नहीं हो सकते हैं, उनके इस विषय में निर्णय करने के। जब आपको भ्रम हो गया—इस बात के लिये कि माननीया बाजपेई जी ने चीफ़ मिनिस्टर का नाम लिया और मुझे भ्रम हो गया और आपको भ्रम हो गया। मुझे भी भ्रम हो गया इस कारण कि माननीया बाजपेयी ने कहा था—यह वाकया सन ६७ का है और आपका भी भ्रम हो गया तो जिस बात से आपको भ्रम हो गया था उसे आपने सदन में बता दिया कि भ्रम हो गया और आपने जान बूझकर झूठा आक्षेप श्रीमती बाजपेई पर नहीं किया था। जब भ्रम आपको हुआ और आपने कहा था कि 'नेशनल हेराल्ड' को भी यह भ्रम हो गया था इस कारण उसने लिख दिया अपने पत्र में, ऐसी अवस्था में प्रेस प्रतिनिधि से यह कहूंगा कि इसको समाप्त करनेका तरीका यह है कि वह किसी प्रामिनेन्ट जगह पर प्रतिवाद छापें और तब इसको यहां समाप्त कर दिया जायगा।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

और खेद भी प्रकट करें।

श्री अध्यक्ष—

जब प्रतिवाद छपता है तो वह खेद तो प्रकट ही करते हैं। तो यहां पर जो उनके प्रतिनिधि बैठते हैं वह कृपा करके सुन लें और इस प्रतिवाद को छापें।

सीनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस, वाराणसी, श्री राधेश्याम शर्मा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

अब मैं एक प्रश्न लेता हूं जो इस सदन में बहुत दिनों से पड़ा हुआ है। इस सदन के माननीय सदस्य सर्व श्री नित्यानंद स्वामी, मोहनलाल कपूर, शंकर प्रसाद जायसवाल, शिवदास, अनीसुरहमान, नगीना सिंह, हरिवंश सहाय ने वाराणसी के एस०एस०पी० श्री राधेश्याम शर्मा के विरुद्ध उनके द्वारा कथित एक वक्तव्य, जो कि विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, से हुई इस सदन की अवमानना तथा विशेषाधिकारों की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी थी। माननीय शिवदास जी की सूचना का आधार तो यह है कि वे २७ जुलाई को वाराणसी गये थे और वहां कई प्रतिष्ठित नागरिकों ने उन्हें सूचना दी कि एस० एस० पी० श्री शर्मा ने खुले आम घोषणा की है कि सतिया कांड की जांच समाप्त होने पर वे उन सदस्यों की खबर लेंगे—और उनको ठीक कर देंगे जिन सदस्यों ने उनके ऊपर सदन में आरोप लगाये हैं। यह सूचना सुने हुये तथ्यों पर आधारित है, इसलिये केवल अफवाह या किसी तीसरे व्यक्ति के कथन पर आधारित बातों पर दी गई सूचना को मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

अन्य माननीय सदस्यों ने अपनी सूचना का आधार विभिन्न समाचार पत्रों में छपे समाचार को बताया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से पढ़ा। सदन में मैंने माननीय सदस्यों से पूछा था कि धमकी किस प्रकार निहित है, क्योंकि जो समाचार पत्रों में छपा है उनमें अधिकांश में यह लिखा है कि :—

"The S. S. P. added that in case the allegations were proved false, the persons accusing him should also be ready to face the consequences."

हिन्दी के समाचारपत्र 'गांडीव' जो जनसंघ का पत्र है उसमें यह छपा है कि—

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, मैंने आपको हिन्दुस्तान टाइम्स, सन्मार्ग और गांडीव तथा दूसरे पत्रों की कटिंग्ज भेजी हैं। जनसंघ का कोई पत्र है नहीं, कृपा करके उस अपने निर्णय में शुद्धि कर दें।

श्री अध्यक्ष—

इसमें है नहीं, मैंने यों ही कह दिया था। तो "गांडीव" में यह छपा है कि—"लांछन लगाने वाले एवं अन्य कोई व्यक्ति खुले रूप में तथ्यों की जांच कर सकता है। अगर तथ्य सही पाये गये तो श्री शर्मा, अन्यथा लांछन लगाने वाले अपने पदों से त्यागपत्र दे दें।"

साधारणतया अखबारों में छपे वक्तव्यों के ऊपर कोई भी आरोप लगाना उचित नहीं होता, क्योंकि यह सम्भव हो सकता है कि जो वक्तव्य श्री शर्मा का दिया हुआ बताया जाता है वह श्री शर्मा ने दिया ही न हो या वे शब्द उनके द्वारा कहे ही न गये हों। इसलिये श्री शर्मा से पूछने की आवश्यकता पड़ी। सदन की इच्छानुसार मैंने वाराणसी के एस० एस० पी०, श्री राधेश्याम शर्मा को बुलाकर, उन्होंने क्या वक्तव्य दिया, इसकी जानकारी प्राप्त की। श्री राधेश्याम शर्मा मेरे पास तारीख २ अगस्त को साढ़े तीन बजे आये और उन्होंने कहा कि उनसे कुछ पत्रकारों के पूछने पर उन्होंने उत्तर दिये थे, कोई स्वयं वक्तव्य नहीं दिया था। वे पत्रकार केवल "गांडीव" तथा "सन्मार्ग", बनारस के थे और "नार्दर्न इंडिया पत्रिका" के प्रतिनिधि थे। मेरे सामने उनका बयान संक्षेप में यह था :—

"मेरा अपना दृष्टिकोण था, किसी के लिये धमकी नहीं थी। इतना गम्भीर आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा था जिससे मेरी भावनाओं को ठेस लगी और मैंने एलान कर दिया कि आरोप साबित होने पर मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा क्योंकि मैं समझता हूं कि ऐसा आदमी पुलिस विभाग के उच्च पद के लिये अयोग्य है। साथ ही मैं यह समझता हूं कि दूसरों का भी यह कर्तव्य होगा कि यदि आरोप असत्य साबित हुये तो उन्हें भी अपना पद छोड़ देना चाहिये।"

मैंने "सन्मार्ग" पत्र तथा "नार्दर्न इंडिया पत्रिका" की कटिंग श्री शर्मा से उपस्थित करने को कहा—उन्होंने वे ३ तारीख को मेरे पास भेजे। मेरा ध्यान टाइम्स आफ इंडिया के समाचार की ओर भी उन्होंने आकृष्ट किया। उन्होंने कहा था कि यू० एन० आई० के प्रतिनिधि से उनकी बात नहीं हुई। इस कारण उसका दिया हुआ समाचार सही नहीं है, यह उनका कथन था। "गांडीव" की कटिंग तो मैंने आपको सुना दी। "सन्मार्ग" जो सोमवार, २८ जुलाई, १९६९ का है उसमें इस शीर्षक से यह समाचार आया है "आरोप साबित होने पर पदत्याग कर दूंगा" "पुलिस अधीक्षक श्री राधेश्याम शर्मा की चुनौती" वाराणसी, रविवार। ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्री राधेश्याम शर्मा ने आज "सन्मार्ग" के प्रतिनिधि को बताया कि कुछ क्षेत्रों में सतिया हत्याकांड के सिलसिले में मेरा नाम जोड़ने की बात सफेद झूठ है।

सतिया हत्याकांड को लेकर कुछ सूत्रों द्वारा वाराणसी के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राधेश्याम शर्मा को भी इस मामले में सम्बद्ध बताया जा रहा है। इस संबंध में श्री शर्मा ने "सन्मार्ग" प्रतिनिधि द्वारा पूछे जाने पर चुनौती भरे शब्दों में बताया कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से यदि एक भी प्रमाण प्रस्तुत कर दिया जाय कि मेरा उक्त कथित मामले से लेशमात्र भी संबंध है तो मैं वरिष्ठ पुलिस कप्तान के गुरुतर पद से तत्काल त्यागपत्र दे दूंगा और जो लोग यह आरोप लगाते हैं यदि वे इसे प्रमाणित न कर पावें तो वे भी अपने पद से अलग हो जायं। मनगढ़न्त कहानी गढ़कर चरित्र हत्या का प्रयास जनतान्त्रिक परिभाषाओं के सर्वथा विपरीत है और उक्त आरोपों में इसी की पुनरावृत्ति की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस कप्तान श्री शर्मा ने 'सन्मार्ग' के प्रतिनिधि के प्रश्नों का उत्तर देते हुए एक भेंट में बताया कि मुझे यह आरोप जानकर घोर आश्चर्य एवं महान् क्लेश हुआ है। कथित सतिया हत्या कांड में मेरा नाम जोड़ना नितान्त भ्रामक, सर्वथा असत्य एवं पूर्णरूप से बेबुनियाद है। मैं २१ जून, १९६९ को अपराह्न में ३ बजे

[श्री अध्यक्ष]

६ डाउन इलाहाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस की मगई पुल पर हुई रेल दुर्घटना स्थल पर वाराणसी के आयुक्त एवं डी० आई० जी० के साथ गया और रात १०॥ बजे वाराणसी वापस आया। २२ जून, १९६९ को प्रातः ६ बजे चकिया के परगनाधीश के साथ खरीदपुर गांव में पड़ी सशस्त्र डकैती की जांच में गया और १२ बजे वाराणसी वापस आया। उसी दिन सायंकाल अन्तर जिला फुटबाल टूर्नामेंट में ४ बजे से ८ बजे रात तक उपस्थित था। इस तरह से उन्होंने अपना डिफेन्स दिया है। पत्रिका में भी इसी प्रकार से लिखा है कि :—

"In reference to the Assembly debate on the Satiya Murder case Sri Radhey Shyam Sharma, S. S. P., Varanasi has denied that he had been to Gopalpur Farm in Mirzapur, the reported site of the alleged murder. On June 22, he had been at Maghai, The Railway accident site and was there along with the D. I. G. From there he had been to Chakiya in connection with a dacoity case and in the afternoon he had been on the Police Ground here in connection with the Varanasi Range Inter District Police Football final."

टाइम्स आफ इंडिया में भी उन्होंने कहा है कि अगर वह आरोप झूठा साबित हो तो दूसरों को भी इस्तीफा देने के लिये तैयार रहना चाहिये। "टू बियर दि कांसिक्वेन्सेज" उसमें लिखा है। यह उनका कथन था। बनारस के स्थानीय हिन्दी के अखबार तथा यू० एन० आई० के दिये हुये समाचार का मिलान करने पर और जो स्पष्टीकरण मेरे सामने श्री शर्मा ने दिया, उस पर गम्भीर विचार करने पर यह स्पष्ट है कि स्थानीय पत्रकारों के प्रश्नों के जवाब में उन्होंने अपने बचाव में जोरदार शब्दों में आरोपों को असत्य बताया और नैतिक चुनौती दी कि आरोप सिद्ध होने पर वे अपना कर्तव्य समझेंगे कि वे इस्तीफा दे दें और आरोप असत्य साबित होने पर आरोप करने वालों को पद त्याग करना उचित होगा। माननीय सदस्यों ने जो मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस पुस्तिका से उदाहरण इंगलैन्ड की पार्लियामेंट में उठाई हुई धमकियों के मामलों का जिक्र किया उनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धमकी किसी सदस्य को दी गई है, वे इस मामले के बाकयात में लागू नहीं होते।

मुझे पत्रकारों को दिये हुये श्री शर्मा के जवाबों में सदन के किसी सदस्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धमकी देना प्रतीत नहीं होता। इसलिये प्राग्दर्शन में यह विशेषाधिकार की अवमानना का प्रश्न नहीं होता और मैं इसको सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, 'हिन्दुस्तान टाइम्स' की जो कटिंग थी वह मैंने आपको दी थी। वह आपके ध्यान में नहीं आई है। उसके अन्दर बिलकुल धमकी दी गई है। उसको आप कन्सीडर करें, श्री राधेश्याम शर्मा वहां थे या नहीं, यह एक अलग प्रश्न है। उन्होंने माननीय सदस्यों के लिये क्या कहा और क्या माननीय सदस्यों के कार्य में वह अवरोध करना चाहते हैं, इस बात को उस कटिंग में कृपया देखने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष—

उसमें लिखा होगा। मान भी लिया जाय कि लिखा है तो उसको वह मानते नहीं हैं। उसका नोटिस उन्होंने नहीं लिया है। उन्होंने "सन्मार्ग" वाराणसी का जो पत्र है उसमें बयान दिया और उसमें बिलकुल स्पष्ट है।

दूसरी बात यह है कि अंग्रेजी में अगर यू० एन० आई० ने लिख दिया तो वह इन्कार करते हैं। तब भी असत्य को चैलेंज कर सकते हैं कि जिन लोगों ने आरोप मुझ पर लगाया है उनका नैतिक कर्तव्य है, उनको नैतिक चैलेंज है कि उनको अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिये, धमकी नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं बाहर के लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूं। उन्होंने सदस्यों के लिये कहा कि "टु फेस दि कांसिक्वन्सेज"।

श्री राज बहादुर चन्द्र (जिला बस्ती)—

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार सदन में देखने को मिलता है कि आपके आदेश के बावजूद और फैसले के बाद भी जिम्मेवार सदस्य आपके आदेश की अवहेलना करते हैं और व्यवस्था की बात करते हैं। आप ऐसी चीजों पर नियंत्रण कायम करें और उनको ऐसी बातें करने से रोक दें। आपकी आज्ञा लिये बिना कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

श्री चेतराम गंगवार—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी आपने राधेश्याम शर्मा से संबंधित विशेषाधिकार के प्रश्न पर अपनी रूलिंग दी, लेकिन कांग्रेस बेंचेज की ओर से बड़े जोर से मेजें थपथपायी गयीं जैसे कि राधेश्याम उनके विशेष निकट के रिश्तेदार हों। तो क्यों थपथपायी गयीं? इसका कारण स्पष्ट किया जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

देखिये यह मैं आपके सामने एक केस रखता हूं। इसमें एक पोस्टर छाप दिया गया था कि अगर कोई माननीय सदस्य पार्लियामेंट का इस तरह से वोट देगा तो उसका नाम छाप दिया जायगा कि वह "डिक्टेटर" है। इसमें सदस्यों को धमकी सीधी है, क्योंकि इंगलैन्ड में डिक्टेटर कहना यह बहुत भद्दा समझा जाता है। ऐसी हालत में माननीय स्पीकर ने यह फसला दे दिया कि यह प्राग्दर्शन में प्रिविलेज का सवाल है। उसके ऊपर स्पीकर ने जब यह कह दिया तो चर्चिल साहब विरोध में थे। उनका ख्याल था कि प्रिविलेज का सवाल उठाना नहीं चाहिए था। तो उन्होंने कैसे शब्द कहे—

"It is always usual when you, Sir, rule that a matter is prima facie a breach of Privilege, that the House sends it to the Committee of Privileges, and the course which the Leader of the House has taken is entirely in accordance with precedent in that matter. I should be very loth to separate myself from the course of referring the matter to the Committee of Privileges."

मतलब यह कि जब अध्यक्ष रूलिंग देते हैं कि प्राइमा फेसाई प्रिविलेज का सवाल है तो प्रस्ताव आता है कि इसकी जांच की जाय या क्या किया जाय, तो उस पर उन्होंने कहा—

".....but I trust I may be permitted to submit to you one or two observations upon this peculiar case, the like of which I have not seen in my experience of 42 years' actual service in this House. Are we really to understand that the Members of this New House of Commons, just elected by the people, fresh from contact with the people, are going to be freightened out of their wits by some thing like this? (Interruption).

वह कहते हैं कि :

I know hon. Members opposite do not want free speech anywhere. They will go further and further along the road to destroy it. Why should we suppose that Members of this House, many of whom enjoyed great majorities at the Election and are in close contact with their constituents, will be deterred from doing what they conscientiously believe is their public duty because—

यह उन्होंने व्याख्या की। इस पर मिस्टर लेचर पाइन्ट आफ आर्डर पर खड़े हो गये। उसके ऊपर स्पीकर ने कहा—

[श्री अध्यक्ष]

There is quite clearly a Motion before the House and I must remind the hon. Member for West Fife (Mr. Gallacher) that it is for me to say what is and what is not in order. Some of the points of Order he raises are really frivolous.

इसके बाद मिस्टर चर्चिल को इजाजत मिल गयी और वह बोलते रहे। वह कहते हैं—

"I really cannot conceive that Members would feel deterred from giving a vote according to their duty and conscience, because some printing firm splashes a poster of an insulting character about the walls of the metropolis. Who has ever said, "You may not put up a poster of an insulting character against anybody or anything, subject of course, to the ordinary laws of life?" Who would insinuate that this House of Commons has already got into such a dither that it is afraid of the vulgar chatter and clamour which arise in the streets? It does seem to me mere panic and that we are ill conceiving our dignity if, because a firm of printers chooses to say that our names will be published if we vote this way or that in a particular Division and applies terms of abuse such as "dictators" whichever way we vote, we suggest that the House should take action under the great procedure of privilege. It is a formidable procedure, reserved for cases of a very special character as, for instance, if a poster were put about saying that certain Members had committed a certain crime or had certain particular advantages offered to them and which reflected upon their private honour. In that event, I quite agree there would be a breach of Privilege, but I do not see how the House can press for referring this to a Committee of Privileges when after all it is only—"

इसके ऊपर स्पीकर कहते हैं—

"Perhaps the right hon. Gentleman will allow me to read from Erskine May: "Any attempt to influence Members in their conduct by threats is also a breach of privilege."

इस पर मिस्टर चर्चिल कहते हैं—

"But with very great respect—and I wish to subject myself completely to the Chair—the word "threats" does require some eucidation in modern terms. I mean a threat to knock a man on the head if he votes for bread rationing, is one the House could act upon."

जिस वक्त अध्यक्ष इसके ऊपर निर्णय ले लेते हैं कि यह प्राइमाफेसी केस है तो वह चला जायगा प्रिविलेज कमेटी में चाहे कुछ भी हो। उसमें कोई मीनमेख नहीं हो सकता। जिसमें अध्यक्ष यह तय कर ले कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता है तो उसमें सदस्यों को विवाद करने का अधिकार नहीं होता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

ब्रीच आफ प्रिविलेज तो हो गया लेकिन इसको कमेटी को रेफर करने का प्रश्न उठता है।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने रूल कर दिया था कि ब्रीच आफ प्रिविलेज है लेकिन अगर स्पीकर अवरवाइज करता है तो मोशन लाने की जरूरत नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

आपने अध्यक्ष महोदय, एक पहलू, धमकी के सिलसिले में तो व्यवस्था दे दी लेकिन दूसरा पहलू था कि उन्होंने सदन की कार्यवाही पर टिप्पणी की है, उसका जिक्र नहीं किया तो क्या आप पुनर्विचार करेंगे ?

श्री दीपनारायणमणि (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी रूलिंग पर कोई कमेन्ट नहीं करना चाहता हूं। एक निवेदन यह है, (पाइन्ट आफ इनफारमेशन), कि गवर्नमेंट सर्वेन्टस के जो राइट्स गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स कंडक्ट रूल्स के मुताबिक थे वे कटेल हो गये। आपके द्वारा चाहता हूं कि आप इस तरह का आदेश दें कि सरकारी कर्मचारी इस तरह की कार्यवाहियों पर वक्तव्य न दिया करें।

श्री अध्यक्ष—

मगर वह तो माननीय मुख्य मंत्री जी का क्षेत्र है और वह मेरा क्षेत्र न भी होते हुये जब वह मेरे पास आये तो मैंने उन से कहा कि आप कोई इस तरह का वक्तव्य न देते जिसमें किसी को कुछ कहा हो। अगर कोई व्यक्ति निरपराधी है और कोई झूठी बात कही है तो उसको सिद्ध करना चाहिये। यह कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इसको स्वीकार किया और कहा—उन्हें आरोप लगने की बात का दुख हुआ था। यह बात किसी से छिपी नहीं है।

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने रिग्रेट किया है ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने उनसे यह कहा कि वह कोई भी वक्तव्य इस तरह का या दूसरी तरह का न देते तो अच्छा होता लेकिन उनकी कोई खता नहीं है, यह मैं कहना चाहता हूं।

कार्य-क्रम में परिवर्तन के संबंध में सूचना

उद्योग मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज विरोधी दलों के मुख्य सचेतकों से विचार विमर्श के बाद सर्व सम्मति से यह निश्चय किया गया है कि—

(१) दिनांक १६ अगस्त, १९६९ को विधायी कार्य के स्थान पर दिनांक २६ अगस्त, १९६९ के लिये निर्धारित हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री से संबंधित अनुदानों (२९—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों और ३०—समाज कल्याण) पर विवाद तथा मतदान होगा।

(२) १९६९—७० के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विवाद तथा मतदान के वर्ग ४ में क्रम संख्या १० पर उल्लिखित अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी, जिस पर उक्त कार्यक्रम के अनुसार विवाद नहीं होना था, को उस पर विवाद के प्रयोजन के लिये उक्त वर्ग ४ के क्रम संख्या ११ में माननीय मुख्य मंत्री के अन्य अनुदानों के लिये निर्धारित ढाई दिन के विवाद में ही उनके साथ सम्मिलित कर लिया जाय।

(३) विधान सभा का उपवेशन रविवार, दिनांक १७ अगस्त, १९६९ को नियुक्त समय के अनुसार होगा और उस दिन विधायी कार्य लिये जायेंगे।

(४) दिनांक २७ अगस्त, १९६९ के लिये उक्त कार्यक्रम के वर्ग ५ में मद १७ व १८ में उल्लिखित अनुदानों पर विवाद तथा मतदान दिनांक २६ अगस्त, १९६९ को ४.३० बजे अपराह्न तक होगा और ४.३० बजे अपराह्न से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६९ के पुरःस्थापन, उस पर विचार एवम् उसके पारण की प्रक्रिया होगी।

यह रक्षा बन्धन की छुट्टी देने के लिये किया है क्योंकि सभी लोग चाहते थे।

श्री मैनेजर सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं क्योंकि सदन में बराबर जो परम्परा रही है उसका इससे हनन हो रहा है और मैं इस संबंध में व्यवस्था चाहता हूं। आपकी जो कार्य

[श्री मैनेजर सिंह]

मंत्रणा समिति है या यह जो आपकी मंत्रि परिषद् है उस ने क्या और सदस्यों से पूछ कर किया है। पहले शनिवार ले लिया गया और अब रविवार ले रहें हैं। इससे ज्यादा घोर अन्याय और क्या हो सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस पर फिर विचार करें। मैं इस हाउस में यह देखता हूं कि जब आप कोई इस प्रकार का निर्णय लेते हैं तो उस संबंध में विचार करने के लिये कमेटी में जिन सदस्यों को रखते हैं उनमें निर्दलीय सदस्यों को क्यों निकाल देते हैं? आप बहुमत के आधार पर करना चाहते हैं तो निर्दलीय सदस्यों को भी रखें। इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

कार्य मंत्रणा समिति ने यह चाहा कि २७ तारीख को चूंकि रक्षा बन्धन है इसलिये उस दिन सदन की बैठक न होती तो अच्छा होता। उसको ऐडजस्ट करने की कोशिश की है। १७ तारीख इसलिये लेते हैं क्योंकि उस दिन इतवार है और १६ तारीख को माननीय सदस्य वोट देने के लिये यहां रहेंगे। अतः यदि १६ तारीख को रहना है तो १७ तारीख ले लें। इस तरह से रक्षा बन्धन की छुट्टी मिल जायगी। इस तरह एकोमोडेट करने की कोशिश की है। इस संबंध में निर्णय लेते वक्त सभी दलों के सदस्य मौजूद थे। सब की सम्मत्ति से यह बात हुई है इसलिये यह प्रस्ताव नहीं है बल्कि प्रोग्राम को उन्होंने इस तरह से रखा है।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

उनका भी एक निर्दलीय लोगों का दल है और उन लोगों से कोई सलाह नहीं ली गई इससे उनको ठेस पहुंची है और इसका हमको भी दुख है। तो उनकी बात पर भी विचार करलें। जब आपको, अध्यक्ष महोदय, हमारी बात हुई थी तब आपने स्वयं यह चीज महसूस की थी साढ़े दस से साढ़े पांच तक वैसे ही सदन का समय हो गया है और कभी कभी उस० बाद भी बैठना पड़ता है तो पढ़ने लिखने का समय नहीं मिल पाता और स्वयं आपके जो रिपोर्टर बैठे हैं यह भी बेचारे बीमार पड़ रहे हैं। तो आखिर इतनी जल्दी क्या है? कार्य ढंग से चलाना है तो अगर यह सदन दो चार दिन बाद तक चल जायगा तो उसमें नुकसान क्या है। हमारे साथी को जो ठेस पहुंची है उस संबंध में यदि उदारता से विचार करें, श्रीमन, तो अच्छा होगा।

श्री सियाराम के सदन में प्रवेश करते समय रोकने के संबंध में शिकायतें

श्री सियाराम (जिला एटा)—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। अभी मैं सदन के अन्दर आ रहा था तो एक सिविलियन ने कहा कि आप नहीं जा सकते। मैंने कहा मैं सदस्य हूं। फिर मैं ऊपर गया, मेरे क्षेत्र के एक सज्जन थे और उनसे मुझे मिलना था तो फिर उसने मुझे रोक लिया और कहा कार्ड दिखाओ। वहां पर अधीक्षक भी मौजूद थे। तो इस तरह से अपमान किया जाता है।

श्री अध्यक्ष—

आप उसको पहचानते हैं?

श्री सियाराम—

जी हां, मैं पहचानता हूं। एक दूसरे आदमी ने कहा कि जाने दीजिये यह अशिक्षित है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

किस प्रकार सिक्योरिटी आफिस वाले काम करते हैं ? यह पुलिस के लोग यहां बैठकर क्या करते हैं ? हमारे सदस्यों को गवाही दिलानी पड़े, कार्ड दिखाना पड़े सदन में आने के लिये यह नहीं होना चाहिये। मान्यवर, ऐसी व्यवस्था करें कि भविष्य में ऐसा न हो।

श्री अध्यक्ष---

यह सही है कि इसमें अपमान होता है। मैं इसकी व्यवस्था करूंगा।

श्री अध्यक्ष द्वारा 'बदतमीज, शब्द के संबंध में अपने निर्णय में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष---

किसी सदस्य के लिये 'बदतमीज' शब्द के प्रयोग के संबंध में जो कल माननीय सदस्य ने मेरे फैसले को उपस्थित किया था तो मैंने उसको देखा और देखकर मैंने सोचा कि वे ठीक कहते थे कि यह फैसला हो चुका है और उसका परिणाम यह होता है कि अगर वैसे एकाध दफा इस्तेमाल किया जाय किसी वक्त अगर कुछ बहुत ज्यादा ज्यादती हो गई हो तो बात दूसरी है लेकिन अगर यह शब्द पार्लियामेन्ट्री बना दिया जाय और बार बार लोग इसका इस्तेमाल करें तो सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा कायम नहीं रहेगी। इसलिये मैं कल के निर्णय को रिवाइज करता हूं और जो मेरा पहला निर्णय है वह कायम रहेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, एक निवेदन सुन लें। इंग्लिश पार्लियामेन्ट में सूअर, गधा, कुत्ता, सुअर का बच्चा कहना भी अनपार्लियामेन्टरी नहीं है। तो यह मामला ऐसा है कि इसमें किसी दिन आप विवाद करवा लें। एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं। यहां पर इस तरफ बैठे हुए जो लोग हैं, इस सदन को यह नहीं समझते हैं कि यह विधान सभा है बल्कि यह समझते हैं कि कौवा हड़काने वालों का झुन्ड है।

(शोर)

आपकी उदारता का यह लोग नाजायज फायदा उठाते हैं।

(शोर)

एक सदस्य---

मान्यवर, यह किसकी इजाजत से बोल रहे हैं ?

(शोर)

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)---

मान्यवर, कल जायसवाल साहब ने सदन में 'बदतमीजी' शब्द का प्रयोग किया, पहले उनसे माफी मंगवाइए।

(शोर)

श्री अध्यक्ष---

यह अब आगे कभी नहीं इस्तेमाल कर सकते। मैंने कल यह फैसला दिया और मैंने कहा कि मेरे कमरे में आ जाइए। वह बहुत नाराज हुए। मैंने कहा कि तरीका यही है कि जब फैसला हो सदन में, किसी बात का अध्यक्ष फैसला दे और उसमें परिवर्तन कराना हो तो चेम्बर में जाकर बहस करनी चाहिये। इसका पूरा अधिकार है। लेकिन सदन में आपको

[श्री अध्यक्ष]

उसका विरोध नहीं करना चाहिये। यह तकीका मैंने उनको बतलाया। मैंने उसको चैम्बर में जाकर स्टडी किया और उसका आपको निराकरण मिल गया। मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं गलती कर सकता हूं जैसे आप कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह हो सकता है कि मैंने कोई रूलिंग दी, पहले दिन हुआ वह गलत हुआ, तो उसका निराकरण यही है कि मुझको समझाने की कोशिश करें। अगर आप यह समझते हैं कि मैं बिल्कुल निर्विवाद तरह से न्याय करूंगा तो यह भी मान लेना चाहिये कि मैं अपने मत को बदल भी दूंगा अगर आप मुझको कनविंस कर दें। तो उसकी वह जगह है। सदन में तो अध्यक्ष का अधिकार बिलकुल ऐसा है कि उसका कोई विरोध नहीं करना चाहिये। इसलिये बार-बार आप जो करते हैं वह अनुचित सी बात हो जाती है। कल मुझसे गलती हो गई, ठीक है, खत्म हो गया। अब उसको बार-बार दोहराने की जरूरत नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मैं यह निवेदन करना चहता हूं.....

एक सदस्य--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, मैंने यह देखा है कि जब भी कभी कोई लोक महत्व का प्रश्न उठ जाता है, चाहे मऊ काण्ड हो, चाहे सतिया काण्ड हो, तो इस तरह से बीच में व्यवधान उपस्थित किया जाता है जिससे आपको भी तकलीफ होती होगी.....

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप अपनी बात बताइए।

(शोर)

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, अगर इसी तरह से व्यवधान होता रहा तो मैं क्या करूंगा.....

एक सदस्य--

श्रीमन, व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष--

अब बजट की बात होगी।

(व्यवधान)

श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्य बगैर आपकी इजाजत के बोलने लगते हैं, आप ऐसी व्यवस्था करें कि कोई बिना आपकी आज्ञा के न बोला करे, क्योंकि इससे सदन के कार्य में बाधा पड़ती है।

श्री अध्यक्ष--

जब तक मैं किसी माननीय सदस्य का नाम न लूं, उनको नहीं बोलना चाहिये, मैं चाहूंगा आप सभी इस पर कृपया ध्यान रखें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैं समझता हूं सभी माननीय सदस्य, देशमुख जी की इस राय से सहमत होंगे कि बिना अध्यक्ष महोदय की आज्ञा के कोई न बोला करे। हम सभी को आपकी आज्ञा का आदर करना चाहिये। मैं माननीय जायसवाल जी से भी बड़े विनम्र शब्दों में प्रार्थना करूंगा कि वे भी आपकी आज्ञा का पालन किया करें। मैं इस बात का प्रयास करूंगा कि मेरी तरफ के माननीय सदस्य भी आपकी आज्ञा का पालन किया करें। तभी इस सदन की कार्यवाही शान्ति पूर्वक चल सकेगी। (श्री जायसवाल के खड़े होने पर) (शोर) हम सभी को इस बात का प्रयास करना चाहिये कि सदन की कार्यवाही नियमों के अनुसार चले। यदि माननीय अध्यक्ष के किन्हीं आदेशों से हम सहमत नहीं हैं, तो उसके लिये सदन के बाहर आपके कक्ष में ही बात करना ठीक है। हमने देखा है कि जब कभी हम आपको इस बात के लिये कन्विन्स कर देते हैं कि आपका 'फैसला' गलत है, तो आप उसे बदल भी दिया करते हैं। तो अगर हम इस प्रकार की बातों को सदन के बाहर आपसे बात करके सुलझा लिया करें तो इससे सदन के समय की भी बचत हो सकती है। मैं समझता हूं जो हमारे नेतागण हैं, माननीय जायसवाल जी हैं, त्रिपाठी जी हैं, चौधरी साहब हैं, ऐसे लोगों को सम्मान मिलना ही चाहिये। उनका दर्जा अन्य माननीय सदस्यों से अवश्य ऊंचा है।

कार्य-क्रम में परिवर्तन के संबंध में सूचना

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

अब मैं जानना चाहूंगा कि हम सब लोगों ने जो निश्चय किया है, उसमें माननीय जायसवाल जी के भी साथी थे, विद्यार्थी जी भी थे, स्वामी जी भी थे, बीरेन्द्र वर्मा जी भी थे, वह आपको क्या मान्य नहीं है? अगर ऐसा है तो आप पुनः विचार के लिये उसे वापस भी भेज सकते हैं। लेकिन, यहां सदन में, जब एक चीज हम सबके परामर्श से तय करके यहां लायें, उस पर फिर चर्चा करना ठीक नहीं है और यह सदन की परम्परा भी नहीं है क्योंकि उसमें आपके ही विहप्स रहते हैं। माननीय जायसवाल जी से मुझे थोड़ी सी तकलीफ है। उनके तो चीफ विहप मौजूद थे। उनकी सहमति से ही यह प्रोग्राम बना। अब आप अगर परिवर्तन चाहते हैं तो हम सदन के बाहर बात कर सकते हैं। हमने तो सबके एकोमोडेशन के खयाल से ही यह तय किया था। मैं भी व्यक्तिगत रूप से इस राय का था कि इतवार को ले लें। बड़ी परेशानी होगी क्योंकि हमारे साथी भी नहीं चाहते थे। आपको एकोमोडेट करने के लिये अगर एक बार हम प्रयास करें और हाउस में एकदम से निर्णय लें तो भी ठीक नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिये मैं एक बार और बता दूं कि हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया था कि क्वेश्चन आवर के बाद यह जो विशेषाधिकार वगैरह की चर्चा है इसमें पैंतालीस मिनट से ज्यादा नहीं लिया करेंगे और सवा बारह बजे से जो हमारा मतदान हो वह प्रारम्भ हो जायगा। हमारे हिसाब से काफी समय ज्यादा हो गया। अब यह आपके ऊपर है कि हम लोगों को अधिकार दें कि हम आपस में निश्चय करके आयें। यदि आप चाहते हैं और देखते हैं कि कोई एकमत नहीं है तो यह भी आप कर सकते हैं। फिर आपकी मर्जी है। यह आपके ऊपर है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि यह सदन शान्तिपूर्वक चले। इस कमेटी में आपस में हम बातचीत भी करते रहे हैं..... (व्यवधान) अगर आप पसन्द करते हैं तो एडवाईजरी कमेटी को भंग कर दिया जाय। जैसी आपकी इच्छा हो। लेकिन जिस चीज का सब लोग निर्णय कर लें तो ठीक है। जायसवाल जी हमारे बड़े भाई हैं। पुनर्विचार के लिये यह भेजा जा सकता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

अध्यक्ष महोदय, माननीय मैनेजर्सिंह की भावनाओं की कद्र करते हुए पुनर्विचार कर लिया जाय।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

श्रीमन्, मैं एक और व्यवस्था चाहता हूं। आप २४ तारीख से देख रहे हैं हम लोगों को काम करते हुए और आप यह भी देख रहे हैं कि मैं आपकी आज्ञा का और मैं आपके इशारे की कितनी पाबन्दी करता हूं। जहां तक मेरे दल का सवाल है यह भी जितना नियन्त्रण हो सकता है अपने ऊपर रखता है और जबर्दस्ती रखता है। तो मान्यवर, ये लोग जवाब में खुद हल्ला मचाते हैं और हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। इस पर आप अपनी व्यवस्था दें। मेरे बारे में आप जानते हैं कि मैं आपके इशारे और आज्ञा पर ही उठता हूं और खड़ा होता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय मैनेजरसिंह को बुलाया है।

श्री मैनेजरसिंह—

अध्यक्ष महोदय, जो विचार माननीय शर्मा जी ने व्यक्त किये हैं मैं उनका अनुमोदन करता हूं और उसको चाहता हूं कि सारा सदन स्वीकार करे। जहां तक कार्यक्रम का सवाल है मैं चाहूंगा कि आप सब विचार करें। हम लोगों की बात सुन लें। सबसे जरूरी व्यवस्था की एक बात है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके यहां अधिक आते जाते हैं। उनके लिये कोई नियम, कायदा-कानून है नहीं। जो बोलना चाहते हैं वे बोलते रहते हैं। आप कहते हैं नहीं नहीं, फिर आप कहते हैं अच्छा..... दूसरे मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस आदरणीय सदन से निर्दलीय गुट का प्रतिनिधि कार्यमंत्रणा समिति तथा विभिन्न समितियों में होता रहा है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आप इस दल की बराबर अवहेलना करते रहे हैं और विरोध पक्ष के लोग भी अवहेलना करते रहे हैं। बड़े बड़े दलों का जो पक्ष-विपक्ष है ये चाहते हैं कि निर्दलीय लोग एक गुट बनाकर एक संगठन के मातहत में अपने कर्त्तव्यों का पालन ठीक ढंग से न करें। बल्कि ये चाहते हैं कि ये न लिये जायं। आप यदि चाहते हैं कि यह सदन ठीक तरह से चले तो आप अपने कार्य को पहले ठीक कर लें और जो निर्दलीय लोग हैं उनका प्रतिनधित्व हो और उनके विचारों का भी आप ख्याल करें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कह दिया कि विचार किया जायगा।

श्री मैनेजरसिंह—

मैंने एक नहीं अनेक पत्र आपको भेजे लेकिन उनमें से एक का भी आपने उत्तर नहीं दिया, बात तक करने की कृपा नहीं की। इसका मलतब है कि हमारे पत्रों को स्वीकार ही नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि आपको इस सदन की व्यवस्था में कुछ सुधार अवश्य करना पड़ेगा और इस सदन की कार्यवाही के बारे में कुछ निर्णय ठीक से करना होगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

प्रोग्राम के बारे में जो विचार व्यक्त किये गये हैं उसके विषय में मेरी माननीय सदस्यों और नेताओं से यह करबद्ध प्रार्थना है कि जब एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है और उसमें हमारे जो विप्स जाते हैं, उनको अच्छी तरह से ट्रीट किया जाना चाहिये। जब वहां से वे कोई निर्णय लेकर आयें तो हमें उन निर्णयों का आदर करना चाहिये। हो सकता है उनके कुछ निर्णय ऐसे हों जो हमारी इच्छा के अनुकूल न पड़ते हों तो भी हमें उनका आदर करना चाहिये या तो पहले ही हम उनको कुछ हिदायत कर दें अथवा वे जो निर्णय लेकर आयें उसका हमें आदर करना चाहिये। नहीं तो नियमों का पालन करना हम लोगों को कठिन हो जायगा। जब हमने उनको अपना ग्रुप बनाकर कुछ जिम्मेदारी सौंपी है फिर हमें उनका निर्णय भी मान्य होना चाहिये।

माननीय मैनेजर सिंह जी का मैं बड़ा आदर करता हूं। उन्होंने कहा कि दूसरे दलों वाले चाहते हैं कि निर्दलीय बिखर जायं। मैं तो ऐसा समझता हूं कि इन दल वालों की कभी ऐसी मंशा नहीं है। आप ही मिल कर कुछ सम्मिलित कार्यक्रम बना लें तो अधिक उचित होगा। वैसे आप की जो विशेष भावनायें हैं, उनका भी आदर किया जाना चाहिये। ह्विप लोग भी उसका आदर करेंगे। हो सकता है आपकी संख्या के कारण अथवा और किसी कारण से आपको उसमें सम्मिलित होने का मौका न दिया गया हो। अगर बुलाया जा सकता तो और भी अच्छा होता। मैं समझता हूं कि उनकी ऐसी इच्छा है, जिसका आदर होना चाहिये। वे यह कभी न सोचें कि उनको बिखरने का हम कोई रवैया अपनाते हैं अथवा किसी को अपनी ओर करने का प्रयत्न करते हैं। यह तो उधर कांग्रेस के लिये ही वे कह सकते हैं।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों और विशेषकर कांग्रेस के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि उधर कांग्रेस दल में मननीय मुख्य मंत्री और माननीय कमलापति त्रिपाठी जैसे बड़े बड़े विद्वान बैठते हैं, जिनके हाथ में सरकार है। वह सरकार चला रहे हैं। उनमें गंभीरता होनी चाहिये। लेकिन हम लोगों को उनमें बहुत उछृंखलता दिखायी देती है। माननीय कृष्णानन्द जी स्वास्थ्य मंत्री हैं और वह बार बार खड़े होकर बोलते हैं। हम छोटे हैं, कम संख्या में हैं, हम तो अपनी मांगों के लिये लड़ेंगे ही और आपसे भी कहेंगे कि हमें वक्त दीजिये और हम लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिये माननीय अध्यक्ष महोदय आप हैं। हम लोगों में तो उछृंखलता आ सकती है लेकिन उन लोगों को समुद्र की तरह से गंभीर होना चाहिये। हम लो। तो अपनी बात कहने के लिये खड़े हो जाते हैं लेकिन साथ ही साथ सरकारी पक्ष के लोग भी खड़े हो जाते हैं, और बोलेंगे तो कोई व्यक्ति क्या सुनेगा और क्या जवाब देगा ? इसलिये अगर आप लोगों ने गंभीरता नहीं बरती तो उसके माने हो सकते हैं कि सदन की कार्यवाही बन्द हो जाय। अगर इस तरह की उछृंखलता और बढ़ी तो नतीजा यह होगा कि यहां भी फ्रांस की असेम्बली सरीखा नक्शा खिंच जायगा। झगड़े होंगे, हाथा-पायी होगी, असेम्बली बन्द होगी, राष्ट्रपति का शासन होगा, फिर चुनाव होगा।

श्री अध्यक्ष—

कोई शान्ति का रास्ता भी बताइये ?

श्री बांके लाल—

हम लोग यहां चुन कर आये हुए हैं। अगर हम ही इस प्रकार बातें करेंगे तो इन दर्शक दीर्घाओं में जो बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं, वे क्या कहेंगे। इसलये यह उछृंखलता कम होनी चाहिये। मैं मानता हूं कि मैं कुछ उछृंखल हूं, मुझे क्रोध भी आ जाता है। लेकिन फिर भी हमें अपने कार्यक्रम को प्रेमपूर्वक चलाने का प्रयत्न करना चाहिये ताकि कोई गड़बड़ी उत्पन्न न हो जाये। इतना ही मेरा निवेदन है।

उत्तर प्रदेश पथ कर वैधीकरण विधेयक, १९६९

चिकित्सा मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश पथ कर वैधीकरण विधेयक, १९६९ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पथ-कर वैधीकरण विधेयक, १९६९ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश पथकर वैधीकरण विधेयक, १९६९ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ११८–११९ पर ।)

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९

चिकित्सा मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९ को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १२०–१३१ पर)

१९६९–७० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान— अनुदान संख्या २७—श्रम और सेवा योजन

*नियोजन मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २७-श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,८४,४९,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(इस समय १ बज कर ५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए ।)

श्रीमन्, प्रारम्भिक पृष्ठ भूमि के रूप में इतना ही साग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रस्तुत अनुदान प्रदेश के उन श्रमिक वर्गों से सम्बन्धित है जिनके अधिकारों और कर्त्तव्यों के महत्व के अनुरूप उनकी सेवाओं के संबंध में यह सदन सदैव चिन्तित रहता है । श्रीमन्, जब से नयी सरकार ने कार्य भार संभाला है इसकी यह चेष्टा रही है कि पुरानी परम्पराओं के अनुरूप इस सदन की मान्यताओं के अनुरूप जो प्रदेश के श्रमिकों के हित में, इस सदन में कानून पारित किए गये हैं, अथवा जो केन्द्र ने मजदूरों के हित में नियम बनाये हैं, उनका कड़ाई से अनुपालन किया जाय । श्रीमन्, आप जानते हैं कि इस संबंध में आज लगभग १०८ ऐक्ट हैं जो अधिनियमित हैं और वे प्रदेश के २ हजार से अधिक जो उद्योग हैं, उन उद्योगों में या जो लाखों दुकानें हैं, उन पर वाणिज्य अधिनियम लागू हैं, या जो हजारों संस्थान हैं, उनमें जो जो मशीनरी या उपकरण आदि हैं, उनके इन्सपैक्शन के लिये हमारे कर्मचारी हैं, उन सब के ऊपर भारी उत्तरदायित्व है । कभी-कभी ऐसा लगता है कि इतने बड़े प्रदेश में इतने अधिक औद्योगिक संस्थानों के रहते हुए, इतने भिन्न-भिन्न उद्योगों के रहते हुए किस प्रकार से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इन सब अधिनियमों की ठीक प्रकार से लागू किया जा सकेगा। हमारे प्रदेश में कुल १८४ लेबर इन्सपेक्टर हैं और लगभग १४ फैक्ट्री इन्सपेक्टर हैं। इन इन्सपेक्टरों के तत्वाधान में इन्स्पेक्शन का कार्य होता है और इस बात का पूरा प्रयास किया गया है कि जितने अधिनियम मजदूरों के हित में बने है उन्हें ठीक प्रकार से लागू किया जाय। पिछले वर्षों में इंस्पेक्शनों की संख्या बढ़ी है और प्रासिक्यूशंस की संख्या भी बढ़ी है। दूसरी ओर सामान्य जो उद्योगों में तालाबन्दी होती है उसकी संख्या इस वर्ष घटी है और इस बात का प्रयास हुआ है कि जितने औद्योगिक विवाद हों उनका समझौते से निबटारा कराया जा सके और जो हमारे संराधन मंडल हैं वे बहुत सतर्क हैं और हर प्रकार से चेष्टा यह करते रहते हैं कि जहां कहीं औद्योगिक विवाद हों ट्रेड यूनियन परम्पराओं के अन्तर्गत उनका समझौता हो सके। जिन मामलों में समझौता नहीं हो पाता जो एडजुडिकेशन के लिये भेजे जाते हैं उनमें इस बात का प्रयास अधिक से अधिक हो रहा है कि कम से कम उनकी संख्या रह जाय। एडजुडिकेशन में जो मामले भेजे जाने वाले हैं उनके निर्णय में देरी न हो और शीघ्रातिशीघ्र निर्णय उनके सम्बन्ध में लिया जा सके ताकि वे मामले एडजुडिकेशन में चले जायं। जो यह शिकायत आती थी कि जल्दी से एडजुडिकेशन में मामले नहीं भेजे जाते उस सम्बन्ध में यह प्रयास किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि मजदूरों के हित में अधिक से अधिक मामले एडजुडिकेशन के निर्णय के लिये भेजे जायं।

दूसरे बोनस अधिनियम के पालन की पूरी चेष्टा हो रही है। चीनी उद्योग इसका उदाहरण है। अभी हाल में आपको प्रसन्नता होगी यह जान कर ९४ लाख रुपये सर्वसम्मति से प्रदेश में जो चीनी उद्योग है उसके मजदूरों को बोनस दिये जाने का निर्णय प्रदेश में जो त्रिदलीय कमेटी बनी है उसके निर्णय के अनुसार हुआ है और चीनी मजदूरों को यह बोनस मिलने वाला है।

इस बात की भी चेष्टा रही है कि श्रम कल्याण केन्द्र और उनके लिये स्थापित चिकित्सालयों में मजदूरों को अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके। पिछले ५ महीनों में १ लाख ५६ हजार रोगियों ने इनसे चिकित्सा प्राप्त की, इन चिकित्सालयों में मजदूरों के आवास के सम्बन्ध में अनेक वर्षों से सदन की इच्छा रही है कि कमी पूरी की जाय। भारत सरकार की एक स्कीम के अन्तर्गत ९७,८९० क्वार्टर्स मजदूरों के लिये बनाये गये हैं और उनमें से अधिकांश का आवंटन भी हो चुका है और इस बीच में चौथी योजना के अन्तर्गत प्रदेश में मजदूरों के लिये १०,१०० नये गृह बनाने का विचार है जिसके लिये चौथी योजना में ६ करोड़ ३० लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार जो चीनी मिले हैं, चाय उद्योग हैं। वहां के मजदूरों के लिये क्वार्टर बन रहे हैं। उन की भी संख्या बढ़ जायगी।

बहुत से ऐसे उद्योग हैं जिनमें मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू करना आवश्यक है। कम से कम २० ऐसे उद्योगों में मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू हो चुका है और अब मेरा यह विचार है कि ऊनी कम्बल, आटा, चावल, तेल, बीड़ी आदि उद्योग तथा एग्रिकल्चरल लेबर के लिये मिनिमम वेजेज रखी गयी है उनको रिवाइज किया जाय, उसका पुनरीक्षण हो इस बात का प्रयास किया जा रहा है।

साथ ही साथ हमारा यह भी विचार है कि जो हमारे १०८ कानून हैं इनको संक्षिप्त रूप से सदन के सामने रखा जाय। एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बिल बहुत दिनों से सरकार के विचाराधीन रहा है। लेकिन इस बीच में नेशनल लेबर कमीशन की नियुक्ति हो जाने से हम यह अपेक्षा कर रहे हैं कि उसकी रिपोर्ट हमें प्राप्त हो। उसमें शायद एक नेशनल लेबर कोर्ट बनाने की संस्तुति विचाराधीन है। अगर उसकी नियुक्ति हुई तो फिर जितने श्रम कानून हैं उनका निचोड़ नेशनल लेबर कोर्ट के रूप में रखने का प्रस्ताव है। लेकिन हम उसकी संस्तुति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे आशा है कि वह संस्तुति प्रभावकारी होगी और अखिल भारतीय और प्रदेशीय दृष्टिकोणों का उसमें समन्वय होगा और जो आज बहुत सी कानूनी कठिनाइयां हो रही हैं उस सम्बन्ध में भी हमें सफलता मिलेगी और लेबर कोर्ट लेजिस्लेशन या जो भी कानून हम प्रस्तावित करेंगे उस पर यह सदन स्वीकृति देगा इसकी मुझे आशा है।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इस सम्बन्ध में एक दूसरा भी पक्ष है कि जो पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी हैं जिनके लिये परमानेन्ट कंसोलियेशन बोर्ड की स्थापना हुई है उसके भी अधिकारों का पुनर्वीक्षण कर रहे हैं जिससे कि उनके हितों की भी अधिक से अधिक रक्षा हो सके। इसके अलावा बिजली उद्योग और चीनी उद्योग, टैक्सटाइल उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योग के जो वेज बोर्ड हैं उनको लागू करने के लिये त्रिदलीय सम्मेलन आमंत्रित किया जाने वाला है। इसके अलावा श्रमजीवी पत्रकार और अश्रमजीवी पत्रकार हैं उनके लिये जो वेज बोर्ड की सिफारिशें हैं, श्रमजीवियों के लिये तो एवार्ड था और गैर श्रमजीवियों के लिये सिफारिश, उनको भी लागू किया जा रहा है। चौथी योजना में १०४ लेबर इन्सपेक्टर और भरती किये जाने का प्राविधान है। फैक्टरी इंन्सपेक्टर्स की संख्या भी बढ़ाये जाने का प्राविधान है ताकि श्रम कानूनों को ठीक से लाग किया जा सके। एक दूसरा महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व श्रम विभाग का है श्रम प्रशिक्षण योजना एवं सेवायोजन। आज प्रदेश भर में इसके लिये २४,४८४ सीटें हैं जिनमें वह ट्रेनिंग पाते हैं। इन आई० टी० आईज० का पुनर्गठन किया जा रहा है और एक कमेटी स्थापित की गयी है जो यह देखेगी कि कितने इन्सपेक्टर्स की जरूरत है, कितनी मशीनें हैं उनमें कितने इंस्पेक्टर्स की जरूरत है, कितनी मशीनों की जरूरत है, इनका अधिकाधिक सदुपयोग किस प्रकार हो सकता है, जो अब तक पाठ्य क्रम है उसमें क्या कोई संशोधन की आवश्यकता है। इसके अलावा आई० टी० आईज० को सलाह देने के लिये भी एक समिति अलग बनायी गयी है। साथ ही साथ एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज के कार्य को भी गठित किया जा रहा है। और इस बात की भी प्रस्तावना की गयी है कि जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनके लिये ये एम्प्लायमेंट एक्सचेंज क्या कर सकते हैं। इसके लिये एक कार्यकारी ग्रुप स्थापित किया जा रहा है जो इस पर अपनी राय देगा।

अन्त में मैं अधिक न कह कर जब सम्मानित सदस्यों के सुझाव आयेंगे तो फिर मैं थोड़ा सा समय लूंगा। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सदन इन अनुदानों के लिये अपनी अनुज्ञा देगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या २७—श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २७ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अध्यक्ष महोदय, माननीय श्रम मंत्री जी, जिनके बारे में मेरा यह विचार निश्चित है कि वे जिस स्थान पर सुशोधित हैं उसके लिये बड़े योग्य हैं, मैं इस बात की आशा करता था कि वे प्रस्तावना के भाषण के अन्दर अपने इस प्रदेश के मजदूरों की गिरती हुई स्थिति के बारे में और उनके सुधार के लिये वे क्या कदम उठाने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ ठोस तथ्य यहां रखेंगे। मुझे सचमुच बड़ी निराशा हुई यह सुनकर कि उन्होंने एक बिलकुल संक्षेप के अन्दर कुछ ऐसी बातें जिनको अंग्रेजी में वेग कहा जाता है और हिन्दी में गोल शब्द है—तथ्यहीन बातें रख कर सदन के सामने अपनी मांग के लिये प्रस्ताव रखा है। अध्यक्ष महोदय, यह बात किसी से छिपी नहीं है कि हमारा प्रदेश भारतवर्ष में सबसे पिछड़ा प्रदेश है। इस बात को माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में और इस आदरणीय सदन के दोनों ओर के सदस्यों ने एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार स्वीकार किया है कि यह प्रदेश सारे भारतवर्ष के अन्दर पिछड़ा हुआ प्रदेश है। यदि इस प्रदेश के अन्दर औसत प्रति व्यक्ति की आय की बात करूं तो वह बिहार को छोड़ कर सारे भारतवर्ष में हमारे प्रदेश के अन्दर कम है, इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। आंकड़े देकर मैं बतलाता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर न्यूनतम वेतन किसी भी श्रमिक का १ रुपया से लेकर २.७७ रुपये तक है। क्या इस बात की कल्पना की जा सकती है कि आज की इस मंहगाई के अन्दर जिसके आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा—किसी भी श्रमिक का न्यूनतम वेतन एक रुपया होना उचित है?

अध्यक्ष महोदय, चौधरी चरण सिंह ने अपने भाषण के अन्दर उस दिन यह कहा कि इस प्रदेश के श्रमिक शायद बहुत अच्छे श्रम के पैसे कमाते हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मेरा विचार है कि इस प्रदेश के श्रमिकों की दशा बहुत खराब है। अगर आप आंकड़ तो देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि १९५८ के अन्दर सूचकांक इस प्रदेश में ४६८ था जबकि १९६८ में वह बढ़ कर ८३७ हो गया अर्थात् ३६९ अंक का अन्तर केवल इन दस वर्षों के अन्दर हो गया यानी यों कहें कि १० वर्ष के अन्दर इस प्रदेश के मंहगाई लगभग दुगुनी हो गयी। तो क्या माननीय श्रम मंत्री जी इस बात पर भी गहराई से विचार करेंगे कि इस प्रदेश के श्रमिकों की आमदनी भी दुगुनी हो गयी है या नहीं? आमदनी के अन्दर कोई इजाफा नहीं हुआ है इस बात को वे स्वीकार करेंगे। फिर अगर हम आंकड़े देखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है या घटी है तो इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी के सामने १९६०–६१ के आंकड़े रखना चाहता हूं। १९६०–६१ में प्रति व्यक्ति आय थी २५४.८८ रुपये और १९६६–६७ में प्रति व्यक्ति आय रही २२७.६० रुपये। यह जो प्रति व्यक्ति आय घटी है और मंहगाई बढ़ रही है, इसके बारे में आपको विचार करना होगा।

एक सदस्य––

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी––

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि प्रदेश के अन्दर.....

श्री उपाध्यक्ष––

१ बजे से २ बजे के बीच कोरम का प्रश्न नहीं उठाया जाता लेकिन एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठा दिया है इसलिये आप कृपया बैठ जायं।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उपाध्यक्ष––

इसके पूर्व कि माननीय सदस्य कुछ कहें मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि यह परम्परा है कि एक और दो के बीच में कोरम का प्रश्न न उठाया जाय। इसका ध्यान माननीय सदस्य भविष्य में रखेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि अपने प्रदेश में जो भुखमरी की स्थिति है। भुखमरी की स्थिति में इसलिये कहना चाहता हूं कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है कि एक रूपय में एक श्रमिक कैसे अपने जीवन का निर्वाह करेगा। एक रुपय की जो न्यूनतम आय है उसके बारे में विचार करना पड़ेगा। यद्यपि माननीय श्रम मंत्री जी ने कहा कि खेतिहर मजदूर और बीड़ी मजदूरों के लिये वे विचार कर रहे हैं कि उनका न्यूनतम वेतन बढ़ायें। लेकिन आज जो स्थिति है उस पर हमें विचार करना है कि हमारे प्रदेश में भुखमरी की स्थिति है या नहीं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह देखना है कि हमारा प्रयास इस ओर क्या है? मुझे बड़े दुख साथ कहना पड़ता है कि हमारी ओर से श्रमिकों की दशा सुधारने के लिये कोई प्रयास भी नहीं है।

यह हमारा सौभाग्य है कि हमारा श्रम विभाग जिसके हाथ में है, वह श्रमिक नेता रहे हैं और उनको कठिनाइयों तथा दुख दर्द को अनुभव करते हैं। लेकिन उस कुर्सी पर पहुंचने पर उनकी पुरानी नीति बदल जाय, ऐसा हो सकता है। यद्यपि मैं इसको मानता नहीं हूं। लेकिन

[श्री सिद्धानन्द स्वामी]

कहना चाहूंगा कि उनका प्रयास क्या है ? आज जो बजट की मांग की गई है वह २,८४,५९,००० रुपये की है और प्रदेश के अन्दर श्रमिकों की संख्या २,८८,५०,१४१ है। अध्यक्ष महोदय, यदि आंकड़े इकट्ठे किये जायं तो एक श्रमिक के लिये एक रुपये का हिसाब पड़ता है। लेकिन इस पर भी वे श्रमकों की भलाई की बात करते हैं। अभी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भी श्रम कल्याण के लिये जो रुपया रखा गया है वह केवल १६ प्रतिशत रखा गया है जबकि श्रम कानूनों तथा श्रम प्रशासन के लिये ६८.३० प्रतिशत रखा गया है। क्यों, क्या कारण है ? कारण यह है कि हम श्रम कानूनों के लिये और श्रम प्रशासन के लिये जो रुपया खर्च करेंगे उसके अन्दर अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं तथा लेबर इंसपेक्टर हैं और तरह तरह के खर्चे हैं। श्रम कल्याण के लिये १६ प्रतिशत खर्च करना चाहते हैं। तो यह प्रकट करता है, बजट से भी प्रकट होता है और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्दर जो हमने श्रम के ऊपर विचार किया है उससे भी प्रकट होता है कि श्रम की दशा सुधारने की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। प्रदेश के अन्दर अगर असंतोष होगा, तो नक्सल बाड़ी की घटनायें पैदा होंगी। हम राष्ट्रीय विचार के हैं। देश पनपेगा तो सारी योजनायें बनेंगी, अगर देश ही नहीं बनेगा तो योजनायें नहीं बनेंगी। जितनी श्रमिक की दुर्व्यवस्था होगी, जितनी बकारी होगी, जितनी छटनी करेंगे, श्रमिक को तंग करेंगे तो श्रमिकों में असंतोष होगा और उसका लाभ वह उठायेंगे जो देश के प्रति वफादार नहीं। अभी समय रहते हुए चेतें और श्रमकी की ओर ध्यान दें।

दूसरी बेकारी की समस्या है। कहा गया है कि सेवा योजन कार्यालयों का पुनर्गठन हो रहा है। कमेटियां बन रही हैं। आज हमारे प्रदेश में कितने लोग बेकार हो रहे हैं, बेकारी बढ़ रही है। १९६१ में २ लाख ७८ हजार लोग बेकार थे। १९६७ में ३ लाख से अधिक लोग बेकार हैं। बेकारी बढ़ रही है, हमारी योजनायें बढ़ रही हैं। योजनाओं का सबसे पहला परिणाम होना चाहिये कि देश के अन्दर बेकारी समाप्त हो। यदि योजनाओं से बेकारी बढ़ी तो योजनाओं से क्या लाभ ? हमारे यहां मैन पावर अधिक है। योजनायें लेबर ओरिएंटेड होनी चाहिये, कैपिटल ओरिएंटेड नहीं होनी चाहियें। महात्मा गांधी के चेले इस सरकार के पक्ष में बैठे हैं। उस दूरदर्शी व्यक्ति ने जब पंचायतों की मिलों के अन्दर स्थापना की तो बार बार एक ही बात की मांग की कि ज्यादा से ज्यादा काम हाथ से काम करने वाले मजदूरों के हाथ में रहना चाहिये। उन्होंने यह नहीं कहा कि अधिक से अधिक उद्योगीकरण हो। उन्होंने हर रेशनलाइजेशन का जिससे मजदूरों की बेकारी बढ़ती हो उसका विरोध किया। तो क्या कारण है कि महात्मा गांधी का नाम लेकर चलने वाली सरकार आज अभिनवीकरण करती है। श्रम मंत्री ने बताया कि अकेले कानपुर के म्योर मिल में १३४४ मजदूर इसलिये छंटनी कर दिये गये कि वहां पर अभिनवीकरण हुआ। क्या मशीन मनुष्य के लिये है या मनुष्य मशीन के लिये है ? अगर मनुष्य को मशीन के पेट के अन्दर झोंक दिया, तो मशीन का पेट तो भर जायगा लेकिन मनुष्य ही समाप्त हो जायगा। इसलिय हमारी योजनाओं की सफलता इसी के अन्दर आंकी जा सकती है कि हम अधिक स अधिक कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं। श्रम मंत्री ने कहा कि बकारी की समस्या धीरे धीरे हल हो रही है। मैं उनकी बात का नम्रता से खंडन करता हूं। १९६८ के अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर में आपने १७.२ हजार मजदूरों को काम दिलाया जब कि १९६९ के जनवरी, फरवरी और मार्च में केवल १५ हजार मजदूरों को काम दिला पाये। मजदूरों को काम दिलाने की गति भी धीमी है।

एक तरफ हम मजदूरों की छंटनी करते चले जा रहे हैं। बैंकों का नैशनलाइजेशन हुआ। मैं उसकी अच्छाई बुराई के अन्दर नहीं जाता लेकिन यह कहना चाहता हूं कि बैंकों में कल आटोमेशन आयेगा। जिसका आज तक, जब तक प्राइवेट सेक्टर था लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन अब वहां के मजदूर विरोध नहीं कर पायेंगे। आज तो वह मालिक के सामने हड़ताल भी कर सकते हैं, लेकिन कल उसके सामने सरकार को बन्दूक होगी, उसकी पुलिस होगी। सरकार के हाथ में राजनैतिक शक्ति है और आर्थिक शक्ति भी है। अब ये दोनों शक्तियां सरकार के

हाथों में केन्द्रित हो गई है। अब बैंक के कर्मचारी आटोमोशन रोक नहीं पायेंगे, परिणामतः अब व्यापक स्तर पर छंटनी होगी। तो मैं कह रहा था कि बेकार बढ़ते चले जा रहे हैं। १९६७ में १८९९ लोगों की छंटनी की गई और सन १९६८ में २०३४ लोगों की छटनी की गई। स्पष्ट है कि बेकारी बढ़ रही है छंटनी बढ़ रही है। रोजगार दिलाने के जो दफ्तर हैं उनमें काम हो रहा है। यानी कम लोगों को रोजगार मिल रहा है। जो छंटनी वगरह रुकनी चाहिये वह बढ़ती चली जा रही ह और हमारे श्रम मंत्री जी कह रहे हैं कि सेवा योजन कार्यालयों म का पुनर्गठन किया जायेगा। इससे हो सकता है कि आप के द्वारा १-२ अफसरों की नियुक्ति और कर दी जाये, लेकिन इससे तो समस्या का हल नहीं होगा। हल तब होगा जब हम इसके मौलिक प्रश्नकी ओर विचार करें—बेकारी दूर करने का हमारा निश्चित लक्ष्य होना चाहिये कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में उत्तर प्रदेश के अन्दर कोई बेकार नहीं होगा और अगर कोई बेकार होगा तो मैं मांग करता हूं कि हमारे श्रम मंत्री जी यह घोषणा करें कि उसको हम बेकारी । एलाउन्स देंगे, जैसा कि इंग्लैड के अन्दर दिया जाता है। क्योंकि यह सरकार की जिम्मेदारी है। जिस व्यक्ति को भगवान ने २ हाथ और एक मुंह दिया है उसको काम करने का अधिकार संविधान के अन्दर मिलना चाहिये। यदि संविधान ने इस अधिकार को अभी नहीं माना है तो मैं उत्तर प्रदेश असेम्बली में यह मांग करता हूं कि, जैसे आप वृद्धावस्था की पेंशन देते हैं, भले ही वह २० रुपया देते हों,उसी प्रकार उनको भी दिया जाये। जो व्यक्ति बेकार हैं वह अपनी वजह से बेकार नहीं है वह आपकी वजह से बेकार हैं आप उसे काम नहीं दे पाये। इसलिये सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना में बेकारी को पूरी तरह से दूर करे और जो लोग बेकार रह जायं उनको जीवन निर्वाह योग्य पैसा दिया जाये। मैं समझता हूं कि उधर से इसकी कुछ स्वीकारोक्ति हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं तीसरी बात आप से कहना चाहता हूं। श्रम कल्याण की बातों को जोर शोर से कहा गया, इसके आंकड़े बड़ी अच्छी तरह से लिखे जाते हैं। मंत्री जी ने बहुत बहादुरी की बात यह कही कि कई हजार लोगों का सरकारी अस्पतालों में इलाज हुआ है, तो किसी प्रदेश के अन्दर मरीजों की संख्या बढ़ी इसमें आपको प्रगति दिखाई देती है या मरीजों की संख्या घटे इसमें आपको प्रगति दिखाई देती है। अस्पतालों की और मेटरिनिटी होम्स की संख्या बढ़ती तो हम समझते है कि कुछ प्रगति हुई है। मरीजों की संख्या बढ़ाने से यह स्पष्ट होता है कि जो उनके वर्किंग आवर्स और वर्किंग कंडीशन्स हैं उन सब के अन्दर कहीं न कहीं जरूर गलती है तभी इतने लोग बीमार होते हैं। इस पहलू से आप इस पर विचार करें।

वृद्धावस्था की पेंशन की आंकड़ों के अन्दर आपने लिखा कि ११ वर्ष में इस पूरे प्रदेश में जहां ८ करोड़ लोग रहते हैं, २७,६१३ लोगों को वृद्धावस्था की पेंशन दी गई। यह जो आंकड़े हैं ११ वर्ष के हैं, यदि इसको ११ से भाग दिया जाए तो एक वर्ष में जो संख्या मिलती है वह सन्तोषजनक नहीं है। क्या ६०-७० वर्ष से ऊपर के इतने ही लोग हैं। यह जो पेंशन दी जाती है, इसमें मनमानी होती है, जिनके कागजात तहसील से फारवर्ड कर दिये जाते हैं उनको मिलता है और कागजात फ़ारवर्ड करने के लिये वही घिसीपिटी प्रथा है। वही लोग उसको तसदीक करते हैं और कागजात भेज देते हैं। ऐसे वृद्ध भी मिलेंगे जिनको चारपाई से गुसलखाने तक ले जाने वाला व्यक्ति नहीं है, उनके पास कोई उपचार का साधन नहीं है वह पड़े हुये हैं लेकिन जिनकी सिफ़ारिशें हैं वह २७ हजार लोग २० या २५ रुपया पाये हैं। इसमें एक बात और यह है कि उनकी संख्या में भी कमी होती जा रही है। सन् १९६८ के आखिरी तीन महीनों में ३६२ लोगों को पेंशनें दी गयी थीं और सन् ६९ के शुरू के तीन महीने जनवरी, फ़रवरी और मार्च में २९० लोगों को आपने पेंशनें दीं। तो आंकड़े आपके घट रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन के आंकड़े पहले से हो कम थे और अब यह संख्या भी घट रही है इसका क्या कारण है, इस पर श्रममंत्री जी अवश्य विचार करें।

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

दुर्घटनाओं के बारे में मैं यह कहता हूं कि एक साल के अन्दर अपने प्रदेश में इतनी दुर्घटनायें हों यह क्या सिद्ध करता है ? मेरे पास आंकड़े हैं। सन् १९६७ में १०,८८६ दुर्घटनायें हुईं और सन् ६८ में ११,९४१ दुर्घटनायें। यह एक बात की ओर संकेत करती है कि हमारे जो फैक्टरी इंस्पेक्टर्स हैं, लेबर इंस्पेक्टर्स हैं ये किस बात के लिये रखे गये हैं। मैं समझता हूं कि लेबर इंस्पेक्टर्स आपके लेबर सेविंग इंस्पेक्टर्स हैं जो कि श्रमिकों की सेवाओं को कम करते रहते हैं। आपने बताया कि उनकी संख्या बढ़नी चाहिये। वे १४४ हैं। १४४ नहीं अगर उनकी संख्या ४,४४४ भी कर दी जाय तो भी मैं समझता हूं कि उनकी कार्यवाहियों में विशेष अन्तर पड़नेवाला नहीं है। एक या दो व्यक्ति आप इस प्रदेश में जरूर लाकर रख सकते हैं जो बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि आपके लेबर इंस्पेक्टर दूकानों पर जायेंगे, वहां पर चाय पियेंगे और चले आयेंगे और इससे अधिक उनका कोई काम नहीं है। वे देखेंगे नहीं कि उस दूकान पर सारे रजिस्टर्स हैं या नहीं, काम करने के लिए उनके यहां कितने घंटे हैं यह वह नहीं जानते, मजदूरों के साथ उनका क्या व्यवहार होता है वह नहीं जानते, कहीं पर झगड़ा पैदा हो जाय तो लेबर इंस्पेक्टर श्रमिकों से पहले बात नहीं करेगा पहले वह मालिक के कमरे में जायेगा, उनसे बात करेगा और बातें करके चला आयेगा और फिर, उसके पास श्रमिकों से बात करने की फुरसत नहीं, आवश्यकता भी नहीं समझता। ये लेबर आफ़िसर्स मिल मालिकों के लिये तो वेलफ़ेयर का काम करते हैं और श्रमिकों के लिये फ़ेयरवेल का। लेबर से वे अपना कोई सम्पर्क नहीं रखते लेकिन आफ़िसर्स के पास और मिलमालिकों के पास जाकर उनकी चाटुकारिता करते हैं। उनसे श्रमिकों का लाभ नहीं हो रहा है। यह जो लेबर आफिसर्स की मशीनरी है वह केवल धोखा है, इस पर माननीय मंत्री जी अवश्य विचार करेंगे। आपके लेबर इंस्पेक्टर्स के जो कार्य-कलाप हैं उनसे श्रमिक तो नाराज हैं ही, मिलमालिक प्रसन्न होंगे तो होंगे मैं नहीं कह सकता।

मैं जानता हूं कि प्राविडेंट फंड स्कीम अभी सब जगह नहीं आयी है, ई० एस० आई० स्कीम भी पूरी नहीं हो पा रही है, मैटरनिटी होम्स की बहुत कमी है, मनोरंजन की बात तो छोड़ दीजिये लेकिन इसके साथ ही साथ मैं राज्य कर्मचारी बीमा योजना के बारे में कहूंगा। इस प्रदेश के अन्दर केवल २,९३,०१५ व्यक्ति ही इस योजना के अन्दर सम्मिलित हुये हैं। २ करोड़ से अधिक यहां पर श्रमिक ह। इससे बिलकुल स्पष्ट है कि इस योजना की भी प्रगति कितनी धीमी है। श्रम मंत्री जी इस पर अवश्य विचार करेंगे इसका मुझे विश्वास है।

एक बात और कहूंगा। हमारे ट्रेड यूनियन वर्कर्स के सामने बड़ी भारी कठिनाइयां हैं। जितने ट्रेड यूनियन वर्कर्स हैं चाहे उस पक्ष के हों और चाहे इस पक्ष के हों उस पक्ष के लोगों की बात मैं छोड़ भी दूं तो भी इस पक्ष में वर्क र्स बैठे हैं उनकी कठिनाइयां आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने कहा कि १३६४ ट्रेड यूनियन्स पंजीकृत हैं। उनकी सदस्य संख्या ४,१७,२०९ है। उनमें से केवल ७४४ पदाधिकारी प्रोटेक्टेड हैं। वह संरक्षण भी क्या है। नाम मात्र का है। मैं यह जानता हूं कि आप एक ट्रेड यूनियन बनावें। आप उसके कागजात भेजिये। कागजात मोदीनगर से चलकर कानपुर या मेरठ तक पहुंचे। जिन सात व्यक्तियों ने दस्तखत किये उन सात व्यक्तियों का विक्टीमाइजेशन शुरू हो जाता है। वह यूनियन के लिए लिखकर भेजते हैं तो उन ७ व्यक्तियों को नौकरी से निकाल देते हैं और उनकी छटनी कर देते हैं। मोदीनगर में ऐसा हुआ है इसलिये मैं वहां के बारे में जानता हूं। उनसे कहा गया कि आप नई यूनियन क्यों बनाते हैं। जो पुरानी यूनियन बना रखी है उसी को चलने दें। सरकार जो प्रोटेक्शन देती है वह रजिस्ट्रेशन के बाद देती है लेकिन मेरा निवेदन यह है कि उनको प्रोटेक्शन रजिस्ट्रेशन के पहले दिया जाय। यदि रजिस्ट्रेशन पहले हो जाय तो जिन ७ व्यक्तियों का फार्म पर दस्तखत करने से विक्टीमाइजेशन हुआ उनका उस तरह से विक्टीमाइजेशन न हो। मैं समझता हूं यह अहम सवाल है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, श्रम कल्याण की बात कही गई लेकिन स्टैंडिंग आर्डर कितन उद्योगों में बने ? कितने प्रस्ताव गये इसके आंकड़े रखूं तो १९६५ उद्योगों में स्टैंडिंग आर्डर बनना चाहिये था लेकिन वह १५०८ के अन्दर ही स्वीकृत हुआ है। मेरा निवेदन है कि स्टैंडिंग आर्डर ऐसी चीज है कि हम वहां पर श्रमिकों को प्रोटेक्शन देते हैं, इतनी वर्किंग कंडीशन उनकी कार्य की शर्तें, इतना काम यह सब तय होता है पर सरकार स्वीकार करने में देर लगाती है। सरकार ने आई०टी०आई० के स्कूल खोले और इतने को दाखिला दिया वह अच्छा कदम है। केवल आई०टी० आई० विद्यालय खोल दिये जायं उससे श्रमिकों का काम हो गया और उनका लाभ हो गया इससे पूरा लाभ उनको नहीं होता। वह श्रमिक दस्तकारी सीख जायं और काम सीख जाय तो उनको काम मिलना चाहिये।

एक बात रजिस्ट्रेशन की समस्या के बारे में कहना चाहता हूं। रजिस्ट्रेशन कोई सोसाइटी ले सकती है और एक हफ्ते के अन्दर रजिस्ट्रेशन के कागजात देखकर हमको सर्टिफिकेट मिल जाता है लेकिन यहां पर आप रजिस्ट्रेशन के कागजात दे दीजिये उसके अन्दर ५० गलतियां निकाल दी जाती हैं। इतनी जांच होती है कि यूनियन के रजिस्ट्रेशन में महीनों लग जाते हैं। रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो मान्यता का प्रश्न तो बहुत दूर रहा। इसलिये यह जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसको आप इतना सरल कर दें कि कागजात लिखकर वहां दिये जायं और ७-८ रोज के अन्दर उसकी जांच हो जाय। आपका इन्स्पैक्टर जाय वह जांच करे और हफ्ते के अन्दर रजिस्ट्रेशन के कागजात तैयार हों और रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकट मिल जाय।

इसी तरह से मान्यता के प्रश्न हैं। अनेक यूनियन बनी हुई हैं और १० साल पहले की हैं। उनके सदस्य भी बहुत हैं। कितने चले गये और अब कितनी संख्या है उसकी कोई जांच नहीं होती। मान्यता के लिए बड़ी लोगों को कठिनाई होती है। तो श्रीमन्, इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि मान्यता के सवाल के ऊपर हर साल इस बात का निरीक्षण किया जाय कि किस यूनियन की कितनी सही संख्या है। और कितने सदस्य किस यूनियन के अन्दर हैं। जहां पर यूनियन की सदस्य संख्या ज्यादा है उनको मान्यता दी जाय और जिनकी कम हो उनको देखा जाय और उनकी मान्यता को वापस लिया जाय।

इसके अतिरिक्त विवादों के बारे में बहुत सी बातें हैं। विवादों के बारे में जो प्रक्रिया है वह बड़ी चिन्ताजनक है। पहले तो विवाद ले कर जाना ही कठिन है। आज विवाद कंसीलिएशन में ले गये, २-४-१० तारीखें पड़ीं तो श्रमिक थक गया। कितने विवादों को आपने रेफर किया। अगर सौ में से एक फैसला श्रमिक के हक में हो भी गया तो मालिक हाई कोर्ट चला जाता है और १० साल तक हाई कोर्ट में केस पड़ा रहता है। तो विवादों के मसले को सरल किया जाय। उसकी एक विधि है। आप अलग से न्यायालय स्थापित कर सकते हैं, सीधे लेबर कोर्ट के अन्दर जा सकते हैं। कंसीलिएशन की प्रोसीडिंग्स आप करिये या न करिये। अगर तय नहीं कुछ कर सकते हैं तो हमारी यूनियनों को अधिकार हो कि वे लेबर कोर्ट में मामला ले जा सकें। कोई अवधि निश्चित कर दी जाय जिसके अन्दर मेरा विवाद तय हो जाय। पीपुल्स रेप्रेजेंटेशन ऐक्ट में व्यवस्था है कि कोई भी इलेक्शन पेटीशन ६ महीने के अन्दर तय कर दिया जायगा, तो यह व्यवस्था हम इस ऐक्ट के अन्दर कर सकते हैं कि कोई भी विवाद हाई कोर्ट के अन्दर लेबर ट्रायब्यूनल से या लेबर कोर्ट से जायगा तो दो या तीन महीने में निर्णय हो जाय। ऐसा अमेंडमेंट किया जा सकता है जैसा कि पीपुल्स रेप्रजेंटेशन ऐक्ट में है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि श्रमिक तो रुक नहीं सकता। घर से रोटी खाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, मालिक उसको विवाद में उलझाये रहेगा तो इस प्रकार से "जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड"। जब श्रमिकों का कोई मामला होता है तो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में चक्कर कटाते रहते है महीने और सालों लग जाते हैं। उसके बीबी बच्चे भूखों मरते हैं। या तो आप कह दीजिए कि हम विवादों को निपटाते ही नहीं, आप लड़ लीजिए, स्ट्राइक कर लीजिए। यह मशीनरी केवल मात्र धोखा है। इसके अन्दर जबतक सुधार नहीं होगा आप श्रमिकों

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

का कुछ भी भला नहीं कर सकते। ५,१६० मामले उठाये गये, उनमें से केवल २,६०१ मामले ऐसे थे जिनमें कि फैसला नहीं हुआ और केवल ९३४ मामले रेफर किये गये। परसेंटेज जरा गिनिये कि फैसला कितनों का हुआ है। ३४ का तो पंच निर्णय हुआ है और ४९ में फैसला हुआ है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत कम मामलों में फैसला हो पाता है। पेंडिंग केसेज की संख्या सन् ६ में २०१ थी, सन् ६७ में जो केस बाकी रह गये उनकी संख्या ४५३ थी और सन् ६८ में ६०३ हो गयी। तो जो केसेज बाकी रह जाते है, प्रतिवर्ष उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और सरकार ध्यान नहीं देती।

निर्णयों को कार्यान्वयन करने की बात बड़ी महत्वपूर्ण है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ८३० निर्णय जो इस वर्ष में हुए उनमें से २५८ पर कोई कार्यान्वयन नहीं हुआ, इसका क्या कारण है? एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि विभिन्न न्यायालयों से श्रमिकों को १,८२,९९६.८४ रुपये के हका का अवार्ड था, परन्तु उनको मिला अबतक २३,८३८.९ रुपिया बकाया कितना है, १,५९,१३० रुपया। तो मिला केवल २३ हजार और बकाया है डेढ़ लाख! इन परिस्थितियों में मजदूर क्या करेगा? सिर फोड़ेगा, नक्सलाइट हो जायगा, विरोध करेगा, तोड़-फोड़ करेगा तो आप कहेंगे कि विद्रोही है। विद्रोही तो आप बनाते हैं। आप अगर डेमोक्रेटिक वे के अन्दर उनकी इनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पाते तो यह विद्रोह कर देंगे और इसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं, आपकी होगी। अभी श्रम मंत्रीजी ने कहा कि विभिन्न वेज बोर्डों को लागू करा दिया गया। मैं समझता हूं कि सदन के अन्दर जो सूचना दी गयी उसके अन्दर मेरा थोड़ा सा मतभेद है। मेरे पास आपके ही आंकड़े हैं जिनके आधार पर मैं कहता हूं कि श्रमजीवी पत्रकारों के लिए जो सिफारिशें थीं उन्हें ३८ में से केवल ११ ने लागू किया और इसी तरह गैर श्रमजीवी पत्रकारों के लिए ३८ संस्थाओं में से १२ में लागू किया। इसी तरह से चायबगान में १५ में से केवल दो ने लागू किया। भारी रसायन में केवल १६ में से ८ लागू किया, ८ में बकाया है। इसी तरह से चमड़े के अन्दर १३५ में से केवल ३८ ने लागू किया ९७ ने लागू नहीं किया है इंजीनियरिंग में २०५ में केवल ११५ ने लागू किया तथा सड़क यातायात में ११७ में से केवल १३ ने लागू किया। यह आंकड़े क्या बोलते हैं? ये आंकड़े झुठलाये नहीं जा सकते। ये आंकड़े स्पष्ट करते है कि इनको लागू करने के लिए मालिकों के ऊपर, संस्थाओं के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला गया और कड़ाई से इनका पालन नहीं किया गया। आप कहते हैं कि त्रिदलीय सम्मेलन बुला रहे हैं और टैक्सटाइल, बिजली और इंजीनियरिंग में लागू करेंगे। मैं कहता हूं कि जहां आप कहते हैं लागू हो गया है वहां यह हाल है और जहां आपके अनुसार लागू नहीं हुए हैं तो वहां का खगवान ही मालिक है।

औद्योगिक शांति की बात कही गयी। श्रम मंत्री ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक शांति है। मैं आकड़ों के साथ कहना चाहता हूं कि कितने मैन डेज लास्ट हुए। १९६८ के आखिरी महीनों में ६२.६ हजार दिन नष्ट हुए। इस साल के शुरु के तीन महीनों में १२४.४ हजार काम के दिन नष्ट हुए। यानी यह आंकड़े कहते हैं कि दुगनी तालाबंदी और हड़ताल हुई हैं। इसे शांति कहा जायगा या अशांति कहा जायगा। अगर शांति कहें तो मैं अगर इसे मर्घट की शांति कह दूं तो आश्चर्य नहीं होगा। अभी मैं शाहू केमिकल्स की बात कहूंगा। पन्द्रह मई से वहां तालाबन्दी है लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। वहां वे वेज बोर्ड लागू नहीं करते और अपनी हठधर्मी पर बैठे हैं। सरकार के पास ताकत है लेकिन स्तेमाल नहीं कर पाती पन्द्रह सौ मजदूरों के परिवार आज भूखे हैं।

अध्यक्ष महोदय एक दो बात और कहना चाहता हूं। कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनके ऊपर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट लागू नहीं होता, वे ट्रेड यूनियन की परिभाषा में नहीं आते, उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता। हमारे राज्य के कर्मचारी हैं। उनकी क्या अवस्था है। उनकी शिकायतें हैं, वे आये दिन अपनी बात कहते हैं लेकिन उन्हें कहां प्रोटेक्शन है। उनमें से हजारों अस्थायी हैं, जिन्हें आर्टीकिल ३११ के अन्दर भी प्रोटेक्शन नहीं है। उन्हें कभी भी 'योर सर्विसेज आर नो लांगर रिक्वायर्ड' का नोटिस दिया जा सकता है। कॉलिंग हो गयी

डिगरा साहब के केस में जो अस्थायी कर्मचारी हैं उन्हें कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल ३११ के अन्दर प्रोटेक्शन नहीं है। उनकी छटनी का सवाल है। उनके बहुत से लोग निलंबित हैं। उनकी मांग है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दो। हजारों कर्मचारी परेशान हैं। तो यह देखें कि किस तरह से उन्हें भी इस परिधि में लावें कि उनको इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूटस ऐक्ट का लाभ हो।

आप उनके लिये व्यवस्था करें। जो कामर्शियल संस्थायें हैं जिनसे आप रुपया कमाते हैं जैसे रोडवेज है उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट में लाना चाहिये। आप उनसे रुपया कमाते हैं। उनके जो कर्मचारी हैं उन पर आपने कुठाराघात कर दिया। सन् ६० की सेवा शर्तों के विरुद्ध अभी लड़ाई है। हमारा कर्तव्य है कि उनको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटस ऐक्ट में लायें ताकि कर्मचारियों पर कुठाराघात न हो। हमारे हजारों अध्यापक अपनी मांगों के लिये लड़ते हैं परन्तु कानून का उनको कोई संरक्षण नहीं है। जो गैर शिक्षक कर्मचारी हैं उनका पहले रजिस्ट्रेशन होता था लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन बन्द कर दिया गया। उनको कहा गया कि वह विद्यालय के कर्मचारी हैं और तुम ट्रेड यूनियन की परिभाषा में नहीं आ सकते। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में अनेक समस्यायें हैं। उनकी तरफ आपको विचार करना होगा। मैंने आपके सामने कुछ आंकड़े रखे हैं और हमारी यह निश्चित मत है कि प्रदेश में श्रमिकों की स्थिति गिरती जा रही है। चाहे वे दूकानों के कर्मचारी हों, राज्य कर्मचारी हों या रोडवेज के कर्मचारी हों या विद्यालय के कर्मचारी हों, अध्यापक हों, खेतिहर मजदूर हों या म्यूनिसिपल कर्मचारी हों, वह कहते हैं कि हमारी मांग पूरी करो तथा वेतन मण्डल दो, हमें स्थायी करो—एक साल से अधिक समय से काम करने वालों को स्थायी करो। लेकिन आपने एक अध्यादेश जारी कर दिया कि अगर तुम हड़ताल करोगे तो बन्द कर दिये जाओगे। आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं लेकिन अगर आप घर के अन्दर बच्चे से कहोगे कि तुम बोलो मत अगर बोलोगे तो चपत मार देंगे तो आप कह सकते हैं लेकिन अगर आप घर के बच्चे का बोलना बन्द कर देंगे तो क्या वह विद्रोही नहीं हो जायेगा? आपने अध्यादेश जारी करके म्यूनिसिपल कर्मचारियों पर अत्याचार किया है।

श्रीमन, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती का प्रस्ताव रखने का समय दिया। मैं आपके माध्यम से श्रम मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह श्रमिकों की गिरती हुई अवस्था का ध्यान करें और प्रदेश के श्रमिकों की अवस्था को सुधारें। इस प्रकार मैं सरकार की नीतियों का विरोध करते हुये प्रस्ताव रखता हूं कि इस धनराशि को घटा कर एक रुपया कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

सभी कटौती के प्रस्ताव पेश किये गये माने गये।

श्री गनेश दत्त बाजपेयी (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय श्रम मंत्री जी की जो मांग है मैं इस सदन में उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं लेकिन साथ ही साथ एक आशा और प्रार्थना के साथ। वह प्रार्थना यह है कि सर्वप्रथम श्रम जगत में अब उल्लासदायक हवा बहना जरूरी है (Winds of welcome change must blow)। यह तो मैं श्रमिक वर्ग को समझा सकता हूं कि हमारा जो ढाई करोड़ का बजट बना है वह शबरी के बेर और सुदामा के तन्दुल हैं। इसमें तुम्हारे लिये पैसा कुछ नहीं है। तुमको प्रगति करनी है, प्रदेशीय औद्योगिक समस्यायें तुम्हारा फेल्यूर नहीं हैं। तुम्हारी शिकायतें सही हैं लेकिन तुमको सन्तोष करना चाहिये। तुम अपनी पर कैपिटा इनकम बीस वर्षों में भी दुगनी नहीं कर सकते हो तब भी जिन परिस्थितियों में असेम्बली काम करती है उनमें हम बहुत संकुचित सेवा कर सकते हैं। मान लीजिये अगर हम यह समझा भी दें तो उससे कोई लाभ होता हुआ मेरी समझ में नहीं आता। हम श्रमिक वर्ग को तब समझा सकते हैं जब कि जितने ऐप्लाइज श्रम विभाग में हैं वे मिशनरी स्पिरिट में काम करें मसीनरी स्पिरिट में नहीं। अगर उनको मजदूरों से प्रेम नहीं है, उनकी समस्याओं की तरफ उनके दिल में तड़पन नहीं है,

[श्री गनेशदत्त बाजपेयी]

अगर कोई ऐसा डाक्टर है जो रोगी को ठीक करने के लिये कलपता नहीं है और अगर किसी शिक्षा शास्त्री को पढ़ाने से प्रेम नहीं है, तो यह आज बड़ी भारी मानवीय समस्या है। इसका कैसे सुधार किया जाय?

इस वक्त हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी प्राब्लम जो है वह रिसोर्सेज की भी उतनी नहीं है जितनी कि सोशलाइजेशन आफ ब्यूरोक्रेसी की है। अधिकारियों को समाजवादी, देशभक्त कैसे बनाया जाय? सन् १९४८ से १९५५ तक बराबर हर साल आपने, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जेल भेजा है। मैं आपका बड़ा आभारी हूं। लेकिन जब मालिक लोग अन्याय करते हैं, हठधर्मी के साथ कानूनों को तोड़ते हैं तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं? उसमें आपको क्या खर्च करना है? मिसाल के तौर पर १९६७ का लक्ष्मीरतन मिल का एग्रीमेंट है लेकिन उसके अनुसार जो मजदूरों का देय है वह लक्ष्मी रतन काटन मिल नहीं दे रही है। तो उनको भी गिरफ्तार कीजिए। वह खद्दर पहनते हैं, आप उनको क्यों नहीं गिरफ्तार करते हैं? छोटे-छोटे पिट्ठी मालिकान को आप प्रोजेक्यूशन कराते हैं और बड़-बड़े से आप डरते हैं। जब तक आप कानून को सख्ती से नहीं बरतेंगे और ऊपर से चापलूसी करते जायेंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। हमारे तांतिया साहब अनअथराइज्ड रेशनलाइजेशन करते हैं। मिस्टर कपूर, आई० ए० एस० रैंक के हैं। हमारे लेबर कमिश्नर भी उनका ध्यान रखते हैं। वह भी दफा १५ औद्योगिक विवादों के कानून में फैक्ट्री ऐक्ट के प्राविजन्स के सेफ्टी मेजर्स का उल्लंघन करते हैं। अनअथराइज्ड रेशनलाइजेशन करते हैं। इन सब को गिरफ्तार कीजिये। आखिर यह कानून किसके लिये है? मैं जानता हूं अपने श्रम मंत्री जी के कोमल कन्धों पर कुछ बोझ लादना चाहता हूं लेकिन बगैर इसके हुए मजदूरों को समझाना कठिन है। मुझे कहना बहुत कुछ है। श्रम कानूनों के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि औद्योगिक कानूनों का जन्म ही इसलिए हुआ है कि उत्पादन बढ़े और झगड़ों का निबटारा जल्दी हो। मथुरा एलेक्ट्रिक सप्लाई का केस १८ वर्ष से सुप्रीम कोर्ट तक गया था और वह लौटकर आया और फिर एक मुंसिफी से इंजेक्शन हो गया। अगर आप मुझे एक घंटे का टाइम दें तो एक घंटा और दो घंटे का टाइम दें तो दो घंटे में ऐसे केसेज बताता रह सकता हूं। इस सदन का समय बड़ा कीमती है। एक मिनट के समय पर २० रु० खर्चा होता है। तो मैं अधिक समय नहीं लूंगा। केवल इतना कहता हूं कि लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल कोर्ट्स की संख्या आप डबुल कर दीजिए और एक इंडस्ट्रियल ट्रिबुनल कानपुर में रखिए। मैंने ईस्ट जर्मनी में इंडस्ट्रियल कोर्ट को देखा है। श्रीमन्, वहां ६ मुकदमों के फैसले मेरे सामने किये गये और उनका जर्मन से अंग्रेजी में भाषान्तर करके सुनाया गया। छोटे-छोटे फैसले जैसे जज खफीफा के यहां होते हैं। तो यहां भी छोटे-छोटे मामलों को आर० सी० ओज को दे देना चाहिए। मार्च, १९४८ के जो० ओ० की तरह व्यवस्था कीजिए अब यह होता है कि वर्षों कान्सीलियेशन के बाद एक जुमला फैसला जाता है कि आपका मामला तथ्यहीन समझा गया। किस बात पर तथ्यहीन समझा गया, यह तो बतायें। तो इसको जरूर आप लागू कीजिये ....।

एक सदस्य—

सदन में कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

कोरम है। आप जारी रखें।

श्री गनेशदत्त बाजपेयी—

एक और सुझाव है। कानपुर में लेबर के ट्रेड यनियन्स से, जैसा मेरा आदरणीय मित्र ने कहा था, जितने मुकदमें दायर किये जाते हैं उसमें कभी ३० प्रतिशत, कभी ४० प्रतिशत, पिछले साल ६० प्रतिशत एंज ये मैटर आफ पालिसी रैफर किये थे, यह नहीं कि मामले रेफर करने के लायक हो बल्कि एंज ए मैटर आफ पालसी। तो इससे और जस्टिस से क्या संबंध है?

मेरा निवेदन केवल यह है कि मजदूरों के जो बहुत थोड़े से मामले रेफर होते हैं उन्हें भी अनुपयुक्त लोग लड़ते हैं तो बहुत मजदूर हारते हैं, २० प्रतिशत जीतते हैं। इसलिये आप एक लेबर लाइयर मजदूरों का मुकदमा करने के लिये आवश्यक रखें जैसा कि मध्य प्रदेश में है। हर बात में हर स्टेट से लड़ाई होना बहुत खराब बात है। आप यहां पर अपना एक लीगल ऐडवाइजर रखते हैं। उनके पास साल भर में ५ मिनट का काम भी नहीं है, उन्हीं से कहिये कि वह लेबर को रिप्रेजेन्ट करें। इसके लिये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट में थोड़ा-सा परिवर्तन आपको करना पड़ेगा।

आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के अन्दर वर्क्स कमेटी बना सकते हैं और सन् ४६ में बनी भी फिर उसके बाद २३ वर्षों में न जाने जमाना कितना आगे बढ़ गया। बाई पारटाइट कमेटी बनाकर, एक कोई प्रौडक्शन काउन्सिल बनाकर, ज्वाइंट कंसलटेटिव कमेटी बनाकर मजदूरों को मालिकों के साथ बिठा कर उद्योग धंधे के बारे में, कुछ मजदूरों की मुसीबतों के बारे में बात हो, समझौता हो। वह दरवाजा २३ वर्ष से क्यों बन्द कर रखा है? क्या इसी को प्रगति और मजदूर जगत से हमदर्दी कहते हैं? यह बड़ी असंतोष जनक स्थिति है।

एक निवेदन यह है कि मजदूर की जो परिभाषा है उसमें ५०० रु० के बजाय ऊपर की हद एक हजार कर दी जाय। राज्य सभा में अर्जुन अरोड़ा साहब ने यह प्रस्ताव रखा भी था। तब से काफी मंहगाई बढ़ गई है। जो हाइली स्किल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव, सुपरवाइजरी फंक्शनरीज हैं वह ट्रेड यूनियन नहीं बना पाये हैं। राजेन्द्र बाबू ने १९३७ में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हम लोग अगर उद्योग धंधों की रक्षा करना चाहते हैं तो हाइली टैकनिकल परसंश को जैसे शुगर इंडस्ट्री में कैमिस्ट को, टैक्सटाइल इंडस्ट्री में वीविंग मास्टर और स्पिनिंग मास्टर को सिर्फ २-३ मालिक की कैटेगरी वालों को छोड़ कर बाकी सबको सर्विस कंडीशंस की रक्षा करें। आपके स्टैंडिंग आर्डर्स ऐक्ट में, वर्कमैन्स कम्पन्सेशन ऐक्ट में और अन्य ऐक्टों में उनकी सुरक्षा नहीं हो रही है। आप उनको अलग सिर्फ इसलिये रखे हैं कि यह लोग मारवाड़ी मिल मालिकों के अन्डर में रहें, मजदूरों से संपर्क न होने पावे। इसलिये ५०० रु० से ऊपर वालों को कोई आप सिक्योरिटी आफ सर्विस नहीं देते। इस तरह से मजदूर आन्दोलन को आप संगठित नहीं बना सकते। शरीर और दिमाग को जब तक मिलायेंगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा। इस बात को सारे यूरोप में १२ मुल्कों में घूमकर मैंने देखा है।

हमारे यहां सर और पैर को साथ साथ चलने देना नहीं चाहते। जिन-जिन कारखानों के अन्दर स्टैन्डिग आर्डर ऐक्ट के अन्तर्गत इन लोगों के लिये स्टैंडिग आर्डर नहीं बने हैं, मैं चाहता हूं कि आप उनसे पूछिये कि यह क्यों होता रहा है, उसकी अविज्ञा क्यों होती रही है?

इसके अलावा जो एम्पलायर्स असोसियेशन आफ नार्थर्न इंडिया के स्टैंडिग आर्डर हैं उसमें भी परिवर्तन की जरूरत है जैसा कि आपने शुगर उद्योग में किया है। कानपुर में कितनों को बिना भत्ता सस्पेंशन का दंड दिया गया है। हजारों मजदूरों को बेकार कर दिया गया है। आप फिर से उन रूल्स को रिवाइज कीजिये और सर्विस की सिक्योरिटी दीजिये। जो वर्तमान स्थिति है उसको देखकर मेरा दिल धड़कने लगता है।

अध्यक्ष महोदय, नान इम्पलीमेंटेशन आफ अवार्डस के लिये, जैसा कि मैंने शुरु में कहा, आप सजा दीजिये, मगर छोटे आदमियों को मत दीजिये बड़े आदमियों को दीजिये ताकि उसका कुछ असर हो।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें, सदन में कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी, और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गनेशदत्त बाजपेयी—

मैं उपाध्यक्ष महोदय, कुछ वेज बोर्डों के बारे में भी कहना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इतना ही काफी नहीं है कि आप ट्रिपार्टाइट कांफ्रेंस बुला लें। मैं पूछता हूं कि सरकार ने अपना भी दिमाग बनाया है या नहीं। मसलन, कपड़ा मिलों के लिये वेजबोर्ड ने जो वन परसेंट बुनियादी तनख्वाह में तरक्की रखी है उससे मजदूर खुश नहीं होगा। दस बारह रुपये को मंहगाई भत्ते को बढ़ती हम लेकर रहेंगे। इसको आप समझ लीजिये। इसके अलावा जो ४–५ सेक्टस आफ रिकमन्डेशन्स इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के वेजबोर्ड की है उसमें जो उनकी यहां यूनिट्स हैं, उनकी क्षमता को भी आप देख लीजिये, कुछ थोड़ा-सा मुलायम प्रस्ताव भी आप कर सकते हैं, लेकिन कपड़ा मिलों के डी०ए० में हम कोई मुलायमियत करने वाले नहीं है। जूट इंडस्ट्रीज में बंगाल में १२७ रुपये निम्नतम वेतन मिलते हैं। कानपुर में जूट वर्कर को कुछ ज्यादा मिलता है।। हम कुछ ज्यादा पाते हैं तो हमारा वर्कलोड भी उनसे ज्यादा है और उस लेविल पर वर्कलोड करने पर हमारी तनख्वाह कम है। नेता विरोधी दल ने कह दिया था कि यहां आर्गेनाइज्ड लेबर भारतवर्ष में सबसे अधिक पाता है। इस पर मेरी नातिन है वह एक कपलैट गा रही थी कि :—

"I am the Master of BKD College,
And what I don't know is not knowledge."

मैंने मना किया कि यह नहीं कहते। अगर कहीं सुना दूंगा तो व्यवस्था का प्रश्न उठ जायगा और उसमें ही चालीस-पैंतालीस मिनट नष्ट हो जायेंगे। यहां की कोई भी आर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज ऐसी नहीं है, जिसमें भारतवर्ष में ज्यादा वेतन मिलता है, आर्गनाइज्ड लेबर के बारे में तो मैं यह कह सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे सब सुझाव छोटी छोटी बातें हैं। ये छोटी छोटी तमाम बातें करके यह विभाग अपनी कुछ इज्जत और अपने लिये कुछ प्यार श्रमिकों में बढ़ा सकता है आप एक मिनिमम वेज जितनी रजिस्टर्ड फैक्टरियां हैं उनमें क्यों नहीं कर देते। कानपुर के स्पेंसर मिल में काम करने वाली औरतें जब दस घंटे काम करती हैं और चालीस रुपया पाती हैं तब मेरा हृदय मग्न हो जाता है। इस मंहगाई में उनके परिश्रमों को देख कर। यह ऐसी बात है जो आप तुरन्त कर सकते हैं।

अब मैं ट्रेड यूनियन्स के आर्गनाइजेशन के बारे में कहना चाहता हूं, जो श्रम विभाग चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी सूबे का हो अगर सबसे पहले रिकागनाइज्ड ट्रेड यूनियन बनाने में उसको रिकगनिशन दिलाने में अपना सबसे बड़ा दायित्व नहीं समझता उसको मैं श्रम विभाग ही मानने को तैयार नहीं हूं। जो बाम्बे का ऐक्ट, सन् १९३६ का कर सकता है, जो मध्य प्रदेश कर सकता है हम क्यों नहीं कर सकते? कम्पलसरी रिकगनीशन के लिये और रिप्रेजेन्टेटिव यूनियंस एक सिंगल लोकल एरिया में और एक सिंगल इंडस्ट्री में बनाने के लिये जो बंगाल विधान सभा कर सकती है तो हम उसी तरह की कोई चीज क्यों नहीं करते हैं? ट्रेड यूनियन ऐक्ट में एक चैप्टर है जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेज से ताल्लुक रखता है जो कि केन्द्रीय पार्लियामेंट से पास हो गया है उसका न जाने कितने वर्षों से नोटिफिकेशन नहीं हुआ है।उसके जरिये से यहां ऐक्शन रुका हुआ है। आप कृपा करके उनको लिखें या नोटिफाई करके स्वयं जोड़ दें। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसमें आपका रुपये का खर्च नहीं है वह तो आप कृपा करके करें। जैसे हांडी का एक चावल होता है उसके निकालने से पता चल जाता है कि चावल पकाया नहीं पका। वैसे ही आपकी मनोवृत्ति का पता चलता है। जब आपको बी० आई० सी० के बोर्ड आव् डायरेक्टर्स में, इंडियन एक्सप्लोसिव्स के बोर्ड आव् डायरेक्टर्स में या आपको कानपुर यूनिवर्सिटी तक में कोई व्यक्ति मनोनीत करना होता है। तो कोई मध्यम वर्ग का व्यक्ति या श्रमिक नेता आपको निगाह में नहीं चढ़ता। कोई अफसर, कोई टूटा-फूटा करोड़पति तो आप हमेशा भरने को तैयार हैं जो दो जुमले किसी भी भाषा में बोलने में समर्थ नहीं हैं। इससे आपकी मनोवृत्ति झलकती है। मुझे क्लेश होता है क्योंकि वह इनडिफेंडेबुल प्रीपोजीशन है। कहीं तो आप कहते हैं कि श्रमिकों का मैनेजमेंट में पार्टीसिपेशन होना चाहिये। ज्यादा हिस्सा दिलाने का दिलासा देते हैं ताकि कभी वे बिजनेस खुद कर सकें। आप कर्नल बनना चाहते हैं पर हाथ में बन्दूक

देते नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय चार अंग होते हैं इंडस्ट्रियल प्लाट के। फाइनांशियल स्ट्रक्चर मार्केटिंग स्ट्रक्चर, प्रोडक्शन स्ट्रक्चर और मैनेजेरियल स्ट्रक्चर। इन चारों के बारे में श्रमिकों में थोड़ा थोड़ा ज्ञान, बैलेन्स शीट को पढ़ना, कुछभी समझना यह तो तब होगा जब आप ज्वाइंट प्रोडक्शन कौंसिल्स बनायेंगे। तब हमारा वर्कर कहेगा कि ये चीजें मालिक देंगे तो हम इतना प्रोडक्शन देंगे। तो जो टार्गेटेड प्रोडक्शन होता है, मैंने सब जगह देखा हुआ है चाईना को छोड़कर। उसमें यह होता है कि आप उनकी सलाह तो लेते हैं। यहां तो प्रोडक्शन की शिकायत है लेकिन कोई ध्यान उनकी ओर नहीं दिया जाता। कानपुर में हजारों वर्कर हैं जो कहता है कि मेरा कच्चा माल खराब है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। समझ में नहीं आता कि आपका यह श्रम विभाग क्या करता है। फिर कभी आपको शिकायत होती है कि टर्न ओवर कम है। मान लीजिये मैं वायलन का अच्छा बजाने वाला हूं लेकिन अगर उसका तार ही टूटा है तो किस तरह से वह बजेगा। २०वीं सदी के किसी भी ज्ञान से आप लाभ उठाने का क्यों प्रयत्न नहीं करते हैं। यहां श्रमिकों के प्रति प्रेम तो दिखायी ही नहीं पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कई तरह के श्रमिक हो गये हैं। एक कानपुर को ही ले लीजिये। एक सैन्ट्रल गवर्नमेंट की अन्डरटेकिंग्स हैं, जैसे हिन्दुस्तान एरोनाइटिक्स के। वहां के लोगों को समझ में ही नहीं आता कि वे लोग कहां जायं। यू० पी० इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के अन्डर में तो वे आते ही नहीं। म्योर मिल के श्रमिकों का भी अब यही हाल हो रहा है। उनको पता ही नहीं चलता कि कहां जाय। उनका भी आप कोई इन्तजाम नहीं करते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एम्पलाईज हैं, अथवा सेक्रेटेरियल एम्पलाईज हैं, उनकी ग्रीवान्सेज को दूर करने के लिये क्या आपके यहां कोई प्रोसीजर है। आपने एक परमानेन्ट कांसीलियेशन बोर्ड बना रखा है जिसका दफ्तर ए० पी० सेन रोड पर है। वहां कोई मुकदमा जाता ही नहीं है, क्योंकि वहां कोई सुनने वाला ही नहीं है। अतएव उनकी मूर्छा को दूर करने के लिये आपको कुछ न कुछ जरूर ही करना होगा। जब आप मजदूरों के लिय कुछ करेंगे तभी आप उनका प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। लोकल बाडीज के एम्पलाईज के लिये आपको कोई फ़ोरम बनाना होगा, गवर्नमेंट एम्पलाइज के लिये आपको कुछ बनाना होगा। इस तरह की कोई चीज नहीं होनी चाहिये जिस तरह का आपका यह परमानेन्ट कांसीलियेशन बोर्ड है।

लेबर आफिसेज में जो अधिकारीगण हैं उनमें अधिकांश अच्छे हैं, इसकी मुझे खुशी है। वे लोग ठीक काम कर सकते हैं। सिर्फ उनमें जो एक कैंसरस स्पाट है वह है फैक्टरी इंस्पेक्टर। मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोग उसको किस प्रकार से बरदाश्त कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि उनके फैक्टरी विजिट करने के क्या रेट हैं, लेकिन मैं उस ढंग की कोई बात कर नहीं सकता माननीय मंत्री जी के लिये यह फैक्टरी इंस्पेक्टर एक चैलेन्ज है। बाकी लोगों से आप ठीक काम ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, कुछ हमारे यहां इस प्रकार के लोग भी हैं, जैसे मुनीम लोग हैं, बिकवाल हैं। उनको हम उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी यूनियन कह सकते हैं। लेकिन उनके लिये हम आज तक कुछ नहीं कर पाये हैं। असल में, उसका कारण यह है कि ये लोग ठीक तरह से संगठित नहीं हो पाये हैं। जिन जिन क्षेत्रों में श्रम विभाग यह समझता है कि वहां का श्रम संगठित नहीं हो पाया है वहां खुद सेक्शन ३, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के अन्डर में उनके लिये अच्छी सर्विस कंडीशन्स का निर्माण करें और स्टेन्डर्ड राईज करें ताकि उनकी रक्षा आपके विभाग के द्वारा हो सके।

आपके ट्रेड यूनियन ऐक्ट म इंस्पेक्टरों की सेवाओं के लिये कोई विधान ही नहीं है। लेकिन आप इंस्पेक्टरों को बढ़ाने जा रहे हैं। पहले कानून तो देख लीजिये। पहले आप उसको इस तरह से रिवाइज कीजिये कि उसमें इंस्पेक्टरों के फंक्शन्स आ जायं और वे यूनियन के फंड्स के बारे में जांच कर सकें, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कानून को रिवाइज करके कर दिया गया है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शायद बहुत दूर चला गया। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं।

श्री शिवदास (जिला मिर्जापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार की श्रम नीति श्रम हित विरोधी है। इसका ज्वलन्त उदाहरण वाराणसी की साहू केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की गैर कानूनी तालाबन्दी है। आज लगभग ७१ रोज हो रहे हैं कि वहां के मालिकों ने गैर कानूनी तालाबन्दी कर दी है। वहां पर १४ हजार श्रमिकों को भूखों मरने की नौबत आ गयी है फिर भी यह सरकार कोई प्रभावकारी कदम उनके लिये नहीं उठा रही है। वहां पर १ अप्रैल, १९६८ से वेज बोर्ड की सिफारिश को लागू कर देना चाहिये था लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक प्रदेश की किसी भी केमिकल्स की बड़ी फैक्टरी में वेज बोर्ड की सिफारिश को लागू नहीं किया गया है चाहे वह गोरखपुर की केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर की फैक्टरी हो चाहे वह कनौडिया केमिकल रेसाकूट मिर्जापुर की फैक्टरी हो और चाहे वह साहूपुरी की कैमिकल्स इंडस्ट्रीज हो। संविद सरकार के जमाने में अन्तरिम सहायता की रिपोर्ट आयी थी। उसने उसे तत्काल लागू कराया था और साहूपुरी में अन्तरिम सहायता के साथ साथ अतिरिक्त ६ १/२ रुपया महीना और भी देने का वायदा किया गया था और उसका ऐडजस्टमेन्ट अन्तरिम सहायता के अनुसार करने का निर्णय किया गया था। त्रिपक्षीय सम्मेलन को हुये भी ३ माह हो चुके हैं परन्तु मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक कोई भी उसका निर्णय लागू नहीं किया गया है। जहां तक मैं समझता हूं यह साहूपुरी केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर फैक्टरी में मजदूरों का मामला बिलकुल सीधा सादा है पर राजनीतिक कारणों के कारण आज भी उलझाया जा रहा है और मैं साफतौर से कहना चाहता हूं कि इसके लिये माननीय उप मुख्य मंत्री काफी हद तक जिम्मेदार हैं। इन्हीं के कारण आज तक वहां का मामला नहीं सुलझ सका है। वेज बोर्ड चुर्क सीमेंट फैक्टरीज पर भी आज तक लागू नहीं किया गया है। चुर्क सीमेंट फैक्टरी की बड़ी ही दयनीय दशा है। उस फैक्टरी के सीमेंट मजदूरों पर आज तक भी वेजबोर्ड की सिफारिश को लागू नहीं किया गया है। आज जिस प्रकार का वातावरण वहां पर है अगर वहां पर हड़ताल हुयी तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इसकी सारी जिम्मेदारी, अगर किसी की होगी, तो इस सरकार की होगी। कितनी शोचनीय बात है कि सरकार की फैक्टरीज में भी वेज बोर्ड के निर्णय को लागू नहीं किया गया।

सूती मिलों के अन्तर्गत सम्पूर्णानन्द एवार्ड को आज तक लागू नहीं किया गया। वेतन और कार्य के स्टैंडर्डाइजेशन के लिये जो श्री मिठ्ठन लाल जी की कमेटी बनायी गयी थी, उसके लिये भी मौजूदा सरकार कार्य नहीं कर पा रही है। श्री मिठ्ठन लाल ने अवकाश ग्रहण कर लिया है। उनके स्थान पर किसी जज की नियुक्ति नहीं की गयी है। कानपुर के सूती मिलों की स्थिति तो विस्फोटकजनक है। वहां कई सूती मिलें आज भी बन्द हैं। विक्टोरिया मिल एक महत्वपूर्ण मिल है। इसके अतिरिक्त और भी बहुतसी मिलें वहां बन्द हैं। कानपुर में किस समय आग लग जाय, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। बिरला के कारखाने में जो प्रतिनिधि यूनियनें हैं उनको आज भी दबाने की कोशिश की जा रही है। बिरला आम तौर से अपने कारखानों में गुंडों को पालता है और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि बिरला को इस मामले में सरकार मदद देती है और गुंडई को प्रोत्साहन देती है।

१९६६ में इस विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य और मजदूरों के नेता श्री मदन पांडेय पर घातक प्रहार किया गया और उनके शरीर पर १९ घाव छुरे के लगे थे। स्थानीय वकीलों में आम चर्चा है कि उनका केस वापस लेने की बात यह सरकार सोच रही है। अगर उनका यह केस वापस लिया गया तो हम कभी भी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।

कंसिलियेशन की मशीन इस समय बेकार साबित हो रही है। संविद सरकार के जमाने में होटल के बैरा की मजदूरी ३५ रु० से ७५ रु० कर दी गयी थी लेकिन उसे आज तक कार्यान्वित नहीं किया गया। फैक्टरी ऐक्ट से बचने के लिये जगह जगह कारखानों में ठेकेदारी प्रथा को इस्तेमाल किया जाता है और खासतौर से भदोही के अन्दर कालीन के कारखानों में ठेकेदारी प्रथा को इस्तेमाल किया जाता है। वहां बहुत से मालिक जब यह देखते हैं कि फैक्टरी ऐक्ट लागू हो रहा है तो वे अपनी फर्म का नाम तक बदल दिया करते हैं।

ट्रेड यूनियनों के अन्तर्गत जो अधिकार मिले हुये हैं उन पर भी आज कुठाराघात हो रहा है गोरखपुर में फर्टिलाइजर फैक्टरी इसका सबसे बड़ा ज्वलन्त उदाहरण है। कम्पाउन्ड के अन्दर मजदूरों को सभा नहीं करने दी जाती और किसी भी मजदूर नेता को कम्पाउन्ड के अन्दर नहीं आने दिया जाता है। इससे गड़बड़ी हो रही है और अगर इधर ध्यान नहीं दिया गया तो अशान्ति वहां बहुत जल्दी फैल जायगी।

रोडवेज मजदूरों को स्थायी नहीं किया जा रहा है। और उनको बोनस भी नहीं दिया जा रहा है। चीनी मिलों का राष्ट्रीय करण होना चाहिये। चीनी मिलों के बहुत से मजदूरों की तनख्वाह बाकी है जो अभी तक नहीं दी जा सकी है। गन्ने के दाम बाकी हैं। मिलें बन्द होने की संभावना है। इसका एक मात्र इलाज चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण ही हो सकता है। आई० टी० आई० के स्कूलों की स्थिति के बारे में माननीय मंत्री जी तथा इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एच० एम० टी०, बंगलौर से पौने दो करोड़ रुपये की मशीन खरीदने का निर्णय किया गया। यह निर्णय लेबर सेक्रेटरी तथा लेबर डाइरेक्टर के द्वारा किया गया। मशीनें आई तो लेकिन इमारत, पावर तथा बिजली न होने के कारण इस्तेमाल नहीं की जा सकी और ५०-६० लाख रुपये की मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं। ३० लाख रुपये की लखनऊ में, १० लाख रुपये की मेरठ तथा १० लाख रुपये की कानपुर में ये मशीनें बेकार पड़ी हुयी हैं जिनकी सारी जिम्मेदारी लेबर सेक्रेटरी तथा लेबर डाइरेक्टर की ही है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक उनके खिलाफ़ कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी।

१४ प्राविधिक शिक्षण केन्द्र हैं। अगर इन मशीनों का उपयोग इन प्रशिक्षण केन्द्रों में किया जाय तो इन मशीनों का उपयोग हो जायगा। आई० टी० आई० के कुल ४९ स्कूल हैं जिनमें २४,७८४ सीटें हैं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि लगभग ८ हजार सीटें आज भी खाली हैं। ऐसी स्थिति में, भी मंत्री महोदय अपने क्षेत्र काशीपुर जिला नैनीताल में एक नया आई० टी० आई० का स्कूल खोलने की बात सोच रहे ह। मेरी समझ में नहीं आता कि यह बजट उत्तर प्रदेश का है या मंत्री जी के घर या उनके क्षेत्र का बजट है कि वह जो चाहे मनमाने ढंग से करें।

बरेली में ८ वर्ष से सीजनल प्लांट नहीं चल रहा है मगर हर साल ४-५ हजार रुपये के कोयले का खर्चा दिखाया जाता है। श्रम विभाग इस ओर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। माननीय मंत्री जी और दूसरे लोग निरन्तर सिफ़ारिशों के अनुसार काम किया करते हैं और उसी में अपना सारा समय नष्ट किया करते हैं। मंत्री जी स्वयं तीन माह में १५० सिफ़ारिशें किये हैं। इसीलिये वह इस ओर ध्यान नहीं दे पाते कि उनके अधिकारी क्या कर रहे हैं।

अन्त में मैं आपका ध्यान प्रदेश के खेतिहर मजदूरों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस प्रदेश में उनकी स्थिति बड़ी ही शोचनीय है। उनके लिये किसी भी मजदूरी का निर्णय नहीं किया गया है, न यही निर्णय है कि वे कितने घंटे काम करें। जो मिनिमम वेज मिलना चाहिये मैं समझता हूं वह भी उनको नहीं मिलता। खेतीहर मजदूर को इस प्रदेश में कुत्ते और बिल्ली की मौत मारने की बात की जाती है और इसका सबसे ज्वलन्त उदाहरण सतिया है। उसकी जैसी मौत हुयी उससे इस प्रदेश में जो खेतिहर मजदूरों की दयनीय स्थिति है वह अच्छी तरह से आंकी जा सकती है। इसलिये खेतिहर मजदूरों की ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष महोदय, इसके पूर्व कि मैं अनुदान के समर्थन में कुछ कहूं मैं अपने प्रदेश के मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री जी को इस बात का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बार नयी परम्परा स्थापित की है। हमारे प्रदेश में काफ़ी समय से यह परम्परा चली आ रही थी कि जो उद्योग मंत्री होता था वही श्रम मंत्री भी होता था चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो चाहे संविद सरकार रही हो।

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

इसका एक परिणाम यह होता था कि उद्योग मंत्री मजदूरों की बातों पर कभी ध्यान नहीं देते थे और जो श्रम मंत्री के नाम पर काम करते थे उसमें वह मजदूरों के हित में कोई बात ही नहीं सोच सकते थे लेकिन इस बार जो नयी परम्परा कायम की गयी है उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं और इसलिये भी बधाई देता हूं कि यह विभाग एक ऐसे नवयुवक साथी के जिम्मे डाला गया है जिसे मजदूरों का आन्दोलन चलाने का, उनका नेतृत्व करने का और दूसरे वर्ग के कर्मचारियों का आन्दोलन चलाने का और उनके बीच में काम करने का बहुत अनुभव है। मैं अपने मित्र से कहना चाहता हूं कि मजदूरों के अनुदान के सिलसिले में रुपये का प्रश्न नहीं उठता। प्रश्न यह उठता है कि हम इन रुपयों से कौनसी श्रम नीति प्रतिपादित कर रहे हैं। किसी भी प्रदेश की श्रम नीति चार बातों पर कसौटी पर कसी जा सकती है। पहली तो यह कि मजदूर वर्ग में कितनी एफ़ीशिएंसी है।

मान्यवर, इसके लिये यह भी आवश्यक है कि जिन कारखानों में हमारे मजदूर भाई काम करते हैं उनका सही ढंग से मिकनाइजेशन नहीं किया गया है। नये नये यंत्र लगाये जायें और उसके साथ साथ अच्छे कच्चे माल का भी इस्तेमाल हो। मैं दुख के साथ यह कहना चाहता हूं कि मजदूर चाहे जितनी अपनी एफ़िसियेंसी दिखलावें लकिन मालिक वर्ग उसी पुरानी मशीनरी और रद्दी-सद्दी कच्चे माल से इस प्रदेश में उत्पादन का काम करते हैं जिसके कारण जो एफ़िशिएंसी दिखलानी चाहिये वह एफ़ीशिएंसी वे नहीं दिखला पाते। इसी तरह से कोई भी श्रम नीति तभी सफ़ल मानी जाती है जब कि उसके सहारे हमारे प्रदेश में उत्पादन बढ़े। लेकिन उत्पादन तभी बढ़ सकता है जब कि मजदूर मेहनत के साथ काम करे और मिल मालिक कारखाने वाले भी वहां पर अच्छी मशीनें लगावें, अच्छे कच्चे माल दें और मजदूरों के साथ उनका व्यवहार अच्छा हो। इस संबंध में मैं यही कहूंगा कि हमारे प्रदेश के जितने कारखानेदार और मिल मालिक हैं वे इस बात की निरन्तर अवहेलना करते रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य कृपया बैठ जायं, कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री भगवतीसिंह विशारद—

तीसरी बात मैं निवेदन कर रहा था कि किसी भी सफ़ल श्रम नीति के लिये आवश्यक है और जहां जहां वह नीति अपनायी गयी वहां श्रमिक शान्ति भी है। हमारे प्रदेश में वसी अशान्ति तो नहीं है जैसी बंगाल में, दुर्गापुर और दूसरी जगहों में है, लेकिन हमारे यहां दूसरी तरह की अशान्ति है। वह अशान्ति यह है कि मालिकों की तरफ़ से कारखानों में बराबर लाक आउट रहता है। मजदूर दो दो तीन तीन साल से बेकार पड़े हैं और अगर इसको औद्योगिक शान्ति कहा जाय तो मैं कहूंगा कि फ़िर हमारे यहां कि जो श्रम नीति है वह सफ़ल नहीं है। अगर हमारी सफल श्रम नीति हो तो यहां के मजदूर सामूहिक समझौत से निदान करके अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। इस संबंध में मुझे एक बात दुख के साथ कहना पड़ता है कि मजदूरों में यह गुण न पैदा हो और मजदूरों में एकता न होने पावे इसलिये कई पार्टियां निरन्तर कोशिश करती रहती हैं और नयी नयी यूनियनें बराबर बनाती रहती हैं जिससे मजदूर आन्दोलन ठीक ढंग से संगठित न हो सके। मजदूर संगठन को तोड़ने के लिये वे नयी यूनियनें बनाते हैं और उसके सहारे हमारे मजदूरों के आन्दोलन को कुंठित करने की चेष्ठा करते हैं। इस प्रकार से मजदूर संगठित नहीं रह पाते कि वे सामूहिक रूप से अपनी समस्याओं का निदान ढूंढ़ नहीं सके। तो ये तीन, चार तथ्य हैं जो श्रम नीति को सफल बनाने लिये आवश्यक हैं लेकिन अगर इनको श्रमनीति की कसौटी पर कसें तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे प्रदेश में अब तक जो श्रम नीति चलती रही है वह सफल श्रम नीति नहीं रही है।

हमारे यहां दो प्रकार के इम्पलायर हैं । एक वे जो प्राइवेट रूप में कपनी इंडस्ट्री या कारखाने को मालिक के रूप में चलाते हैं और दूसरे इम्प्लायर हमारे प्रदेश में खुद सरकार करती है बहुत से ऐसे कारखाने हैं जिनका संचालन सरकार खुद करती है ।

मान्यवर, आवश्यकता इस बात की थी कि इस प्रदेश में जितने श्रम कानून बने हुये हैं और लागू हैं उनको सरकारी कारखानों में अच्छी तरह से लागू हो जाना चाहिये था जिससे प्रदेश के लोग समझ सकते कि सरकार ने जो कानून बनाये हैं उनको वह अपने कारखानों में लागू कर रही है वहां के मजदूर खुश होते, वहां के मजदूर खुशहाल होते तो उनका अनुसरण प्राइवेट कारखाने वाले भी करते । लेकिन सरकारी कारखानों में बराबर उनकी उपेक्षा होती रहती है और सरकार की ओर से किसी तरह की कार्यवाही नहीं होती है ।

अभी दो दिन पहले म्योर मिल के प्रश्न पर बहस हो रही थी । मंत्री जी की ओर से उत्तर दिया गया था कि एक अदालत कहती है कि यहां पर इंडस्ट्रियल डिसप्यूटस ऐक्ट लागू नहीं होता है और दूसरी अदालत कहती है कि लागू होता है और आपका अथौराइज्ड कंट्रोलर कहता है कि इंडस्ट्रियल डिस प्यूटस ऐक्ट लागू नहीं होता है । अगर उनके कहने से श्रम नीति चलाई जायेगी तो मजदूरों की हितों की रक्षा नहीं की जा सकेगी और उनका भविष्य अंधकार में रहेगा श्रम मंत्री जी को खुद जानकारी करनी चाहिये कि ऐसे कौन से स्थान हैं जहां पर यह कानून नहीं है ।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान बाजार कर्मचारियों की ओर ले जाना चाहता हूं । उनकी हालत बहुत खराब है और इतनी उनकी दयनीय दशा है कि जो कुछ कहा जाय वह थोड़ा है । १९३८–३९ में हम लोगों ने मिलकर कानपुर के बाजार कर्मचारियों और मिल मालिकों के बीच में एक समझौता कराया था । आज हमारे यहां कामर्शियल इस्टेबिलिशमेंट ऐक्ट लागू है लेकिन वह समझौता आपके इस क मर्शियल इस्टेबिलिशमेंट ऐक्ट से लाख गुना अच्छा है जो १९३८–३९ में हुआ था । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह अपने इस ऐक्ट को वापस ले लें और इस समझौते को कानून की शक्ल दे दें तो कर्मचारियों का हित होगा । आज कर्मचारियों का नौकरियों का कोई स्थायित्व नहीं है । मालिक जब चाहें तब उनको अलग कर सकते हैं । यह लोग २/३ पीढ़ियों से एक ही जगह पर काम करते चले जा रहे हैं । लेकिन जैसी वे वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं मालिक उनको अलग कर देते हैं । मैं आपके द्वारा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कर्मचारियों के लिये बुढ़ापे क पेंशन की व्यवस्था करें, उनके लिये प्राविडेन्ट फ़ंड की व्यवस्था करें और एक जांच कमेटी बिठायें जो सुझाव दे कि कर्मचारियों की दशा कैसे सुधर सकती है ।

इसी तरह से हमारे प्रदेश में ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी हैं । उनकी भी हालत बहुत ही खराब है । उनमें हजारों ऐसे कर्मचारी हैं जो काफ़ी समय से काम कर रहे हैं । लेकिन उनको स्थायित्व प्रदान नहीं किया गया है । मैं श्रम मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसा एक आदेश निकालें कि इन कर्मचारियों को स्थायित्व प्रदान किया जाय । इनके यहां रनिंग स्टाफ़ रहता है । उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है और उनको नाइट हाल्ट करना पड़ता है । लेकिन उनके लिये आराम करने की कोई व्यवस्था नहीं है । वहां पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे वे लोग आराम से रात्रि बिता सकें ।

हमारे प्रदेश में बोनस का मामला काफ़ी समय से अधर में लटका हुआ है । हमारे यहां ऐसे कानून बने हुये हैं जिससे कड़ाई से उनका पालन नहीं हो रहा है । मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इनका कड़ाई से पालन होना चाहिये । अन्तिम बात कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा । मैं कहना चाहता हूं कि इस आदरणीय सदन में पांच श्रम मंत्री घोषणा कर चुके हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटस ऐक्ट में परिवर्तन करेंगे । मुझे भी गौरव प्राप्त है कि कुछ समय को छोड़कर मैं भी इस सदन में रहा हूं । लेकिन इस ऐक्ट में अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ है ।

[श्री भगवती सिंह विशारद]

अभी यहां पर नये श्रम मंत्री जी ने भी घोषणा की है कि दिल्ली में कानून बन रहा है, जब वह बन जायेगा उसके बाद वह सोचेंगे कि इस ऐक्ट में किस तरह से परिवर्तन होने चाहिये। इसी सोच विचार में पांच वर्ष फिर न पूरे हो जायं और इंडस्ट्रियल ट्रेड डिस्प्यूट्स ऐक्ट में कोई परिवर्तन न होने पाये। माननीय श्रम मंत्री इस बात का समय समय पर विश्लेषण करते रहा करें कि कौन से श्रम संबंधी कानूनों में अनुपयुक्तता आ गयी है और उनमें सुधार करते रहें। तब प्रदेश का निर्माण हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं लेकिन फिर निवेदन करता हूं कि माननीय श्रम मंत्री ऐसी नीति अपनायें जिससे प्रदेश का भला हो सके और हम कह सकें कि उत्तर प्रदेश की श्रम नीति सफल नीति है।

श्री मंगल उपाध्याय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, श्रम मंत्री ने जो श्रम और सेवा योजन विभाग के लिये बजट पेश किया है वह दो करोड़ ८४ लाख ४९ हजार का है। इसके दो भाग होते हैं एक श्रम और दूसरा सेवा योजन। इस विभाग से हम लोगों को एक पुस्तिका मिली है--वार्षिक समीक्षा, १९६९। उसमें एक आंकड़ा है जो १९६१ की रिपोर्ट के आधार पर है। उस समय मजदूरों की संख्या २ करोड़ ८८ लाख थी। इस बीच में, आठ वर्ष के जमाने में, मजदूरों की तादाद अधिक से अधिक बढ़ी होगी। उसके हिसाब से जो आपके सामने बजट है जिस पर मेरा कटौती का प्रस्ताव है, बड़ा निर्जीव बजट है। इसमें न कोई नई दिशा दी गयी है और न कोई मजदूरों की तरक्की की बात है। बजट में एक बात अवश्य है कि १ ६७–१९६८ के बजट में मंहगाई पर १४ लाख रुपया था वह बढ़ कर इस वर्ष ४५ लाख रुपया हो गया है। दूसरे आकस्मिक व्यय में २० लाख रुपये की वृद्धि हुई है। श्रमिकों के हित में इसमें कोई बात नहीं है। मैं फिर दोहराता हूं कि यह बिलकुल निर्जीव बजट है। जब श्री नारायणदत्त जी मंत्री हुये और उन्होंने श्रम विभाग संभाला तो मजदूरों में आशा बंधी कि समाजवादी विचार के मंत्री के हाथ में विभाग गया है। लेकिन बजट देखने के बाद आशा की जगह उनको निराशा हुई होगी। मैं समझता हूं कि वह एक ऐसी टीम के सदस्य हैं जिस टीम का कैप्टेन हमेशा मिल मालिकों की बहबूदी की बात सोचता है, मजदूरों की बात कभी सोच नहीं सकता। यह मजबूरी उनके साथ है जिसके कारण वह अपने विचार के मुताबिक बजट प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। जब मजदूरों के हित की बात आती है तो सामने आई० एन० टी० यू० सी० को भी रखना पड़ता है। इसलिये रखना पड़ता है, हमारे बहुत से पुराने साथी हैं उनको याद होगा, जब हम आजादी की लड़ाई लड़ते थे तो अंग्रेजों ने एक अमन सभा बनाई थी। अमन सभा वालों का काम यह था कि जगह-जगह मीटिंग करके यह कहा करते थे कि मुल्क आजाद कभी नहीं होगा। अंग्रेजों ने तो यूनिवर्सिटी खोल दिया है, रेल चलवा दिया है।

मान्यवर, मैं आपको बताऊं मजदूर आन्दोलनों को डिमारालाइज करने का काम आई० एन० टी० यू० सी० द्वारा हुआ है। एक आदमी सब कुछ ठीक काम नहीं कर सकता है। सरकार को चलाना, कारखानों को चलाना और मजदूर आन्दोलन को चलाना, जो माननीय गुप्ता जी करते हैं। उधर आई० एन० टी० यू० सी० भी बनाये हुये हैं। उस संगठन को अपने पास से पैसा भी देते हैं। इससे उनका यह मकसद कभी नहीं होता कि मजदूरों का फायदा हो सके। मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जिन मजदूरों के बल पर मुल्क की तरक्की होनी है, जिसके द्वारा मुल्क में समाजवाद आना है उनकी यह हालत है, चीनी मिलों के अन्दर आप जाकर देखें तो आज चीनी मिलों के मजदूर नोन-तेल-लकड़ी की समस्या में पड़े हुये हैं। उनकी समस्या आई० एन० टी० यू० सी० वाले नहीं तय होने दे रहे हैं। जब उनका मन-आता है थोड़ा सा झगड़ा खड़ाकर देते हैं और फिर बाद में समझौता करा देते हैं। मजदूरों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अदालत में जाकर फैसला करायें। इसके लिये पंचों की व्यवस्था होनी चाहिये जिनकी व्यवस्था इस बजट में नहीं है। वित्त मंत्री ने और विभागों के बारे में थोड़ा जिक्र भी किया है। मगर श्रम सेवा योजन के बारे में फूटी आंखों से देखा तक

नहीं दूसरी तरफ में आपका ध्यान सेवा योजन की तरफ दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, १९६६-६७ के साल में ३ करोड़ रुपये की मशीनें लखनऊ में आई० टी० आई० को भेजने के लिये आर्डर दिया गया। एक कांट्रेक्टर ने सारी मशीनें भेजने के भिन्न-भिन्न स्थानों के लिये १ लाख ५१ हजार रुपये का कंट्रेक्ट किया। लेकिन ऐसा न करके लखनऊ हेडक्वार्टर पर वह सारी ३ करोड़ रुपये की मशीन मंगा ली गयी जो बिलकुल बेकार है, जिनसे कोई काम नहीं हो सकता। जब समाचार पत्रों में यह चीज गई, चूंकि सूबे भर में पहुंचाने के लिये कांट्रेक्टर को पेमेंट हो चुका था अधिकारियों सामने यह सवाल पैदा हुआ तो उनके सामने यह समस्या थी कि कैसे हम इसको विभिन्न जिलों में पहुचायें। तो उन्होंने क्या किया यह आप देखें तो उन्होंने अपने विभाग को यह आवश्यकता महसूस कराई कि विभाग में कुछ ट्रकें होनी चाहिये। और ३ लाख रुपये में ६ ट्रकें खरीदी गईं जिसमें १८ आदमी काम करते हैं। ६ ड्राइवर और १२ क्लीनर्स। श्री न इस प्रकार आप यह देखें कि एक चोरी को छिपाने के लिये उन्हें ३ लाख रुपये का अपव्यय करना पड़ और १८ आदमियों को उस पर लगाना पड़। इन्हीं की ट्रक से गोरखपुर में कुचल कर ४ आदमी मरे हैं।

यहां पर एक डिप्टी डाइरेक्टर भट्टाचार्य हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है। मान्यवर, जरा आप ध्यान दें हमारे मन्त्री जी चले गये, उनके लिये भी बड़ा लाभदायक है, भट्टाचार्य साहब कुछ दिन पूर्व कानपुर के स्कूल में पढ़ाते थे।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्रियों से सबधित बात होनी चाहिये। किसी अधिकारी का नाम लेकर उस तरह से कहना उचित नहीं है जब तक कि वह अधिकारी विभाग से सबधित न हो। अगर विभाग से सबधित हो तो थोड़ा बहुत हवाला दिया जा सकता है लेकिन उसके गुण दोषों का वर्णन नहीं होसकता।

श्री मंगल उपाध्यक्ष —

मैं उस बात को छोड़े देता हूं। वह रिटायर हो गये और इस लायक नहीं हैं कि काम कर सकें लेकिन उनका एक्सटेंशन हुआ है .....

श्री उपाध्यक्ष—

उसके सबध में सवाल नहीं किया जा सकता जिसके साथ ऐसा किया गया हो, जिसने किया हो उसके बारे में आपको कहना चाहिये।

श्री मंगल उपाध्याय —

अब मैं आई० टी० आई० की तरफ आता हूं। इस संस्था को चलाने का उद्देश्य सरकार का यह थी कि वह अपने प्रदेश में कारीगरी अधिक पैदा करें लेकिन कारीगर न पैदा करके ऐसे आदमी बनाये जा रहे हैं उस संस्था के जरिये जो बेकार हैं। ऐसी मशीनें उनको सीखने के लिये दी जाती है, चार साल तक मैं आई० टी० आई० का अध्यक्ष रहा हूं और मेरा अनुभव है कि जो मशीनें वहां हैं उन पर जो बच्चे पढ़ते हैं वह मशीनें कारखाने वालों के पास नहीं हैं, उनके पास दूसरी मशीनें हैं। यहां आटोमेटिक मशीनें हैं और उन पर लड़के ट्रेन्ड होते हैं, बाद में अप्रेन्टिस भी होते हैं, दो साल तक उनका वक्त बरबाद होता है, गार्जियन्स का और सरकार का भी पैसा बरबाद होता है, चारों तरफ बरबादी होती है लेकिन होता कुछ नहीं है।

श्री रामधारे (जिला मिर्जापुर)—

मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि जब वे ४ साल तक आई० टी० आई० के० प्रेसीडेन्ट रहे तो क्या उन्होंने कोई सरकार के पास सुझाव भेजा था

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री मंगल उपाध्याय—

मैंने लिख कर ही नहीं, सभी सूचनायें संबंधित मंत्रियों के सामने रखी थीं लेकिन उनके कानों पर जूं रेंगे तब न। लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है जब कि मंत्री जी भ्रम में हैं कि हम तो इतने आदमियों को ट्रेन्ड कर चुके। मजे की बात तो यह है कि इस विभाग में जो बजट बनता है उसका ६० परसेन्ट केन्द्रीय सरकार देती है केवल ४० परसेन्ट प्रदेशीय सरकार का रहता है। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि इस ४० परसेन्ट रुपये को ला कर उस ६० परसेन्ट की भी बरबादी हो जाती है।

एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की बात देखिये। य संस्था सन् ५६, तक केन्द्रीय सरकार के हाथ में थी। जब तक उनके हाथ में थी, ईमानदारी और शुद्धता से काम होते रहे, लेकिन जब से प्रदेशीय सरकार के पास आये है तब से पोलिटिकल प्रेशर से काम होता है। एक गरीब जिसके पास सिफारिश नहीं है उसने अगर अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया और उसका नम्बर ४० है तो उसके स्थान पर जब कहीं से मांग आयी तो ४९९ वाला आदमी जाता है लेकिन ४० नम्बर वाला आदमी का सोर्स नहीं है वह नहीं जाता है। यह संख्या बिलकुल बेकार कर दी गयी है। इसमें पक्षपात हो रहा है। इससे भला गरीबों का नहीं हो रहा है। जिसके पास सोर्स नहीं है वह इस से लाभान्वित नहीं होता।

माननीय मंत्री जी यहां पर होते तो मैं उनसे निवेदन करता कि आप जैसे समाजवादी विचार के व्यक्ति के हाथ में यह विभाग है तो आप अपने हेड क्वार्टर को ठीक करें। अगर मंत्री जी गुप्ता जी की जंजीर से निकल सकें तो बहुत बढ़िया काम यह होगा कि इस विभाग के जरिये से इस प्रदेश का आप बहुत कल्याण कर सकते हैं।

दूसरी बात मैं यह बतलाऊं कि गोरखपुर डिवीजन में फ़र्टिलाइजर फ़ैक्ट्री है। दो-दो डिस्टीलरी हैं और २२, २३ शुगर के कारखाने हैं। रेलवे वर्कशाप भी है। सब मिलाकर गोरखपुर डिवीजन में मेरा खयाल है कि एक लाख से ऊपर मजदूर काम करते हैं। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि वहां पर असिस्टेन्ट लेबर कमिश्नर का स्थान होना चाहिये जिससे वहां के मजदूरों की भलाई हो सके। गोरखपुर में ८० हजार रुपये की एक लारी खरीदी हुई पड़ी है। उसमें डाक्टर और कम्पाउन्डर दवा लेकर जरूरत पड़ने पर अन्य स्थानों पर जाते हैं। लेकिन उसमें डाक्टर नदारद है। मंत्री जी यह कह कर संतोष कर लेते हैं कि हमने गतवर्ष का बोनस दिला दिया है। वह शायद गलत फ़हमी में होंगे। ६७-६८ का बोनस देना चाहिये। उसका अभी गजट भी नहीं हुआ है। इस सीजन का बोनस तो दरकिनार रहा। अपने मजदूरों को आये दिन मिलमालिक निकालकर तालाबन्दी कर देते हैं। अगर यह सरकार अपने को समाजवादी सरकार कहती है तो उनका कर्तव्य है कि वे कठिनाई को हल करें। अगर गुप्ता जी अपने को समाजवादी विचारधारा का कहते हैं तो इस प्रान्त में पूंजीवादी कौन होगा? मैं नहीं समझता कि यह सरकार समाजवादी विचारों की है। अगर यह अपने को समाजवादी सरकार कहती है तो थोड़ा बहुत काम भी करना चाहिये जिससे मजदूरों का हित हो सके।

श्री वीरबहादुर सिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्रम मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मंत्री जी ने जो यह अनुदान उपस्थित किया है उसे बहुत सोच समझ कर उपस्थित

किया है। उनको युवकों में काम करने का अच्छा मौका मिला है और साथ ही साथ श्रमिकों के बीच में भी काम किया है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उन्होंने यह अनुदान जो उपस्थित किया है वह अपने अनुभव के आधार पर किया है। मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि चीनी मिल मजदूरों की जो बहुत दिनों से बोनस की मांग थी ९४ लाख दिलाने की वह उन्होंने स्वीकार कर ली। यह भी संतोष की बात है कि मंत्री जी ने श्रम संबंधी नियम और अधिनियमों का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है। सरकार ने बराबर इस बात पर जोर दिया कि कड़ाई के साथ इनका पालन किया जायेगा। विरोधी पक्ष के जो मित्र अभी अपना सुझाव दे रहे थे उन्होंने कोई रचनात्मक सुझाव नहीं दिया है। उनको सुनकर मुझको ऐसा लगा कि शायद उनको श्रमिक और युवकों के संबंध में जो समस्यायें हैं उनकी जानकारी ही नहीं है। अगर है भी तो उन्होंने विरोध करने की दृष्टि से इसका विरोध किया है। सरकार ने जो नीति इस बजट में रखी है उसकी कमियों और बुराइयों की तरफ़ इशारा किया है पर अच्छाई नहीं बताई। ये जो सुझाव उनके आते हैं, उन्हें देखना चाहिये।

मैं अब यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में श्रम को महत्व नहीं दिया जाता है। हम बात अधिक करते हैं और खुद काम नहीं करना चाहते हैं। मैं अभी रूस से लौटकर आया हूं। मुझे वहां श्रम के बारे में जो थोड़ा सा अनुभव हुआ तो ऐसा लगा कि हमारे देश में श्रम को बिलकुल महत्व नहीं दिया जाता है। ऐसे लोग ज्यादा हैं जो दूसरों की कमाई पर लगे हुये हैं और खुद कुछ करना नहीं चाहते। मुझे रूस में ऐसा आदमी नहीं मिला जो काम न करता हो। हर एक आदमी, चाहे स्त्री हो या पुरुष सभी काम करते हैं देश की भलाई के लिये। हमारे देश की तरह केवल आलोचना करना और उल्टी सीधी बात करना वहां के लोग कम जानते हैं। अभी नित्यानन्द जी कह रहे थे कि हमारी श्रम नीति बड़ी डिफ़ेक्टिव बनायी गयी है, उसे सुधारना चाहिये। यह ठीक है कि यदि उसमें त्रुटि हो तो उसे सुधारना चाहिए लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि जो प्राइवेट सेक्टर में धंधे लगे हुए हैं उन्हीं में श्रम की परेशानी और झगड़े अधिक हैं, लेकिन जो राजकीय क्षेत्र में धंधे लगे हुये हैं और संस्थान हैं वहां उतनी झंझट नहीं है। आज मजदूर बार बार फ़ैक्टरी में मजदूरी के लिये जाता है, लेकिन उसकी बारगेनिंग कैपेसिटी इतनी कमजोर है कि वह दावा नहीं कर सकता। जो अधिनियम बने हुये हैं उनका सहारा लेता है तो वहां पूंजीपति का इतना दबाव और अधिकार होता है कि उसका सहारा लेता हुआ भी वह असफ़ल रहता है। ऐसा मालूम होता है कि हमारे देश में केवल ४० प्रतिशत लोग काम करते हैं और ६० प्रतिशत जो काम नहीं करते हैं उनका उन ४० प्रतिशत लोगों के श्रम पर सारा भोजन और काम चलता है। इस हालत में कैसे देश का कल्याण हो सकता है? आज सीमित साधनों में हमें प्रदेश का सर्वांगीण विकास करना है तो हमें श्रम को महत्व देना होगा। आज प्रदेश की आय का केवल ८ प्रतिशत उद्योग धंधों से प्राप्त होता है, बाकी आय हमें खेती और अन्य धंधों से होता है। तो थोड़े से मजदूर जो काम में लगे हुये हैं उनकी भलाई के लिये हमें विशेष ध्यान देना चाहिये और उन लोगों की तरफ़ ध्यान देना चाहिये जो बेकारी से परेशान हैं। खास तौर से नौजवानों की ओर। आज लोग बेकारी के काफ़ी शिकार हैं।

चौथी पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि १९६९–७० में ३७ लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना तक जो लोग बेकार हो गये हैं आज तक वह करीब २८, २९ लाख हो चुके हैं। उनको और बाकी और लोग जो बेकार होंगे उनको चौथी पंचवर्षीय योजना में यदि हम कुछ नहीं दे पायेंगे तो हम अपने ध्येय में असफ़ल रहेंगे। केवल सरकार के आफ़िसों में या कल-कारखानों में काम देने से ही बेकारी दूर नहीं हो सकती। आपको अन्य कामों में लगाना होगा। आपको तुरन्त नये नये धंधे खोलने होंगे। आपको ग्रामीण उद्योग धंधे चलाने होंगे और तुरन्त नयी नयी योजना बनानी होंगी जिससे आप लोगों को रोजगार दे सकें। जब रूस, अमेरिका और ब्रिटेन की बात करते हैं तो अपनी प्राकृतिक साधनों की ओर भी ध्यान देना चाहिये और इतने बड़े प्रदेश और जनसंख्या की ओर ध्यान देना चाहिये। हमारी जनसंख्या, हमारा घनत्व इतना ज्यादा हो गया है कि हम उसके अनुसार अपनी राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ा सके हैं। आज हम बजट की आलोचना करें तो सारी चीजों की ओर ध्यान देना चाहिये कि हम जो बात कहते हैं कितना उचित है।

[श्री वीर बहादुर सिंह]

में सेवा योजन के संबंध में बताना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में सन् १९५६ में सेवायोजन का कार्य प्रदेश सरकार ने लिया और उसके बाद प्रत्येक जिले में विश्वविद्यालयों में सेवायोजन कार्यालय खोले गये और वहां रजिस्ट्रेशन होता है और उसके द्वारा लोगों को काम दिया जाता है. लेकिन जितने रजिस्ट्रेशन होते ह उन सबको काम नहीं मिल पाता। हमारे पढ़े लिखों की बेकारी है, ग्रामीण बेकारी है और खास तौर से ग्रामीण लोगों की बेकारी ज्यादा बढ़ गयी है, क्योंकि हमारे प्रदेश में करीब ८७ प्रतिशत जन संख्या गांव में रहती है और केवल १३ प्रतिशत जन संख्या शहर में रहती है तो ग्रामीण के जो लोग हैं वे खेती पर ज्यादा भार हो गये हैं। गांव में उनके लिये ज्याद जमीन नहीं है। इसलिये वहां देखना होगा कि कौन कौन छोटे छोटे उद्यो।-धंधे चलावें, ग्रामीण धंधों की तरक्की करें। हमारे प्रदेश में बाजार है। हम चाहें तो बाहर से जो सामान मंग ते ह वह ा मंगा कर अपने देश में प्रदेश में बनावें। अगर हम इधर ध्यान दें तो हमारे नौजवानों को भी रोजगार मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हमारे जो प्रशिक्षण केन्द्र खुले हुये हैं उनमें सबसे बड़ी परेश नी यह है कि जो उसमें प्रशिक्षक ह वे खुद अच्छे प्रशिक्षक नहीं हैं। एक साल या दो साल की उनको ट्रेनिंग है और वही दूसरे लोगों को ट्रेन्ड करते हैं। उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग नहीं दी जाती। जो प्रशिक्षण प्राप्त करके निकलते हैं उनको उचित जानकारी नहीं हो पाती।

दूसरी बात अभी उपाध्याय जी बतला रहे थे कि हमारी कुछ मशीनें लखनऊ, इलाहाब द में बेकार पड़ी हैं जो आटोमेटिक मशीनें सिखाने के लिये आयी थीं। वे कायं नहीं कर रही हैं। सरकार को चाहिये कि जल्दी से जल्दी उनको उपयोग में लाये। ऐसा भी पता चला है कि मशीनों पर सिखाने वालों की कमी है। अगर कमी है तो इस तरह लोगों को बुलाकर तुरन्त शुरू करना चाहिये। अ ार आटोमेटिक मशीन पर सिखाते हैं तो जो नौजवान आटोमेटिक मशीनों पर सीखेगा तो रोजगार वही मिलेगा जहां आटोमेटिक मशीन होगी। हमारे यहां आटोमेटिक मशीनों की कमी है। अगर वह कहीं जाता है और छोटी-छोटी मशीनों पर काम करना पड़ता है तो वहां वह काम नहीं कर पाता। हमारा यह प्रयत्न होना चाहिये कि वह छोटी छोटी चीजों और छोटी-छोटी मशीनरीज का उपयोग करें लेकिन हमारा यह भी प्रयास होना चाहिये कि हम ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकें और नौजवान छोटे छोटे कार्यों में लग सकें इसके लिये छोटे धंधे देने का प्रयास करना चाहिये।

एक दूसरी बात है मौजूदा उद्योग धंधों की क्षमता बढ़ाने के संबंध में है। इन उद्योग धंधों की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिये। एक बात एप्रेन्टिशिप के बारे में कहनी है। ट्रेनिंग हम जो देते हैं और दूसरे देशों, रूस और अमेरिका की बात करते हैं। तो वहां तो ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र नहीं खुलते हैं और ज्यादातर लोग क ा-कारखानों में ऐप्रेन्टिशिप करते हैं और उसके बाद काम करने पर लगा दिये जाते हैं। हमारे एप्रेन्टिशों की संख्या बढ़नी चाहिये। जहां कहीं इस तरफ़ ध्यान दिया जाता है, ठीक है लेकिन बहुत से कारखानों के मालिकों ने उधर ध्यान नहीं दिया और सरकार के आदेशों की अवहेलना की है उनके साथ कड़ाई होनी चाहिये। उसमें उनकी संख्या बढाई ज नी चाहिये जिससे काफ़ी लोग प्रशिक्षित हों। जो नौजवान गांवों में रहते हैं या जो अन स्किल्ड लेबर हैं उनको वहां पर सघन खेती की तमाम चीजों में लगाना चाहिये। खास तौर से हमारे प्रदेश में कृषि यंत्रों की कमी है और उस तरफ़ लोगों का ध्यान कम गया है। अगर हम उधर ध्यान दें और उस तरह के यंत्र बनाकर लोगों को रोजगार दें तो काफ़ी लोगों की खपत हो सकती है। एक सुझाव यह है कि अगर हम नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकते हैं तो हमें चाहिये कि हम उनकी सहकारी समितियां बनाकर ट्रेन्ड नौजवानों से धंधे खुलवायें और सरकार द्वारा उन्हें मदद दी जानी चाहिये। अगर ऐसा किया गया तो प्रशिक्षित लोगों को रोजगार मिलेगा और खेती में लगने की प्रेरणा मिलेगी। खासतौर से यह देखा गया है कि हमारे जो प्रशिक्षण केन्द्र खुले हुये हैं आज लड़के उनमें जाने को तैयार नहीं हैं क्योंकि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनको नौकरी नहीं मिल रही है। इसलिये अब वह समय आने वाला है कि जो शिक्षण केन्द्र आपने खोल रखे हैं उनमें कोई लड़का जाने को तैयार नहीं होगा। इसलिये

अगर आप चाहते हैं कि जो प्रशिक्षण केन्द्र आपने खोल रखे हैं उनका पूरा उपयोग हो सके तो प्रशिक्षित नवयुवकों की नौकरी का भी आपको ध्यान रखना चाहिये ।

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका प्रदान किया । इस प्रदेश के अन्दर चार प्रकार के श्रमिक हैं । पहले प्रकार के श्रमिक खेतिहर मजदूर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी आंकड़ों के अनुसार हमारे प्रदेश में इनकी संख्या एक करोड़ चौरासी लाख, अट्ठाइस हजार और दो सौ सत्तर है। मुझे बड़ा दुख है कि हमारे श्रम मंत्री जी ने यह घोषणा की कि वह खेतिहर मजदूरों के लिये कोई न कोई प्रबंध करेंगे जिससे उनको न्यूनतम वेतन दिया जाय । उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को स्मरण होगा कि सन् १९५६ में देहरादून में श्रम सम्मेलन हुआ था जिसमें यह तय हुआ था कि मिनीमम वेज यानी कम से कम आय एक व्यक्ति की कितनी होगी जिससे वह जीवित रहे । उस समय श्री गुलजारी लाल नन्दा जो केन्द्र में श्रम मंत्री थे, उसमें न्यूनतम वेतन १२५ रु० तय किया गया था । उसके बाद १९६० में और फिर सन् १९६८ में केन्द्रीय कर्मचारियों ने आन्दोलन किया था तो इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों के लिये जो आयोग बिठाया गया था उसके अन्दर तय किया गया था कि कम से कम २७० रु० मिनीमम लिविंग वेज एक व्यक्ति को दिया जाय जिससे वह जीवित रह सके । श्रीमन्, अभी माननीय नित्यानन्द स्वामी बोल रहे थे तो बतला रहे थे कि आपके प्रदेश के अन्दर एक रुपये से लेकर दो रुपया सत्तर पैसा पाने वाले मजदूर हैं । श्रीमन्, मैं बड़ी विनम्रता से तिवारी जी से प्रार्थना करूंगा कि यहां पर ढाई-तीन करोड़ खेतिहर मजदूर हैं उनकी समस्या को हल करने के लिये जल्द से जल्द उचित पग उठायें ।

दूसरे वे मजदूर हैं जो बड़े-बड़े नगरों में काम करते हैं । इनमें दूकानों के कर्मचारी भी हैं । आपके लखनऊ के अन्दर ही अठारह हजार दूकानों में काम करने वाले कर्मचारी हैं । इनके लिये यूनियन बने इसका प्रयास श्री मोहन राजोव कर रहे हैं । दूकानें यहां आठ बजे तक बन्द होती हैं और इंस्पेक्टर चालान नहीं करते हैं और वे दूकानदार के पास जाते नहीं हैं क्यों कि उनके उन से पैसे बंधे हुये हैं । १४ मार्च को एक दूकान का चालान हुआ तो कोई गवाही के लिये प्रस्तुत नहीं हुआ । मोहन राजोव ने गवाही दी तो उसका परिणाम यह हुआ कि उनके इम्प्लायर ने उन्हें डिसमिस कर दिया । यह यहां पर क्लाथ हाउस में काम करते थे । आपका ध्यान पांच लाख कर्मचारियों की तरफ जाना चाहिये । कानपुर शहर में ही चालीस हजार दूकान कर्मचारी हैं और दस हजार दूकान कर्मचारी इलाहाबाद में हैं । हमारे पुराने क्रान्तिकारी मित्र तिवारी जी जो अब कांग्रेस के हैं वह इन पांच लाख कर्मचारियों के लिये कोई क्रान्तिकारी पग उठायें और बजट के अन्दर घोषणा करें । इन दूकान कर्मचारियों के लिये आपको शाप्स ऐक्ट में परिवर्तन करना पड़ेगा जिससे दूकान कर्मचारियों को राहत मिले । बड़े-बड़े प्रतिष्ठान अपने साईन बोर्ड को बदल देते हैं और इन कर्मचारियों को निकाल देते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे जो खेतिहर मजदूर हैं उनके बाद दूकान कर्मचारी वर्ग आता है। मिलों के अन्दर जो श्रमिक काम करते हैं उनके बारे में बहुत कहा गया। इस बजट के अन्दर उनका समावेश ठीक प्रकार से नहीं किया गया । आवास की व्यवस्था ले लीजिए । कानपुर में ८,००० मजदूरों को जो इन्डस्ट्रियल कालोनीज के अन्दर रहते हैं नोटिसें दी गई हैं कि मकान खाली कर दो । बहुत से लोगों ने रिट कर दी है और उन लोगों को जबरदस्ती मुकदमे के अन्दर शामिल होना पड़ा है । मैं नारायण दत्त जी से मिला भी था । उन क्वार्टर्स में जो लोग रह रहे हैं और जिनका वेतन ५०० रु० से कम है भले ही वह राज्य कर्मचारी हों या अध्यापक हों और जो कई सालों से रह रहे हैं और किराया दे रहे हैं उनको उनमें रहने दिया जाय । इन मकानों की दशा बहुत खराब है, न कोई सफाई होती है, सिवर के अन्दर पानी भरा रहता है । इलाहाबाद में नैनी इंडस्ट्रियल कालोनी है, केरल बाग कालोनी है, कानपुर में बाबूपुरवा है इनकी दशा बहुत खराब है । यहां जो लोग रहते हैं उनसे किराया भी नहीं वसूल किया जाता जिससे लाखों रुपये का गवर्नमेंट का नुकसान होता है । इन्हें जिसमें लोग १५, २० साल से रह रहे हैं उनको हायर परचेज पर दे दिया जाय । जिसने २०, २५ साल किराया दिया है उस श्रमिक को यह क्वार्टर हो जाने चाहिए । ऐसा हर प्रगतिशील देशों में होता है ।

[श्री राम गोपाल सण्ड]

हमारे देश में मजदूर तभी सुखी अपने को मानेगा जब मिल के अन्दर प्रबन्ध में भाग लेने को उसको मौका मिलेगा। लेबर कान्फ्रेन्स में जो पिछले दिनों हुई थी यह तय हुआ था कि मजदूरों के अन्दर काम करने की तभी प्रेरणा मिलेगी जब वह इंडस्ट्री में साझीदार बनेगा और मिल के प्रबन्ध में उसको भाग लेने को मिलेगा। यह श्रम विभाग का निर्णय था या नहीं और था तो क्यों देरी कर रहे हैं निर्णय को लागू करने में बड़े-बड़े उद्योगों में चाहे वह गन्ने की इंडस्ट्री हो, जूट की मिल हो या चमड़े की मिल हो सभी के मजदूर को प्रबन्ध में भाग लेने दिया जाय। जहां मजदूरों को बोनस दिया जाता है वहां वह काम भी अधिक करते हैं लेकिन श्रीमन्, बोनस के मामले में बड़ी धांधली होती है। बोनस उचित रूप से नहीं दिया जाता। गवर्नमेन्ट प्रेस के अन्दर, रोडवेज के अन्दर या हाइडिल के जितने वर्कर हैं जिन्हें सरकारी वर्कर कहा जाता है, इनके कर्मचारियों को इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट के अन्दर लाया जाय। रोडवेज और गवर्नमेन्ट प्रेस के कर्मचारियों को बोनस दिया जाय। बोनस ऐक्ट के अन्दर कुछ सुधार किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, जो कर्मचारी बीमा कराते हैं बताया जाता है कि उनको सवा पांच परसेन्ट सूद दिया जाता है। केन्द्रीय कर्मचारियों का और राज्य कर्मचारियों का जो जी० पी० फण्ड कटता है उसमें जो सात, साढ़े सात परसेन्ट तक इंटरेस्ट दिया जाता है। बड़े-बड़े मिल मालिक कर्मचारियों की भविष्य निधि में अपना हिस्सा जमा भी नहीं करते हैं। वह पहले तो अपना हिस्सा जमा नहीं करते और जमा करते हैं तो राज्य सरकार ऐसे कानून बनाती है कि जिससे कर्मचारियों को सूद बहुत कम मिलता है। जिस दर से राज्य कर्मचारियों को या केंद्रीय कर्मचारियों को जी० पी० फण्ड पर सूद दिया जाता है उसी दर से मजदूरों को भी मिलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब हम स्टैन्डर्ड वेज की बात करते हैं, मिनीमम लिविंग वेज की बात करते हैं तो कहा जाता है कि नेशनल इन्कम बहुत कम है। कभी कहा जाता है कि वेज फ्रीज कर दिया जायेगा। मंत्री जी जब उत्तर दें तो इस बात की घोषणा करें कि जैसे केंद्रीय श्रम मंत्री ने कहा कि वेज फ्रीज रहेगा, वेतन महंगाई भत्ता नहीं बढ़ेगा, तो क्या वह भी दिल्ली का अनुगमन करने वाले हैं क्योंकि उन्होंने बताया कि एक नेशनल कमेटी बिठायी गयी है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद सभी सरकारी और निजी उद्योगों के कर्मचारियों के बारे में विचार किया जायेगा। तो वह इसका भी जिक्र करें।

श्रीमन्, मंत्री जी ने बताया कि जो कर्मचारियों के झगड़े हुए उनके बारे में वेज बोर्ड बिठाए, लेकिन वह फैसला लागू नहीं हुआ। इस संबंध में मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। वेतन मण्डल श्रमजीवी पत्रकारों का बिठाया। ३८ में से केवल ११ प्रतिष्ठानों के मालिकों ने उसको लागू किया, बाकी के लिये कहा गया कि १७वीं धारा के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दें तब लागू किया जायेगा। चाय बागान उद्योग के संबंध में जो सिफारिश थी १५ मालिकों में से केवल २ ने उनको लागू किया और १० ने आंशिक रूप से लागू किया। इंजीनियरिंग के २०७ प्रतिष्ठान हैं प्रदेश में, ११५ के अन्दर वेज बोर्ड की रिपोर्ट लागू की गई। इसी प्रकार से चमड़ा उद्योग के १३५ कारखानों में से केवल ३८ के मालिकों ने उसको लागू किया। यातायात प्रतिष्ठान ११७ हैं, उनमें से केवल १३ प्रतिष्ठानों ने वेज बोर्ड की रिपोर्ट को कार्यान्वित किया।

श्रीमन्, हमारे बहुत सारे राज्य कर्मचारी भी हैं। उनके बारे में कहा गया कि व्हिटले काउंसिल स्थापित की जायेगी। राज्य कर्मचारी हड़ताल करें, अध्यापक हड़ताल करें, नगर महापालिका के कर्मचारी हड़ताल करें, और हड़ताल अवैध घोषित कर दी जाती है तो फिर अब प्रजातंत्र में कौन-सा तरीका रह जाता है ? जो सेक्रेटेरिएट के कर्मचारी हैं, राजकीय मुद्रणालय के कर्मचारी हैं, रोडवेज के कर्मचारी हैं और अन्य रा तकीय संस्थानों के कर्मचारी हैं और अध्यापक हैं, गैरसरकारी अध्यापक हैं, उन सबको इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के अन्दर क्यों नहीं लिय जाता अगर इसके अन्दर नहीं लिया जा सकता तो कोई इस प्रकार का कानून बनाया जाय जिससे इन क्षेत्रों के ८–१० लाख कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों, बिजली प्रतिष्ठान के कर्मचारियों, रोडवेज के, मुद्रणालय के कर्मचारियों, अध्यापकों, प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों—इन सबके लिये एक ऐसा माध्यम हो जिसके जरिये वह अपने वेतन के लिये और सेवा की सुरक्षा के लिये सरकार के सामने कायदे से और प्रजातांत्रिक तरीके से आ सकें।

माननीय मंत्री जी ने समान काम के लिये समान वेतन और मूल्य सूचकांक के अनुसार महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी का कोई जिक्र नहीं किया। यह सही है कि आपने चीनी मिल के कर्मचारियों के लिये कुछ महंगाई भत्ता दिया है, मगर मैं आपके सामने कुछ इसके आंकड़े पेश करना चाहता हूं। मान्यवर, सन् १९४८ में बंबई में प्राइवेट सेक्टर के मजदूरों को जब ५२ रुपये महंगाई भत्ता मिलता था, उस समय मद्रास में ३८ रुपये मिलता था और कानपुर के अन्दर ६० रुपया मिलता था। १९६६ में यह प्राइस इंडेक्स बढ़ कर जब ८४५ हो गया, उस समय बंबई के अन्दर वह महंगाई भत्ता बढ़ कर १६१.३२ रुपया हो गया, किंतु आप के उत्तर प्रदेश में वह १२८.४० रुपये है। यह १२८.४० मैक्सिमम है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि उस समय सन् ४८ में बंबई में जब कि ५२ रुपये था तो यहां ६० है, आज वह यहां पर कम क्यों रखा गया है जब कि यह मूल्य सूचकांक सरकारी आंकड़ों के आधार पर ही तैयार किया जाता है ?

अब मैं कुछ निवेदन आई टी० आई० के बारे में करना चाहूंगा। सारे प्रदेश में आई० टी० आई० के अनेकों कालेज हैं और उनमें प्रशिक्षित अध्यापक पढ़ाते हैं। श्रीमन्, यहां की हालत यह है कि कई लाख की मशीनरी बेकार पड़ी हुई है। एक जगह नहीं, अनेकों जगह तमाम मशीनरी बेकार पड़ी हुई है। आप इस ओर भी ध्यान दें जिससे कि उनका उपयोग हो सके।

साथ ही मान्यवर, आप जो सलाहकार समिति बनाते हैं उसके अन्दर मैं निवेदन करूंगा कि आप अध्यापकों, विद्यार्थियों तथा श्रमिकों को भी रखें ताकि उनका भी कल्याण हो सके। जो समितियां गठित की गयी हैं उनको देखकर बड़ा दुख और आश्चर्य होता है।

श्रम कल्याण केंद्रों की हालत यह है कि अगर कोई मजदूर बीमार है, और वह सार्टिफिकेट के लिये जाता है तो वह उसे नहीं मिल पाता है। वह उसको तभी मिलता है जब कि वह या तो झूट बोले या फिर कुछ रुपया दे। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया कि १ लाख ९२ हजार रुपये की दवायें बांटी गईं। मजदूर बीमार न हो यह अच्छी बात है, मगर जब बीमार हो तो उसकी ठीक प्रकार से चिकित्सा हो, उसको आसानी से सार्टिफ़िकेट मिल सके, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये।

एक बात मुझे इन श्रमकों के लिये मकानों के संबंध में कहनी है। आज हर जगह आवास समस्या बड़ी विकट हो गई है। इस योजना में १,१०० मकान बनाने की योजना है। आज हमारे यहां जो श्रमिक हैं, कर्मचारी हैं, अध्यापकगण हैं, उनकी लाखों की संख्या ऐसी है जिनके पास मकान नहीं है। मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस समस्या को हल करने के लिये केन्द्र सरकार पर जोर डाल कर विशेष प्रकार का अनुदान ले और उससे फ़िक्स्ड इनकम ग्रुप के लोगों के लिये मकान बनवाये। वे लोग चाहे रोडवेज में काम करते हों, चाहे यहां सेक्रेटरिएट में काम करते हों, चाहे किसी स्कूल में काम करते हों, चाहे कसी मिल में काम करते हों।

श्रम विभाग द्वारा कुछ इस प्रकार के कानून बनाये जाते हैं जिससे विवाद और खड़े हो जाते हैं तथा विवादों का जल्दी निपटारा नहीं होने पाता। पिछले वर्ष श्रम न्यायालय में जितने मुकदमें लिये गये उनकी संख्या १,१९९ थी, उनमें से ७४७ मुकदमें अभी तक पेंडिंग पड़े हुये हैं। औद्योगिक न्यायाधिकरण के अधीन ५०६ मुकदमें गये, मगर उसमें से ३२४ मुकदमों में ही फ़ैसला हो पाया। इससे यह सिद्ध होता है कि आधे से ज्यादा मुकदमों का फ़ैसला नहीं हो पाता है और इसके कारण श्रमिकों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसके लिये यह आवश्यक है कि न्यायालयों की संख्या दुगुनी की जाय अथवा नियम इस प्रकार के बनाये जायं जिससे इन मुकदमों का फ़ैसला जल्दी हो सके।

इसके अलावा अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि जो निर्णय होते हैं उनका इम्प्लीमेन्टेशन नहीं होता। मंत्री जी को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जब निर्णय हो जाये तो तत्काल उस पर अमल हो। अगर एक कर्मचारी किराया नहीं देता है, आप तुरन्त मकान खाली करा

[श्री रामगोपाल सब्ब]

लेते हैं, कोई व्यक्ति बिजली का बिल अदा नहीं करता, आप कनेक्शन काट देते हैं, मगर इन बड़े-बड़े मिल मलिकों पर जो सेल टैक्स का इतना रुपया बाकी है, उनके खिलाफ़ आप कार्य-वाही नहीं करते। उनसे आपको उस पैसे को वसूल करके श्रमिकों के हित में लगाना चाहिये ।

अंत में मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का समय दिया। मैं एक प्रार्थना माननीय मंत्री जी से और करूंगा कि राज्य सरकार के जो लगभग १०२ कर्मचारी निलम्बित हैं, वे भी श्रमिक ही हैं वे भी आदमी हैं और उन्होंने अपनी रोजी-रोटी की लड़ाई लड़ी थी। इनमें अनेक लोग लोकप्रिय हैं, जिनमें पशुपति नाथ शुक्ल और तुषार कान्ति घोष भी हैं। क्या तिवारी जी कृपा करके इन कर्मचारियों की समस्याओं को हाथ में लेकर, समान काम के लिये समान वेतन और मूल्य सूचकांक के अनुसार भत्ता दिलाने का प्रयास करेंगे। इन कर्मचारियों की समस्याओं को हल करेंगे तो प्रदेश के अन्दर ऐसा निर्माण होगा जिसके कारण प्रदेश के अन्दर अधिकाधिक उत्पादन होगा और श्रमिक-मालिक के अन्दर साझेदारी बनेगी। उसको उसके श्रम के अनुसार दिया जायेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो प्रदेश में गरीबी मिटेगी और लोगों के अन्दर जो बेकारी की समस्या है वह समाप्त होगी।

श्री महरमसिंह (जिला फर्रुखाबाद)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वैसे तो इस श्रम विभाग पर तैयार नहीं था, लेकिन जब मैंने अपने माननीय विरोधी सदस्यों की कुछ बातें सुनीं और अपने इधर के मित्रों की बातें सुनीं तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत से मामलों पर अभी हमारे माननीय सदस्यों ने जानकारी न करके श्रमिकों के सम्बन्ध में अधिक चर्चा कर दी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि श्रमिक, किसान और सैनिक का स्थान सबसे प्रथम समाजवादी व्यवस्था में होना ही चाहिये और श्रमिक को जितना भी लाभ पहुंचाया जा सके उसमें अनुचित नहीं उचित ही होगा। लेकिन हर श्रमिक एक श्रेणी में नहीं जोड़ा जा सकता है। मैं, श्रीमान् जी, आपकी मार्फत माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि खेतिहर श्रमिक और शहरों में कार्य करने वाला श्रमिक इनमें बड़ा यानी जमीन-आसमान का अन्तर है और अन्तर इस माने में है कि श्रमिक की यानी खेतिहर श्रमिक की यदि यूनियन हो और हमारे मित्र इसमें से कोई लोग राजनैतिक कार्यकर्ता उनका उसी तरीके से आन्दोलन प्रारम्भ करायें जैसे फ़ैक्टरियों में होता है उनका आन्दोलन मांगों के लिये होता है, मैं नहीं कहता कि वह अनुचित होता है, अगर ऐसा आन्दोलन हो तो क्या परिस्थिति हो सकती है। क्या जिस दिन खेत बोने को होगा, चार दिन के लिये वह आन्दोलन हो जाय तो "तीन आषाढ़े तेरह कार्त्तिक" वाली कहावत खेती में है। अगर ऐसा मौका आ जाय और यूनियन के द्वारा हड़ताल हो जाय तो क्या परिस्थिति खेतिहर मजदूर के द्वारा उत्पादन की हो? इस संबंध में नहीं विचार किया गया है। मैंने एक पत्र में देखा था कि गांव में बहुत पहले, मैं श्रीमन्, श्रमिकों के विरोध में कुछ नहीं कहना चाहता, उनके समर्थन में कहना चाहता हूं लेकिन मैं कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूं। सन् १८९० में खेतिहर श्रमिक को गांव में दो पैसे मिलते थे और १९१० में वह बढ़कर खेतिहर श्रमिक को एक आना हो गया। मैं तो कहता हूं कि हमारी जनतान्त्रिक सरकार ने अंग्रेजों के जाने के बाद इतना बड़ा काम श्रमिकों के लिये किया है। और बहुत बाकी है इसे हम मानते हैं। लेकिन इतना बड़ा कार्य किया है कि श्रमिकों का स्थान लोगों के दिल व दिमाग पर ऊंचा है। अब आप देख लीजियेगा कि श्रमिकों की कीमत और पढ़े लिखे की कीमत आज से तीस वर्ष पहले और अब लगा लीजियेगा। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप देखियेगा कि श्रमिक की कीमत गांव में चार रुपये प्रतिदिन है और पढ़े-लिखे की कीमत, माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं यह उनके विभाग से सम्बन्धित है एजूकेशन से जिसको हम लोग रोज कहा करते हैं इनके यहां जो लोग बी० टी० सी० ट्रेन्ड हैं उनमें से तमाम लोग ५० रुपये और ६० ही रुपये में मिलते हैं, वे इतने पर सर्विस करने के लिये तैयार हैं। तो क्या श्रमिक की कीमत अधिक नहीं है?

आज पढ़े-लिखे की कीमत कम है। और लेबर की कीमत ज्यादा है। आज गांवों और शहरों के लेबर की अलग-अलग स्थिति है। प्रत्येक व्यक्ति को एक ही कोटि में लेकर आप चला नहीं सकते। शहरों में ज्यादा सुविधायें हैं। तो शहरों में और गांवों में दोनों स्थानों में अलग-अलग तरीकों से उसकी व्यवस्था हो। खेतिहर श्रमिकों के लिये ऐसी व्यवस्था की जाय कि उन्हें यूनियन बनाने की इजाजत न हो, लेकिन जिन लेबर के पास मकान नहीं है उनको उसके लिये लोन दिया जाय। तो मैं आपके मार्फत मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस तरह से हरिजनों को सुविधा दी जाती है उसी प्रकार किसी लेबर के मकान नहीं है तो मकान बनाने के लिये, कुंआ बनाने के लिये और मैं कहता हूं कि कोई बुराई नहीं होगी, यदि वह लेबर है तो उसको वही सुविधायें दी जायं और उसके लड़कों को नौकरियों में वही सुविधायें दी जायं जो आज हरिजनों को दी जाती हैं। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से लेबर भी उतना ही गिरा हुआ है जितना कि हरिजन। मैं मानता हूं कि सरकार का प्रयास है, लेकिन उनके लिये ऐसे नियम बनाने चाहियें जिससे उनको सुविधायें मिलें। सारे लेबर का एक सर्वे अवश्य ही कराना चाहिये। लेकिन जो स्थिति कानपुर और लखनऊ की है वह हरदोई, शाहजहांपुर, फ़र्रुखाबाद और मैनपुरी जैसे छोटे शहरों की नहीं हो सकती। उनकी तुलना करना लेबर को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से ज्यादा उपयोगी नहीं होगा। इसलिये अगर पूरे प्रदेश के लिये मंत्री जी स्वीकार करें तो इसके लिये एक ऐसा कमीशन नियुक्त करें जो खेतिहर मजदूरों की पूरी स्थिति की जानकारी कर के मंत्री जी के सामने एक रिपोर्ट पेश करें उसके बाद वह निर्णय लें और उनके लड़कों की पढ़ाई तथा लोन इत्यादि कि व्यवस्था करें।

सेवायोजन के सिलसिले में हमारे बहुत से मित्रों ने राय दी। हमारे माननीय उपाध्यायजी ने बहुत-सी बातें कहीं। वह किन्हीं अधिकारी पर ही नाराज हो गये होंगे। मैं किसी अधिकारी का नाम लेकर कुछ कहना नहीं चाहता और कहना भी नहीं चाहिये क्योंकि उसको सदन में सफ़ाई देने का हक नहीं है। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है यह मामला तो दूसरे के अधिकार में है। इसको देखने के लिये मंत्रीजी स्वयं सक्षम हैं।

एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि यह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो इस विभाग के मातहत चल रहे हैं, उनका बड़ा महत्व है। मैं तो समझता हूं कि इन संस्थानों के द्वारा अगर यहां की बेकारी को नहीं मिटाया जा सकता है तो मेरी समझ में और कोई अच्छा तरीका नजर नहीं आता है उसको मिटाने का। उनकी बेकार बैठे लोगों को बेकारी को दूर करने के लिये उनको अनेक-अनेक उद्योग धंधों में लगाया जाना चाहिये। उसके लिये इन औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की ठीक तरह से व्यवस्था होनी चाहिये, बराबर उनकी जांच-पड़ताल होती रहनी चाहिये। जिन लड़कों ने उनमें प्रशिक्षण पाया है उनको अच्छे से अच्छे रोजगार में लगाने की व्यवस्था होनी चाहिये, लेकिन अगर उनको कोई रोजगार नहीं मिल पाता है तो मंत्रीजी को देखना चाहिये कि उनको वह क्यों नहीं मिल पाता है।

सेवायोजन कार्यालयों में लोगों के नाम दर्ज रहते हैं। वहां केवल सरकार का एक अधिकारी बैठा रहता है। चाहे यह सरकार हो अथवा संविद की सरकार हो। संविद की सरकार के जमाने में तो और भी बुरी हालत थी। वे जिला सेवायोजन अधिकारी यह नहीं देखते कि किस का नाम ३ साल से दर्ज है और किस के नाम को ३ महीने हुए हैं। जो विभाग उत्तर प्रदेश की बेकारी को मिटाने के लिये पूरी तरह से जिम्मेदार है, उसकी ऐसी हालत होना कि जिसका कोई हिसाब-किताब ही नहीं है, बड़े आश्चर्य का विषय है। दूकानों की तरह से वहां पर रजिस्टर बना होता है। उससे आप कुछ भी मालूम नहीं कर सकते। इसीलिये अक्सर लोग कहा करते हैं कि इन सेवायोजन कार्यालयों की कोई आवश्यकता नहीं है। जब लोगों के दिल दिमाग पर इनका प्रभाव यह हो तो फिर इनकी क्या जरूरत है? भला फिर ये जनता की क्या बेकारी मिटा पायेंगे? जब कार्य ठीक नहीं हो पाता, तब वाकई इन सेवायोजन

[श्री महरम सिंह]

कार्यालयों की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके बजाय तो जिले के नियोजन कार्यालयों में ही एक रजिस्टर रखा जा सकता है। लेकिन अगर वह ऐक्टिव ढंग से काम नहीं करता है, केवल कागजी कार्यवाही करता है तो उनसे जनता तथा सरकार को लाभ नहीं है।

अभी अखबारों में बड़ी चर्चा हुई कि मंत्रीजी बड़े उत्साही हैं। उन्होंने निरीक्षण किया और करोड़ों रुपयों की मशीनों को पकड़ा। मंत्रीजी जरा इस को भी देख लें कि ऐसे आई० टी० आई० कितने हैं जिनके पास अपनी ट्रेड्स को चलाने के लिये पर्याप्त सामान था जिन्होंने उस सामान की डिमांड भी नहीं की लेकिन उनको वे मशीनें भेज दी गयीं। उनके पास उनको रखने की जगह भी नहीं थी। मंत्रीजी ने गबन तो नहीं देखा। लेकिन गबन के न होते हुए भी, मंत्रीजी को जहां योजनाओं के लिये धन जोड़ने के लिये तमाम आलोचनाओं का समाना करना पड़ता हो, वहां बहुत सा अनावश्यक सामान बिना मांग किये भेज दिया जाय, उनकी इच्छा के विरुद्ध, मैं समझता हूं, यह कम जुर्म नहीं है। मंत्री जी इसे देखेंगे और समझेंगे और सदन को इस बात का विश्वास दिलायेंगे कि जो रुपया भविष्य में उन योजनाओं में खर्च किया जायगा वह ठीक से किया जायगा और यह आश्वासन दें कि अगर गड़बड़ी होगी तो जो जिम्मेदार अधिकारी होंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। तब वे इस विभाग द्वारा, सेवायोजन द्वारा, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा और इस श्रमिक विभाग के द्वारा, जो हमारे मंत्री जी के नेतृत्व में कार्य करते हैं, प्रदेश की सेवा करने में काफी समर्थ होंगे। मंत्री जी हम सब के प्रतिनिधि हैं, इसलिये मुझे आशा है कि वे सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज का बजट उन लोगों से सम्बन्धित है जो कि आज हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने में मदद देते हैं, उत्पादन बढ़ाने में श्रमिक काम करते हैं और सब लोग जानते हैं कि उनकी कैसी दशा होती है। आज हमारे एक भाई किसान मजदूरों के बारे में कह रहे थे कि उनकी यूनियन न बनायी जाय। देश में जो हमें खाने को अन्न देता है, उसके लिये यह कहना कहांतक लाभकारी होगा, मैं नहीं कह सकता हूं। जब जमींदारी एबोलिशन हुआ उस वक्त कितनी जमीन छोड़ी गयी थी। और उस वक्त यह कहा गया था कि जो भूमिहीन होंगे, उनको ही यह जमीन दी जायगी लेकिन यह उन्हें ही दी गयी जिनके पास जमीन थी। हमारे माननीय मंत्री जी जब इधर बैठते थे तो उन मजदूरों के बारे में कितने प्रयत्न करते थे, जो मिलों में काम करते थे लेकिन उस ओर बैठकर वे सब भूल जायं, यह बड़े दुःख की बात है। मजदूर हमारे प्रदेश की रीढ़ हैं। किसान ही हमें जीवित रखते हैं लेकिन किसान मजदूर के लिये ऐसा कह देना मैं समझता हूं मुनासिब नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी कम से कम एक श्रमिक कमीशन नियुक्त करें जो उन किसान मजदूरों की, जिनके पास न खाने को सामान है न रहने को मकान है, तुलना उनके जीवन से करें जो मिलों में काम करते हैं और जिन्हें रहने के लिये क्वार्टर मिलते हैं और जिन्हें वेतन भी मिलता है और जिनके इलाज के लिये अस्पताल भी बने हुए हैं। अगर किसान मजदूर बीमार पड़ते हैं तो उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। अगर वह अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो उन्हें नहीं पढ़ा सकता है। हमारे समाज का जो सबसे बड़ा अंग है, किसान मजदूर, आज वह गांवों में पड़ा हुआ है और उसकी निरन्तर उपेक्षा की जाती है। कहा जाता है कि पहले एक मजदूर को २ पैसे मजदूरी मिलती थी लेकिन वह कितना पैदा करता था। आज वह उघड़े से नंगा है। जिन लोगों को जो मजदूरी करते हैं, जिन्होंने बड़े-बड़े बंगले बनाये हैं, जंगलों को काट-काट कर

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मैदान बनाये हैं, सड़कें बनायी हैं, बड़े-बड़े महल बनाये हैं, उनके लिये आपने वेतन देने के लिये मजदूरी देने के लिये कोई सहायता दी ? मैं समझता हूं कि यह समाज के लिये एक कलंक है और इस सरकार के लिये भी एक कलंक है ।

आज हमारे यहां हाथरस में एक बड़ी मिल है जिसमें काफी मजदूर काम करते हैं । वहां पर जो पूंजीपति हैं, वे गुप्ता जी की वजह से मिल को बन्द कर बैठे हैं । और मजदूरों का गला घोट रहा है । मुख्य मंत्री जी बैठे हैं क्या वे बिजली मिल के मालिक को नहीं पहचानते ? लाखों मजदूर बेकार बैठे हैं और उन्होंने का पैसा कमा कर उसने आज मजदूरों को बेकार कर रखा है । बहुत से मिल मालिकों ने अपनी मिल बन्द कर रखी हैं और मजदूरों को बेकार कर रखा है, यह समस्या है किसान मजदूर की इस प्रदेश में । कितनी ही तरह का लेबर है, जगह-जगह काम करता है, खेतों व मिलों में काम करता है, दूकानदारों के यहां भी काम करता है, छोटे-छोटे कारखानों में काम करता है । उनके हित को हमें देखना होगा तभी प्रदेश का भला हो सकेगा । छोटे-छोटे कारखानें फैक्टरी ऐक्ट को अपने यहां लागू नहीं करते और बचाव रखते हैं ताकि मजदूर कुछ क्लेम न करे और उनके खिलाफ न लड़े । सरकार में भी यही हालत है । टेम्पोरेरी तौर पर साल भर के लिये नियुक्ति की जाती है ताकि वह पर्मानेन्ट हो जाय । साल भर के लिये रखा जाता है, फिर साल भर बाद उसे रिइंस्टेट किया जाता है तो यह बचाव किस लिये किया जाता है ?

मैं आई० टी० आई० के सिलसिले में कहना चाहता हूं । जब ट्रेनिंग पाकर हरिजन लड़के वहां से निकलते हैं तो उसके पश्चात क्या कहीं भी उनकी एम्पलायमेंट मिलता है ? यह बेकारी बढ़ती चली जाती है । बी० डी० सी० के लोग मारे-मारे फिरते हैं इसी प्रकार । ट्रेनिंग पाकर जितने लोग निकलेंगे क्या आप विश्वास दिलाते हैं कि वे सब स्कूलों में लग सकेंगे ? इस प्रकार हजारों आदमी बेकार घूम रहा है । जब मंत्री जी ने अपने हाथ में लेबर व श्रमदान का विभाग लिया है तो उनको इस समस्या की ओर सोचना पड़ेगा । उनको पहाड़ों का अनुभव है । वह ऊंचाई की ओर देख रहे हैं और वहां वे सारी चीजें ले जाना चाहते हैं लेकिन वे जरा मैदान की तरफ भी देखें कि किस तरह से मजदूर यहां परेशान है, किस तरह से वह काम करता है ।

जहां तक यूनियनों का सवाल है, जब मजदूरों का सवाल आता है, वे पूंजीपतियों के हाथ में कठपुतली हैं । आपस में फूट होने के कारण ऐसी योजना बनती है जिससे लेबर की समस्या वह सही रूप में हल नहीं हो पाती है । कानपुर से या लखनऊ से लेबर के प्रतिनिधि आते हैं । जो मजदूर बेकार होता है वह ट्रिब्यूनल के सामने उन प्रतिनिधियों के जरिये अपनी मांग रखता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती । जो लड़ने वाला प्रतिनिधि है वह मिल मालिक से मिल कर मजदूर का भला नहीं कर पाता है । कुछ लोग जो यूनियन में काम कर रहे हैं व मिल मालिक से मिल कर ब्लेक मेलिंग कर रहे हैं और इस प्रकार गरीब मजदूर का गला घोटने की कोशिश करते हैं । बहुत से लोग कम्प्रोमाइज करने के लिये आते हैं, वे मिल मालिक की तरफ से बहस करने आते है, मैं जानना चाहता हूं कि कि वे मिल मालिक की तरफदारी किस नाते से करते है, किस मतलब से करते हैं और कितना हिस्सा उनको मिलता है ?

जहां तक प्रोडक्शन की बात है, मिल मालिक ने रुपया कमा-कमा कर मिल बन्द कर दी और दूसरा ट्रेड अख्तियार कर लिया । ये सारी चीजें सरकार को देखनी होंगी और उस के खिलाफ कदम उठाना होगा और कार्यवाही करनी होगी ताकि लेबर मारा-मारा न फिरे । जो आदमी मिल में काम करता है, उत्पादन करता है क्या यह नहीं हो सकता कि वेतन में उसकी कुछ वृद्धि करके मुनाफे में उसका कुछ शेयर बांध दें ? जब आप समाजवाद लाना चाहते हैं, ऊंच-नीच को

[श्री रामप्रसाद देशमुख]

मिटाना चाहते हैं तो क्या एक आदमी की आमदानी इतनी नहीं होनी चाहिये ताकि उसे रोटी मिल सके जिसके लिये मजदूरी करता है ? जब वह रोटी के लिये मजदूरी करता है तो उसे अपने श्रम का फल खाने का अधिकार है । मुझे अभी एक पुस्तक मिली है जिसमें गांधी जी ने कहा है कि श्रम जो है वह ईश्वरीय देन है । जो लोग अपने खाने के लिये श्रम करते हैं उन्हीं को खाने का अधिकार है । यदि सब लोग रोटी के लिये मेहनत करें तो ऊंच नीच का भेद-भाव दूर होजाय । आज हालत यह है कि मेहनत कोई करता है और बड़े-बड़े मिल वाले उसका लाभ उठाते हैं । श्रमिकों के साथ ऊंच-नीच का भेदभाव किया जाता है जिससे मिल वालों के लिये श्रम करके भी वे भूखों मर रहे हैं । ये सब चीजें हैं जिनकी तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा ।

मैं इतना कहना चाहता हूं कि खेतिहरमजदूरों के लिये आप एक कमीशन नियुक्त करें और तमाम परती जमीन जो लाखों बीघे की पड़ी हुई है उसे उन खेतीहर मजदूरों को दें । मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से कि वे जमीनें जो वन विभाग की तमाम पड़ी हुई हैं क्यों नहीं भूमिहीनों को दे दी जाती जिनमें श्रम करके वे उत्पादन बढ़ायें ? जो गरीब मजदूर हैं जिन्हें अपना तथा अपने परिवार का भरण-पोषण करना है, उन सब की तरफ़ आपको देखना पड़ेगा । साथ ही हाथरस में जो मिल बन्द पड़ी है उसको खुलवाने की तरफ़ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि मिल मालिक मिल को बन्द करके गरीबों के पेट को काट रहा है । मुझे कहना पड़ता है कि वे ऐसे गरीब हैं कि वहां उनके लिये कोई धंधा नहीं है । वह कोई बड़ी जगह नहीं है, वह तो एक छोटी सी मंडी है, उनके हितों की तरफ़ भी आपको सोचना होगा । इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी तरफ़ भी आप कुछ न कुछ ध्यान अवश्य देंगे और जो किसान मजदूर हैं उनको पेट भरने के लिये, उनके रहने के लिये, उनके बच्चों की शिक्षा के लिये, उनके स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिये जमीन दिलाइये, ये सारे प्रयत्न आपको करने पड़ेंगे तब हम समझेंगे कि आपने इस कृषि प्रधान प्रदेश के लिये कुछ किया । यहां के जो भूखे-नंगे काम करने वाले मेहनत-कश लोग हैं उनका आपको आदर और सम्मान करना पड़ेगा । आज की स्थिति यह है कि जो काम करने वाले मजदूर हैं उसको सामाजिक दृष्टि से भी कहीं-कहीं नीच समझा जाता है । मैं कहना चाहता हूं कि हर एक मेहमतकस को आदर देना पड़ेगा, उसका सत्कार करना पड़ेगा, उसको सम्मान देना पड़ेगा, तभी इस प्रदेश का भला हो सकता है । इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, आप इन चीजों पर जरूर ध्यान देंगे ।

श्री लालसा (जिला आजमगढ़)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करने के पहले आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझको इस सदन में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया । अब अनुदान संख्या २७--श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत २,८४,४६,००० रु० की जो मांग माननीय श्रम मंत्री जी ने प्रस्तुत की है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं । साथ ही साथ कुछ सुझाव भी मैं पेश करना चाहता हूं । मैं माननीय श्रम मंत्री जी को बधाई भी दूंगा और साथ ही साथ माननीय मुख्य मंत्री जी को इसलिये बधाई देता हूं कि उन्होंने श्रम विभाग एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंपा है जो वास्तव में बड़े ही श्रमशील हैं, अनुभवशील हैं और बड़े ही कमठ हैं । मुझे बड़ी उम्मीद है कि श्रमिक क्षेत्र में और श्रमिक जगत में हमारे श्रम मंत्री जी अवश्य कोई क्रांतिकारी कदम उठावेंगे और जो (इस समय ४ बज कर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।) पिछड़ापन है, जो गरीबी है, जो श्रमिक की हालत चिन्ताजनक है उसके लिये कोई क्रान्तिकारी कदम अवश्य उठावेंगे । मान्यवर, हमारा यह प्रदेश कृषि प्रधान है और यहां के खेतीहर मजदूरों की हालत चिन्ताजनक है । तो हम समझते है कि इस स्थिति का निवारण करना हम सभी लोगों का परम पुनीत कर्त्तव्य है । जैसे मनुष्य के शरीर में रीढ़ होती है उसी तरह से हम समझते हैं कि कृषि प्रधान देश व प्रदेश में खेतिहर मजदूरों का वही स्थान है । तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में मजदूरों की स्थिति खास तौर से खेतिहार मजदूरों की स्थिति बहुत खराब है । श्रम मंत्री जी को न्यूनतम मजदूरी के संबंध में एक क्रान्तिकारी कदम उठाना चाहिये । हम यह कहना चाहते है कि हमारे यहां बैल कमाता है और घोड़ा खाता है । क्षमा करेंगे, हम श्रमिक

वर्ग से आये है, एक मजदूर के लड़के है और आप लोगों की कृपा से हमें यहां बोलने का मौका मिला है। हम श्रमिकों के प्रहरी हैं और उनके अरमान लेकर यहां आये हैं। मैं आजमगढ़ से आया हूं और मेरा नाम लालसा है, मेरी लालसा उसी समय पूरी होगी जब लाखों किसान मजदूरों के सूखे गालों पर गुलाब की लाली दिखाई देगी। यही महात्मा गांधी जी का स्वप्न है। हम आपसे कहना चाहते है कि आज एक समस्या है, श्रमिक समस्या है, उसके समाधान के लिये विरोधी पक्ष के सदस्यों की, जो हमेशा सरकार पर प्रहार करते है, जिम्मेदारी है। उनको भी सोचना चाहियें कि वे श्रमिकों का वोट लेकर यहां आये हैं उनका भी सीधा संबंध श्रमिकों से है, देहात में जो शोषण होता है उसकी भी उनकी जिम्मेदारी है।

इस समय चौधरी साहब यहां पर उपस्थित नहीं है, लेकिन हमारी तबियत नहीं मानती है कि हम कुछ न कहें। चौधरी साहब संविद सरकार में मुख्य मंत्री थे। इस समय उन्होंने जो नेता विरोधी दल की हैसियत से एक लम्बा चौड़ा भाषण दिया, उसमें जो श्रमिक वर्ग हैं, देहाती मजदूर हैं उनके बारे में कोई चर्चा नहीं है। वैसे उनका भाषण यहां पर करीब साढ़े चार घंटे हुआ। जब चौधरी संविद सरकार में मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने श्रमिकों की नसबंदी की, और कैसे की। देहात में ९५ फीसदी हरिजन हैं। वे ही श्रमिक और असली मजदूर है, जो धरती को फ़ाड़ कर अनाज पैदा करते हैं। इन्हीं हरिजनों के अनुदान में संविद सरकार ने कटौती की। यह बहुत बड़ी क्षति और उपेक्षा संविद सरकार ने हरिजनों की, की। आप लोगों की तरफ से जो सुझाव आते हैं और जो सहयोग आप लोगों का मिलना चाहिये वह पर्याप्त मिल नहीं पाता है। इसलिये हमारा निवेदन है कि आप भी श्रमिकों को अपने तरीके से ऊपर उठायें।

आज श्रमिक समाज तिरस्कृत है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि जब तक श्रम का सही मूल्यांकन नहीं होगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिये इसकी जरूरत है और यह तब होगा जब हर व्यक्ति इसको महसूस करेगा। चाहे वह सरकार हो या विरोधी दल के लोग हों। महात्मा गांधी जी का स्वप्न पूरा करने के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम सभी लोगों के सहयोग की इसमें जरूरत है। इसके साथ ही साथ हम एक मिसाल पेश करना चाहते हैं। एक बार तमाम भेड़ों को इकट्ठा कर चतुर गड़ेरिया बाल काट रहा था। तमाम भेड़ों को बड़ी घबराहट हुई कि यह बाल काट रहा है और जाड़े का मौसम आ रहा है। बड़ी ठंडक लगेगी। सभी भेड़ों ने अपील किया कि आखिर हमारे बाल क्यों काट रहे हो, हमें जाड़ा लगेगा। बड़ी तकलीफ़ होगी। चतुर गड़रिया ने कहा कि तुम लोग घबराओं नहीं बाल काटा जा रहा है, इससे कम्बल बनेगा और जाड़े में तुम्हे ओढ़ने को मिलेगा। भेड़ों को बड़ी खुशी हुई कि हमारी समस्या हल हो गयी, बालों से कम्बल बनेगा हमें ओढ़ने को मिलेगा। उनको कम्बल नहीं मिला और उनकी समस्या ज्यों की त्यों रह गयी। बेचारे मजदूरों की समस्या उसी तरह से है जसे भेड़ों की थी। मैं श्रम मंत्री जी से निवेदन करूंगा जो बड़े श्रमशील एवं अनुभवी हैं,वह स्वतः क्रान्तिकारी कदम उठायेंगे। श्रमिक वर्ग जो धरती फ़ाड़ कर अनाज पैदा करता है जिसके बच्चे दाने दाने के लिये मोहताज रहते हैं वह गोबर से निकाल कर दाना खाता है, जिस दाने की रोटी को कुत्ता भी सूंघ कर छोड़ देता है, आज किसान मजदूर उसको खाता है। इसके बारे में जो अनुदान पेश हुआ है वह कम है। जो इनकी परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से और अनुदान होना चाहिये। लेकिन जो भी अनुदान पेश हुआ है उसके लिए हम हृदय से समर्थन देते हैं। इन शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय श्रम मंत्री को बधाई देता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी –

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कटौती का प्रस्ताव आज प्रस्तुत किया मुझे इस बात का आज अहसास है सदन के दोनों पक्षों की ओर से उसका समर्थन हुआ यद्यपि वाणी से कोई न कहे कि मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं परन्तु जो विचार व्यक्त किये गये वह एक ही बात की ओर संकेत करते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार श्रमिक के प्रति अपने कर्तव्यों में पूरी

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

तरह असफल रही है। मैं उसकी कड़ी में एक दो बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। अपने प्रदेश के अन्दर बड़ी भारी समस्या है ठेकेदारी प्रथा की। ठेकेदारी प्रथा के बारे में केन्द्र में एक अधिनियम आने की बात चल रही है। परन्तु प्रदेश के अन्दर भी इस ओर ध्यान जाना चाहिए ठेकेदारी प्रथा के अन्दर श्रमिक चक्की के दो पाटों में पिसता है। उसको अच्छी मजदूरी नहीं मिलती।

दूसरी एक बात कहूंगा। एक माननीय सदस्य ने आंकड़ों के बारे में कहा। आंकड़ों का जाल बड़ा विचित्र है। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक सांख्यकी डायरी छपाई सन् १९६८ की। मैं सोचता था कि मैं उसको रेफर न करूं, लेकिन जब यह बात आ ही गई तो मैं कहना चाहता हूं कि उसके पृष्ठ १०१ पर यह बताया गया है कि दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान के अन्तर्गत जो मुकदमे दायर किये गये वह कितने थे और उनमें जिनका कन्विक्शन हुआ वह कितने थे। १९६६ में २३५३ मुकदमें दायर किये गये और श्रीमन्, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनमें से २३५४ में कन्विक्शन हो गया, यानी एक आदमी का अधिक कन्विक्शन हो गया। तो मैं अपने मित्रों से यह कहना चाहता हूं कि यह आंकड़ों की कला है, कागजी घोड़े हैं, जो दौड़ते हैं, जिनके बारे में कई बार हमें भ्रम हो जाता है।

एक बात जो सब की निगाह से ओझल हो गई, उसकी ओर मैं संकेत करना चाहता हूं। अब कई बार जब मिल मालिक और उद्योगपति श्रम कानूनों के द्वारा मजदूरों को दबाने के लिए मजबूर नहीं कर पाते हैं, यानी वेलफेयर आफिसर जिसे मैंने फ्रेयरवेल आफ़िसर कहा है की मदद से मिल मालिक जब मजदूरों को दबाने में असमर्थ हो जाते हैं तो वह पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की मदद लेने लगे हैं। यह नई प्रवृत्ति पैदा हो गई है। उद्योगपति अब क्या करते हैं—एक अप्लीकेशन लगा देते हैं कि जो विवाद चल रहा है, जो हड़ताल चल रही है उससे बड़ी औद्योगिक अशान्ति उत्पन्न हो जाएगी और परिणाम स्वरूप एहतियाती तौर पर दफ़ा १४४ लगा दी जाती है और मजदूरों की गिरफ्तारियां कर ली जाती हैं और इस प्रकार से उनकी मांग और उनके आन्दोलन को दबा दिया जाता है। इस सम्बन्ध में मैं अनेक उदाहरण आप को दे सकता हूं, लेकिन यहां पर मैं आपके सामने तीन ही उदाहरण रखूंगा। देहरादून के अन्दर हिन्दुस्तान कान्सट्रक्शन कम्पनी के मजदूरों की हड़ताल हुई, उसमें २०० मजदूरों को दफ़ा १४४ में बंद कर दिया गया, ऐंटी बाएटिक्स के अन्दर अभी हड़ताल हुई उसके अंदर भी उनको गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमें कायम किये गये। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की मदद ली जाती है। उद्योगपति और मजदूरों के विवाद के संबंध में पुलिस को बीच में डालना श्रमिकों के प्रति अन्याय है। तांगें वालों का कुछ विवाद हुआ सवारी के लिए उनका कुछ झगड़ा हुआ और पुलिस बीच में आगई और तांगा यूनियन के जितने पदाधिकारी थे उनको बन्द कर दिया गया और कहा गया कि यह सब उपद्रव करने वाले थे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि श्रमिकों के विवाद में प्रशासन और पुलिस प्रभावीरूप से आने लगे हैं। इस पर श्रम मंत्री जी ध्यान दें।

अभी मेरे एक मित्र ने कहा कि संविद सरकार ने हरिजनों की नसबन्दी कर दी अर्थात् उनका अनुदान कुछ कम कर दिया। आज का यह अनुदान हरिजनों का नहीं है, लेकिन चूंकि प्रश्न उठा है, इसलिए कहना चाहता हूं कि संविद सरकार के समय में श्रमिकों के अनुदान में और हरिजनों के अनुदान में कमी नहीं की इसको बढ़ाया जाता है और संविद काल के अन्दर श्रमिकों, हरिजनों और खेतिहर मजदूरों के लिए जो किया जा सकता था किया गया। कम से कम इतना तो किया गया कि पिछला इतिहास जो कांग्रेस का था वह सो। भल गए और यह महसूस करने लगे कि श्रमिकों का भी हित किसी सरकार में हो सकता है।

एक बात और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। चूंकि सोनेट फैक्ट्री में बड़ा अन्याय हो रहा है। वहां पर वेज बोर्ड को सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है, वहां पर लोग बड़े परशान हैं। जो कुछ पहले कहा था वह आपके सामने है ही, एक बात फिर दोहराना चाहता हूं कि कुछ आपने श्रमिकों के लिए मांगा है वह एक रुपया प्रति श्रमिक के हिसाब से भी नहीं है। एक रुपया मांगने का अर्थ यह नहीं है कि हम उसमें कटौती चाहते हैं, जैसा कल यहां पर कहा

गया कि आप एक रुपये में बजट कैसे चलाएंगे । मैं यह कहना चाहता हूं कि हम आपको एक रुपया भी कैसे दें जब उसका आप सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं ।

इसके साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को प्रेस करता हूं ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमान, मैं माननीय सदन के सम्मानित सदस्यों के उन सुझावों के लिये आभारी हूं जिसके द्वारा इस समय प्रदेश में जो श्रम सम्बन्ध है तथा जो श्रमिक स्थिति है उनको सुधारने के लिये सक्रिय कदम उठाया जा सकता है । लेकिन श्रीमन, मैं अपने को एक कठिनाई में पाता हूं । एक ओर मैं देखता हूं कि हमारे सम्मानित बुजुर्ग विरोधी दल के नेता तो यह आलोचना करते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं उनको भारतवर्ष में सबसे अधिक मजदूरी मिलती है और इस उच्च मजदूरी के कारण उद्योग धंधों की वृद्धि में इस प्रदेश में दिक्कत हो रही है और दूसरी ओर सम्मानित सदस्य, देहरादून कहते हैं कि इस प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी कम रखी गयी है । तो इस विरोधाभास में हमें वास्तविकता को ढूंढना है । श्रीमन्, मुझे यह कहने की आज्ञा दें कि आज के श्रम सम्बन्ध या मजदूरी नियत करना केवल सरकारी अधिनियमों या आदेशों द्वारा सम्भव नहीं है । आज सारा प्रश्न मानवीय और राष्ट्रीय दृष्टिकोण का है । क्या जो हम अधिनियमित करते हैं यहां पर वह सम्भव है घटनास्थल पर, यह प्रश्न है । अगर हम यहां न्यूनतम वेतन लागू करते हैं तो क्या जो दूकानदार हैं क्या उसको मूर्तरूप देने के लिये तैयार हैं । शाप्स एंड कामर्शल इस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट को मैं लेता हूं । क्या यह संभव है चाहे वह संविद सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या कोई और हो वर्तमान मशीनरी के रहते हुये क्या प्रत्येक दूकानदार पर उस से नियन्त्रण हो सकता है ? लाखों दूकानदार हमारे प्रदेश में हैं । यह उनकी स्वेच्छा के ऊपर है । उनका दृष्टिकोण ऐसा हो कि हमारे साथ जो कर्मचारी दूकान में काम कर रहा है उसको न्यूनतम से अधिक वेतन दें । न्यूनतम का अर्थ यह नहीं है कि उसको उतना ही मिलेगा उससे अधिक नहीं है । यह तो जितना कम से कम है वह है उससे अधिक देने की बात प्रत्येक मनुष्य के ऊपर निर्भर करती है और यह नागरिक, राष्ट्रीय और मानवीय दृष्टिकोण के ऊपर है ।

अब लाक आउट और हड़ताल की बात कही जा रही है । एक तरफ तो यह कहा जाता है कि हस्तक्षेप नहीं होता है और दूसरी तरफ यह है कि सरकार को कलेक्टिव बारगेनिंग की प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । अभी नेशनल लेबर कमीशन की स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट मेरे सामने है । हमने एक स्टडी ग्रुप बनाया है । कानपुर में उसकी बैठक हुई । उसमें सभी मजदूर संगठनों आई०एन०टी० यू० सी०, हिन्द मजदूर पंचायत, हिन्द मजदूर सभा, ए० आई० टी० यू० सी०, भारतीय मजदूर संघ सभी के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लेने की कृपा की और उन्होंने एक मत से सिफारिश की थी । मैं उसे अंग्रेजी में ही पढ़े देता हूं । बाद में हिन्दी में अनुवाद कर दूंगा । उसका एक अंश इस प्रकार है :—

"With a view to encourage collective bargaining, the group felt that there should be no other restriction on strikes and lock-out except that in cases that become subjudice under Clause 15 inscribed above, and where it is resorted to without a notice of 21 days, and where strike is resorted to during the operation of an award or agreement which has been fully implemented by the employers."

सर्वदलीय मजदूर ग्रुप ने यह सिफारिश की कि आपस में बातचीत के तरीके को प्रोत्साहित करना चाहिये और हड़ताल या लाक आउट केवल तीन परिस्थितियों में ही होना चाहिये । लेबर कोर्ट में मामला गया हो यानी केस अदालत के सामने हो, जब २१ दिन की नोटिस नहीं दी गई हो और जब एवार्ड या कोई एग्रीमेंट पूरी तरह से कार्यान्वित न किया गया हो तभी स्ट्राइक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

होती है। एक तरफ तो यह है कि जो अनुभवी मजदूर नेता हैं उनकी यह सिफारिश है दूसरी तरफ हड़ताल होती है। तो उसमें कोई कार्यवाही नहीं होती। मैं उन सभी मजदूर नेताओं से अपील करता हूं जो मजदूरों में काम करते हैं कि हमको एक दिशा निश्चित करनी है कि हम क्या चाहते हैं। एक तरफ हम राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं। वह होगी और होनी चाहिये और इसकी तरफ देश आगे बढ़ रहा है। जो हमारे जरूरी उद्योगधन्धे हैं उनके लिये यह बुनियादी बात है लेकिन हमको यह देखना है कि एक तरफ तो दुनिया की ट्रेड यूनियन कहती है कि हमको मैनेजमेंट से मतलब नहीं है, हमको श्रमिकों के लिये मजदूरी ठीक चाहिये। मिल को चलाना हमारा काम नहीं है। दूसरी तरफ यह विचारधारा है कि फैक्ट्री का जो लाभ है उसमें भागीदार होना चाहिये। उसके मुनाफे का भी भागीदार होना चाहिये और उसके घाटे का भी भागीदार होना चाहिये। इन दो विचारधाराओं का आजकल संघर्ष चल रहा है कि किसको हमको स्वीकार करना चाहिये। वही बात यहां पर भी देखने में आती है। आज यहां पर हमारे सामने केवल एक वर्ष का बजट है। एक वर्ष के बजट के अन्दर हम इतने बड़े प्रश्न का हल नहीं निकाल सकते हैं। जो संसार के मजदूर आन्दोलन के सामने एक अरसे से संघर्ष का कारण बना हुआ है, इस बजट के विवाद के अवसर पर उसका हल नहीं निकाल सकते हैं।

हमारे माननीय मित्र, देहरादून ने कहा कि इस प्रदेश में २ करोड़ ५९ लाख मजदूर हैं। उन्होंने किसानों की संख्या को भी इसमें जोड़ दिया। १ करोड़ ८४ लाख खेतिहर मजदूरों की भी संख्या इसमें जोड़ दी और अनुपात निकाल लिया कि एक रुपया प्रति मजदूर खर्च इस बजट में रखा गया है। मजदूरों की संख्या इस प्रदेश में लिखी हुई है। गांव में रहनेवालों की संख्या ३२ लाख ६१ हजार है और जो शहर में मजदूर रहता है उसकी संख्या २९,३४,३९२ है। तो किसान और श्रमिक वर्ग दोनों को मिला दिया। मैं तो यह कहूंगा कि इस सरकार ने गनीमत है मजदूरों के लिये एक रुपया प्रति मजदूर के हिसाब से रखा लेकिन स्वामी जी तो २ करोड़ मजदूरों के लिये केवल एक रुपया पूरे अनुदान में कटौती करके रखना चाहते हैं कि इसको काटकर एक रुपया रख दिया जाय। हमारे इस सारे अनुदान पर वह एतराज करते हैं .....

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपके श्रमिक विभाग की जो यह कार्यवाही की रिपोर्ट है उसमें मजदूरों की चार श्रेणियां बताई गई हैं। उन श्रेणियों के अन्दर जो डिटेल दी गई है वह इसके अन्दर है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि इतनी बड़ी संख्या केवल मजदूरों की नहीं हो सकती। एक बात यह भी निवेदन करूं कि नित्यानन्द जी ने जो यहां पर आंकड़े रखे वह सन् ६८ के थे और सारी उनकी जितनी भी आलोचना हुई वह १९६८ की वार्षिक रिपोर्ट पर थी उसको ही अपनी आलोचन का उन्होंने आधार बनाया। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि जिन आंकड़ों के आधार पर उन्होंने इस सरकार की वर्तमान नीति की आलोचना की उसका उत्तरदायित्व बहुत बड़े अंश में संविद सरकार का है। यह हम सब जानते हैं कि १९६७-६८ का बजट संविद सरकार के द्वारा पास हुआ था और जो नीति श्रम संबन्धी, यह बजटीय नीति श्रम विभाग की १९६७-६८ में बनायी गयी उसका बहुत बड़ा प्रभाव इन आंकड़ों में है। तो श्रीमन्, मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर माननीय सदस्य देहरादून अपनी ही सरकार की आलोचना करते हैं, यह तो प्रजातांत्रिक उनका ढंग है। अगर आलोचना करते हैं तो स्वागत है। अपने दल की भी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन जहां तक आंकड़े संबंधी आलोचना का प्रश्न है, यह प्रत्येक बजट में, प्रत्येक वर्ष में कुछ बुनियादी बातें हैं जिन पर ये आधारित हैं। विचार यह करना चाहिए कि क्या हम अपने प्रदेश की मजदूर नीति को अखिल भारतीय मजदूर नीति या दूसरे प्रदेशों की मजदूर नीति से भिन्न कर सकते हैं, या दूसरे प्रदेशों की मजदूर नीति से, अपनी नीति को हमें समन्वित नहीं करना है? क्या हमको अपने श्रम विभाग

की प्रयोजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण जो दूसरी प्राथमिकताएं हैं उनके अनुरूप नहीं करना है ? अगर मैं आज यह कहूं कि लेबर डिपार्टमेंट की प्रांट बढ़नी चाहिए, चौगुनी हो जानी चाहिए इतनी गुंजायश है और इतना खर्चा होना सम्भव भी है, लेकिन फिर यह देखना होगा कि जो दूसरे विभाग हैं, उनकी प्राथमिकताएं हैं उनका क्या होगा ? विद्युत विभाग की प्राथमिकता का क्या होगा ? साधन हमारे सीमित हैं, उनके अन्तर्गत हमको प्राथमिकताएं निर्णीत करनी हैं और उनके आधार पर इसका नियोजन करना है । मैं तो समझता हूं कि अगर खेतिहर मजदूर की न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाना है तो वह एक ही आधार पर बढ़ सकती है कि जो किसान खेतिहर मजदूर को रखता है पहले उसकी आमदनी बढ़े, और उसको बढ़ाने के लिए हम देखते हैं कि इस बजट के अन्दर ३७५ करोड़ रुपया बिजली के लिए रखा जा रहा है । १८९ करोड़ रुपया सिंचाई योजना के लिए रखे जा रहे हैं, २५६ करोड़ रुपया लघु-सिंचाई योजना के लिए रखे जा रहे हैं । तो अगर किसान की आमदनी बढ़ेगी, उत्पादक शक्ति बढ़ेगी । खेतों की तो खेतिहर मजदूर की न्यूनतम मजदूरी बढ़ेगी, तो जो सबसे बड़ा वर्ग, खेतिहर वर्ग है उसकी आमदनी बढ़ाने का सारा प्रयास चौथी योजना के अन्दर दिया हुआ है । हमें यह नहीं देखना है कि केवल न्यूनतम मजदूरी के कौन से आंकड़े हैं । जहां तक मुझे जानकारी है कहीं न्यूनतम है तो खेतिहर मजदूरों के लिए है । पश्चिमी जिलों में अगर हम पता लगायेंगे कि खेतिहर मजदूरों को क्या मिलता है तो न्यूनतम मजदूरी वहां मिलती है । तराई में न्यूनतम मजदूरी से कहीं अधिक मजदूरी मिलती है । किसान भाई कहते हैं कि हमें आज मजदूर मिलते नहीं हैं । जब हम गन्ना उत्पादक की बात सुनते हैं कि गन्ना किसान को इतनी कीमत मिलनी चाहिये तो गन्ना की बढ़ी हुई कीमत का, अगर मजदूर को मजदूरी का औसत लगाया जाता है तो इस न्यूनतम मजदूरी से कहीं ज्यादा है । तो क्या मैं सोच सकता हूं कि जहां गन्ना किसानों का दाम बढ़ाने की बात आती है तो कास्ट आफ प्रोडक्शन में पर एकड़ में, या धान की पर एकड़ कास्ट आफ प्रोडक्शन में, गेहूं की है फसल तो उसकी पर एकड़ कास्ट आफ प्रोडक्शन में जब हम हिसाब लगाते हैं तो क्या उसमें हम खेतिहर मजदूर की मजदूरी भी जोड़ते हैं ? तो ये वास्तविकताएं हैं जिन से हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिये । लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाना नहीं होगा । हम बढ़ायेंगे उसे और हम रिव्यू करकर रहे हैं । लेकिन यह तरीका नहीं है कि मेरे दिमाग में आया कि तीन रुपया कर दो और ३ ० कर दिया । कोई भी मंत्री यहां पर हो, मेरा व्यक्तित्व गौण हो जाता है । श्रीमन् यह सम्भव है कि प्रजातांत्रिक ढांचे में जो मेरे मन आये वह करूं । जो करूं उसका कोई वैज्ञानिक आधार होना चाहिये । पश्चिमी जिलों में क्या होगा, पूर्वी जिलों में क्या होगा, पर्वतीय जिलों में क्या होगा, उसके लिए कुछ सर्वे चाहिए, कुछ परामर्श चाहिए जिससे कोई यह न कह सके कि मनमानी कर दी ।

श्रीमन, यहां राशनेलाइजेशन का उल्लेख किया गया है । लेबर ओरियेन्टेड प्लान्स होनी चाहिये जिससे अधिकतर लोगों को काम मिले, यह सही है । लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं कि कैपिटल ओरियेन्टेड न हों । आज कोई भी प्रयोजना लेबर ओरियेन्टेड हो नहीं सकती अगर कैपिटल ओरियेन्टेड न हो । श्रमिक को मजदूरी देने के लिए भी पूंजी लगानी पड़ेगी । श्रमिक को मजदूरी देने और लाभ हानि का जो अनुपात होता है उसका भी नियोजन करना होगा । जहां यह आवश्यक है कि हम लेबर ओरियेन्टेड योजनाएं बनावें वहां दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि कैपिटल और लेबर दोनों का समन्वय हो । राशनेलाइजेशन के सम्बन्ध में कहा गया, स मीचीनीकरण और राशनेलाइजेशन का विरोध किया गया । अगर राशनेलाइजेशन केवल छटनी करने के लिए है तो वह लोगों को स्वीकार नहीं हो सकता । इसीलिए कानपुर में सम्पूर्णानन्द एवार्ड के अन्तर्गत एक सुपरवाइजरी कमेटी बनी हुई है जो कि प्रत्येक राशनेलाइजेशन के काम को कार्य को कसौटी पर कसती है कि मशीन कितनी है, काम कितना है और उत्पादन कितना है और उसी आधार पर समीचीनीकरण करती है । आज हमें कोई बीच का रास्ता निकालना होगा । श्रीमन, क्या हम आज कह सकते हैं कि हम समीचीनीकरण बिलकुल नहीं करेंगे । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । हमारी फौजें सीमा पर खड़ी हैं । हमें आसाम में पराजय

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

का सामना देखना पड़ा तो वह इसलिये कि चीनी फौजों के पास आटोमैटिक राइफलें थीं और हमारे पास नहीं थीं ।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

मैं जानकारी करना चाहता था कि क्या कानपुर में संपूर्णानन्द एवार्ड पूर्णतः अमल में है । उसको अमल में लाया जा रहा है, यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--

एक जानकारी मैं भी चाहता था और वह यह कि आज से दो साल पहले संविद सरकार के जमाने में विक्टोरिया मिल बन्द हुई और साढ़े चार हजार मजदूर बेकार हैं । अगर सरकार विक्टोरिया मिल को चलाना चाहती है तो साफ कह दे कि वह चलाना चाहती है और अगर नहीं चलाना चाहती है तो वह भी साफ कह दे कि नहीं चलाना चाहती जिससे कि वे बेकार मजदूर अन्यत्र रोजगार तलाश कर लें ।

श्री मोतीलाल देहलवी--

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी में यह बतलाना चाहता हूं कि संविद सरकार के कार्यकाल में लक्ष्मी रतन काटन मिल.....

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा करके बैठ जायें । जो प्रश्न पूछे हैं उन्हें उनका जवाब देने दीजिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन, मैं यह निवेदन कर रहा था कि कोई भी नियोजन या दल यह नहीं कह सकता है कि हम रेशनलाइजेशन किसी हालत में न करें । हमें प्रदेश के उद्योगों को कंपटीशन में लाना पड़ता है । आज अहमदाबाद की कपड़ा मिलें आधुनिक मशीनरी से सज्जित हैं । हमें इनको सपोर्ट करना है और जो आपको इकोनोमी है उसको आगे बढ़ाना है वह हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं अगर हम नयी मशीनरी इस्तेमाल नहीं करते हैं । हमें एक बीच का रास्ता अपनाना होगा जिससे कोई दिक्कत न हो और छटनी न करनी पड़े । इस सम्बन्ध में सम्पूर्णानन्द एवार्ड लागू करने का उल्लेख किया गया । सम्पूर्णानन्द एवार्ड कई जगह लागू किया गया और कई जगह पूरे प्रकार से लागू नहीं किया गया और क्यों नहीं लागू किया गया, उसमें क्या कठिनाई थी, यह भी सोचना पड़ता है । हर जगह और हर कारखाने में अपनी क्षमता के अनुसार कार्य होना चाहिये । हर घर में, हर कारखाने में और हर प्रतिष्ठान में बिल्कुल कानून के अनुसार कार्य हो रहा है इसका दावा करना किसी के लिये सम्भव नहीं है । लेकिन मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य कृपा करके इस सभा को या मुझे सूचित कर सकते हैं कि फलां जगह ऐवार्ड लागू नहीं किया गया है मैं इसकी यथाशक्ति कोशिश करूंगा । अभी न्यू विक्टोरिया मिल का जिक्र किया गया और कहा गया कि वहां पर कुछ टैक्सटाइल के कारखाने बन्द पड़े हैं । हाथरस में शायद आठ या दस कारखाने टैक्सटाइल के बन्द पड़े हैं । श्रीमन, आपको ज्ञात है कि न्यू विक्टोरिया मिल के लिये अथाराइज्ड कंट्रोलर नियुक्त किये जाने की संस्तुति राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से की है और उसके लिये श्री चौधरी का नाम प्रस्तावित किया जा चुका है और किसी भी दिन न्यू विक्टोरिया मिल का चालू करने के लिये अथाराइज्ड कंट्रोलर की नियुक्ति हो सकती है ।

श्रीमन, इस बजट में प्राविधान है स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन का जिसकी लागत तीन करोड़ रुपया होगी । इस कारपोरेशन द्वारा इस बात का प्रयास किया जायगा कि नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन की सहायता से जो टैक्सटाइल मिल चलाये जा सकते हैं उनको चलाया जाय । माननीय सदस्यों ने जो सुझाव इस सम्बन्ध में दिये हैं उनको कार्यान्वित करने की पूरी पूरी चेष्टा

हो रही है। वेज बोर्ड के निर्णय लागू करने की बात भी अनेक सदस्यों ने कही। वेज बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की पूरी-पूरी चेष्टा विभाग कर रहा है। जहां पर सख्ती की जानी चाहिये वहां सख्ती करते हैं लेकिन सख्ती इस तरह की नहीं होनी चाहिये कि मिल ही हमेशा के लिये बन्द हो जाये। इसलिये सख्ती करते समय यह भी देखना पड़ता है कि कहीं इंडस्ट्री बन्द न हो जावे और जिन मजदूरों को हम ज्यादा देना चाहते हैं वे बेकार हो जाये। इसलिये हर इंडस्ट्री की जो पेइंग कैपेसिटी यानी देने की क्षमता है उसको देखना पड़ता है और उसी के आधार पर निर्णय लेना पड़ता है। जो व्यवहारिक है और सामयिक है वही करना पड़ता है ताकि अधिक मजदूरों का हित हो। श्रीमन, ऐवार्ड्स के बारे में आपको यह जान कर प्रसन्नता होगी कि पिछले वर्ष जो ८३० ऐवार्डस हुये थे उनमें से केवल ७१ ऐवार्ड्स ऐसे रह गये हैं जो हैं पूरे माने में लागू नहीं किये जा सके हैं बाकी लागू किये जा चुके हैं।

श्रीमन्, माननीय सदस्य श्री प्रयाग ने सुझाव दिया कि आठ हजार के लगभग श्रमिकों को क्वार्टरों से निकाला जा रहा है। उनकी जो भावना है कि लोगों को वहां से न हटाया जाय मैं उसका आदर करता हूं लेकिन श्रीमन्, इसमें एक बुनियादी कठिनाई है और वह यह कि ये क्वार्टर्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिये बने थे। वहां पर जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स नहीं हैं वह अनधिकृत रूप से और जो मजदूर नही हैं वह रहने लगे तो यह मामला विभाग के सामने आया कि ऐसे लोग जिनको उन क्वार्टर में रहने का अधिकार नहीं है उनको वहां से हटाया जाय और उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। श्रीमन्, जो मजदूर नहीं हैं या इंडस्ट्रियल वर्कर्स नहीं हैं और किसी भी प्रकार से मजदूर वर्ग में नहीं आते हैं उनको हटाये जाने की अगर कार्यवाही होती है तो श्रीमन् उसका स्वागत होना चाहिये, विरोध नहीं होना चाहिये।

श्री रामगोपाल सन्ड (जिला इलाहाबाद)—

जिन ८,००० लोगों को नोटिसेज दी गई हैं इनको विधिवत क्वार्टर एलाट किये गये हैं और इनसे किराया लिया जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जो लोग मजदूरों की श्रेणी में आते हैं उनके केसेज को रेगुलराइज किया जा रहा है लेकिन सदन इसको स्वीकार करेगा कि जो मजदूरों की परिभाषा में नहीं आते हैं और उनका कब्जा है उनको हटा करके अवश्य मजदूरों को क्वार्टर दिया जाना चाहिए। यह मजदूरों के हित में निर्णय हुआ है। श्रीमन्, एक सम्मानित सदस्य ने कहा कि गोरखपुर क्षेत्र में एक सहायक आयुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह कृपा करके बजट को देखें इसमें उसका प्राविजन है।

कुछ राज्य कर्मचारियों के बारे कहा गया। श्रीमन्, सभी जानते हैं कि यह निर्णय लिया गया है कि व्हिटले कौंसिल प्रणाली लागू की जायेगी और उसके लिए नियम बन रहे हैं और नियम बन जायेंगे तो फिर कोई कारण नहीं है कि राज्य कर्मचारियों को किसी प्रकार के आन्दोलन की आवश्यकता पड़े। श्रीमन्, १९१९, २० में इंगलैन्ड में जब से व्हिटले कौंसिल बन गई आज तक वहां राज्य कर्मचारियों का आन्दोलन नहीं हुआ और वह सन्तुष्ट हैं।

रोडवेज कर्मचारियों के बारे में मैं परिवहन मंत्री जी का आभारी हूं जो यह निर्णय लिया गया कि मोटर ट्रांसपोर्ट ऐक्ट लागू किया जाय और इसके लिए कमेटी बन चुकी है और उसकी पहली बैठक पहली सितम्बर को होने जा रही है। इस प्रकार बिजली मजदूरों के लिए जो बिजली बोर्ड के अन्तर्गत काम कर रहे हैं उनके लिए उप मुख्य मंत्री जी ने यह निर्णय लिया है कि इस संबंध में भी कार्यवाही की जाय और जो अधिकार उनको बातचीत करने आदि के दिए जा सकते ह उनके देने के बारे में विचार हो रहा है। तो तमाम प्रतिष्ठान जो राज्य सरकार के हैं उनके बारे में सारी बातें हमारे सामने हैं।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

आई० टी० आई० में कुछ मशीनें पड़ी है और करीब ८००० सीटें वाली है। इस संबंध में श्रीमन, मैंने पहले ही स्पष्ट किया था कि इन औद्योगिक संस्थानों का पुनर्गठन हो रहा है। एक टेकनिकल कमेटी बनाई गई है। वह देखेगी कि उन मशीनों का क्या उपयोग हो सकता है, कितनी सीटें खाली है, क्यों खाली है ? इसमें यह भी है कि कौन सा ट्रेड कहां चलना चाहिए और किस जगह किस ट्रेड की ट्रेनिंग नहीं दी जानी चाहिए। जिन ट्रेड्स की जहां आवश्यकता है वहां वही ट्रेड रखे जायंगे। जो सिलबस है वह बदला जायगा ताकि आवश्यकतानुसार ट्रेनिंग हो सके। इसी संदर्भ में भारत सरकार ने श्रम मंत्रियों का सम्मेलन किया था और उसमें यह निर्णय हुआ था कि ट्रैक्टर मेकेनिक, ट्यूबवैल मेकेनिक, बोरिंग मेकेनिक और अन्य ट्रेनिंग खेतिहरों के संबंध में जो जरूरी हों, जिन टेकिनिशियन्स की जरूरत हो उनकी ट्रेनिंग दी जाय यानी ऐग्रीकल्चर आई० टी० आई० खोले जांय। तो यह बात अवश्य विचाराधीन है कि जो आज हमारे प्रदेश में आई० टी० आईज० में खेतिहर मजदूरों के लिए प्रशिक्षण की कमी है उसको दूर किया जाय। इसी सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव शायद निकट भविष्य में आएं।

जहां तक डायरेक्टर और लेबर सेक्रेटरी वगैरह पर कार्यवाही करने की बात कही गई, विजीलेन्स कमीशन को यह प्रश्न पहले ही दे दिया गया था। विजीलेन्स कमीशन ने मशीनों की खरीद आदि के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं, बहुत से लोगों को दण्ड दिया जा चुका है जिसकी जानकारी श्रीमन्, आपको है और जो सिफारिशें की हैं दो एक उच्च अधिकारियों के विरुद्ध उसके आधार पर कार्यवाही जारी है।

यहां पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटस ऐक्ट की कमी है के बारे में बहुत सी बातें कहीं गई। यह असंगत न होगा अगर मैं दोहराऊं कि दो एक महीने बाद नेशनल लेबर कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने आने वाली है। वह एक ऐतिहासिक कमीशन है। ६० रिपोर्ट उनकी हैं। विभिन्न विषयों पर प्रत्येक प्रश्न के सम्बन्ध में उन्होंने विचार किया है। तो इतना जो महत्वपूर्ण आयोग है उसकी सिफारिशों पर अगर विचार करने के लिए हम कुछ दिन रुक जांय और उसकी सिफारिशें आने के बाद हम विधेयक प्रस्तुत करें तो वह उचित होगा। हम तो उनकी सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह आ जाय फिर उसके आधार पर हम इस सदन में विधेयक प्रस्तुत करेंगे ताकि वह आज की आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके। इन शब्दों के साथ मैं सदन से आग्रह करूंगा कि वह इस अनुदान को स्वीकार करें जिससे कि हम आगे बढ़ें और प्रदेश के श्रमिकों के कल्याण कारी कार्यों में आगे कदम बढ़ाएं और उसमें गति लाएं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

खेतीहर मजदूर आयोग के बारे में स्पष्टीकरण नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७—श्रम और सेवायोजन के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २७—श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,८४,४९,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

हिवेट पोलीटेक्निक, महानगर, लखनऊ में पार्ट टाइम कक्षाओं को बन्द करनें के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब, नियम ५१ के अन्तर्गत १३ सूचनाएं मुझे आज प्राप्त हुई हैं। यह रेकर्ड है। मैंने उसमें से श्री शिवराज सिंह व श्री डी० पी० बोरा का नोटिस स्वीकार किया है। हीवेट पालीटेकनिक, महानगर, लखनऊ में पार्ट टाइम कक्षाओं का बन्द किया जाना, इस सम्बन्ध में है। बाकी जो १२ अस्वीकृत हुए हैं, क्योंकि एक ही मैं स्वीकृत कर सकता हूं। अन्य यह है, श्री जंग बहादुर व श्री उमानाथ सिंह ने दिया है कि मुहल्ला सुल्तानपुर, थाना कोतवाली, जौनपुर में १ अगस्त को रात्रि में विन्देश्वरी आयल मिल में बम विस्फोट। एक श्री राम सागर ने दिया है—राष्ट्रीय इन्टर कालेज, प्रतापगंज, जौनपुर के पांच छात्राध्यापकों द्वारा अनशन।

एक श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य का है— गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के गैर शिक्षक कर्मचारियों के संबंध में हड़ताल।

एक श्री संजीवन लाल का है—शारदा कैनाल की छठी एस० ई० सर्किल में फसली कुलाबों की स्वीकृति न दिया जाना।

एक सर्वश्री सच्चिदानन्द, राम वचन, तथा डी० पी० बोरा का है। २२-६-६९ को रियाना मिलावा में एक हरिजन के मकान को बिना नोटिस दिये नगरमहापालिका द्वारा गिराया जाना।

एक श्री सियाराम का है—ग्राम मिर्जापुर थाना सीरी, एटा में हरिजनों को कुयें से पानी भरने से रोकना।

एक सर्वश्री अनन्तराम जायसवाल, अनीसुर्रहमान, शिवदास, श्यामसूरत उपाध्याय, तथा राजित राम पांडेय का है—२५ जून, १९६९ को श्री जे० सी० वार्ष्णेय रीजनल कान्सिलिएशन अफसर, इलाहाबाद द्वारा दिलकुशा, नया कटरा, के मकान नं० ३६ ४१ में जबरन कब्जा लिया जाना।

एक श्री गोविन्दसिंह का है—उत्तर काशी के बार्डर पर दो इन्डोतिब्बतियन बार्डर पुलिस एक स्थायी कैम्प बनाया जाना।

एक श्री शम्भूनाथ चौधरी का है—कान्य कुब्ज महाविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक द्वारा १७ अध्यापिकाओं का निकाला जाना।

एक श्री हरिवंश सहाय का है—उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विद्यालय, मथुरा के छात्रों द्वारा २८-७-६९ से अनिश्चित काल के लिये हड़ताल।

एक श्री मनोहर लाल का है—४-८-१९६९ को कानपुर में एक पुलिस सिपाही द्वारा एक २० वर्षीय युवती का अपहरण।

एक सर्वश्री शिवराज सिंह, तथा डी० पी० बोरा का है—हिवेट पालिटेक्निक महानगर, लखनऊ की पार्ट टाइम कक्षाओं का बन्द किया जाना।

एक श्री चन्द्रपाल आजाद का है—मथुरा जिले में हवाई जहाज से चीनी साहित्य का वितरण।

[श्री अध्यक्ष]

इन सभी १३ सूचनाओं में से श्री शिवराजसिंह तथा श्री डी० पी० बोरा की सूचना सब से अधिक अविलम्बनीय लोक महत्व की होने के कारण स्वीकार की गयी है । शेष मामलों में माननीय सदस्य अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर सकते हैं ।

श्री सियाराम (जिला एटा)—

मेरा प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है, उसे आपको स्वीकार करना चाहिये था अध्यक्ष महोदय, ग्राम मिजपुर, थाना सोरी, जिला–एटा में हरिजनों को कुयें से पानी भरना बन्द कर दिया गया है। कुएं का रास्ता बन्द कर दिया गया है। कुआं घेर लिया गया है और कहा गया है कि पानी नहीं पीनेदेंगे। कुआं उन्हीं का है। श्रीमन्, हरिजनों के सामने संकट पैदा हो गया है। बेचारे बरसात का पानी पी रहे हैं और बहुत दूर से पानी लाते हैं। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी कृपया ध्यान दें।

श्री जंगबहादुर (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, जौनपुर जिले में बम विस्फोट की यह दूसरी, तीसरी घटना है जिसे लोक महत्व का प्रश्न न मान कर टाल दिया गया है। इससे बड़ी घटना क्या घटेगी ?!

श्री अध्यक्ष—

सब से अधिक लोक महत्व का जो प्रश्न है उसे स्वीकार मैंने किया है। आप इसके सम्बन्ध में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें।

एक सदस्य—

श्रीमन्, कानपुर का बिस्कुट चीन को भेजा जा रहा है। शुक्रवार को हमने और डाबर-वाल जी ने दिया था इसे.....

श्री अध्यक्ष—

कुछ हमारे पास भेज दीजिये। वह तो खत्म हो गया। शुक्रवार का कैसे आ सकता है।

श्री मनोहरलाल (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, हमने एक लोक महत्व का प्रश्न भेजा था जिसमें ४–८–१९६९ को कानपुर रेलवे स्टेशन से एक पुलिस सिपाही द्वारा एक युवती का अपहरण हुआ है। इससे महत्वपूर्ण घटना और क्या हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं तो एक ही ले सकता हूं।

शिक्षा मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

चीनी आक्रमण द्वारा उत्पन्न राष्ट्रीय संकट के समय तकनीशियनों की अधिक मात्रा में आवश्यकता का अनुभव हुआ और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सम्भवतः लड़ाई कई वर्षों तक चलती रहेगी जल्द से जल्द तकनीशियनों को तैयार करने पर विचार किया गया।

भारत सरकार ने प्रदेश के २ संस्थानों में ४ वर्षीय अंश कालीन पाठ्य क्रम चलाने के लिए अनुरोध किया और उन्होंने ५ वर्ष तक इसका पूरा व्यय भी वहन करना स्वीकार किया। इसी योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त होबेट बहुधंधी संस्था, लखनऊ एवं राजकीय बहुधंधी

संस्था, कानपुर में १९६४–६५ से इन कोर्सों को आरम्भ किया गया है। भारत सरकार ने अपनी सहायता मार्च, १९६९ के बाद बन्द कर दी। हिवेट बहुधंधी संस्था को यह सहायता भारत सरकार सीधे दिया करती थी और प्रदेशीय शासन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था न ही कभी प्रदेशीय शासन ने भारत सरकार या हीवेट बहुधंधी संस्था को यह लिखित या मौखिक आश्वासन दिया था कि ५ वर्ष बाद वे इस योजना पर होने वाले व्यय को स्वयं वहन करने लगेंगे इन दोनों बहुधंधी संस्थाओं में इन कार्यों के लिये निर्धारित प्रवेश संख्या १२० छात्रों की थी। हीवेट बहुधंधी संस्था के फर्स्ट बैच में ९५ छात्र भर्ती हुये थे जो द्वितीय वर्ष घट कर ३२, तृतीय वर्ष में २७ और चतुर्थ वर्ष में २४ रह गये थे। दूसरे बैच में १७ छात्रों ने प्रवेश लिया, द्वितीय वर्ष में ५८ छात्र रह गये तृतीय वर्ष में ४१ और चतुर्थ वर्ष में ३४। इसी प्रकार से कानपुर बहुधंधी संस्था में प्रथम बैच में ११७ छात्रों ने प्रवेश लिया जो कि घटकर द्वितीय वर्ष में केवल ५८, तृतीय वर्ष में ५० तथा चतुर्थ वर्ष में ३६ रह गये थे। दूसरे बैच के प्रथम वर्ष में १४१ छात्रों ने प्रवेश लिया था, द्वितीय वर्ष में घटकर ६३ हो गये, तृतीय वर्ष में ६२ तथा चतुर्थ वर्ष में ५२ रह गये थे। इन आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि हीवेट बहुधंधी संस्था में ६५ तथा ७५ प्रतिशत के बीच की हानि हुई। तथा कानपुर बहुधंधी संस्था में यह हानि ६३–७० प्रतिशत तक की रही।

इन छात्रों से कोई फीस नहीं ली जाती है। इन कोर्सेज के चलाने में राजकीय बहुधंधी संस्था कानपुर में १९६४–६५ से १९६८–६९ तक ४,८३,९०० रु० का आवर्तक व्यय हुआ था यानी लगभग १ २५,६४३ रुपये का व्यय प्रतिवर्ष होता आया है। हीवेट बहुधंधी संस्था में इसी अवाध में लगभग ३,०९,१५७ रु० का आवर्तक व्यय हुआ जोकि औसतन् ६० हजार प्रति वर्ष के हिसाब से हुआ। राजकीय बहुधंधी संस्था कानपुर में ९० अंशकालीन अध्यापक काम करते थे तथा हीवेट बहुधंधी संस्था लखनऊ में ३१। इन लोगों को ५० मिनट के पीरियड पढ़ाने के लिये १२–५० रु० प्रति पीरियड, ६० मिनट के पीरियड पढ़ाने के लिए १५ रु० तथा प्रैक्टिकल कराने के लिये १० रु० प्रति घंटा के हिसाब से मानदेय दिया जा रहा है। हर एक अध्यापक को १०० रु० प्रतिमाह से लेकर ३०० रु० प्रतिमाह तक वेतन के अतिरिक्त मिल जाया करता था।

इस बात को देखते हुये कि इस समय अब कोई संकट नहीं है, इंजीनियर तथा डिप्लोमा होल्डर्स बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं, अंशकालीन कोर्सेज पास करने वाले छात्रों को अपने कार्यालय में या बाहर अब पदोन्नति के अवसर नहीं के बराबर रह गये हैं, ऐसे कोर्स की पढ़ाई में कम से कम ६५ प्रतिशत की हानि होती है जबकि नियमित डिप्लोमा कोर्सेज में २० से २५ प्रतिशत तक ही होती है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शासन ने ५ वर्ष के बाद इन कोर्सेज को चलाने की कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली थी, शासन ने यह निर्णय लिया कि इन कोर्सेज को जिनकी उपयोगिता बहुत कम हो गई है, बन्द कर दिया जाय।

इतनी अधिक हानि का एक कारण यह भी हो सकता है कि छात्रों से कोई फीस नहीं ली जाती थी और इस लिये वे अपनी पढ़ाई को उस गम्भीरता से नहीं करते थे जैसा कि फीस देने वाले छात्र करते हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुये शासन ने हीवेट बहुधंधी संस्था को इस बात की अनुमति दे दी है कि वे इन कक्षाओं को कि इस प्रकार से चला सकें कि शासन से उन्हें कोई धन न मांगना पड़े तो वे चलाते रहें। इस संस्था द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यदि इन कोर्सेज के छात्रों से २४० रु० प्रतिवर्ष फीस ली जाय जोकि नियमित कोर्सेज के छात्रों से ली जाती है तो लगभग ६२,४०० रु० की प्रति वर्ष आमदनी हो सकती है। इस संस्था में इन कोर्सेज पर १९६७–६८ में ८३,३६३ रु० तथा १९६८–६९ में ८५,००० रु० का व्यय हुआ इसलिए यदि मानदेय की दरें कुछ घटा दी जायें तो फीस की आमदनी से ही यह कक्षायें चलाई जा सकती हैं। वर्तमान मानदेय की दरें उदार हैं और इसलिए इसमें कमी करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। यदि संस्था चाहे तो वह भारत सरकार से सीधे इस बात का भी अनुरोध करें कि वे ३ वर्षों के छात्रों की पढ़ाई पूरा करने के लिये अनुदान ३ साल तक और देते रहें।

[श्री रामजीलाल सहायक]—

रा नकीय बहुधंधी संस्था, कानपुर के सम्बन्ध में शासन ने आदेश प्रसारित कर दिया है कि द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ष के अंशकालीन कोर्सेज के विद्यार्थियों को बहुधंधी संस्था के स्टाफ से ही पढ़ाने का प्रबन्ध करना चाहिये जिसके लिये उन्हें कोई मानदेय नहीं दिया जायेगा। छात्रों के प्रवेश में कमी हो जाने के कारण कुछ अध्यापकों के अध्यापन सार्णों में समय बच जाता है और ऐसी आशा की जाती है कि उनके कर्तव्यसार्णी (Duty hours) में कुछ हेर फेर कर के अंशकालीन कोर्सेज के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई का प्रबन्ध कर लिया जायगा।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। लोक महत्व के विषय पर जो वक्तव्य दिया जाता है उसकी कापी इनेगिने माननीय सदस्यों को ही मिलती है, सब को मिलना चाहिये। सब को कापी दिलाने की आप व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने श्री शिवराज सिंह को बुला लिया है। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि हीवेट पोलीटेक्निक इंस्टीट्यूशन के गत वर्ष के विभिन्न वर्षों के विद्यार्थियों की संख्या क्या थी ?

श्री रामजी लाल सहायक—

इसकी सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री शिवराज सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस इन्स्टीट्यूशन को बंद करने का फ़ैसला सरकार ने कब लिया थ ?

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर यह मार्च में ले लिया गया था।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय मंत्री जी ने इस बात पर भी विचार किया कि यह छात्र संख्या प्रति वर्ष क्यों घटती चली गयी।

श्री रामजीलाल सहायक—

दाखिले तो काफी हुए थे लेकिन बाद में कम हो गये।

श्री उदितनारायण (जिला फ़तेहपुर)—

माननीय मंत्री जी जरा इस बात पर ध्यान दें कि यह मसला ऐसा है कि किसी तरह से ३ साल तक इसको और चलाया जाना चाहिये। पहली साल में भर्ती बन्द कर दी जाती, बन्द करने का यही नियम होना चाहिये था। यह अच्छा नहीं है कि तीन साल तक चलाया जाय और फ़िर बन्द कर दिया जाय। थोड़े से विद्यार्थियों को धनाभाव भी हो सकता है। माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर ध्यान दें। यह कोई तर्क और विवाद का विषय नहीं है।

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि इन संस्थाओं से हम से कोई सम्बन्ध नहीं था। केन्द्रीय सरकार से ये अपना अनुदान लेती रही हैं और उन्हें भी हमने यह सलाह दी कि वे जो मानदेय देते रहे हैं उससे अपना काम चलायें और स्टाफ़ की व्यवस्था कर लें। अगर चाहें तो फ़ीस भी ले लें। कानपुर में भी जो है उनको भी कहा कि वे शिक्षा चलायें उससे जो स्टाफ़ उनके पास है।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये जो पोलीटेक्निक बंद हुए हैं वह उत्तर प्रदेश की सरकार की रुचि न लेने से बन्द हुए हैं या आर्थिक कारणों से और क्या उत्तर प्रदेशीय सरकार इसमें रुचि लेकर यह आदेश देगी कि चौथा वर्ष पूरा होने के बाद ही बन्द किए जायं ?

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, पोलीटेक्निक तो बन्द नहीं हुए हैं, जो अंशकालीन कोर्सेज थे, वे बन्द हुए हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

जो विद्यार्थी एक या दो वर्ष की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, उनका हर्ज न हो उसके लिए केन्द्रीय सरकार से और कुछ अपने आप और कुछ इन्स्टीट्यूशन्स और कुछ विद्यार्थी खर्च बर्दाश्त करें और लड़कों की पढ़ाई जारी रहे, इस पर माननीय मंत्री जी विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामजीलाल सहायक—

यदि इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य मुझे लिख कर दे देंगे तो मैं अपने विभाग में इसको जंचवा लूंगा और उसके अनुसार करने की चेष्टा करूंगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

जैसे दूसरे बच्चों से फ़ीस ली जाती है और उन को सुविधा है पोलिटेक्निक में पढ़ने की तो उनके लिए भी यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाय ? और क्या यह सही है कि चूंकि यहां से पास करने वालों को काम नहीं मिल सका है इसलिए विद्यार्थियों की संख्या निरन्तर घटती जा रही है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

यह तो विदित ही है कि हमारे यहां टैक्नीशियन्स की बड़ी भारी संख्या उपलब्ध हो गयी, तो बहुतों को काम नहीं मिला था। जहां तक फ़ीस लेने का सम्बन्ध है वह तो इन संस्थाओं को कह भी दिया है कि अगर वे फ़ीस लेना चाहते हैं तो ले लें और इन कोर्सेज को चलायें।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या यह सही नहीं है कि कोर्सेज के खोलने से पहले केन्द्रीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार से यह मालूम किया था कि यह कोर्सेज कहां-कहां पर खोले जायं और प्रदेशीय सरकार ने इन दोनों इन्स्टीट्यूशन्स के नाम भेजे थे ?

श्री रामजीलाल सहायक—

यह बात सही है कि केन्द्रीय सरकार से यह मांग आयी थी और आग्रह किया था कि कोई दो इन्स्टीट्यूशन्स के नाम भेजे जायं जहां हम अंशकालीन कोर्सेज को अपने अनुदान के आधार पर जारी करा सकें और वे भेजे गये थे।

श्री शिवराज सिंह—

बहुत से नौजवान जिनके टैक्नीकल कोई ज्ञान नहीं है वे ६ बजे से ८ बजे तक जाकर वहां आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, इस अहमियत को देखते हुए क्या यह सरकार इस कोर्स को चलाने के लिए अपने बजट में से कुछ एकोनामी करने की कोशिश करेगी ?

श्री रामजीलाल सहायक—

इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि अभी तक तो बजट भी पास नहीं हुआ है।

श्री लक्ष्मणस्वरूप (जिला मेरठ)—

क्या सरकार ने कोई आदेश अनुसूचित जातियों के लिए २४० रुपये लेने के सम्बन्ध में जारी किया है ?

श्रीरामजीलाल सहायक—

ये योजनायें बिना फ़ीस के थीं। लिहाजा फ़ीस का सवाल नहीं होता।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

इस बात को देखते हुए छात्रों ने अगर फ़ीस नहीं दी है लेकिन उनका समय अवश्य लगा है और साथ ही जब आक्रमण हुआ उस वक्त इन नवयुवकों की आवश्यकता थी जिससे उनको दाखिल किया गया लेकिन अब साधारण स्थिति में जो विद्यार्थी दूसरे, अथवा तीसरे साल में पढ़ रहे हैं जिन की संख्या २३० है, उनके भाग्य को क्या अधर में लटका दिया जायगा ? विदेशों में जिस तरह से टेक्निकल एजूकेशन पार्टटाइम कर दी गयी है उससे उनको बढ़ावा मिलता है कि वे पढ़ते भी हैं और कमाते भी हैं, उस चीज को मद्देनजर रख कर क्या माननीय मंत्री जी इस पर जल्दी से जल्दी कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामजीलाल सहायक—

मैंने पहले भी निवेदन किया कि ये प्रश्न ऐसे हैं जिनमें आर्थिक प्रश्न उलझा हुआ है। इसलिये इस समय में कुछ नहीं कह सकता। माननीय सदस्य लिख कर दें तो अपने विभाग से जांच करा कर जो कुछ हो सकेगा उस सम्बन्ध में उस पर मैं जवाब दे सकूंगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैंने पहले भी निवेदन किया था और फिर दोहराता हूं कि उन बच्चों से फ़ीस लेकर उनके आगे के प्रशिक्षण के लिये व्यवस्था करने हेतु क्या माननीय मंत्री अविलम्ब हस्तक्षेप करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामजीलाल सहायक—

हस्तक्षेप का सवाल नहीं होता। शासन ने स्वयं दोनों संस्थाओं को इस बात की सलाह दी है कि वे चाहें तो फ़ीस ले कर चला लें और कानपुर का राजकीय पोलिटेक्निक है वह उसी स्टाफ़ से काम चला सकें तो चलायें।

श्री शिवराज सिंह—

जो छात्र अपना पूरा कोर्स नहीं कर पाये हैं क्या उनका कोर्स उस पोलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के किसी कोर्स में समावेश कराने की योजना पर सरकार विचार करेगी ?

श्री रामजीलाल सहायक—

माननीय सदस्य कोई योजना दें तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जिन छात्रों का कोर्स पूरा नहीं हुआ है और वे इस आश्वासन पर आये थे कि उनको कोर्स पूरा होने पर उन को डिप्लोमा मिलेगा तो क्या सरकार कोई निश्चित योजना बनायेगी ताकि उनका भविष्य खराब न हो ?

श्री रामजीलाल सहायक—

यही तो प्रयास किया जा रहा है और मैंने कई बार यह बात निवेदन भी कर दी कि यही तो हमारा प्रयास है कि उनका नुकसान न हो और हम दोनों संस्थाओं से यह बात कह रहे हैं। लिहाजा किसी योजना का सवाल पैदा नहीं होता।

गांव तेज पुरवा, जिला हरदोई में पड़ी डकैती के संबध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्र भानु गुप्त)—

दिनांक २७-७-६९ को ९-४५ बजे थाना बघौली में वादी श्री नरायन पुत्र मंकू पासी निवासी तेजपुरवा ने मौखिक सूचना दी कि दिनांक २६/२७-७-६९ की रात में करीब ३ बजे १०-१२ सशस्त्र डाकू बंदूक, तमंचा, लाठी व डन्डे से लैस होकर मकान की दक्षिणी दीवार फांद कर अन्दर घुस आये। एक डकैत ने दरवाजा खोल दिया जिसके फलस्वरूप सभी डकैत मकान वादी में प्रवेश कर गये और उसका माल लूटने लगे। वादी की लड़की व लड़के को घर के अन्दर पकड़ कर मार पीट की और माल पूछने लगे। वादी के चचेरे भाई राम लाल व राम चरन के मकानों में भी लूट मार की। शोर गुल पर ग्रामवासी डाकुओं का विरोध करने के लिये एकत्र हुए परन्तु डाकुओं ने फायर किया जिससे वादी का चाचा शिव बख्श चोट खाकर तत्काल मर गया। डाकुओं से इस मुठभेड़ में ४ व्यक्ति घायल हुए। वादी तथा अन्य गवाहों ने टार्च तथा लालटेन, जो उस समय घरों में जल रही थीं, की रोशनी में डकैतों में अपने गांव के चार व्यक्तियों को पहचाना और इनको नामजद रिपोर्ट की। बताया यह जाता है कि इन चार नामजद व्यक्तियों तथा मृतक शिव बख्श के बीच जमीन के झगड़े का मुकदमा दीवानी में चल रहा है। डकैत करीब २२०० रु० की सम्पत्ति आभूषण वस्त्र आदि लूट ले गये।

थाने में मुकदमा अपराध संख्या ११७ धारा ३९६ भा० दं० वि० का कायम किया गया। मालूम यह हुआ कि डाकुओं ने इन घरों में लगभग आध पौन घंटे लूट पाट किया तथा जाते वक्त फायर किया जिससे शिव बख्श की मत्य हुई। २-८-६९ तक १० अपराधियों की गिरफ्तारियां हो चुकी थी तथा इनमें से किसी को जमानत पर नहीं छोड़ा गया। इस डकैती के तीन नामांकित अपराधी गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। इनके विरुद्ध धारा ८७/८८ जा० फौ० के कार्यवाही के आदेश दे दियेगये हैं। गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही शिनाख्त के पश्चात चार्जशीट अदालत भेजने की कार्यवाही की जायगी।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि मुद्दई ने यह शिकायत की कि जिस तरह से वह रिपोर्ट लिखाना चाहता था उस तरह से रिपोर्ट नहीं लिखी गयी, इस शिकायत की जांच वे करायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

यदि आप लिख कर देंगे तो जरूर उसकी जांच करा लेंगे। फाइल में तो यह बात है नहीं जिसके बारे में आप कहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

अब नियम ५१ का प्रश्न समाप्त होता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, इस गांव में तीन घर लूटे गये और एक आदमी जान से मारा गया, तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस गांव में कोई बन्दूक का लाइसेंसी भी था या नहीं था ?

श्री अध्यक्ष---

इससे क्या होता है, वे कैसे बतला देंगे ? आप कृपा करके अगर चाहते हैं कि फौजदारी के मामलों में कुछ और जानकारी मिल जाय तो पहले ही प्रश्न के साथ लिख कर भेज दें कि हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं ताकि वे पता लगाये रहें। क्योंकि डिटेल में आप पूछना चाहते हैं, तो डिटेल में कोई नहीं जा सकता। आपको जो जानकारी हो उन्हें बतला दीजिये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

कभी-कभी आभास होने लगता है कि आप सरकार की वकालत करते हैं।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया इन शब्दों को वापस लीजिये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, मैं कहता हूं कि यह काम सरकार का है कि वह बतलावे कि इसकी जानकारी है या नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

वे बार बार सूचना देने के लिये कहते हैं और आप डिटेल में पूछ रहे हैं। ५१ में यह चीज नहीं की जा सकती। आप क्वेश्चन दे दें, वे जानकारी करके बतला देंगे। "आप सरकार की वकालत करते हैं", इन शब्दों को वापस लीजिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

श्रीमन, मैं आपके हर हुक्म का पालन करता हूं और आपके कहने से इन शब्दों को वापस लेता हूं। लेकिन मैं इतना कह दूं कि पूरी जानकारी दी जाय, क्योंकि पुराने मामले हो जाते हैं, आदमी मर जाते हैं, घर लूटे जाते हैं, और पुलिस के लैप्सेज सामने आते हैं तो सवाल पूछने पर उसका जवाब भी नहीं दिया जाता है ।

श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)---

अध्यक्ष महोदय, अभी एक माननीय सदस्य ने प्रश्न किया कि क्या माननीय मुख्य मंत्री इस बात की जांच करायेंगे कि अगर थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गयी तो क्यों नहीं लिखी गयी ? उसका उत्तर माननीय मुख्य मंत्री ने फरमाया कि अगर लिख कर भेज देंगे, तो वे जांच करायेंगे।

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को यह जानकारी नहीं थी कि जब यह प्रश्न दिया गया था, उसमें स्वयं यह बात लिखी गयी थी कि यह रिपोर्ट थाने में नहीं लिखा गयी, फिर लोग एस० पी० के यहां गये रिपोर्ट लिखाने के लिये, तो क्या यह पर्याप्त नहीं था सूचना के लिये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

यह जो सवाल है, उसमें ऐसी बातें मालूम नहीं होतीं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

तो वह प्रश्न जरा पढ़ दीजिये, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष---

हरदोई के अन्तर्गत थाना बघौली के तेजपुर गांव में सशस्त्र डकैती पड़ी और गृह स्वामी की हत्या हो गयी और सम्पत्ति लूटी गयी। थाने में रिपोर्ट सही दर्ज नहीं की गयी। "सही रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी", यह उन्होंने स्वीकार किया है।

श्री उदितनारायण---

यह तो लिखित रिपोर्ट है कि सही रिपोर्ट नहीं लिखी गयी।

श्री अध्यक्ष---

आपने कहा था कि थाने में वह रिपोर्ट नहीं लिखी गयी।

श्री मनोहरलाल (जिला कानपुर)---

श्रीमन्, जो मैंने दूसरा लिख कर दिया है उसे भी पढ़ दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

इसमें है कि १० हजार से ऊपर का सामान लूटा गया परन्तु संबंधित थानेदार ने रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। उसकी जांच करायी जाय।

श्री मनोहरलाल---

क्या यह सच नहीं है कि नामजद रिपोर्ट लिखने के लिये कहने पर पुलिस ने वादी को डराया धमकाया जिससे वह थाने से भाग कर शहर कोतवाल के यहां प्रथम सूचना दी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

ऐसी बात तो मुझे विदित नहीं है।

श्री मनोहरलाल---

तेजपुरवा थाने से कितनी दूर है तथा पहली सूचना मिलने के कितनी देर बाद पुलिस स्थल पर गयी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

किस वक्त पुलिस पहुंची इसकी जानकारी भी मेरे पास अभी नहीं है। यदि यह जानकारी प्राप्त करना हो तो नोटिस दीजिये।

श्री दीपनारायणमणि (जिला देवरिया)---

मुख्य मंत्री ने कहा है कि २७ तारीख को पहले थाने में रिपोर्ट लिखायी गयी और २ तारीख से पहले कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि थाने से इतने निकट होते हुये भी सात दिन तक पुलिस क्या करती रही?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

इसमें तो मैंने अभी बताया कि २९ तारीख को गिरफ्तारी हुई है।

श्री दीपनारायणमणि---

नरायन ने चार आदमियों को नामजद किया जिनमें से अभी तक तीन गिरफ्तार नहीं हो सके हैं और फालतू लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। तो ऐसा क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

बहुत से आदमी भाग जाते हैं उसके बाद पता चलता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मुख्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि है कि चार में से तीन व्यक्ति अभी भी गिरफ्तार नहीं हो सके और उनके सम्बन्ध में ८७/८८ की कार्यवाही की गयी। तो मैं जानना चाहता हूं कि ८७/८८ के आदेश कब हुये और उनकी तामील अभी तक क्यों नहीं की गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

उसके आदेश हुये हैं, पुलिस कार्यवाही कर रही होगी। उसकी जानकारी तो मेरे पास है नहीं।

श्री मनोहरलाल---

जो अपराधी गिरफ्तार नहीं हुये क्या उन पर इसके अलावा और डकैती के केस चल रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच करा ली जायगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने यह कैसे कहा कि हमारे पास लिखा हुआ नहीं आया है ? यह सदन का अपमान है।

श्री मनोहरलाल---

अध्यक्ष महोदय, जो हम सूचना मांगते हैं उसका सही उत्तर मिलेगा ऐसी हम आशा करते हैं तो क्या मुख्य मंत्री जी इसको देखते हुये.....

श्री अध्यक्ष---

आप सवाल कीजिये। (व्यवधान) मैंने कहा कि यह सूचना प्राप्त करके सदन को देंगे।

एक सदस्य---

अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव में जो चीज निहित है उसके लिये मुख्य मंत्री का लिखकर देने के लिये कहना कहां तक ठीक है ?

श्री अध्यक्ष---

लिखकर देने के बारे में उन्होंने नहीं कहा, यह गलत बात है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

अध्यक्ष महोदय, इसमें दिया हुआ है कि थानेदार ने थाने पर रिपोर्ट नहीं लिखी तब उनको एस० पी० के पास जाना पड़ा। मुख्य मंत्री जी ने बगैर पढ़े हुये उत्तर देकर सदन का अपमान किया और इस प्रकार का बयान उनको नहीं देना चाहिये। या तो वे खेद प्रकट करें अन्यथा विशेषाधिकार का प्रश्न उनके खिलाफ लाया जायेगा।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

मान्यवर, जो घटना श्री डी० पी० बोरा के बारे में हुई वह गलत और निराधार थी। और अभी जो सूचना दी गई है वह भी निराधार और गलत है। मेरे कहने का मतलब है कि सरकार गलत बात कहने की आदी हो गई है।

श्री उदितनारायण---

अध्यक्ष महोदय, क्या इससे यह स्पष्ट नहीं है कि जिनको अध्यक्ष लोक महत्व का प्रश्न समझते हैं उनको मुख्य मंत्री जो पढ़ने की भी तकलीफ गवारा नहीं करते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो उत्तर दिया है वह दिया जो रिपोर्ट से संबंधित था। जहां तक आक्षेप का सम्बन्ध था उसके विषय में जो भी प्रश्न किये गये हैं उनके विषय में मुझे यह कहना है कि जो आक्षेप लगाये गये हैं वे निराधार हैं। मेरे पास जो सुपरिंटेंडेंट की रिपोर्ट है उससे यह विदित होता है कि यह आक्षेप निराधार हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा कि ये आक्षेप निराधार हैं। लेकिन पहले उन्होंने कहा था कि अगर लिख कर देंगे तो जांच करायेंगे।

श्री अध्यक्ष---

यह तो आप देखते हैं। लेकिन दूसरे मंत्री जी ने देखकर उन्हें बताया कि यह इसमें है। उन्होंने पढ़ा नहीं था, यह दिखाई देता है।

श्री उदितनारायण---

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यह निश्चयपूर्वक सिद्ध नहीं हो गया कि उन्होंने इसको पढ़ा नहीं तो क्या यह मुनासिब है कि बिना पढ़े उत्तर देने के लिये यहां बैठा करें ?

श्री अध्यक्ष---

जी नहीं, पढ़ना चाहिये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मान्यवर, वे मेम्बरों के तोड़ने और मिल मालिकों से चन्दा लेने के अलावा और कुछ काम नहीं करते हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने इस बात का कहा है कि (व्यवधान)।

अभी वर्मा जी ने फरमाया कि मेरा वक्त पूंजीपतियों और मिल मालिकों से पैसा इकट्ठा करने में सर्फ होता है, मुझे फुरसत कहां है ? (शोर)

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मेरा मंशा माननीय मुख्य मंत्री का निरादर करने का नहीं था, बल्कि उनकी सहायता करने से था क्योंकि वह दूसरे बड़े-बड़े कामों में लगे रहते हैं। पढ़ने और उत्तर देने का उनको समय रहता ही नहीं है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

मैं, अध्यक्ष जी, इनसे कहूंगा कि यह लफ्ज वापस लें। सांछन लगाने की बात करेंगे तो यह परम्परा गलत पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष---

माननीय वीरेन्द्र वर्मा, आप को वापस लेना चाहिए। आप इस बात को जानते हैं कि वैयक्तिक हमला करना इनसिनुयेशन या ताना देना उचित नहीं होता है। सदन में गर्मी इसी लिए पैदा हो जाती है। इसलिए कोई हर्ज नहीं है कि आप वापस कर लें शब्दों को।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मैं तो साहब सहायता कर रहा था। मैंने कोई शब्द निरादर की दृष्टि से नहीं कहे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आदर करता हूं। मैंने उनकी सहायता के लिए कहा है कि उनको समय नहीं मिलता। इसलिए कृपा करके भविष्य में पढ़ कर आएं।

श्री अध्यक्ष---

तो कृपा करके वापस लीजिये।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मैं ऐसा समझ रहा हूं कि किसी चीज को खींच कर बहुत ऊंचे तक ले जाया जा रहा है। जो बात वर्मा जी ने कही है वह सत्य हो या असत्य, लेकिन पारलियामेंटरी डिबेट्स में व्यंग्यात्मक बातें होती रहती हैं। उनका हंस कर टाल देना चाहिए बजाय इसके यह कहा जाय कि उसको वापस लें। अगर ऐसा होगा तो डिबेट्स की जो मिठास है वह आज से समाप्त हो जायगी।

श्री अध्यक्ष---

अगर नेता विरोधी दल से इसी तरह की कोई बात कहें तो मैं समझता हूं कि आप यहां काम नहीं चलने देंगे।

(शोर)

उनको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, मैंने ऐसी आज्ञा दी, जो अभी उन्होंने ताना दिया, वह उनको वापस लेना चाहिए।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

अध्यक्ष महोदय, पौने छः हो गया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

यह आरोप निराधार नहीं है। मेरा यह आरोप सत्य है कि वह मेम्बरों को तोड़ने की कोशिश में लगे हैं।

श्री अध्यक्ष---

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आपके दोनों नेता हैं, एक विरोधी दल के नेता और एक सदन के नेता, इनके साथ इस तरह का व्यवहार करना उचित नहीं हुआ करता। और जब यह शब्द कहे कि रुपया इकट्ठा करने में लगे हैं, उनको कहां फुर्सत मिलती है, यह कटाक्ष किया, इसलिए मैंने कहा कि वे शब्द वापस ले लीजिये। जब मुख्य मंत्री की गलती हुई थी तो उन्होंने क्षमा मांग ली। वे क्षमा मांगने के लये तैयार थे। यह उनका बड़प्पन है। आप क्षमा मांगने के लिए तैयार न हों तो कम से कम वापस तो ले लें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

अध्यक्ष महोदय, बात तो निराधार है नहीं लेकिन माननीय मुख्य मंत्री को तकलीफ पहुंची हो तो मुझे भी तकलीफ है।

श्री अध्यक्ष---

आप वापस लेते हैं, जो आप वापस लीजिये (श्री वीरेन्द्र वर्मा के सिर हिला कर 'हां' करने पर) अब आगे चलिये।

ग्राम चिलाबाड़ा, थाना खैराबाद, जिला सीतापुर में ११ व्यक्तियों को जिन्दा जलाने के सम्बन्ध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा

श्री मंनेजर सिंह (जिला बलिया)--

आपने समय भी नहीं बढ़ाया और सदन इस प्रकार चला रहे हैं। मैं समझता हूं यह अवैधानिक रूप से कार्य हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--

साढ़े पांच बजे या सामान्य कार्य के उपरान्त लिया जायगा। मैंने समय दे दिया है, अब आगे चलने दीजिए।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, इससे पहले जिस विषय की आपने मुझे इजाजत दी है उस पर आऊं, मैं आपसे और कुछ निवेदन करना चाहता हूं--.....

श्री अध्यक्ष--

देखिये आधा घंटा समय है, आपको इसी में कार्य करना है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

२७ मार्च को सीतापुर में थाना खैराबाद के अन्तर्गत चिलाबाड़ा गांव में ११ आदमी जलाकर मार डाले गये। यह मालूम हुआ कि जो लोग मार डाले गये उनमें से तीन व्यक्तियों ने १२ तारीख को यानी १५ दिन पहले सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, सीतापुर को एक दरखवास्त दी थी जिसमें उन्होंने प्रार्थना की थी कि प्रधान यार अली और उनके साथी उनको एक डकैती के मुकदमें में फंसाना चाहते हैं और वह डकैती की वारदात १९ दिसम्बर, १९६८ को इसी गांव में हुई थी। एक आदमी को उस डकैती के दौरान मार डाला गया था। प्रधान को शक था कि उस डकैती में इन आदमियों का हाथ था। इसलिये वह शिकायत लिखाई गयी थी। जवाबों में सरकार की तरफ से बताया गया था कि उसमें शान्ति भंग का अंदेशा नहीं बताया गया था इसलिये पुलिस ने कार्यवाही नहीं की। मान्यवर, यह जवाब काफी नहीं था और जो लोग शासन की गद्दी पर बैठे हैं उनके मुंह से तो यह बात बिलकुल शोभा नहीं देती क्योंकि इससे बड़ी दुश्मनी और क्या हो सकती है और रंजिश निकालने का कारण क्या हो सकता है कि डकैती के मुकदमें में जिस में कत्ल हो गया है, जिसमें सजा फांसी हो सकती है, उसमें प्रधान और उन के साथ के लोग फंसाना चाहते हैं। ये हैं जुल्फिकार अली के लड़के और इनके नाम हैं मकबूल अहमद, शमशेर अली और कुरेद अली जिन्होंने दरखवास्त दी थी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि डकैती के मुकदमें में, जिसकी सजा फांसी है, प्रधान इनको फंसाना चहता था। इन लोगों ने बचने के लिये कप्तान साहब के यहां दरखवास्त दी। यह बात उस दिन सवालों में खुली। उस पर जांच हुई इस जला कर मार डालने की घटना के बाद ३, ४ अप्रैल को। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इस दरखवास्त पर पहले ध्यान दिया गया होता, वक्त से सचाई और झूठ की छानबीन की गई होती तो बाद वाली घटना की नौबत न आती।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं जिसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये कि हर गांव में चौकीदार होता है। थाने के हलकेवार गांव बटे होते हैं और हर हल्के का एक कांस्टेबिल होता है। जो चौकीदार गांव में रहता है और हलके का सिपाही रहता है दोनों इस स्थिति में रहते हैं कि बराबर उनको इसकी जानकारी मिलती रहे कि वहां पर लोगों की गतिविधि क्या होती है। आज प्रदेश की हालत इतनी बिगड़ गई है कि नीचे की पुलिस

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

यूनिट में किसी तरह की सतर्कता या जागरूकता नहीं है। मैं पूरा जोर देकर इस बात को कहता हूं कि इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये कि जो गांव स्तर पर चौकीदार हैं और कांस्टेबिल हलके का रहता है अगर वे सतर्क रहें और सरकार इस तरफ ध्यान दे तो घटना नहीं होगी। जो कत्ल या अन्य वारदात हो जाया करती हैं वे पहले छोटी-छोटी ज्यादतियों से शुरू होती हैं। बाद में उसका परिणाम कत्ल या डकैती में होता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि यदि सरकार का ध्यान इस तरफ जाय तो अच्छा नतीजा निकल सकता है। तो जो नीचे के स्तर पर ये लोग रहते हैं उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया। उनके खिलाफ कार्यवाही करने में सरकार को बिलकुल हिचक नहीं होनी चाहिये थी। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस मामले में दो तरह के लोग जिम्मेदार ठहराये जा सकते थे। एक तो यह गांव का चौकीदार है, सिपाही है और दूसरी तरफ दरख्वास्त मिलने पर कप्तान साहब या उसके सबार्डिनेट उदासीन रहे। इस तरह से इस मामले में वे कम दोषी नहीं हैं। अगर इस तरह से यह चीज देखी जाय तो यह चीज खुल जाय मगर इसमें कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। आज जो हालत प्रदेश की है कि जगह ब जगह दिन दहाड़े लोग मारे जाते हैं, जिन्दा जलाये जाते हैं और लूटे जाते हैं तो इसमें कुछ रोकथाम हो सकती है। उन्नाव में क्या हुआ। एक अखबार में छपा था कि वहां पर एक बारात आई थी और उस बारात के लोग गांव में नौटंकी देख रहे थे। नौटंकी के लोग कुछ दूर पर थे तो डाकू मुसल्लह होकर आये और गांव में डाका डाल दिया। इस तरह की वारदात जब हो रही हैं तो इससे अधिक और क्या हालत खराब हो सकती है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह जो स्थानीय यूनिट हैं उनको सतर्क होना चाहिये। इस मामले में उन्होंने कोताही की है इसलिये उनको सजा मिलनी चाहिये और साथ ही साथ जो ऊपर के अधिकारी हैं कप्तान वगैरा वे भी बच नहीं सकते हैं।

तीसरी बात यह है कि मुख्य मंत्री जो वहां पर उस दिन मौजूद थे जैसा कि उनके उत्तर से खुला। वहां से थोड़ी दूरी पर यह घटना हो जाय और उसके बाद मुख्य मंत्री जो आंख बन्द रखे तो मैं किस शब्द का प्रयोग करूं। यहां पर झगड़ा मच जायगा। यह बात सुनकर गुस्सा आता है कि जितना सख्त लफ्ज हो वह कहा जाय। अभी आपने देखा कि उसके बाद मैंने प्वाइन्ट आउट करने की कोशिश की। यह जो ३ नामजद सदस्य हैं जिन्होंने रिपोर्ट की उस पर ८७, ८८ की कार्यवही होती है।

श्री अध्यक्ष—

जो चीज हो चुकी है उसको इसमें मिलाइये मत।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अगर ये चीजें नहीं कही जायंगी तो कैसे सफाई आयेगी? तो विपक्ष की ओर से शासन पर यह अहसान रहा है और गवर्नमेंट का ध्यान इन आवश्यक चीजों की ओर खींचा गया है। आशा है मुख्यमंत्री जी इस ओर सख्त से सख्त कदम उठायेंगे और इसमें उनको कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अध्यक्ष जी, जो बातें माननीय जायसवाल जी ने इस समय उठायी हैं वे नयी नहीं हैं। उस दिन भी प्रश्न करते समय उन्होंने यह बात कही थी और मैंने उत्तर में उन्हें बताया कि जो १२ मार्च की रिपोर्ट मकबूल वगैरह ने लिखाई थी उसमें यह कहा था कि उनको शक है कि गांव का प्रधान जो डकैती १९ दिसम्बर, १९६८ को पड़ी है कदाचित् वह उन्हें उसमें फंसा न दे। इसलिए उसने थाने में जाकर और भाइयों के साथ में यह लिखाया कि थानेदार साहब और पुलिस के अधिकारी इसको देख-रेख रखें कि झूठा नाम उनका

लिखा न दिया जाय। उसने रिपोर्ट में यह नहीं लिखाया था कि उसको जान और माल का खतरा है। मैंने उस दिन यह भी बताया था कि जो रिपोर्ट १२ मार्च को लिखाई गयी, वह जिलाधीश को १४ तारीख को मिली है, क्योंकि वह दौरे पर थे और उन्होंने उसको कप्तान पुलिस के पास भेज दिया और जैसा कि होता है कप्तान ने डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट को इनवेस्टीगेशन, जांच के लिये भेजा और वह कागज १६ तारीख तक जब से मुहर्रम शुरू होगा उनके पास रहा। फिर वह मुहर्रम के कार्य में लगे रहे। उन्होंने उसे अहमियत न दी। क्योंकि उसमें यह नहीं लिखा था कि उसकी जान और माल का खतरा है, उन्हें तो सिर्फ इस बात से उस आदमी को बचाना था कि झूठा नाम उसका मुकदमे में न ले लिया जाय। तब उन्होंने जब उस मुकदमे की तफतीश करनी थी तो उस मामले को अपनी नजर के सामने रखा और यह दुर्भाग्य की बात है कि जो तफतीश उन्होंने ३ या ४ अप्रैल से प्रारंभ की उसके पूर्व ही यह घटना २७ मार्च को हो गयी और २७ मार्च को घटना के उपरान्त जब ये बातें नजर में आयीं तो जो पुलिस को कार्यवाही करनी चाहिये थी, जिन्होंने कि इन घटनाओं को रचा था उनको पकड़ा। तो आज यह आरोप लगाना—आखिर का पुलिस के पास तो रोज शिकायतें चोरी, डकैती की आती हैं, एक दूसरे के लड़ने की आती हैं, खेतों के झगड़े की आती हैं। एक डी० एस० पी० होता है, उसके काम सुपुर्द होता है। वह कागज तो ऊपर से नीचे तक जाते हैं। हर मामले की जांच बड़े अधिकारी नहीं करते हैं जब तक कि कोई ऐसा मामला न हो जिसमें जांच करने की अत्यन्त आवश्यता हो। इसमें तो केवल इतना ही कहा गया था कि उसे शक है कि कहीं उसका नाम डकैती में जो इब्राहीम के यहां पर पड़ गयी है और जिसमें इब्राहीम की मृत्यु हो गयी है, उसका नाम दर्ज न कर दिया जाय। तो कोई कारण नहीं था कि वह फौरन ही उस कार्य को प्रारम्भ कर देते, ऐसा मैं समझता हूं। यह भी मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि आज भी हमारे प्रदेश में बहुत से ऐसे थाने हैं जहां केवल एक थानेदार रहता है और जब वह थानेदार कभी तफतीश के लिए चला गया या हेडक्वार्टर पर मुकदमा लड़ने के लिए आ गया, या मुकदमे में गवाही पेश करने के लिए चला गया तो थाना खाली रहता है, दारोगा से और नीचे के कर्मचारी रहते हैं। तो हमारे यहां पुलिस की भी जगह जगह पर कमी है।

जिस बात की वह चर्चा कर रहे हैं, जहां तक उन घटनाओं का सम्बन्ध है, उनका मैं आदर करता हूं। आइडियल स्टेट तो वही होनी चाहिये जो उन्होंने चर्चा की लेकिन हमारे साधन सीमित हैं और उनको सामने रखते हुए इन तमाम प्रश्नों के ऊपर हमें विचार करना चाहिये। जानबूझ कर अधिकारियों ने अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं किया ऐसी बात मैं नहीं मानता हूं। जब यह कांड हो गया और उस हालत में हुआ जब कि मकबूल के सिलसिले में यह कहा जाता था और प्रधान ने भी कहा है कि वह डींग मारता था कि वही डकैती डलवाता था और प्रधान को शक हो गया था कि इसी ने डकैती डलवायी। पुलिस की जांच नहीं हुई तो मैं इसे वास्तविकता से परे मानता हूं। जो रिपोर्ट आयी उस पर अधिकारियों ने कार्यवाही की। रहा मेरी उपस्थिति का प्रश्न तो यह मैंने बतलाया कि मैं सात बजे पहुंचा था और साढ़े नौ बजे चला आया। यह वाकया साढ़े पांच बजे का है। रिपोर्ट साढ़े नौ बजे खैराबाद थाने में हुई है। कप्तान पुलिस को जब पता चला तो वह पुलिस को लेकर गये। सवेरे कलेक्टर साहब लौटकर आये तो वह भी गये। सब पकड़ धकड़ भी शुरू कर दी। जो भी उपचार हो सकता था उस दिशा में कदम उठाया और शीघ्र ही उन्होंने गृह सचिव के पास फोन द्वारा सूचना दी, गृह सचिव ने मुझे सूचना दी। उन्होंने स्वतः कहा कि मुस्लिम मरे हैं और अंदेशा यह रहता है कि जब मुस्लिम की मारपीट होती है तो साम्प्रदायिकता का आरोप लगाया जाता है। इसलिये यह देखा जाय पुलिस की तरफ से कि कहीं साम्प्रदायिक भावना उभर न आये हालांकि जो व्यक्ति मरा था वह मुसलमान था और जिसने मारा था वह भी मुसलमान था। लेकिन हमारी तरफ से ताकीद हुई और पुलिस का इंतजाम किया गया और उस परिस्थिति पर काबू पाने के लिये चेष्टा की गयी। इसलिये यह कहना कि पुलिस ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया और उस दिशा में और तेजी के साथ ऐसा कदम बढ़ाना चाहिये था कि वह वारदात ही न होने पाती अगर वह पहले उस दिशा में कदम उठाते और उन्हें इस बात का

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

आभास होता कि जान माल का खतरा है तो ऐसी सूचना न होने के कारण वे ज्यादा तफतीश न कर सके, यह बात सही है। अब एक कांड हो गया है और कांड हो जाने के बाद बहुत-सी बातें कर सकते हैं कि यह हुआ होता तो ऐसा न होता। यह हमारा तौर तरीका रहा है कि जब एक चीज हो जाती है तो बहुत-सी कल्पनाएं अपने दिमाग में बनाते हैं। इस विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि पुलिस ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

श्री माधव प्रसाद जी ने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब दिया गया। श्री माधव प्रसाद जी अब अगर प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ लें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूं। मैं माननीय गुप्ता जी से एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछ सकते हैं। बाकी स्टेटमेंट तो वह दे रहे हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं एक बात कहना चाहता हूं जिसके आधार पर ही प्रश्न करूंगा। माननीय गुप्ता जी ने ऐसी बात कही जिससे ऐसा लगता है कि वह पुलिस की वकालत कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रख कर यह कहना चाहता हूं कि श्री अनन्त राम जायसवाल जी ने जो प्रश्न किया था वह श्री जायसवाल जी का प्रश्न नहीं था वह एक जन समाज का प्रश्न था। वह प्रश्न इस लिये किया था जिससे वह घटनायें न हों, पुनः ऐसी घटनायें न हो और ऐसी स्थिति न पैदा हो जिसका विवेचन किया गया है। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि जिस लोकेलिटी में एक यूनिट चौकीदार है या दूसरी यूनिट में उसी तरह एक कांस्टेबिल है उसकी यह जिम्मेदारी ठहरायेंगे कि अगर ऐसी घटना उसके हल्के में हो तो पुलिस को वह स्वयं उसकी सूचना दे। दूसरी बात यह है कि जब कोई मंत्री महोदय या मुख्य मंत्री जी वहां जाते हैं तो यह मुख्य शिकायत रहती है कि प्रशासन का सारा कार्य अस्त-व्यस्त हो जाता है क्यों कि उनके पीछे तहसीलदार, दरोगा और कप्तान सब घूमते रहते हैं। क्या माननीय मुख्य मंत्री ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जब मुख्य मंत्री जी या मंत्री जी वहां जायें तो सारे पुलिस आफिसर उनके साथ न रहें?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अगर माननीय प्रश्नकर्ता यह जानते कि एक थाने में कितने सिपाही और कितने थानेदार होते हैं और उनके हल्के में कितने गांव हैं तो कदाचित् जो बात उन्होंने कही है उसे इस रूप में न कहते।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

सात-आठ गांव एक चौकीदार पर हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

सात-आठ गांव रहेंगे तो वह खुद अपने पास रख लेगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

तीन गांव पर चौकीदार रहता है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

चौकीदार को आप कितना पैसा देते हैं। वह अपना काम भी करता है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, नाराज होने की बात नहीं है। अगर आप चार रुपया देंगे और वह व्यवस्था नहीं कर पाता है तो आप उसकी तनख्वाह बढ़ायें। यह जवाब नहीं है कि उसको तनख्वाह कम मिलती है इसलिये वह काम नहीं करता है। इस तरह से प्रशासन कैसे चल सकता है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

वह पार्ट टाइम काम करता है वह होल टाइम वर्कर नहीं है। त्रिपाठी जी आबजेक्टिव की बात करते हैं। वह आइडियल की बात करते हैं। आइडियल की बात करना आसान है लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण उसको संभाले रखना कठिन कार्य है। उधर के बैठने वाले कदाचित् व्यावहारिकता का दृष्टिकोण नहीं रखते।

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बात कहनी है कि अगर एक सिपाही आठ गांव को मुकम्मिल तौर से नहीं देख सकता है तो माननीय मुख्य मंत्री जी और उनका मंत्रिमंडल कैसे शान्ति के साथ शासन चला सकता है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैंने यह प्रश्न किया था कि अगर माननीय मुख्य मंत्री जी या कोई और मंत्री जी दौरे पर जायें तो जितनी कम से कम संख्या में अधिकारी उनके साथ रहें उतना अच्छा है। क्या आप इस पर विचार करेंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मेरे शासन काल में पुलिस बहुत कम संख्या में मंत्रियों के साथ रहती है। अगर मैं पिछले दस महीनों का ब्यौरा रखूं कि कितनी पुलिस मुख्य मंत्री और दूसरे मंत्रियों के साथ जाती थी तो उसका भंडा फूट जायगा और यह बात पर्सनल होगी और आप सब चिढ़ जायेंगे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इसी आधार पर प्रशासन का कार्य करेंगे कि संविद सरकार ने क्या-क्या गलतियां की हैं और उसकी दुगुनी गलतियां वह करें। क्या प्रशासन करने का उनका यही माप दंड रहेगा ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न उठाया उसके जवाब में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया उसको सुन कर कोई भी यह कह सकता है कि यह सरकार अयोग्य है, यह सरकार नासमझ है और इस सरकार में दूरदर्शिता की कमी है। दूरदर्शिता न सरकार में, न सरकार के अधिकारियों में और न सरकार के कर्मचारियों में है। अगर जरा भी हो तो इस तरह की वारदातें न हों। दूसरे मैं अपनी बदकिस्मती मानता हूं कि मुख्य मंत्री जी को मैं यह समझाने में असमर्थ रहा। मैंने सवाल उठाया कि जो गांव लेवेल के यूनिट है पुलिस की, चौकीदार और कांस्टेबुल की उसको जरा-सा होशियार कर दिया जाय, सतर्क कर दिया जाय तो इस तरह की वारदातों में कुछ कमी हो जाय, बिलकुल खत्म तो नहीं हो सकतीं लेकिन कमी हो सकती है। मैंने यह सुझाव रखा और बजाय सुझाव पर उदारता से विचार करने के मुख्य मंत्री जी वकालत करने लगे। मैं मानता हूं कि चौकीदार आंशिक काल का कर्मचारी है लेकिन फिर भी वह गांव में रहता है उसको जरा जरा-सी चीज का सुबह से शाम तक पता रहता है और जो सिपाही हल्के का होता है वह जब हल्के में जाता है तब चौकीदार से सलाह-मशविरा लेकर काम करता है।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

तो अगर ये दोनों लोग अपना वक्त दूसरे कामों में न लगावें जैसे कि रिश्वत वसूलने आदि में तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसी वारदातें नहीं हो सकती हैं और अगर यह चीजें पकड़ में आ गई हैं तो मुख्य मंत्री जी को एतराज क्या है कि उस पर कार्यवाही न करें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अब मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि जितनी सद्बुद्धि की बातें कही गई हैं वह तो मुझे सभी स्वीकार हैं लेकिन जहां आरोपों की बातें करते हैं उसके बारे में मुझे जो कहना था वह मैंने कह दिया ।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजकर १८ मिनट पर अगले दिन के १०-३० बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मिश्रथल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
५ अगस्त, १९६९ ।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३ पर)

तृतीय पंचवर्षीय योजना में कानपुर जनपद के अन्तर्गत विद्युतीकरण होने वाले प्रस्तावित ग्रामों की सूची ।

१—बिल्लौर
२—शौंझक
३—बिठूर
४—बारा
५—काशीपुर
६—बम्रौधा
७—सिकंदरा
८—बारंबा
९—बसालतगंज
१०—रसौला बाद
११—रतनपुर खास
१२—घाटमपुर
१३—कारीगांव
१४—पन्द्रीलालपुर
१५—पारस
१६—पतारा
१७—घेन अकबरपुर
१८—बिनोर बागड़
१९—चन्द्रारी
२०—गाजुपुरवा
२१—करथौरा
२२—पानीगंव गंज
२३—सुचेन्डी
२४—सरसोल
२५—मोटी
२६—रनीया

निम्नलिखित ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है ।

१—बिल्लौर
२—शौंझक
३—बिठूर
४—बारा
५—अम्रौधा
६—घाटमपुर
७—चन्द्रारी
८—सुचेन्डी

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४ पर)

सूची "क"

जिलों के नाम—

१—मथुरा
२—इलाहाबाद
३—इटावा
४—बहराइच
५—बाराबंकी
६—गोंडा
७—फैजाबाद
८—प्रतापगढ़
९—आजमगढ़
१०—बस्ती
११—देवरिया
१२—गोरखपुर
१३—सुल्तानपुर
१४—जालौन
१५—झांसी
१६—जौनपुर
१७—बलिया
१८—गाजीपुर
१९—मिर्जापुर
२०—वाराणसी

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७ पर)

संख्या ३२९ डी०/३३-२-५६६—६७

प्रेषक,

श्री भवानी शंकर शर्मा,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

मुख्य अधिकारी,
जिला परिषद्,
प्रतापगढ़ ।

पंचायती राज (२) विभाग दिनांक लखनऊ, ४ अप्रैल, १९६७

विषय:—मंगरोरा क्षेत्र समिति का मुख्यालय निर्धारण ।

महोदय,

मुझे आपको यह सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय उपर्युक्त विषय पर पूर्ण आदेश को निरस्त करते हुए, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (कार्यालय स्थान) नियमावली, १९६६ के नियम १० के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके, मंगरोरा क्षेत्र समिति का मुख्यालय महुली के स्थान पर अब कोहडोर निर्धारित करना उचित समझते हैं ।

आपसे अनुरोध है कि ऊपर के आदेशों का अनुपालन करते हुए मंगरोरा क्षेत्र समिति का मुख्यालय अब महुली से कोहडोर स्थानान्तरित कर दें ।

भवदीय,
ह० भवानी शंकर शर्मा,
उपसचिव ।

(१)३२९ डी० (१)/३३-२-स० पि०-५६६—६७

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु:—

(१) जिला अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
(२) जिला नियोजन अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
(३) आयुक्त फैजाबाद मंडल, फैजाबाद ।
(४) उप विकास आयुक्त, फैजाबाद ।
(५) आयुक्त कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
(६) मुख्य वित्त अधिकारी, जिला परिषद्, उ० प्र० लखनऊ ।
(७) परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा उ० प्र० इलाहाबाद ।
(८) सचिवालय के समस्त विभाग ।
(९) खंड विकास अधिकारी, मंगरोरा, प्रतापगढ़ ।
(१०) प्रमुख क्षेत्र समिति, मंगरोरा, प्रतापगढ़ ।
(११) अध्यक्ष, जिला परिषद्, प्रतापगढ़ ।

आज्ञा से,
ह० प्रेमचन्द श्रीवास्तव ।

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२ पर)

उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों में स्थित सरकारी कृषि फार्मों के विवरण की तालिका

क्रम-सं०	जिले का नाम	सरकारी कृषि फार्मों का कुल क्षेत्रफल (एकड़ म)
१	सहारनपुर	९०.७९
२	मुजफ्फरनगर	२२७.७६
३	बुलन्दशहर	३३१ .५८
४	मेरठ	१७१७.२६
५	मथुरा	४५५.७८
६	आगरा	१७९.४०
७	एटा	२७३.४३
८	मैनपुरी	१३७.९८
९	बरेली	२१६.४३
१०	पीलीभीत	२००.००
११	शाहजहांपुर	४१७.०३
१२	बदायूं	१०६.४२
१३	रामपुर	११९.४४
१४	मुरादाबाद	३५१.६८
१५	बिजनौर	२८१.९४
१६	इलाहाबाद	१९२.९९
१७	फतेहपुर	१९३.३०
१८	कानपुर	८८०.३८
१९	फर्रुखाबाद	८३.७५
२०	इटावा	१३३.३३
२१	झांसी	२९४.८८
२२	जालौन	२४४.३६
२३	हमीरपुर	१४०.८०
२४	बांदा	२०९.५०
२५	वाराणसी	१४१.९२
२६	मिर्जापुर	२५३.६१
२७	जौनपुर	५२.७४
२८	गाजीपुर	१२४.००
२९	बलिया	४३.५५
३०	गोरखपुर	३७४.८५
३१	देवरिया	२४५.४५
३२	बस्ती	३१३.५३
३३	आजमगढ़	.. .. ..
३४	नैनीताल	.. ..
३५	पौड़ी गढ़वाल	..

क्रम-संख्या	जिले का नाम				सरकारी कृषि फार्मों का कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)
३६	चमोली	..	..	..	२०.०८
३७	टेहरी-गढ़वाल	..	..	..	४७.००
३८	उत्तर-काशी	..	..	..	२५.००
३९	अल्मोड़ा	..	..	..	३४.३३
४०	हरदोई	..	..	..	३६५८.०६
४१	रायबरेली	..	..	..	२५६.५१
४२	सीतापुर	..	..	..	३४९.६०
४३	लखीमपुर खीरी	..	..	..	१७७.४५
४४	उन्नाव	..	..	..	१६६.९१
४५	लखनऊ	..	..	..	४०८८.९६
४६	फैजाबाद	..	..	..	२८०.१४
४७	गोंडा	..	..	..	२७८.४४
४८	बहराइच	..	..	..	६८१.०३
४९	सुल्तानपुर	..	..	..	३६.९६
५०	प्रतापगढ़	..	..	..	३५.८२
५१	बाराबंकी	..	..	..	३४२.०५
५२	अलीगढ़	..	..	..	३६४.६७
	योग	..			२९,२४२.८६

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३६ पर)

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (जारी रखने का) विधेयक, 1969

(जैसा कि उ० प्र० विधान परिषद द्वारा पारित हुआ)

यू०पी० ऐक्ट संख्या 25, 1947

आगे तीन साल की अवधि के लिए और यू० पी० (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, 1947 को जारी रखने के लिए उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (जारी रखने का) अधिनियम, 1969 कहलाएगा।

यू० पी० ऐक्ट संख्या 25, 1947 की धारा 1 का संशोधन।

2—यू० पी० (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, 1947 की धारा 1 की उपधारा (5) "1969' क स्थान पर संख्या "1972" रख दी जाय।

उद्देश्य और कारण

यू० पी० (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ की अवधि ३० सितम्बर, १९६९ को समाप्त होने वाली है। परन्तु नियंत्रित मकानों की उपलब्धि की संख्या में दिनों दिन कमी होती जा रही है। सरकारी कार्यकलापों का क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। एलाटमेन्ट द्वारा कार्यालयों और कर्मचारियों के लिए आवास स्थान प्राप्त करना सदैव सम्भव नहीं है। अतएव, सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवास स्थान अधिग्रहण करने के अधिकारों को जारी रखना आवश्यक है।

तदनुसार उक्त ऐक्ट की अवधि को तीन वर्ष के लिए और बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (जारी रखने का) विधेयक, १९६९ पुरःस्थापित किया जा रहा है।

मंगला प्रसाद,
मंत्री,
खाद्य तथा रसद विभाग

नत्थी 'च,

(देखिए पीछे पृष्ठ ५८ पर)

उत्तर प्रदेश पथकर लगाए वैधीकरण विधेयक, १९६९

कतिपय पथकर लगाए जाने को वैध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पथकर वैधीकरण अधिनियम, १९६९ कहलाएगा ।

कुछ कालावधि के दौरान कतिपय पुलों पर कर के लगाये जाने का वैधीकरण

१८५१ का ८

२—(१) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, इंडियन टाल्स ऐक्ट, १८५१ की धारा २ के अधीन जारी की गई उत्तर प्रदेश सरकार की दिनांक २२ मार्च, १९६३ की विज्ञप्ति सं० २६६२—सी०—२३ पी० डब्लू० ए०—१३३ सी०—१९६० के अधीन, २२ मार्च, १९६३ को आरम्भ होने वाली और २ दिसम्बर, १९६८ को समाप्त होने वाली कालावधि के दौरान उन पुलों के बारे में, जो उक्त अधिनियम की धारा २ के अधीन जारी की गई उत्तर प्रदेश सरकार की दिनांक १ नवम्बर, १९५६ की विज्ञप्ति स० ५४९५ (३)—सी०।२३ पी० डब्लू० ए०—२१७—सी०—१९५३ के पैरा २ के अधीन समय-समय पर विज्ञापित किए गए थे, उद्गृहित किए गए या उद्गृहीत किए गए तात्पर्यित सब पथकर विधिपूर्वक उद्गृहीत किए गए समझे जाएंगे मानों उक्त पुल प्रथमोक्त विज्ञप्ति के पैरा २ के अधीन २२ मार्च, १९६३ को विज्ञापित किए गये हों और तदनुसार—

(क) किसी ऐसे पुल के बारे में किसी व्यक्ति से यथापूर्वोक्त उद्गृहीत या वसूल किए गए किसी पथकर को लौटने के लिए कोई वाद या अन्य कार्यवाही न चलेगी, न चालू रखी जाएगी तथा

(ख) कोई न्यायालय इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व ऐसे किसी पुल के बारे में किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी पथकर को लौटने का निदेश देने वाली किसी डिक्री या आदेश को निष्प्रावित न करेगा ।

(२) शंकाओं के निराकरण के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (१) की किसी बात का यह अर्थ न लगाया जायेगा कि वह किसी व्यक्ति को ऐसे किसी पुल के बारे में उसके द्वारा दिए गए उतने पथकर लौटाये जाने का दावा करने से निवारित करती है जो उस रकम से आधिक्य में हो जो उसके द्वारा उस दशा में शोध्य होती जब कि पुल प्रथमोक्त विज्ञप्ति के अधीन २२ मार्च, १९६३ को सम्यक् रूप से विज्ञाप्ति कर दिया गया होता ।

निरसन

३—उत्तर प्रदेश पथकर वैधीकरण अधिनियम, १९६८, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ३३, १९६८

उद्देश्य और कारण

१९६५ में उत्तर प्रदेश सरकार ने निश्चय किया कि राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग के नियंत्रण तथा प्रबन्ध के अधीन सड़कों पर स्थित उन पुलों कर पथकर लगाया जाए जो २१ जुलाई, १९५६ के बाद निर्मित किए गए तथा जिनकी लागत २.५० लाख रुपये से अधिक और विस्तार २०० फीट से अधिक हो। तदनुसार इन्डियन टाल्स ऐक्ट १८५१ की धारा २ के अधीन १ नवम्बर, १९५६ को एक विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें पथकर लगाने के निबन्धन और शर्तें दी गईं तथा पथकर की दरें निर्धारित की गईं। इस विज्ञप्ति में यह भी उपबन्ध किया गया कि वह पुल समय-समय पर विज्ञापित किये जाएंगे जिनके संबंध में पथकर लिया जाएगा। १ नवम्बर, १९५६ की उक्त विज्ञप्ति समय-समय पर संशोधित की गई तथा अन्त में २२ मार्च, १९६३ की विज्ञप्ति द्वारा उसे अधिष्ठित कर दिया गया। इस नई विज्ञप्ति में यह उपबन्ध किया गया कि विज्ञप्ति में उल्लिखित पथकर के निबन्धन शर्तें तथा दरें उन पुलों पर लागू होंगी जो उक्त विज्ञप्ति के पैरा २ के अधीन उसके बाद विज्ञापित किए जाएं।

२—किन्तु, भूल से उन पुलों के संबंध में, जो तारीख २२ मार्च, १९६३ की उक्त विज्ञप्ति के जारी होने के पूर्व पथकर पुल घोषित किए जा चुके थे, पुनः पथकर पुल घोषित करने के लिए नई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इन पुलों पर पथकर लगाना ऐसी विज्ञप्ति न होने के कारण अवैध ठहराया है। इन पुलों पर २२ मार्च, १९६३ से अधिनियम के गजट में प्रकाशित होने की तिथि तक अर्थात् २ दिसम्बर, १९६८ तक पथकर लगाए जाने को वैध करने की दृष्टि से राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश पथकर वैधीकरण अधिनियम, १९६८ अधिनियमित किया।

३—संविधान के अनुच्छेद ३५७ के खण्ड (२) के उपखंडों के कारण उत्तर प्रदेश पथकर वैधीकरण विधीयक, १९६९ का उक्त अधिनियम का निरसन करने तथा उसके उपबन्धों को पुनः अधिनियमित करने हेतु पुरः स्थापित किया जाता है।

गिरधारी लाल,

सार्वजनिक निर्माण मंत्री।

नत्थी 'छ'

(देखिए पीछे पृष्ठ ५४ पर ।)

उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० तथा लोक धन (देयों की वसूली) अधिनियम, १९६५ का और संशोधन करने, और यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के कतिपय उपबन्धों का विस्तार रामपुर को करने तथा उनसे संबंधित विषयों के लिये व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, १९६९ कहलाएगा ।

अध्याय २

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० का संशोधन ।

२—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १०० के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं बढ़ा दी जाएं, अर्थात्—

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ में नई धारा १००-क तथा १००-ख का बढ़ाया जाना

कतिपय वक्फों, न्यासों और निबंधों की वार्षिक वृत्ति के पुनः अवधारण के लिये विशेष उपबन्ध

"१००-क—(१) जहां कि किसी व्यक्ति ने, जो धारा ७६ के खंड (क) या खंड (ख) में अभिदिष्ट किसी वक्फ, न्यास या निबंध की ओर से कार्य कर रहा हो या कार्य करता अभिप्रेत हो, धारा ९९ के अधीन उस वक्फ न्यास या निबंध को देय वार्षिक वृत्ति का दावा करने का लोप किया हो, अथवा उसके संबंध में गलत दावा किया हो, अथवा उस वक्फ, न्यास या निबन्ध को देय वार्षिक वृत्ति का अवधारण करने में पुनर्वासन अनुदान अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि की गई हो, और ऐसे लोप, गलत दावे या त्रुटि के परिणामस्वरूप उसे देय के रूप में अवधारित धनराशि उक्त धारा ९९ के अधीन वास्तव में देय धनराशि से कम हो, अथवा इस प्रकार अवधारित धनराशि वार्षिक वृत्ति के रूप में न हो, वहां, उस वक्फ, न्यास या निबंध की ओर से कार्य करने के लिये सक्षम कोई व्यक्ति उस वक्फ, न्यास या निबंध की इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार देय वार्षिक वृत्ति की धनराशि के पुनः अवधारण के लिये प्रार्थना-पत्र पुनर्वासन अनुदान अधिकारी के समक्ष दे सकता है ।

(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट प्रार्थना–पत्र उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, १९६९ के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर दिया जा सकता है और वह ऐसे आकार में होगा जो नियत किया जाए और इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध उस पर उसी प्रकार लागू होंगे मानो पूर्वोक्त प्रार्थना–पत्र धारा ७९ के अधीन प्रार्थना–पत्र था :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी वक्फ, न्यास या निबंध की देय धनराशि का पुनः अवधारण करने में, उस आस्थान के संबंध में, जिससे प्रार्थना–पत्र संबंधित हो, नगद या बन्धों के रूप में अथवा अंशतः नगद और अंशतः बन्धों के रूप में पहले ही दी गयी अथवा इस प्रकार देय के रूप में पहले अवधारित की गयी धनराशि, यथास्थिति, कम कर दी जाएगी अथवा मुजरा कर दी जाएगी ।

(३) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश, अथवा इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी बात के होते हुए भी इस धारा के उपबन्ध प्रभावी होंगे ।

१००–ख—(१) प्रत्येक ऐसे वक्फ, न्यास या निबन्ध को—

कतिपय वक्फों, न्यासों और निबन्धों के लिये विशेष सहायता

(क) जो पूर्णतः धर्मोत्तर या दानोत्तर प्रयोजनों के लिये हों, और

(ख) जिसका सृजन ८ अगस्त, १९४६ के पूर्व किया गया था, और

(ग) जो निहित होने के दिनांक के ठीक पूर्व किसी ऐसे आस्थान में की, जो इस अधिनियम के अधीन राज्य में निहित हो गया हो,

किसी भूमि के संबंध में अभ्यर्पित या अनुदान गृहीता के रूप में मालगुजारी वसूल करने का अधिकार था,

इस बात के होते हुए भी कि उसका नाम यू० पी० लंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ३२ के, जैसी कि वह इस अधिनियम के प्रचलित होने के ठीक पूर्व थी, खंड (ए) से (डी) तक के अधीन रखे गए अधिकार अभिलेख में अभिलिखित नहीं किया गया था और तदनुसार वह इस अधिनियम के अधीन कोई प्रतिकर तथा पुनर्वासन अनुदान पाने का अधिकारी नहीं था, निहित होने के दिनांक से ऐसी वार्षिक वृत्ति का भुगतान किया जायगा जो निहित होने के दिनांक के ठीक पूर्व पूर्वोक्त रूप में उसे देय वार्षिक मालगुजारी में से उसका पन्द्रह प्रतिशत, अनुमानित प्रबन्ध व्यय तथा अशोध्य ऋणों के कारण काटकर शेष के बराबर होगी । यू० पी० ऐक्ट ३, १९०१

(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट कोई वक्फ, न्यास या निबन्ध उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, १९६९ के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर उपधारा (१) में अभिदिष्ट वार्षिक वृत्ति के अवधारण तथा भुगतान के लिये प्रार्थना–पत्र दे सकता है ।

(३) इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध जहां तक कि उनका संबंध पुनर्वासन अनुदान के अवधारण तथा भुगतान से है, उपधारा (१) के अधीन वार्षिक वृत्ति के अवधारण तथा भुगतान पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे

धारा १०१ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा १०१ में अंक तथा शब्द " ९८ या ९९" के स्थान पर अंक, अक्षर तथा शब्द " ९८, ९९, १००-क या १००-ख" रख दिए जाएं ।

नई धारा १२२-क का बढ़ाया जाना

४—मूल अधिनियम की धारा १२२-ख के पूर्व निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाए, अर्थात्—

"१२२-क—(१) गांव सभा के निमित्त तथा उसकी ओर से धारा ११७ के अधीन गांव सभा में निहित सब भूमि, गांव की सीमाओं के भीतर स्थित जंगलों (खाते, बाग या आबादी में स्थित पेड़ों को छोड़कर) पेड़ों, मीनाश ों, तालाबों, पोखरों, जल-प्रणालियों, रास्तों, आबादी के स्थलों और हाटों, बाजारों तथा मेलों के सामान्यअधीक्षण, प्रबन्ध, संरक्षण, तथा नियंत्रण का भार, भूमि प्रबन्धक समिति पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए होगा ।

भूमि प्रबंधक समिति द्वारा भूमि आदि का अधीक्षण, प्रबन्ध तथा निरीक्षण

(२) पूर्वोक्त उपबन्धों की व्याप्ति को बाधित न करते हुए, भूमि-प्रबन्धक समिति के कृत्यों तथा कर्त्तव्यों के अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे—

(क) भूमि का बन्दोबस्त तथा प्रबन्ध;

(ख) गांव सभा द्वारा अथवा उसके विरुद्ध वादों तथा कार्यवाहियों का संचालन तथा अभियोजन;

(ग) कृषि का विकास तथा उन्नति ;

(घ) जंगलों तथा पेड़ों का संरक्षण, रख-रखाव तथा विकास,

(ङ) आबादी के स्थलों तथा ग्राम्य संचार साधनों का रख-रखाव तथा विकास;

(च) हाटों, बाजारों तथा रेलों का प्रबन्ध;

(छ) सहकारी खेती का विकास;

(ज) पशुपालन का, जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन या कुक्कुट पालन भी है, विकास;

(झ) खातों की चकबन्दी;

(ञ) कुटीर उद्योगों का विकास;

(ट) मीनाशयों तथा तालाबों का रख-रखाव तथा विकास; और

(ठ) ऐसे अन्य विषय जो नियत किए जाएं ।

(३) भूमि प्रबन्धक समिति का सभापति अथवा कोई अन्य पदाधिकारी या सदस्य ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए, जो नियत किए जाएं, भूमि प्रबन्धक समिति के निमित्त तथा उसकी ओर से किसी लेख पर हस्ताक्षर करने और वादों तथा अन्य कार्यवाहियों के संचालन एवं अभियोजन के लिये समस्त अन्य कार्य करने का अधिकारी होगा।"

धारा १३४ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा १३४ में शब्द "दस गुना" के स्थान पर शब्द "बीस गुना" रख दिए जाएं ।

धारा १३५ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा १३५ में शब्द "प्रार्थी ने पूर्वोक्त दस गुना रुपया जमा कर दिया है" के स्थान पर शब्द "पर्वोक्त के अनुसार धनराशि जमा कर दी गयी है" रख दिए जाएं।

धारा १३६ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा १३६ में जहां-जहां भी शब्द "दस गुने" आए हों, उनके स्थान पर शब्द "बीस गुने" रख दिए जाएं।

धारा १५३ का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा १५३ की उपधारा (२) में शब्द "सहकारी समिति से" के पश्चात् शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक "या स्टेट बैंक आफ इण्डिया से, या किसी अन्य ऐसे बैंक से जो रिजर्व बैंक आफ इंडिया ऐक्ट, १९३४ की धारा २ के खंड (ई) के अर्थ में शेड्यूल्ड बैंक हो, या यू० पी० स्टेट एग्रो-इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड से" बढ़ा दिए जाएं।

नई धारा १५७-क का बढ़ाया जाना।

९—मूल अधिनियम की धारा १५७ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाए, अर्थात्:—

"१५७-क—(१) धारा १५३ से १५७ में उल्लिखित प्रतिबन्धों को बाधित न करते हुए, किसी भी ऐसे भूमिधर सीरदार अथवा असामी को, जो किसी अनुसूचित आदिम जाति का हो, कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भूमि किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किसी अनुसूचित आदिम जाति का न हो, विक्रय, दान, बन्धक अथवा पट्टे द्वारा संक्रमित करने का अधिकार न होगा।

अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों द्वारा भूमि के संक्रमण पर प्रतिबन्ध

(२) नियत रीति से तदर्थ प्रार्थना-पत्र दिए जाने पर कलेक्टर ऐसी जांच करेगा जो नियत की जाए।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय में पद "अनुसूचित आदिम जाति" का तात्पर्य राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद ३४२ के खंड (१) के अन्तर्गत दिए गए आदेश में निर्दिष्ट अनुसूचित आदिम जाति से है।"

धारा १६३ का संशोधन

१०—मूल अधिनियम की धारा १६३ में शब्द तथा अंक "धारा १५४" के स्थान पर शब्द, अंक तथा अक्षर "धारा १५४ अथवा धारा १५७-क" रख दिए जाएं।

धारा १६९ का संशोधन

११—मूल अधिनियम की धारा १६९ में—

(१) उपधारा (१) में, शब्द अंक तथा कोष्ठक "उपधारा (२)" के स्थान पर शब्द, अंक, अक्षर तथा कोष्ठक "उपधारा (२) तथा (२-क)" रख दिए जाएं; तथा

(२) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाए, अर्थात्:—

"(२-क) किसी अनुसूचित आदिम जाति के भूमिधर की दशा में दित्सा (वसीयत) करने के निमित्त धारा १५७-क के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे जीवन-काल के दौरान संक्रमण पर लागू होते हैं।"

धारा १९५ का संशोधन

१२—मूल अधिनियम की धारा १९५ में शब्द "भूमि प्रबन्धक समिति को" के पश्चात् शब्द "परगने के इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर के पूर्वानुमोदन से" बढ़ा दिए जाएं।

धारा १९७ का संशोधन

१३—मूल अधिनियम की धारा १९७ के प्रारंभिक पैरा में शब्द "भूमि प्रबन्धक समिति को," के पश्चात्, जहां वे पहली बार आये हों, शब्द "परगने के इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर के पूर्वानुमोदन से" बढ़ा दिए जाएं।

धारा १९८ का संशोधन

१४—मूल अधिनियम की धारा १९८ में—

(क) उपधारा (२) में शब्द, अंक और कोष्ठक, "परगने का इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर उपधारा (१) के अधीन की गयी प्रवेशना (allotment) के विषय में नियत रीति से जांच स्वयमेव कर सकता है और

उपधारा (१) के अधीन दी गयी भूमि प्रबन्धक समिति की आज्ञा से असंतुष्ट किसी व्यक्ति के प्रार्थना पर तो उक्त जांच अवश्य ही करेगा" के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "कलेक्टर उपधारा (१) में अभिदिष्ट किसी प्रदेशना के विषय में नियत रीति से जांच स्वयमेव कर सकता है और ऐसी प्रदेशना से असंतुष्ट किसी व्यक्ति की प्रार्थना पर तो नियत रीति से उक्त जांच अवश्य ही करेगा" रख दिए जाएं, और

(ख) उपधारा (३) में शब्द "परगने का इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "कलेक्टर" रख दिया जाए।

धारा २०२ का संशोधन

१५—मूल अधिनियम की धारा २०२ के खण्ड (ग) में शब्द "या देय धनराशि न्यायालय में जमा कर दी गयी है" के स्थान पर शब्द "या बन्धक के अधीन देय धनराशि चाहे वह तदधीन भुगतान के योग्य हुई हो या नहीं न्यायालय में जमा कर दी गयी है" रख दिए जाएं।

धारा २३० का संशोधन

१६—मूल अधिनियम की धारा २३० में, खण्ड (ध) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाए, अर्थात्:—

"(धध) धारा १५७-क के अधीन प्रार्थना-पत्र दिए जाने और उसके संबंध में कलेक्टर द्वारा जांच किए जाने से संबंधित प्रक्रिया;"।

धारा २५१ का संशोधन

१७—मूल अधिनियम की धारा २५१ में उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(३) उपधारा (१) तथा (२) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों, जिनमें यह अधिनियम ६ जून, १९६९ के पश्चात् प्रवृत्त किया जाए, के संबंध में, ऐसे प्रवर्तन से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व किसी भी समय, ऐसे क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग की मालगुजारी का बन्दोबस्त करने का निदेश दे सकती है। इस प्रकार किया गया बन्दोवस्त ऐसे क्षेत्र अथवा भाग के संबंध में धारा २५३ में अभिदिष्ट आरंभिक बन्दोबस्त समझा जाएगा और, तदनुसार, ऐसे क्षेत्र अथवा भाग पर धारा २५२ के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।"

धारा २८६ का संशोधन

१८—मूल अधिनियम की धारा २८६ की उपधारा (२) में शब्द "किसी भी अचल संपत्ति से" और शब्द "प्रसर द्वारा वसूल किया जा सकता है" के बीच शब्द "जिसमें वह खाता जिसका वह भूमिधर, सीरदार अथवा असामी हो भी सम्मिलित है" बढ़ा दिए जाएं।

धारा ३३१ का संशोधन

१९—मूल अधिनियम की धारा ३३१ में उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएं, अर्थात्:—

"(१-क) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, किसी अपील अथवा पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा यह आपत्ति कि यथास्थिति अनुसूची २ के स्तम्भ ४ में निर्दिष्ट किसी न्यायालय, अथवा किसी दीवानी न्यायालय ने, जिसे वाद, प्रार्थना-पत्र अथवा व्यवहार के सम्बन्ध में अधिकार क्षेत्र नहीं था, उसके सम्बन्ध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है, तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी जब तक कि ऐसी आपत्ति यथा सम्भव प्रथम प्राप्त अवसर पर ही प्रारम्भिक न्यायालय में न की गयी हो, और उन सभी मामलों में जिनमें वाद-प्रश्न निश्चित किए जाते हैं। ऐसी आपत्ति इस प्रकार निश्चित किये जाने के समय या उसके पूर्व ही न कर दी गयी हो, और जब तक कि ऐसे मामले में परिणामस्वरूप न्याय में चूक न हो गई हो।"

धारा ३३७ का संशोधन

२०—मूल अधिनियम की धारा ३३७ में, शब्द और अंक "२ एकड़ एक एकड़ के रूप में गिना जाएगा" के स्थान पर शब्द "डेढ़ एकड़ एक एकड़ के रूप में गिना जाएगा" रख दिए जाएं।

धारा ३४४ का संशोधन

२१—मूल अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (१) के खण्ड (ख) में शब्द "वाद या दूसरे व्यवहार" के स्थान पर शब्द तथा कोष्ठक "वाद, प्रार्थना-पत्र अपील, तथा दूसरे व्यवहार (जिनमें पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण के लिए व्यवहार भी सम्मिलित है)" रख दिए जाएं।

अनुसूची २ का संशोधन

२२—मूल अधिनियम की अनुसूची २ में क्रम संख्या २० और २०-क और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रख दिए जाएं, अर्थात्:—

१	२	३	४	५	६
"२०	१९८(२)	भूमि के प्रदेशन पर आपत्ति करने का प्रार्थना-पत्र	कलेक्टर	कमिश्नर	"
२०-क	१९८(४)	भूमि में अभियाचित अधिकार स्थापित करने का वाद।	"	"	"

संक्रमण कालीन निदेश

२३—इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम की धारा १९८ और अनुसूची २ में किए गए संशोधनों के होते हुए भी, उक्त धारा की उपधारा (१) में अभिविष्ट प्रदेशनों के सम्बन्ध में, जो २८ जून, १९६८ ई० से पूर्व किए गए हों:—

(क) उक्त धारा १९८ की उपधारा (२) के अधीन जांच की जाने और आदेश देने का क्षेत्राधिकार; तथा

(ख) उक्त धारा की उप धारा (४) के अधीन वादों को ग्रहण करने और उनका निर्णय करने का क्षेत्राधिकार,

परगने के इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर में उसी प्रकार निहित बना रहेगा मानों यह अधिनियम पारित ही न हुआ हो।

अध्याय ३

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ ई० की धारा ११ का संशोधन

२४—उत्तर प्रदेश जोत चक बन्दी अधिनियम, १९५३ (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ११-क में, शब्द तथा अंक "जो धारा ९ के अधीन उठाया जा सकता था या उठाया जाना चाहिए था" के स्थान पर शब्द तथा अंक "जो धारा ९ के अधीन उठाया गया हो या जो उक्त धारा क अधीन उठाया जा सकता था या उठाया जाना चाहिए था" रख दिए जाएं।

धारा ४८ का संशोधन

२५—मूल अधिनियम की धारा ४८ में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाए और सदैव से बढ़ा दिया गया समझा जाए, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, चकबन्दी अधिकारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दीकर्त्ता और चकबन्दी लेखपाल, चकबन्दी संचालक के अधीन होंगे।"

धारा ५३-ख का संशोधन

२६—मूल अधिनियम की धारा ५३-ख में शब्द, कामा तथा अंक "इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८" के स्थान पर शब्द, कामा तथा अंक "परिसीमन अधिनियम, १९६३" रख दिए जाएं।

२७—(१) (क) प्रत्येक अधिकारी या प्राधिकारी जिसे, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व किसी भी समय, राज्य सरकार द्वारा मूल अधिनियम की बधीकरण उपबन्ध धारा ४४ के खण्ड (२) के अधीन चकबन्दी संचालक के अधिकार प्रदान किए गए हों, उसे ऐसे अधिकार प्रदान किए जाने के विनांक से, उक्त अधिनियम की धारा ३ के खण्ड (४) के अधीन चकबन्दी संचालक के रूप में यथाविधि नियुक्त किया गया समझा जाएगा; तथा

(ख) किसी ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार के ऐसे अधिकारों का प्रयोग करके, जो उसे मूल अधिनियम की धारा ४४ के खंड (१) के अधीन प्रदान किए गए अभिप्रेत हों, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व किसी भी समय बन्दोवस्त अधिकारी, चकबन्दी या अतिरिक्त बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, या सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, के रूप में की गई किसी व्यक्ति की हर नियुक्ति वैध समझी जाएगी और सदैव से वैध समझी जाएगी, भले ही उक्त खण्ड के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रतिनिधान आदेश उक्त धारा के उपबन्धों के अनुसार न दिया गया हो अथवा सरकारी गजट में प्रकाशित न किया गया हो।

(२) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व, मूल अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन अधिकारों का प्रयोग करने या कर्त्तव्यों का पालन करने में प्रयुक्त क्षेत्राधिकार, दिया गया निर्णय या आदेश और ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने या कर्तव्यों का पालन करने में, किया गया अन्य कार्य या की गई अन्य कार्यवाही केवल इस कारण से न तो अवैध या अमान्य समझी जाएगी, न कभी अवैध या अमान्य रही समझी जाएगी, कि ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी उक्त अधिनियम के अधीन यथास्थिति चकबन्दी संचालक, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, अतिरिक्त बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, या सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के रूप में यथाविधि नियुक्त नहीं किया गया था।

अध्याय ४

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १, १९६१ की धारा २६ का संशोधन

२८—उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २६ में—

(१) उपधारा (१) में शब्द तथा अंक "धारा २७" के स्थान पर शब्द, अंक तथा अक्षर "धारा २६-क और २७" रख दिए जाएं; तथा

(२) उपधारा (२) निकाल दी जाए।

नई धारा २६-क का बढ़ाया जाना

२९—मूल अधिनियम की धारा २६ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा बढ़ा दी जाए, अर्थात्:—

उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम १९६९ के प्रारम्भ होने के पूर्व अन्तरिम अवधि के लिए पट्टे पर दी गई भूमि का बन्दोबस्त

"२६-क—(१) यदि कोई अतिरिक्त भूमि किसी व्यक्ति को धारा २६ की उपधारा (२) के अधीन जैसी कि वह उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, १९६९ के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व थी अन्तरिम अवधि के लिए पट्टे पर दी गई हो और ऐसा व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसके साथ ऐसी अतिरिक्त भूमि का उक्त अधिनियम द्वारा यथासंशोधित धारा २७ की उपधारा (३) के अधीन बन्दोबस्त किया जाना चाहिए, तो उस भूमि का, उस व्यक्ति की इच्छा

पर, या तो ऐसी अवधि के पूर्व अथवा उसके अन्त में कलेक्टर द्वारा उसी व्यक्ति के साथ बन्दोबस्त किया जाएगा।

(२) अन्य सभी मामलों में, अन्तरिम अवधि के लिए इस प्रकार पट्टे पर दी गई भूमि, ऐसी अवधि के अन्त में, कलेक्टर द्वारा वापस ले ली जाएगी, और तत्पश्चात् उसका बन्दोबस्त धारा २७ के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।"

धारा २७ का संशोधन

३०—मूल अधिनियम की धारा २७ में, वर्तमान उपधारा (३) और (४) के स्थान पर निम्नलिखित नई उपधारा रख दी जाए, अर्थात्:—

"(३) किसी भी अतिरिक्त शेष भूमि का बन्दोबस्त कलेक्टर द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा १९८ और उसके अधीन बने नियमों में दिए गए तारतम्य के अनुसार किया जाएगा,"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५१

धारा २८ का संशोधन

३१—मूल अधिनियम की धारा २८ में—

(१) उपधारा (१) और (२) में जहां जहां भी शब्द तथा अंक "धारा २७" आये हों, उनके स्थान पर शब्द, अंक तथा अक्षर, "धारा २६-क या धारा २७", रख दिए जाएं; तथा

(२) उपधारा (३) में शब्द तथा अंक "धारा २७" के स्थान पर शब्द, अंक तथा अक्षर "धारा २६-क या धारा २७" रख दिए जाएं और शब्द तथा अंक "धारा २६" के पश्चात शब्द तथा अंक "जैसी कि वह उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, १९६९ के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व थी," बढ़ा दिए जाएं।

अध्याय ५

लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, १९६५ का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २५, १९६५

बृहत् नाम का संशोधन

३२—लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, १९६५ के (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) बृहत् नाम में शब्द "उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को" के पश्चात शब्द "या राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ विज्ञापित किसी अन्य निगम को, या भारत के स्टेट बैंक, या किसी अनुसूचित बैंक या सरकारी कंपनी को" बढ़ा दिए जाएं।

धारा २ का संशोधन

३३—मूल अधिनियम की धारा २ में—

(१) खण्ड (क) के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाए, अर्थात :—

"और इसके अन्तर्गत कोई अन्य ऐसा निगम भी है जो राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में हों और जिसे राज्य सरकार ने सरकारी गजट में जारी की गई विज्ञप्ति द्वारा एतदर्थ निर्दिष्ट किया हो।"

(२) खण्ड (ख) के उपखण्ड (३) में शब्द "पशुपालन" के स्थान पर शब्द "कृषि, उद्यान-कर्म, पशुपालन या कृषि उद्योग" रख दिए जाएं;

(३) खण्ड (ख) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात—

"(खख) 'सरकारी कंपनी' का तात्पर्य कंपनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा ६१७ में यथा परिभाषित गवर्नमेन्ट कंपनी से है"।

१९५६ का १

(४) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जाएं, अर्थात्—

"(घघ) 'अनुसूचित बैंक' का तात्पर्य रिजर्व बैंक आफ इंडिया ऐक्ट, १९३४ की द्वितीय अनुसूची में तत्समय सम्मिलित बैंक से है,

१९३४ का २

(घघघ) 'भारत का स्टेट बैंक' का तात्पर्य स्टेट बैंक आफ इंडिया ऐक्ट, १९५५ के अधीन संघटित स्टेट बैंक आफ इंडिया से है";

१९५५ का २३

(५) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बड़ा दिया जाए, अर्थात् :—

"(च) 'राज्य द्वारा पुरोनिधानित योजना' का तात्पर्य वित्तीय सहायता के रूप में राज्य सरकार द्वारा पुरोनिधानित ऐसी योजना से है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार या तो भारत के स्टेट बैंक या किसी अनुसूचित बैंक या किसी सरकारी कंपनी को ऋण वितरित करने, अग्रिम धनराशि देने या अनुदान देने के लिये अथवा माल को उधार बेचने या उसके क्रयविक्रय के प्रयोजन के लिए अग्रिम धनराशि देती है या ऋण, अग्रिम धनराशि या अनुदान के वापसी अथवा उधार या क्रयविक्रय पर बेचे गए माल की कीमत के भुगतान की प्रत्याभूति देती है या प्रत्याभूति देने का अनुबन्ध करती है।"

धारा ३ का संशोधन

३४—मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) में—

(१) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जाएं, अर्थात् :—

"(क) राज्य सरकार या निगम द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में उसे दिए गए किसी ऋण, अग्रिम धनराशि या अनुदान अथवा उसे उधार बेचें गए या क्रयविक्रय पर बेचे गए माल से, संबद्ध अनुबन्ध में, या

(कक) राज्य सरकार द्वारा, पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत यथास्थिति, भारत के स्टेट बैंक या किसी अनुसूचित बैंक या सरकारी कंपनी द्वारा उसे दिए गए किसी ऋण, अग्रिम धनराशि या अनुदान, से सम्बद्ध या उसे उधार बेंचे गए या क्रय-विक्रय पर बेचे गए, माल से संबद्ध किसी अनुबन्ध में, या"; और

(२) शब्द "निगम की दशा में उसका प्रबन्ध निदेशक" के स्थान पर शब्द "निगम या सरकारी कंपनी की दशा में उसका प्रबन्ध निदेशक और भारत के स्टेट बैंक या अनुसूचित बैंक की दशा में उसका स्थानीय एजेंट, वह चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो" रख दिए जाएं।

अध्याय ६

यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के कतिपय उपबन्धों का रामपुर को विस्तारण तथा कतिपय कार्य और कार्यवाहियों का वैधीकरण

विस्तारण और वैधीकरण

३५—(१) यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के अध्याय ८ के उपबन्ध, और उस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम जहां तक कि वे उस अध्याय से सम्बद्ध हैं, १८ जून, १९६५ को और रामपुर की नगरपालिका में सम्मिलित उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अधीन अभिगृहित कृषि क्षेत्र से भिन्न, क्षेत्रों में विस्तृत किए जायेंगे और किए गए समझे जाएंगे और ऐसे क्षेत्र में उक्त दिनांक के ठीक पूर्व प्रवृत्त उक्त उपबन्धों के तदनुरूप कोई विधि उक्त दिनांक से निरसित हो जाएगी।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या ३ १९०१
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ९, १९५७

(२) मालगुजारी की या मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूलीय किसी राशि की वसूली के लिए रामपुर के कलेक्टर द्वारा या किसी अन्य आफिसर या प्राधिकारी द्वारा या कलेक्टर द्वारा नियुक्त किसी रिसीवर द्वारा, उक्त क्षेत्र में की

गई कोई बात या कोई कारवाई (जिसके अन्तर्गत पारित आदेश, की गई नियुक्ति, की गई कार्यवाही, निकाला गया निदेश या आदेशिका अथवा प्रयुक्त अधिकार क्षेत्र आते हैं), ऐसे ही विधि मान्य अथवा वैध रूप से की हुई या की गई समझी जाएगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध उन सभी तात्विक समयों पर जब ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी प्रवृत्त थे ।

अध्याय ७
निरसन

निरसन

३६—निम्नलिखित अधिनियमितियां एतद्द्वारा निरसित की जाती हैं—

(१) उत्तर प्रदेश जमींदारी–विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९६८,	राष्ट्रपति अधिनियम सं० १७, १९६८ ई०
(२) उत्तर प्रदेश जोत-चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९६८,	राष्ट्रपति अधिनियम सं० १८, १९६८ ई०
(३) उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) (संशोधन) अधिनियम, १९६८,	राष्ट्रपति अधिनियम सं० ३४, १९६८ ई०
(४) उत्तर प्रदेश मालगुजारी उपबन्ध (रामपुर को विस्तारण) अधिनियम, १९६९, तथा	राष्ट्रपति अधिनियम सं० ५, १९६९ ई०
(५) उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९६९ ।	उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० ३, १९६९ ई०

उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद ३५७ के खंड (२) के उपबंधों को देखते हुये यह आवश्यक है कि, राष्ट्रपति शासन-काल में अधिनियमित समस्त राष्ट्रपति अधिनियम राज्य विधान-मंडल द्वारा पुनः अधिनियमित किये जायें । तदनुसार उत्तर प्रदेश की भूमि विधियों से संबंधित ऐसे सभी अधिनियमों को, और बाद में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित ऐसी विधियों से संबंधित एक अध्यादेश को, आवश्यक संशोधनों के साथ, पुनः अधिनियमित करने के उद्देश्य से यह विधेयक पुरः स्थापित किया जा रहा है। विधेयक के मुख्य उपबंधों को निम्नलिखित पैराग्राफों में संक्षेप में स्पष्ट किया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० को संशोधित करने के लिये विधेयक के अध्याय २ में प्रस्तावित उपबन्ध :

विधेयक के खंड २ तथा ३ (जो राष्ट्रपति अधिनियम संख्या १७, १९६८ की धारा २ तथा ३ के तदनुरूप हैं) यह उपबन्ध करते हैं कि धर्मोत्तर तथा दानोत्तर प्रयोजनों के लिये कतिपय वक्फों, न्यासों और निबंधनों को राजस्व के अभ्यर्पिती या अनुदान गृहीता के रूप में उनके अधिकारों और स्वत्वों के पर्यवसान के लिये वार्षिक वृत्ति दी जाय तथा धार्मिक प्रयोजनों के लिये उन कतिपय वक्फों, न्यासों और निबंधनों को संदेय वार्षिक-वृत्ति का पुनः अवधारण किया जाये, जिन्हें उन्हें देय पूरी रकम, उनके मुतवल्ली या सेवायतों आदि के अज्ञान या अनवधानता के कारण, नहीं दी जा सकी ।

विधेयक के खंड ५ से ७ तक (जो उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३, १९६९ की धारा २ से ४ तक के तदनुरूप हैं) सीरदारों द्वारा भूमिधरी के अधिकार प्राप्त करने के लिये देय धनराशि की मालगुजारी के १० गुने से बढ़ाकर मालगुजारी का २० गुना करने की व्यवस्था करते हैं। यह हाल के वर्षों में भूमि के मूल्य में तेजी से हुई बढ़ोत्तरी को दृष्टि में रखत हुये किया गया है।

विधेयक का खंड ८ (जो राष्ट्रपति अधिनियम संख्या २७, १९६८ की धारा ५ के तदनुरूप है) संक्रमण के अधिकार का इस प्रकार विस्तार करने का प्रस्ताव करता है कि सीरदार भी भूमि में अपने स्वत्व को भारत के स्टेट बैंक और अन्य अनुसूचित बैंकों तथा यू० पी० स्टेट एग्रो-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड के पास बन्धक रख कर ऋण ले सकें, ताकि उक्त बैंकों तथा कारपोरेशन द्वारा कृषि विकास के निमित्त दिये जाने को उपलब्ध वित्तीय सहूलियत का सीरदार भी लाभ उठा सकें।

विधेयक के खंड ९ से ११ तक जो उत्तर प्रदेश अध्यादेश (संख्या ३, १९६९ की धारा ५ से ७ तक के तदनुरूप है) कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना किसी अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किसी अनुसूचित आदिम जाति का न हो, कोई भूमि विक्रय, दान, बंधक अथवा पट्टे द्वारा अथवा दित्सा संक्रमित किये जाने पर रोक लगाने की व्यवस्था करते हैं। शोषण से उनकी रक्षा करने के लिये यह उपबन्ध आवश्यक समझा गया है।

विधेयक के खंड १२ से १४ में (जो राष्ट्रपति अधिनियम संख्या १७, १९६८ की धारा ६ से ८ के तदनुरूप हैं) भूमि के पट्टे पर प्रदेशन के विषय में भूमि प्रबन्धक समितियों के अधिकारों पर, ऐसी प्रदेशन के लिये परगने के इंचार्ज असिस्टेन्ट कलेक्टर का पुर्वानुमोदन आवश्यक करके रोक लगाने की व्यवस्था है।

विधेयक का खंड १७ (जो उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३, १९६९ की धारा ९ के तदनुरूप है) राज्य सरकार को ऐसे क्षेत्रों, जिनमें उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम १९५० को ६ जून, १९६९ अर्थात् उक्त अध्यादेश के प्रख्यापन के दिनांक के पश्चात् प्रवृत्त किया जाये, के संबंध में उक्त प्रवर्तन के दिनांक से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व किसी भी समय, मालगुजारी का बन्दोबस्त करने का निदेश देने के अधिकार की व्यवस्था करता है। यह इसलिये प्रस्तावित किया जा रहा है क्योंकि कतिपय ऐसे क्षेत्रों में, जिनमें उक्त अधिनियम ६ जून, १९६९ के पूर्व प्रवृत्त नहीं किया गया था (उदाहरणार्थ जिला नैनीताल में स्थित तराई भावर क्षेत्र), लगान की वर्तमान प्रचलित दरें बहुत कम हैं, और उनके पुनरीक्षण की आवश्यकता है। यदि उक्त अधिनियम ऐसे क्षेत्र में वर्तमान लगान दरों का पुनरीक्षण किये बिना लागू किया गया होता तो मालगुजारी को भी ऐसे क्षेत्र में उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान कम लगान की दरों के आधार पर निश्चित करना होता, जिसका पुनरीक्षण, अधिनिम की धारा २५१ के वर्तमान उपबन्धों द्वारा आरोपित प्रतिबन्ध को ध्यान में रखते हुये ४० वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व संभव न होता। दूसरी ओर, यदि ऐसे क्षेत्र में वर्तमान लगान दरें पहले पुनरीक्षित की जाती और बाद में उस क्षेत्र में उक्त अधिनियम लागू किया जाता, तो उस क्षेत्र में उक्त अधिनियम के लागू किये जाने में अनावश्यक विलम्ब होता। अतएव यह निश्चय किया गया कि ऐसे क्षेत्रों में वर्तमान लगान दरों का पुनरीक्षण किये जाने की प्रतीक्षा किये बिना उक्त अधिनियम लागू कर दिया जाये और इस प्रकार लागू किया जाने से दो वर्ष की अवधि के भीतर ऐसे क्षत्र में मालगुजारी का बन्दोबस्त करने की व्यवस्था कर दी जाये।

विधेयक का खंड १८ अधिनियम की धारा २८६(२) का इस उद्देश्य से संशोधन करता है कि मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जाने योग्य धनराशियां, किन्तु जो किसी विशिष्ठ भूमि के संबंध में देय न हों, बाकीदार की किसी अचल संपत्ति से, जिसके अन्तर्गत कोई ऐसी जोत भी है जिसका वह भूमिधर, सीरदार या आसामी हो, वसूल की जा सकती हैं। इन कार्यवाहियों में सीरदारी तथा आसामी जोतों की विक्रयता के विषय में संदेहों को दूर करने के लिये ऐसा करना आवश्यक समझा गया है।

विधेयक का खंड १९ उक्त अधिनियम की धारा ३३१ में यह व्यवस्था करता है कि इस आशय की कोई आपत्ति कि किसी ऐसे न्यायालय ने जिसे किसी वाद, प्रार्थना पत्र या कार्यवाही के संबंध में अधिकार क्षेत्र नहीं था, उसके संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया, किसी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जायगी जब तक कि आपत्ति पहले पहल प्राप्त अवसर पर प्रारम्भिक न्यायालय में न की गई हो। वादों में निरर्थक तथा तकनीकी दलीलों को कम करने के उद्देश्य से ऐसा आवश्यक समझा गया है।

नत्थियां

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ को संशोधित करने के लिये विधेयक के अध्याय ३ में प्रस्तावित उपबन्ध

अधिनियम की धारा ११-क में यह व्यवस्था है कि भूमि के दावों, संयुक्त जोतों के विभाजन तथा गाटों, वृक्षों, कुंओं आदि के मूल्यांकन के संबंध में, कोई आपत्ति, जो उपर्युक्त अधिनियम की धारा ९ के अधीन उठायी जा सकती थी या उठायी जानी चाहिये थी, किन्तु जो इस प्रकार नहीं उठायी गयी, चकबन्दी कार्यवाहियों के किसी अनुवर्ती प्रक्रम पर न उठायी जायगी और न उसकी सुनवाई की जायेगी। विधेयक के खंड २४ में इस बात को किसी संदेह से परे रखने के लिये यह स्पष्ट व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि इस प्रकार की कोई भी आपत्ति किसी बाद के स्तर पर नहीं उठायी जा सकेगी चाहे अधिनियम की धारा ९ के अधीन आपत्तियां उठाई गई हों अथवा नहीं।

विधेयक का खंड २७ (जो राष्ट्रपति अधिनियम संख्या १८, १९६८ की धारा ३ के तदनुरूप है) कतिपय नियुक्तियों को, जिनमें कुछ तकनीकी न्यूनतायें पाई गई हैं, वैध करता है।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० में संशोधन करने के लिये विधेयक का अध्याय ४

जैसा कि अधिनियम की वर्तमान धारा २७ में यह निर्धारित किया गया है कि अतिरिक्त अधिकतम भूमि का स्थायी बन्दोबस्त केवल सहकारी कृषि समितियों के साथ ही किया जा सकता है। दुर्भाग्य से ऐसी समितियों के बनने में प्रगति नगण्य है। अतएव यह इष्टकर समझा गया है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा १९८ वे उसके अधीन बने नियमों के अधीन पहले से ही निर्धारित तारतम्य के अनुसार अन्य वर्गों के पात्र व्यक्तियों के साथ भूमि का स्थायी बन्दोबस्त करने की अनुज्ञा दी जाय। यह भी आवश्यक समझा गया है कि धारा २६(२) के अधीन अस्थायी रूप से पट्टे पर दी गयी सभी भूमि का भी, जहां पट्टे अर्ह व्यक्तियों के पक्ष में विद्यमान हों, स्थायी बन्दोबस्त कर दिया जाये जिस से कि संबंधित प्रविष्टी अधिकसुरक्षा का अनुभव करें। विधेयक के खंड २८ से ३१ अधिनियम की उक्त धाराओं को तदनुसार संशोधित करते हैं।

लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम १९६५को संशोधित करने के लिये विधेयक का अध्याय ५

विधेयक के इस अध्याय में प्रस्तावित संशोधन राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ३४, १९६८ में निहित संशोधनों के तदनुरूप है। खेती तथा कृषि उद्योगों के विकास के लिये उत्तर प्रदेश में कृषकों को खेती के उपकरणों तथा मशीनें उधार तथा क्रयविक्रय के आधार पर देने के लिये यू० पी० स्टेट एग्रोइंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड की, जो कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ के अधीन निर्मित राजिस्ट्रीकृत सरकारी कम्पनी है, स्थापना की गई है। भारत के स्टेट बैंक ने भी राज्य के कृषकों को राज्य सरकार की प्रत्याभूति पर, ऋण देने का प्रस्ताव किया है। यह भी संभावना है कि ऐसी योजनाओं में अन्य अनुसूचित बैंक तथा वित्तीय संस्थायें भी भाग लें। अतः इस विधेयक के खंड ३२ से ३४, लोक धन के संरक्षण के लिये, बाकीदारों द्वारा देय धनराशि को मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने की व्यवस्था के लिये उक्त अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव करते हैं।

यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के कतिपय उपबन्धों का रामपुर को विस्तारण करने के लिये विधेयक का अध्याय ६

इस अध्याय में निहित उपबन्ध राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ५, १९६९ के उपबन्धों के तदनुरूप हैं। रामपुर के नगर क्षेत्रों में मालगुजारी की बकाया को और अन्य लोक-देयों की वसूली में कठिनाई तथा उससे संबंधित विधिक स्थिति के बारे में संदेहों को दूर करने के उद्देश्य से यह इष्टकर समझा गया है कि विशिष्ठ उपबंधों द्वारा यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के अध्याय ८ के उपबन्धों का विस्तार, इन क्षेत्रों में भी भूतलक्षी प्रभाव अर्थात् १८ जून, १९६५, जब से उत्तर प्रदेश भूमि-विधि संशोधन अधिनियम, १९६५ प्रवृत्त हुआ, से कर दिया जाये और पहले की गई तदर्थ सभी सरकारी कार्यवाही और दिये गये आदेशों को विधि मान्यता दी जाये।

चतुर्भुज शर्मा,
राजस्व मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—६३ एस० ए०—१९६९—८७०।